13वी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

सेकी SECI SUN FOR EVER

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

सेकी का 13वां स्थापना दिवस समारोह

विषय–सूची

1	बैंकरों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिवों का विवरण और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्पोरेट कार्यालय का पता	2
2	विजन, मिशन और उद्देश्य	3
3	वित्तीय निष्पादन का अवलोकन	4
4	विगत 05 वर्षों के दौरान सेकी का वित्तीय निष्पादन	5
5	निदेशक मंडल	6
6	प्रमुख कार्यपालक	7
7	सेकी में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	8
8	सीएसआर कार्यकलापों की झलकियां	10
9	अध्यक्ष का संदेश	14
10	13वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना	16
11	निदेशकों की रिपोर्ट	21
12	**अनुबंध क** – प्रपत्र एओसी–2	38
13	**अनुबंध ख** – निगमित अधिशासन पर रिपोर्ट	39
14	**अनुबंध ग** – निगमित अधिशासन मानदंडों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र	57
15	**अनुबंध घ** – सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	58
16	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	63
17	सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)	73
18	सी एंड एजी की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	90
19	तुलन–पत्र (स्टैंडअलोन)	91
20	लाभ और हानि लेखे का विवरण (स्टैंडअलोन)	93
21	नकदी प्रवाह विवरण (स्टैंडअलोन)	95
22	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (स्टैंडअलोन)	98
23	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां (स्टैंडअलोन)	100
24	सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट (समेकित)	173
25	सी एंड एजी की टिप्पणियां (समेकित)	189
26	तुलन–पत्र (समेकित)	190
27	लाभ और हानि लेखे का विवरण (समेकित)	192
28	नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)	194
29	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (समेकित)	197
30	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां (समेकित)	199
31	फॉर्म एओसी – 1	274

बैंकरों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिव का विवरण तथा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगमित कार्यालय का पता

बैंकर:

एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
यस बैंक
बंधन बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सांविधिक लेखापरीक्षक:

एसआर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001

कंपनी सचिव:

श्री सुनील कुमार महलावत

पंजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय:

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
छठा तल, प्लेट ''बी'', एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक टॉवर–2
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली 110023

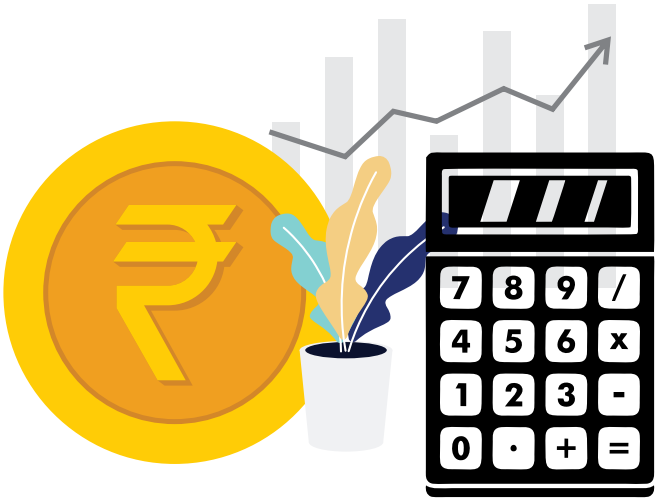

विजन

एक हरित ग्रह की ओर ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक प्रेरक शक्ति बनना, ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों और संगठनों को सशक्त बनाना।

मिशन

हमारा मानना है कि अक्षय ऊर्जा एक बेहतर भविष्य के निर्माण की कुंजी है, और हम इसे सभी के लिए वस्तुता बनाने के लिए भावुक हैं।

हमारा ध्येय है:

» सुलभ, विश्वसनीय और मापनीय नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को विकसित करना और परिनियोजन करके ऊर्जा का संवर्धन करना।

» दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में नव–परिवर्तन लाना, उपयोग करना, व्यावसायीकरण करना और गतिवृद्धि करना।

» सभी हितधारकों और लाभार्थियों के लिए सबसे भरोसेमंद भागीदार बनना, जिम्मेदार और संपोषणीय प्रथाओं के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य बनाना।

उद्देश्य

» सौर पार्कों सहित अल्ट्रा मेगा और वृहत संयंत्रों का विकास

» रूफटॉप सहित दोनों और कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सोलर संस्थापना का स्वामित्व, संचालन, विकास और प्रबंधन

» सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए ऊर्जा पहुंच कार्यक्रम शुरू करना

» पायलट परियोजनाओं के माध्यम से सौर में नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना जिससे व्यावसायीकरण हो सके

» जेएनएनएसएम लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति का आदान–प्रदान, वितरण और व्यापार करना

» पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के साथ सौर की एकीकृत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

वित्तीय निष्पादन स्टैंडअलोन

करोड़ रुपए में

निवल परिसंपत्ति	कुल राजस्व	पीबीटी	पीएटी	पावर ट्रेडिंग (मिलियन यूनिट)
2023-24	2023-24	2023-24	2023-24	2023-24
2811.76	13,135.80	584.45	436.03	42935
2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23
2376.31	10,864.43	423.60	315.65	35156

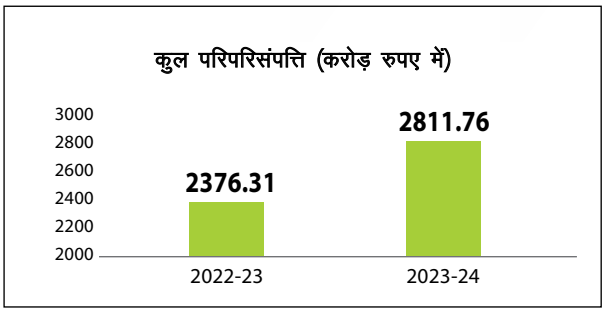

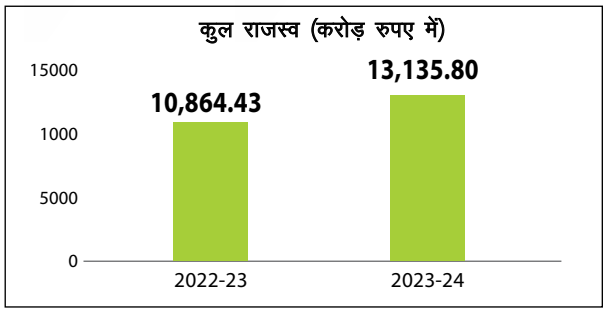

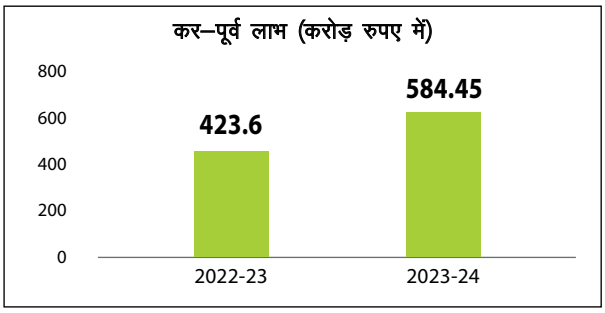

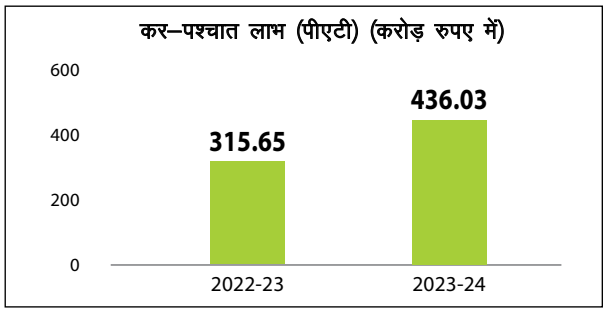

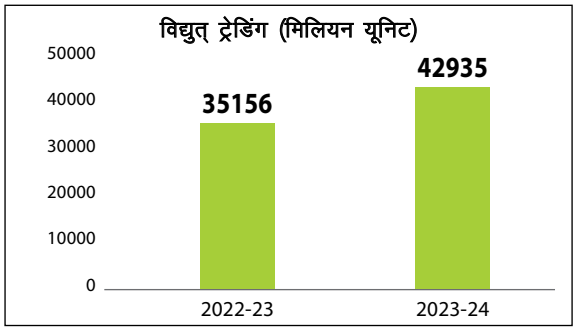

विगत 5 वित्तीय वर्षों में सेकी का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24
शेयर पूँजी	354.00	354.00	354.00	1,354.00	1,354.00
निवल परिसंपत्ति (यों)	695.72	873.58	1,060.46	2,376.31	2,811.76
कुल राजस्व (कुल आय)	4,657.73	5,464.68	7,310.38	10,864.43	13,135.80
कर–पूर्व लाभ (पीबीटी)	232.65	237.59	319.92	423.60	584.45
कर–पश्चात लाभ (पीएटी)	178.94	177.71	240.32	315.65	436.03

निदेशक मंडल
31.08.2024 को

रामेश्वर प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संजय शर्मा
निदेशक (सोलर)

जोशित रंजन सिकीदार
निदेशक (वित्त)

शिवकुमार वी वेपाकोम्मा
निदेशक (विद्युत प्रणाली)

पदम लाल नेगी
सरकारी नामित निदेशक

ललित बोहरा
सरकारी नामित निदेशक

राजकुमार सुदाम बडोले
स्वतंत्र निदेशक

प्रमुख कार्यपालक
31.08.2024 को

श्रीमती प्रतिमा गुप्ता
मुख्य सतर्कता अधिकारी

विभागीय प्रमुख और कंपनी सचिव

एस. के. गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
(वित्त एवं लेखा/आईटी)

ए.के. नायक
कार्यकारी निदेशक (ईएमडी/
सीएंडपी/हाईब्रिड)

कर्नल ए. के. सिन्हा (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (सीपी/बीडी/ मानव
संसाधन एवं प्रशासन)

श्रीधर सिंह
अपर महाप्रबंधक
(परियोजनाएं एवं पीएमसी)

ईश्वर मादीवाल
अपर महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा)

किशन सिंह
अपर महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा)

मानस रंजन मिश्रा
उप–महाप्रबंधक (सोलर)

सुनील महलावत
(कंपनी सचिव)

सेकी में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

649 व्यय की गई कुल सीएसआर राशि (लाख रुपए)

16 परियोजनाओं की कुल संख्या

7 आकांक्षी जिलों में परियोजनाओं की संख्या

314 आकांक्षी जिलों में व्यय की गई कुल सीएसआर राशि (लाख रुपये में)

लाभार्थियों की कुल संख्या

60216

आकांक्षी जिले

व्यय की गई राशि
197.64
(लाख रुपए)
राजनंदगाँव
(छत्तीसगढ़)
परियोजनाएं: 3

व्यय की गई राशि
60.97
(लाख रुपए)
गुमला
(झारखंड)
परियोजनाएं: 1

व्यय की गई राशि
24.30
(लाख रुपए)
रांची
(झारखंड)
परियोजनाएं: 1

व्यय की गई राशि
30.26
(लाख रुपए)
सिद्धार्थनगर
(उत्तर प्रदेश)
परियोजनाएं: 2

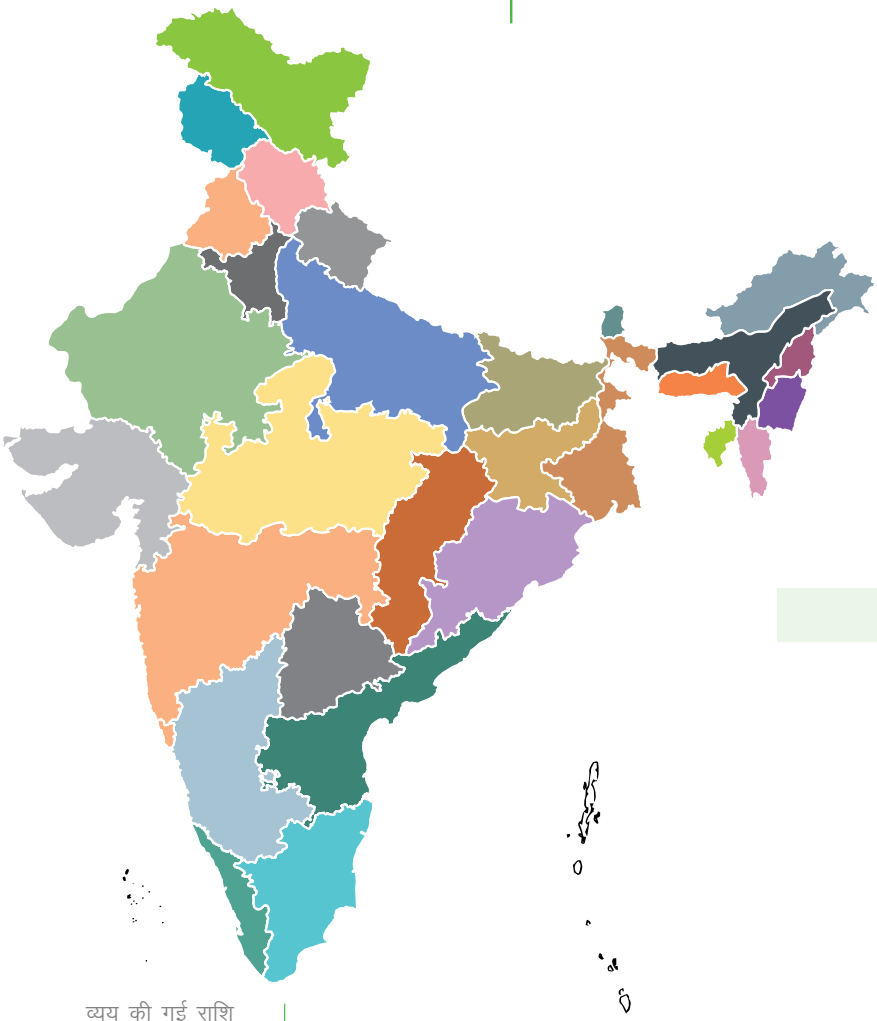

राज्यवार व्यय की गई राशि

व्यय की गई राशि
10
(लाख रुपए)
अरुणाचल प्रदेश

व्यय की गई राशि
198
(लाख रुपए)
छत्तीसगढ़

व्यय की गई राशि
188
(लाख रुपए)
महाराष्ट्र

व्यय की गई राशि
85
(लाख रुपए)
झारखंड

व्यय की गई राशि
105
(लाख रुपए)
उत्तर प्रदेश

व्यय की गई राशि
18
(लाख रुपए)
कर्नाटक

व्यय की गई राशि
25
(लाख रुपए)
उत्तराखंड

व्यय की गई राशि
20
(लाख रुपए)
मध्य प्रदेश

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों की झलक

झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर संकुल में सतत सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सोलर आधारित सिंचाई का उद्घाटन।

भोरमल संकुल, नासिक जिला महाराष्ट्र में सतत सिंचाई प्रणाली कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई पर कृषि सुधार प्रशिक्षण सत्र

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थापित सौर प्रकाश का उद्घाटन। कुल 200 सौर लाइटें स्थापित की गईं, जिससे लगभग 8500 लोग लाभान्वित हुए।

छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले राजनंदगांव की आंगनबाड़ियों में 835 एलईडी का वितरण एवं तत्पश्चात स्थापना, जिससे लगभग 25050 बच्चे लाभान्वित हुए।

छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले राजनंदगाँव के 41 नेत्रहीन बच्चों के लिए एनी स्मार्ट क्लास ब्रेल साक्षरता उपकरणों की सहायता

झारखंड के एक आकांक्षी जिले अंगदा ब्लॉक, गेतलसूद, रांची में 2 सरकारी स्कूलों में वाटर कूलर, फर्नीचर और सौर पैनलों की स्थापना के लिए सहायता।

आलंद, कलबुर्गाई, कर्नाटक में स्वास्थ्य देखभाल शिविर

हरदोई, उत्तर प्रदेश में लगभग 600 टीबी रोगियों को पोषण किट का वितरण

सतत जल प्रबंधन/संरक्षण उपायों के लिए आईआईटी कानपुर, उत्तर प्रदेश को सहायता

स्नेह कुटीर शारदा बालग्राम आश्रम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की 40 वंचित छात्राओं के पोषण के लिए रामकृष्ण मिशन (आरकेएम) आश्रम को सहायता

उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के 2354 सरकारी स्कूल के छात्रों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बैग का वितरण

रामकृष्ण मिशन, उत्तराखंड के शारदा तपोवन में 1 कॉटेज के निर्माण के लिए सहायता

अरुणाचल प्रदेश के आलो में रामकृष्ण मिशन के जनजातीय स्कूल/छात्रावास, मोबाइल मेडिकल यूनिट और अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए 1 वाहन के लिए सहायता

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

» मुझे वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेकी की उल्लेखनीय प्रगति का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जो कंपनी के विकास और विस्तार में एक और मील का पत्थर बन गया है।

वर्ष 2023–24 में निष्पादन

» वित्तीय वर्ष 2023–24 सेकी के लिए अनेक उपलब्धियों सहित उल्लेखनीय रहा है जिसने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ किया है। नवीकरण ीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी निविदा और अनुबंध प्रक्षेपवक्र को जारी रखते हुए, वित्तीय वर्ष के दौरान 8.44 गीगावॉट परियोजनाओं की कुल क्षमता प्रदान की गई, जिसमें 4.5 गीगावॉट सौर, 1.84 गीगावॉट पवन परियोजनाएं और 2.1 गीगावॉट हाइब्रिड परियोजनाएं शामिल हैं। इससे सेकी की कुल अनुबंधित क्षमता 65.317 जीडब्ल्यू (31.03.2024 तक) तक हो गई है, और अनेक अन्य निविदाएं प्रगति पर हैं।

» मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2.585 गीगावॉट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गईं, जिसमें 1.377 गीगावॉट सौर परियोजनाएं और 1.208 गीगावॉट वाली पवन परियोजनाएं शामिल हैं। इससे डेवलपर–मोड में सेकी के पोर्टफोलियो के अंतर्गत संचयी स्थापित क्षमता 21.38 जीडब्ल्यू हो गई है। इसी के अनुरूप, सेकी द्वारा अक्षय ऊर्जा विद्युत् व्यापार की मात्रा विगत वित्त वर्ष की तुलना में 22.13% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें व्यापार की मात्रा 42 बिलियन यूनिट से अधिक है।

» सेकी ने अपनी परियोजनाओं के पोर्टफोलियो में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव में 120 मेगावाट बैटरी स्टोरेज के साथ 100 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में किया था। यह परियोजना सौर ऊर्जा के घंटों से परे नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सौर उत्पादन के साथ मिलकर बैटरी भंडारण प्रणालियों के बहुमुखी अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करती है। जनवरी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप में 1.4 एमडब्ल्यूएच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ 1.7 मेगावाट सौर परियोजना का भी उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्देश्य डीजल के उपयोग को कम करना और अंततः द्वीप को हरा–भरा बनाना था।

» कंपनी ने महत्वपूर्ण वित्तीय वृद्धि हासिल की है जो इसकी भौतिक उपलब्धियों के साथ संरेखित होती है। कुल राजस्व 13,135.80 करोड़ है, जो वर्ष–दर–वर्ष 20.91% की वृद्धि को दर्शाता है, और कर–पश्चात लाभ (पीएटी) 436.03 करोड़ है, जो वर्ष–दर वर्ष 38.14% की वृद्धि को दर्शाता है।

भावी दृष्टिकोण

» वैश्विक स्तर पर, नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य तेजी से बढ़ रहा है और यह उल्लेखनीय है कि हमारा देश भी इस विकास प्रक्षेपवक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना खतरनाक जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने की दिशा में प्रमुख समाधानों में से एक है।

» भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं ने अक्षय ऊर्जा के तेजी से विस्तार के लिए एक दिशा तैयार की है जो देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ सम्बद्ध है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय शुरू किए हैं जो सतत ऊर्जा के वृहत्तर लक्ष्य को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और देश की दीर्घकालिक रणनीतियाँ आरई के तेज़ी से विस्तार के लिए प्राथमिक उत्प्रेरकों में से एक हैं, जिससे राष्ट्र के कार्बन फुटप्रिंट में कमी होगी और एक हरित भविष्य प्राप्त होगा।

» भारतीय विद्युत क्षेत्र, समग्र रूप से, एक महान डिग्री के संक्रमण का साक्षी बन रहा है जहां भविष्य में हम नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभुत्व की आशा कर सकते हैं।

» सेकी ने आरई क्षेत्र में अग्रणी/अगुआ बनकर एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसलिए, इसमें नए और उदीयमान क्षेत्रों में प्रवेश करने के अवसरों की अधिकता है, इस बीच उद्योग की चुनौतियों को चुनौतियों का मार्गदर्शन करना है। यह कंपनी के लिए एक विविध व्यापार पोर्टफोलियो को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों को पेश करने के लिए नए क्षेत्रों में उद्यम करता है। अभिनव व्यापार मॉडल लाकर यह विविधीकरण ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने और साथ ही आरई खंड में शीर्ष नायकों में से एक के रूप में हमारी स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

» इस वित्त वर्ष में सेकी ने पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों की आवश्यकताओं को समझने के बाद उनके लिए ठोस एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) का नवोन्मेषी विद्युत आपूर्ति मॉडल प्रस्तुत किया है।

» निविदा कार्यकलापों के अलावा, सेकी ने इस वित्त वर्ष में 101.7 मेगावाट की क्षमता जोड़कर अपने स्वयं के परियोजना पोर्टफोलियो में वृद्धि की है।

» अक्षय ऊर्जा में तेजी लाने के लिए हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता और हमारी जनशक्ति के कौशल और तकनीकी ज्ञान के साथ, मुझे विश्वास है कि हम चुनौतियों को दूर करने और एक अच्छी कार्पोरेट नागरिकता को प्रोत्साहित करते हुए हमारे रास्ते में आने वाले अवसरों को हासिल करने में सक्षम होंगे।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

» सेकी ने विभिन्न सीएसआर पहलों को लागू करके अपने लिए एक विशिष्ट स्थिति स्थापित की है और इसलिए उद्योग में अपने सहयोगियों और हितधारकों का विश्वास हासिल किया है। कंपनी उच्चतम कार्पोरेट अधिशासन प्रथाओं का पालन करते हुए और सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सुदृढ़ नैतिक मानकों और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सेकी ने समाज को प्रतिफल देने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6.49 करोड़ रुपये की पहल आवंटित की है।

» जैसा कि हम विस्तार और नवाचार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्रीय और राज्य नियामक आयोगों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, वित्त पोषण संस्थानों, पारेषण और वितरण कंपनियों, राज्य नोडल एजेंसियों, परियोजना डेवलपर्स, निवेशकों, सम्मानित ग्राहकों, कर्मचारियों और सभी हितधारकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे कार्यों का मार्गदर्शन किया है और कंपनी में अपना अटूट विश्वास किया है।

शुभकामनाओं सहित,
भवदीय,

हस्ता./–
रामेश्वर प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं.: 03388822

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2024

13वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) के सदस्यों की 13वीं वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) 16 दिसंबर, 2024 (सोमवार) को शाम 4.00 बजे सेकी, पहली मंजिल, एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली के बोर्ड रूम में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:–

साधारण कार्य

मद संख्या 1

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण (लेखाकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ) प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।

मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिएं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण पर विचार करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 3

प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षति निधि से अधिक कुल मिलाकर अधिकतम 8000 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए शेयरधारकों की सहमति।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उचित समझा जाए तो विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना संशोधन के पारित करें:–

"संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (इसके किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के किसी भी अन्य लागू कानूनों और प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की सहमति कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") को दी जाती है कि वह समय–समय पर अपने विवेक से, सुरक्षा के साथ या उसके बिना, और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि बोर्ड ठीक समझे, कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षिति (अर्थात किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग नहीं रखी गई आरक्षिति) के कुल योग से अधिक धन या धनराशि ऋण ले, बशर्ते कि कंपनी द्वारा पहले से ऋण लिए गए धन (कंपनी के बैंकरों से सामान्य व्यवसाय के क्रम में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ ऐसा ऋण, 8000 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

यह भी संकल्प पारित किया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी भी प्राधिकार सहित) एतद्द्वारा ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों और कार्यों को करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जो उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।"

मद संख्या 4

श्री शिवकुमार वेंकट वेपाकोम्मा को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (विद्युत प्रणाली) के रूप में नियुक्त किया गया

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि संशोधन के साथ या संशोधन के बिना पारित करना उचित समझा जाए तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करें:–

"संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (इसमें किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो इस समय प्रभावी है) के अनुसार, श्री शिवकुमार वेंकट वेपकोमा को सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (विद्युत प्रणाली) के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति दी जाती है, जो 30.08.2024 से प्रभावी होकर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31.08.2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रहेगी।"

मद संख्या 5

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना तथा, यदि उचित समझा जाए, तो इन्हें विशेष संकल्प के रूप में पारित करना, ताकि निदेशक मंडल को, जिसमें उसकी कोई समिति भी शामिल है, इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, निजी प्लेसमेंट के

माध्यम से एक या अधिक किस्तों में 1,000 करोड़ रुपये तक की राशि तक, प्रतिभूतियों में अभिदान करने/निधि जुटाने, जिसमें बांड और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण देने के लिए अधिकृत किया जा सकेः–

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार (इसमें फिलहाल लागू कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 और उसके किसी संशोधन और अन्य लागू सेबी विनियम और दिशानिर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/निर्देश/दिशानिर्देश सहित कोई अन्य लागू कानून, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन, जो लागू हो सकते हैं और ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध, जो आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें डिबेंचर धारकों के किसी भी मौजूदा उधारदाताओं/ट्रस्टियों का अनुमोदन शामिल है, यदि समझौते/विलेख की शर्तों के तहत ऐसा आवश्यक हो और ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन, जो उनमें से किसी के द्वारा ऐसा प्रदान करते समय निर्धारित या लगाए जा सकते हैं कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा सहमत किए जा सकने वाले अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंधों के लिए शेयरधारकों की सहमति दी जाती है और इस प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान 1,000 करोड़ रुपये तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक किस्तों में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को धन जुटाने के लिए प्रदान की जाती है, जो कंपनी के बांड/डिबेंचर धारक हो भी सकते हैं या नहीं भी, जैसा कि बोर्ड (या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकारी) अपने विवेक से तय कर सकता है, जिसमें पात्र निवेशक (चाहे निवासी और/या गैर–निवासी और/या संस्थान/निगमित निकाय और/या व्यक्ति और/या ट्रस्टी और/या बैंक या अन्यथा, घरेलू और/या एक या अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में) शामिल हैं निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट निकाय, कंपनियां, निजी या सार्वजनिक या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्तियों को एक या एक से अधिक संयोजनों में एक या एक से अधिक किश्तों में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से (समग्र सीमा या 1,000 करोड़ रुपये के भीतर, जैसा कि ऊपर बताया गया है), यदि कोई हो, तो ऐसे नियमों पर, जो दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, जो लागू हो सकते हैं, और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

''इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि, असुरक्षित/सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकारी, निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगा और इसके द्वारा अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है, जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, निर्गम की राशि, बांड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को निर्गम मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, कोई घोषणा/वचन जारी करना आदि शामिल हैं जिन्हें निजी प्लेसमेंट ऑफर लेटर में शामिल करना और ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करना और निष्पादित करना, जैसा कि वर्तमान में लागू किसी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत आवश्यक हो सकता है।''

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06.12.2024

टिप्पणीः

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का पात्र सदस्य स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का पात्र है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रॉक्सी प्रपत्र संलग्न है।

प्रॉक्सी प्रपत्र

मैं/हम ..... पुत्र .....जिले में .....उपर्युक्त कंपनी का सदस्य होने के नाते इसके द्वारा .....पुत्र ....जिले में .....को या उसके अभाव में ....पुत्र .....जिले में .....को 16 दिसंबर, 2024 (सोमवार) को शाम 4.00 बजे होने वाली कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक में तथा उसके किसी भी स्थगन पर मेरे लिए तथा मेरी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

वर्ष 2024 के .....माह ..... के दिन हस्ताक्षर किए।

_____

हस्ताक्षर

टिप्पणी: प्रॉक्सी प्रपत्र (यदि आवश्यक हो) कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वापस किया जाना चाहिए।

नोटिस का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार में व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 3

इरेडा ने सेकी को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण–II (सरकारी उत्पादक योजना) के अंतर्गत 44.72 लाख रुपये/मेगावाट की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के साथ 1200 मेगावाट क्षमता की परियोजना का अनुबंध दिया है।

इसकी अनुमानित परियोजना लागत 6024.78 करोड़ रुपए है। 36 करोड़ रुपए की सौर पार्क सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए, निवल परियोजना लागत 5,988.78 करोड़ रुपये है। परियोजना को ऋण और इक्विटी/आंतरिक संसाधनों के संयोजन में 70:30 के अनुपात में वित्त–पोषित किए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, घरेलू वाणिज्यिक ऋणों/अन्य ऋणों से 4192.15 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ऋण इक्विटी कॉम्बिनेशन 80:20 तक बढ़ने पर ऋण फंडिंग 4790 करोड़ तक हो सकती है।

इसके अलावा, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में 120 एमडब्ल्यूएच बीईएसएस के साथ 100 मेगावाट एसपीवी परियोजना और झारखंड में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना सेकी द्वारा अपने स्वयं के निवेश के साथ स्थापित की गई है, जिसके लिए घरेलू वाणिज्यिक ऋण और विश्व बैंक ऋण से 649.90 रुपये और 432.23 करोड़ रुपये के प्रस्तावित ऋण वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

कंपनी के शेयरधारकों ने कंपनी के निदेशक मंडल को प्रदत्त पूंजी से अधिक ऋण लेने और कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपये से अधिक की आरक्षित निधि को मुक्त करने के लिए पहले ही अधिकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सेकी की उपर्युक्त तीन परियोजनाओं के लिए ऋण वित्तपोषण के रूप में 5275 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि प्रक्षेपित की गई है जो कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पहले से अनुमोदित ऋण लेने की शक्तियों से अधिक है और निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए और अधिक ऋण लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋण लेने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, निदेशक मंडल द्वारा 14 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी 85वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए समय–समय पर कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से कंपनी की चुकता पूंजी और उसके मुक्त आरक्षिति (अर्थात किसी के लिए अलग नहीं रखी गई आरक्षिति) से अधिक राशि ऋण लेने की सिफारिश की गई थी बशर्ते कि कंपनी द्वारा पहले से ऋण लिए गए धन के साथ इस तरह के ऋण (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा), 8000 करोड़ रुपये की राशि से अधिक नहीं होगी।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी, किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित नहीं है या उनका कोई हित नहीं है।

इस नोटिस के मद संख्या 3 में निर्धारित संकल्प तदनुसार विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदन के लिए अनुशंसित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 4

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 123/4/2023–सेकी के माध्यम से सूचित किया है कि भारत के राष्ट्रपति ने श्री शिवकुमार वेंकट वेपाकोम्मा को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (विद्युत् प्रणाली) के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात 31.08.2028 या अगले आदेश तक, जो भी यथाशीघ्र हो। श्री शिवकुमार वेंकट वेपाकोम्मा ने 30.08.2024 से सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक (विद्युत प्रणाली) का पदभार ग्रहण किया।

श्री शिवकुमार वेंकट वेपाकोम्मा, आयु 56 वर्ष को 30.08.2024 को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया था। इससे पहले, श्री शिवकुमार ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में इंजीनियरिंग, अनुबंध, वाणिज्यिक, व्यवसाय विकास और कार्बन ट्रेडिंग कार्यों के लिए जिम्मेदार मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। वे इंजीनियरिंग स्नातक हैं और ब्रिटेन के स्ट्रेथक्लाइड विश्वविद्यालय से ऊर्जा प्रणालियों और पर्यावरण में एमएससी की डिग्री धारित करते हैं।

श्री शिवकुमार वेंकट वेपाकोम्मा को कंपनी अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है और उन्होंने कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

श्री शिवकुमार कंपनी के किसी अन्य निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधीं, किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित नहीं है या उनका कोई हित नहीं है।

इस नोटिस के मद संख्या 4 में नियत संकल्प तदनुसार साधारण संकल्प के माध्यम से आपके अनुमोदन के लिए अनुशंसित है

मद संख्या 5

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ, कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रतिभूतियों के प्रस्तावित प्रस्ताव या प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या आमंत्रण के लिए विशेष संकल्प द्वारा पहले से अनुमोदित नहीं किया गया हो। हालाँकि, ''गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर'' के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर के लिए सभी प्रस्तावों या आमंत्रणों के लिए वर्ष में केवल एक बार पिछला विशेष संकल्प पारित करती है। इसलिए, कंपनी को इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान 1,000 करोड़ रुपये तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक किस्तों में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को धन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के भीतर कंपनी के बॉन्ड/डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा, 1,000 करोड़ रुपये की उक्त सीमा समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी, जिसे इस एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी मामले की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है, जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या, जारी मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, जारी की राशि, बांड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को जारी मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, निजी प्लेसमेंट ऑफर लेटर में शामिल करने के लिए आवश्यक कोई घोषणा/उपक्रम जारी करना आदि और वर्तमान में लागू किसी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करना और निष्पादित करना। इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस नोटिस के प्रसारित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का उक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के, यदि कोई हो।

उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए तथा इस नोटिस के मद संख्या (5) में दिए गए अनुसार विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु इसकी सिफारिश करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आम बैठक से तुरंत पहले आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित बैठक में इस मामले पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रस्तावित है कि शेयरधारक कृपया इस नोटिस के मद संख्या (5) में निर्धारित विशेष प्रस्ताव पारित करके प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के प्रस्ताव को अनुमोदित कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06.12.2024

निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24

सेवा में,

शेयरधारकगण,

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 13वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्त वर्ष 2023–24 महत्वपूर्ण भौतिक और वित्तीय प्रगति का वर्ष रहा है। खंड–वार निष्पादन आगामी खंडों में प्रस्तुत किया गया है।

1. प्रमुख निष्पादन विशेषताएं

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भौतिक और वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

» वित्त वर्ष 2023–24 में कुल अनुबंधित क्षमता: 8.44 गीगावॉट (सौर: 4.5 गीगावॉट, हाइब्रिड: 2.1 गीगावॉट और पवन: 1.84 गीगावॉट)

» वित्त वर्ष 2023–24 में कुल संचालित क्षमता: 2.585 गीगावॉट (1.377 गीगावॉट सौर और 1.208 गीगावॉट पवन क्षमता)

» विगत वर्ष की तुलना में वार्षिक व्यापार मात्रा में 22.13% की वृद्धि हुई है, जिसमें 42935 मिलियन यूनिट विद्युत का कारोबार किया जा रहा है।

» सेकी ने पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए एफडीआरई निविदाएं जारी की हैं।

» विगत वर्ष की कुल आय रुपए 10,864.43 करोड़ की तुलना में कुल आय 20.91% बढ़कर 13,135.80 करोड़ हो गई।

» कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के रुपए 423.60 करोड़ की तुलना में 37.97% बढ़कर 584.45 करोड़ रुपये हो गया।

» विगत वर्ष की तुलना में निवल परिसंपत्ति (यों) में 18.32% की वृद्धि (कंपनी का निवल परिसंपत्ति (यों) रुपए 2,811.76 करोड़ हुई)।

2. वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं, विगत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति के साथ, निम्नानुसार हैं:

राशि (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
शेयर पूँजी	1,354.00	1,354.00
निवल परिसंपत्ति (यों)	2,811.76	2,376.31
कुल राजस्व	13,135.80	10,864.43
कर–पूर्व लाभ / (हानि)	584.45	423.60
कर–पश्चात लाभ / (हानि)	436.03	315.65

» विद्युत व्यापार, परियोजना निगरानी शुल्क, स्व–परियोजना की विद्युत की बिक्री और अन्य आय के माध्यम से कंपनी की कुल आय 13,135.80 करोड़ रुपये है, जबकि विगत वर्ष यह 10,864.43 करोड़ रुपये थी, जिसमें 20.91% की वृद्धि दर्ज की गई।

» कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के 423.60 करोड़ रुपए की तुलना में 584.45 करोड़ रुपए और कर–पश्चात लाभ (पीएटी) विगत वर्ष के 315.65 करोड़ रुपए की तुलना में 436.03 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, पीबीटी और पीएटी में क्रमशः 37.97% और 38.14% की वृद्धि दर्ज की गई।

» कंपनी की विगत वर्ष की निवल परिसंपत्ति (यों) 2,376.31 करोड़ रुपये की तुलना में 2,811.76 करोड़ रुपये थी, जिसमें 18.32% की वृद्धि दर्ज की गई।

3. लाभांश

27 मई, 2016 के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति (यों) प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को 31.03.2024 को निवल परिसंपत्ति (यों) का 5% या वर्ष 2023–24 के लिए कर– पश्चात लाभ (पीएटी) का 30%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

सचिव, दीपम की अध्यक्षता में 04 अक्तूबर, 2023 को आयोजित सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति (सीएमसीडीसी) की बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में, समिति ने सेकी को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट दी है।

4. शेयर पूँजी

31.03.2024 को रुपए 2,000 करोड़ (अर्थात रुपए 1,000/– प्रत्येक के 2,00,00,000 शेयर) की अधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में कंपनी की जारी और चुकता पूंजी रुपए 1,354 करोड़ (अर्थात प्रत्येक ₹ 1000/– के 1,35,40,000 इक्विटी शेयर) है। कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 100% भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

5. निधि और गैर–निधि आधारित सुविधा

सेकी को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी सीमा की आवश्यकता है और हस्ताक्षरित समझौतों और सीईआरसी नियमों के अनुसार विद्युत डेवलपर्स को भुगतान सुरक्षा के रूप में मासिक विद्युत क्रय के 1.1 गुना के बराबर एसबीएलसी प्रस्तावित की। अपनी भावी आवश्यकताओं और परियोजनाओं के आगामी संचालन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने पर्याप्त बैंक डब्ल्यूसी सीमाएं प्राप्त की हैं।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के लेखों में बकाया ऋण वर्ष 2022–23 में विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौते के विरुद्ध 248.25 करोड़ रुपये (29,774,954 अमरीकी डालर) और एचडीएफसी बैंक से कार्यशील पूंजी मांग ऋण की तुलना में 50.75 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने विभिन्न बैंकों से 2,400 करोड़ रुपए की ऋण सुविधाएं मंजूर की हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:–

राशि (करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	स्वीकृत सीमाएं	
	निधि आधारित सीमाएं (रुपए)	गैर–निधि आधारित सीमाएं (रुपये)
एचडीएफसी बैंक*	2,55,00,00,000	3,00,00,00,000
आईसीआईसीआई बैंक**	-	1,00,00,00,000
यस बैंक	1,00,000	1,50,00,00,000
ऐक्सिस बैंक***	75,00,00,000	99,99,00,000
एसबीआई	20,00,00,000	5,00,00,00,000
कोटक महिंद्रा बैंक	30,00,00,000	5,70,00,00,000
पंजाब नेशनल बैंक****	-	3,00,00,00,000
योग	**3,80,01,00,000**	**20,19,99,00,000**

*200 करोड़ रुपए की निधि आधारित ऋण सुविधा का गैर–निधि आधारित ऋण सुविधा के रूप में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है

**आईसीआईसीआई बैंक के मामले में, 10 करोड़ रुपए की निधि आधारित ऋण सीमा गैर–निधि आधारित ऋण सीमा की उप–सीमा है।

***एक्सिस बैंक फंड–आधारित क्रेडिट सीमा का उपयोग गैर–फंड आधारित क्रेडिट सीमा के रूप में किया जा सकता है। तदनुसार, वर्तमान में इनका उपयोग एसबीएलसी जारी करने के लिए किया जाता है।

****पीएनबी की क्रेडिट सीमा सीसी/ओडी/डब्ल्यूसीडीएल के रूप में उपसीमा के रूप में 150 करोड़ रुपये है।

भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों के विरुद्ध बंधक है।

6. व्यावसायिक कार्यकलाप

I. सौर ऊर्जा के लिए योजनाओं/निविदाओं का कार्यान्वयन

300 मेगावाट देवघर सौर परियोजना

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोप26 में पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा के अनुरूप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर–जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) का गठन किया था, जिन्हें बोली प्रक्षेपवक्र के अनुसार वार्षिक लक्ष्य दिए गए हैं और सौर, पवन, हाइब्रिड, आरटीसी विद्युत आदि के लिए निविदाएं जारी की जाती हैं। सेकी आरईआईए में से एक होने के नाते इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और 15 गीगावॉट के बोली लक्ष्य को पार करके अनुकरणीय निष्पादन किया है और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 20.11 गीगावॉट की कुल क्षमता (सभी सहित) की निविदा दी है (सभी सौर और गैर–सौर खंडों सहित)।

सेकी देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के हिस्से के रूप में सौर परियोजनाओं के विकास के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसे प्राप्त करने के लिए, सेकी अखिल भारतीय या राज्य–विशिष्ट आधार पर सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा (आरई) डेवलपर्स के चयन के लिए निविदाएं जारी करता है। सफल बोलीदाताओं के लिए चयन प्रक्रिया टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी ई–बोली प्रक्रिया से की जाती है। एक बार चुने जाने के बाद, सेकी इन सौर परियोजनाओं से विद्युत की क्रय के लिए चुने हुए बोलीदाताओं के साथ 25 वर्ष का विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) करता है। इसके अलावा, सेकी खरीदी गई विद्युत की बिक्री के लिए डिस्कॉम/क्रय संस्थाओं के साथ बैक–टू–बैक 25 वर्ष के विद्युत बिक्री समझौते (पीएसए) स्थापित करता है।

कुल मिलाकर, सेकी ने सौर पीवी परियोजनाओं की कुल 4.5 गीगावॉट (4500 मेगावाट) क्षमता प्रदान की है। इसमें वीजीएफ, सौर विनिर्माण से जुड़ी सौर और सीपीएसयू योजनाओं में पहले की निविदाओं के अंतर्गत क्षमता शामिल है। प्रदान की गई क्षमता में से, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1.377 गीगावॉट (1377 मेगावाट) क्षमता को सफलतापूर्वक चालू किया गया, जिससे कुल संचालित क्षमता 13.940 गीगावॉट (31.03.2024 तक) हो गई।

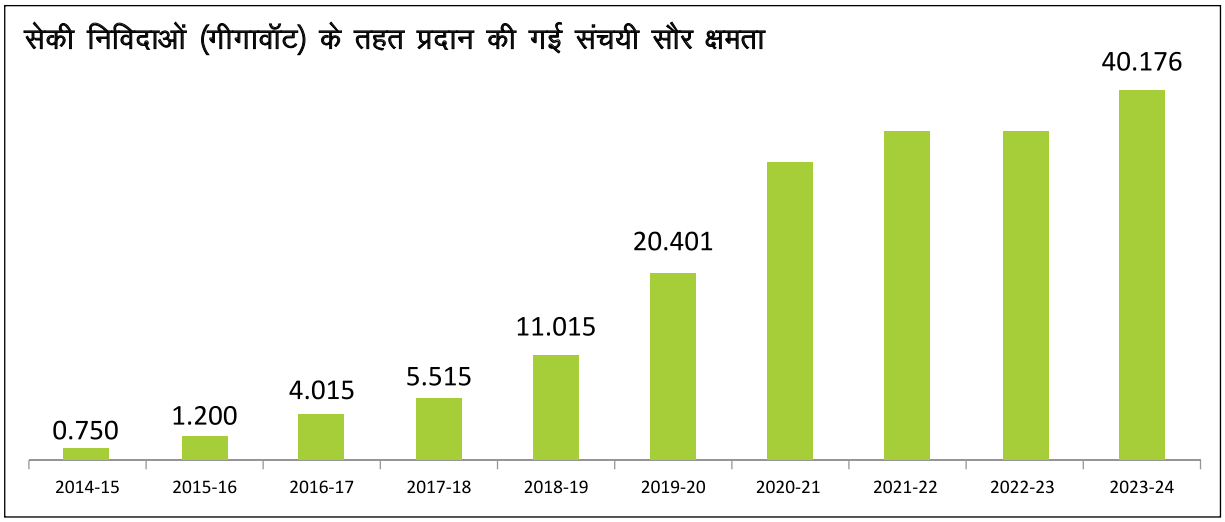

आगे बढ़ते हुए, अधिकांश सौर क्षमता वृद्धि हाइब्रिड /मिश्रित आरई निविदाओं के माध्यम से होने की आशा है। इनका विवरण बाद के खंडों में दर्ज किया गया है।

II. पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निविदाओं का कार्यान्वयन

सेकी पूरे भारत में बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति में योगदान देता है।

सेकी आरई डेवलपर्स का चयन करने के लिए निविदाएं जारी करता है जो पैन–इंडिया/राज्य–विशिष्ट आधार पर पवन परियोजनाएं स्थापित करेंगे। सफल बोलीदाताओं का चयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी ई–बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। एक बार चयन पूरा हो जाने के बाद, सेकी चुने हुए बोलीदाताओं के साथ 25 वर्ष के विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे इन पवन परियोजनाओं से विद्युत की क्रय सुनिश्चित होती है। सेकी ने खरीदी गई विद्युत की बिक्री के लिए डिस्कॉम/क्रय संस्थाओं के साथ बैक

450 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

टू बैक 25 वर्षीय विद्युत बिक्री करार (पीएसए) भी किए हैं। इस क्षेत्र में सेकी की पहल ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी क्रय प्रक्रिया के माध्यम से पवन ऊर्जा टैरिफ का युक्तिकरण हुआ है। इसने उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है और कई राज्यों को लागत प्रभावी टैरिफ पर पवन ऊर्जा से लाभान्वित होने की अनुमति दी है, जिससे पवन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर अंतर–राज्यीय हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया गया है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–34 के दौरान पवन परियोजनाओं की क्रमशः 1200 मेगावाट और 1840 मेगावाट क्षमता की निविदा और ठेका दिया है। देश में सेकी द्वारा सौंपी गई संचयी पवन क्षमता 16,960.7 मेगावाट है। प्रदान की गई क्षमता में से, वित्त वर्ष 2023– 24 के दौरान 1208 मेगावाट की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सेकी निविदाओं के माध्यम से कुल संचालित क्षमता 6.008 गीगावॉट हो गई है।

सेकी निविदाओं (गीगावॉट) के तहत प्रदान की गई संचयी पवन क्षमता

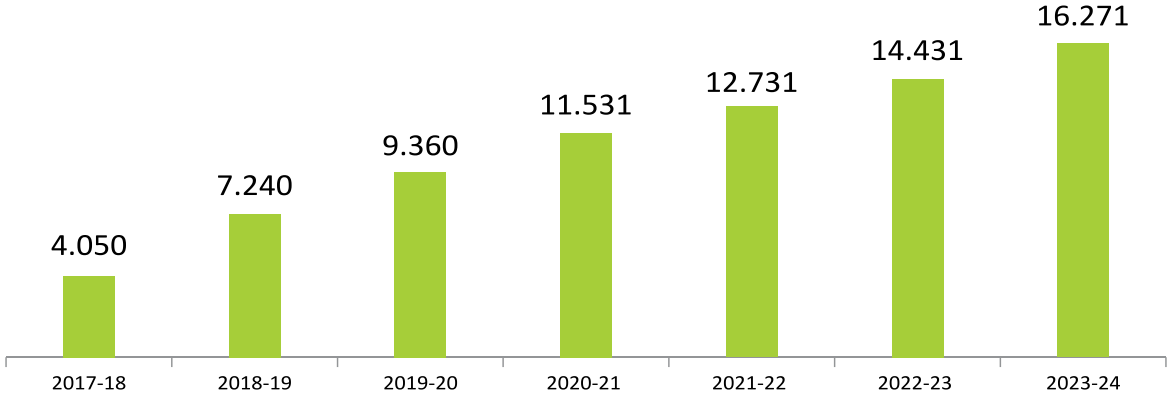

आगे बढ़ते हुए, हाइब्रिड मोड के माध्यम से पवन परियोजनाओं की क्षमता में काफी वृद्धि होने की आशा है। विवरण बाद के खंडों में हैं।

III. हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए निविदाओं का कार्यान्वयन

सौर और पवन विद्युत की प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण ग्रिड सुरक्षा और स्थिरता के संबंध में कतिपय चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में सौर और पवन संसाधन एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों प्रौद्योगिकियों के संकरण से भूमि और पारेषण प्रणाली सहित बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करने के अलावा परिवर्तनशीलता को कम करने में मदद मिलेगी [1]। इसका मुख्य उद्देश्य पारेषण अवसंरचना और भूमि के इष्टतम और कुशल

उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन–सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देना, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करना और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करना है।

सेकी ने नवीन निविदाएं शुरू की हैं, जैसे कि सौर–पवन हाइब्रिड परियोजनाएं, अधिकतम उपभोग समय के दौरान सुनिश्चित आपूर्ति के साथ आरई, और चौबीसों घंटे (आरटीसी) आरई विद्युत, विशेष रूप से डिस्कॉम/क्रय संस्थाओं की फर्म और लचीली नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए, सेकी अखिल भारतीय आधार पर परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से डेवलपर्स के चयन के लिए निविदाएं जारी करता है, और इन परियोजनाओं से विद्युत की क्रय के लिए 25 वर्ष के पीपीए पर हस्ताक्षर करता है ताकि ऐसी विद्युत की आपूर्ति इच्छुक डिस्कॉम को हो सके। देश में सेकी द्वारा प्रदान की गई संचयी हाइब्रिड क्षमता 8.870 गीगावॉट है।

सेकी निविदाओं (गीगावॉट) के तहत प्रदान की गई हाइब्रिड संचयी क्षमता

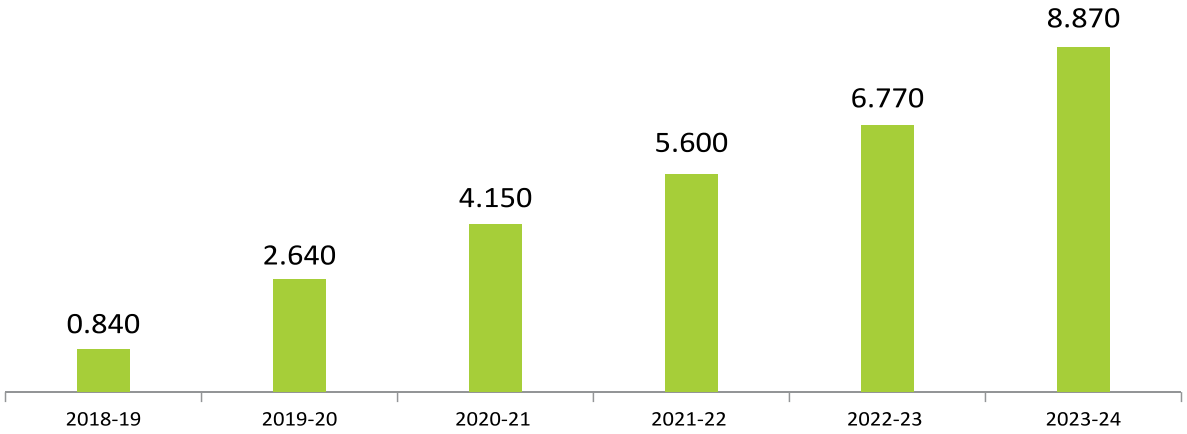

IV. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) के लिए निविदाएं

सेकी ने पर्याप्त ऊर्जा भंडारण क्षमता प्रदान की है जो सेकी द्वारा प्रदान की गई विभिन्न हाइब्रिड, आरटीसी आदि निविदाओं के अंतर्गत आरई उत्पादन स्रोतों के साथ एकीकृत हैं। इसके अलावा, विगत वर्ष, अर्थात वित्त वर्ष 2022–23 में, सेकी ने देश में अपनी तरह की पहली निविदा के रूप में 500 मेगावाट/1000 मेगावाट–घंटा स्टैंडअलोन बीईएसएस निविदा प्रदान की थी, क्योंकि यह डिस्कॉम/क्रय संस्थाओं को ''मांग के आधार'' पर उपयोग की जाने वाली भंडारण सुविधाएं प्रदान करेगा। अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का एकीकरण आवश्यक है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा भंडारण को अपनाने के लिए कई पहलों और निविदाओं पर काम किया है, साथ ही पहले से ही प्रदान की गई क्षमताओं की प्राप्ति पर कदम उठाए हैं।

V. उदीयमान क्षेत्र

तेजी से विकसित हो रहे नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र के साथ संरेखित करने के लिए, सेकी हरित हाइड्रोजन, परिवहन क्षेत्र को हरा–भरा करना, ऊर्जा भंडारण, आरई की आपूर्ति के लिए बाजार–आधारित मॉडल सहित नए व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। ऐसा करने में, सेकी इन उदीयमान अवसरों की क्षमता का चिन्हित करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। प्रमुख पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत निविदाएँ:** जैसे–जैसे निवल शून्य के प्रति वैश्विक सहमति बढ़ती जा रही है, हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव की मांग बढ़ना तय है। विभिन्न देशों और क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन की अपेक्षित मांग और उत्पादन क्षमताओं में विषमताओं के परिणामस्वरूप हरित हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल जैसे इसके डेरिवेटिव का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की संभावना है। यह भारत के लिए अपनी प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा और भूमि संसाधनों और हरित हाइड्रोजन की बढ़ती वैश्विक मांग की पूर्ति का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, ताकि हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बन सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित

हाइड्रोजन मिशन को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैशविक हब बनाना है। सेकी ने साइट योजना के अंतर्गत 412,000 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 1.5 गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता प्रदान की है।

क्र.सं.	निविदा प्रकार	क्षमता	निविदा/संविदा की स्थिति
1	हरित हाइड्रोजन (मोड–1–ट्रेंच–I)	4.12 लाख मीट्रिक टन /वर्ष	फरवरी, 2024 में संविदा
2	इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण (ट्रेंच– I)	1.5 गीगावॉट	फरवरी, 2024 में संविदा
3	इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण (ट्रेंच– II)	1.5 गीगावॉट	आरएफएस जारी

उपर्युक्त के अलावा, सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उर्वरक विभाग और उर्वरक उत्पादकों जैसे इफको के साथ उर्वरक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया मांग के एकत्रीकरण के लिए सक्रिय चर्चा कर रहा है।

» अपतटीय पवन– तमिलनाडु के तट पर 4000 मेगावाट अपतटीय पवन क्षमता के लिए 02.02.2024 को समुद्र तल पट्टे के लिए सेकी RfSA गुजरात के तट पर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निविदा दस्तावेज वीजीएफ योजना के अंतर्गत 500 मेगावाट के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

» इसके अलावा, समझौता–ज्ञापनों के माध्यम से परिवहन क्षेत्र को हरित बनाने के लिए कार्य चल रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतों की ओर संक्रमण की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, सेकी आरई विद्युत की आपूर्ति के लिए बाजार आधारित मॉडल के विकास की संभावना तलाश रहा है जिस पर संबंधित हितधारकों द्वारा विचार–विमर्श किया जा रहा है।

VI. ग्रिड कनेक्टेड रूफ–टॉप कार्यक्रम:

सेकी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश में प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेकी ने सीएपीएफ परिसरों में जीसीआरटी की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत, 16.48 मेगावाट की क्षमता प्रदान की गई है और सेकी ने 14.16 मेगावाट के लिए पीपीए हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान की है। (परियोजनाओं की संख्या 38)।

VII. सौर पार्क योजना:

यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्लग एंड प्ले मॉडल में परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सौर परियोजना डेवलपर्स की सुविधा के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ऐसे सौर पार्कों में सौर परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए विकासकर्ताओं को विकसित भूमि, विद्युत निकासी

सुविधाओं और जल सहित सभी अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत, सेकी 37898 मेगावाट की क्षमता वाले सौर पार्कों की कुल संख्या 53 के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। सौर पार्क योजना के अंतर्गत कुल बजटीय सीएफए 8000 करोड़ रुपये का है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सेकी द्वारा विभिन्न सौर पार्क कार्यान्वयन एजेंसियों को 715.5 करोड़ रुपये का सीएफए वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश राज्यों में सौर पार्कों का कार्यान्वयन सेकी की संबंधित राज्य नामित एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है।

VIII. उच्च दक्षता सौर सेल और मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजनाः

सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर सेल और मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे आयात निर्भरता कम हो सके। सेकी उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की ट्रेंच–II के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देना है और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के अंतर्गत, सेकी ने अप्रैल 2023 में लगभग 39,600 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए 11 सफल निर्माताओं को संविदा–पत्र जारी किया है। निर्माताओं को लगभग 13,937.535 करोड़ रुपये की पीएलआई राशि आवंटित की गई है, जिसे विनिर्माण संयंत्रों के चालू होने के बाद 5 वर्षों की अवधि में वितरित किया जाएगा।

IX. सीएपीईएक्स परियोजनाएँः

सेकी वर्तमान में 122.7 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का स्वामित्व है और उनका संचालन करता है। हालांकि, कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहती है। सेकी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सीपीएसयू योजना फेज–II, ट्रांच–III के अंतर्गत विकसित की जाने वाली 1200 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं भी आवंटित की गई हैं और रांची के गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जा रही है। मौजूदा और चल रही परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः

1. परिचालन परियोजनाएंः

- सेकी की 10 मेगावाट क्षमता की पहली सौर पीवी परियोजना 31.03.2016 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बाड़ी सिड़ में शुरू की गई।
- इसके अलावा, सेकी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है। यह परियोजना जून, 2017 में शुरू की गई थी और परिचालन में है।
- इसके अतिरिक्त, डीआरडीओ के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत कर्णाटक में डीआरडीओ कोलार परिसर में 10 मेगावाट की एक परियोजना स्थापित की गई है। परियोजना को अक्तूबर 2020 में चालू किया गया था।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सेकी ने अपने स्वयं के परियोजना पोर्टफोलियो में 101.7 मेगावाट RE क्षमता को जोड़ा। वर्तमान में सेकी की कैपेक्स परियोजनाओं के अंतर्गत 122.7 मेगावाट की परिचालन आरई परियोजनाएं हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में चालू की गई परियोजनाएं हैं

लक्षद्वीप में 1.7 मेगावाट सौर+बीईएसएस

छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट सौर+बीईएसएस

» द्वीपों में डीजल के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से 1.4 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ लक्षद्वीप में 1.7 मेगावाट सौर परियोजना। इस परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2024 में किया गया था।

» छत्तीसगढ़ में 40 मेगावाट/120 एमडब्ल्यूएच बीईएसएस की विशेषता वाली 100 एमडब्ल्यूएच की सौर परियोजना, जिसका उद्देश्य शाम के समय अधिक अवधि के दौरान सौर ऊर्जा प्रदान करना है। इस परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2024 में किया गया था।

2. आगामी/चालू परियोजनाएं

» सेकी, झारखंड के रांची के गेतलसूद जलाशय में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित कर रहा है। प्रस्तावित परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत में बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं का निष्पादन करना है।

» सेकी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सीपीएसयू योजना फेज–II, ट्रांच–III के अंतर्गत विकसित की जाने वाली 1200 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं भी आवंटित की गई हैं। ये परियोजनाएं निविदा पूर्व और निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

- 25 मेगावाट लेह परियोजना– परियोजना सेकी द्वारा ईपीसी मोड में विकसित की जाएगी और 25 वर्षों के अपने डिजाइन के जीवन के लिए बनाए रखा जाएगा। सेकी ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी), यूटी लद्दाख के साथ 25 वर्षों के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। आवश्यक भूमि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी)–लेह से फयांग गांव में अधिग्रहित की गई है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना और लद्दाख को एक स्थिर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है।

X. परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी):

सेकी घरेलू ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है और अब अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भी अपने दायरे का विस्तार करना चाहता है। वैश्विक प्रतिबद्धताओं के कारण, देश नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पीएसयू/सरकारी एजेंसियों की संख्या इस क्षेत्र में बढ़ रही है। सेकी आरई परियोजनाओं को लाने में ऐसे ग्राहकों को अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है और इसका आने वाले वर्षों में परामर्श परियोजनाओं के एक बड़े हिस्से को निष्पादित करने का लक्ष्य है।

प्रमुख चालू/नियोजित परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

प्रकार	सरकारी एजेंसी और स्थान	क्षमता (मेगावाट)
फ्लोटिंग सोलर	डीवीसी, झारखंड और पश्चिम बंगाल	30
फ्लोटिंग सोलर	बीबीएमबी, हिमाचल प्रदेश	15
सौर	पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लद्दाख	12
फ्लोटिंग सोलर	एससीसीएल, एसटीपीपी, मंचेरियल, तेलंगाना	10

XI. विद्युत ट्रेडिंग

सेकी अखिल भारतीय आधार पर विद्युत व्यापार के लिए एक श्रेणी–I विद्युत ट्रेडिंग लाइसेंसधारी है। यह सेकी निविदाओं के माध्यम से स्थापित की जा रही परियोजनाओं के लिए मध्यस्थ विद्युत क्रेता है। यह अपनी योजनाओं के अंतर्गत सफल डेवलपर्स से विद्युत क्रय करता है और दीर्घकालिक पीपीए/पीएसए के माध्यम से क्रय संस्थाओं (अर्थात डिस्कॉम) को बेचता है। वर्तमान में, सेकी देश में आरई विद्युत का एक प्रमुख व्यापारी है। इसने 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/भारतीय रेलवे (31.03.2024 तक) के साथ 52.398 गीगावॉट कुल क्षमता के पीएसए पर संचयी रूप से हस्ताक्षर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में वार्षिक कारोबार मात्रा में 22.13% की वृद्धि हुई है, जिसमें 42935 मिलियन यूनिट विद्युत का कारोबार किया जा रहा है।

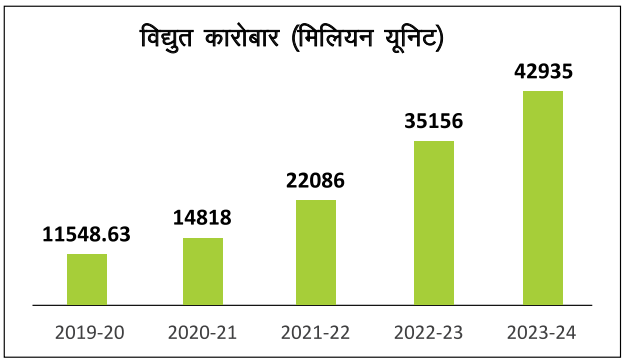

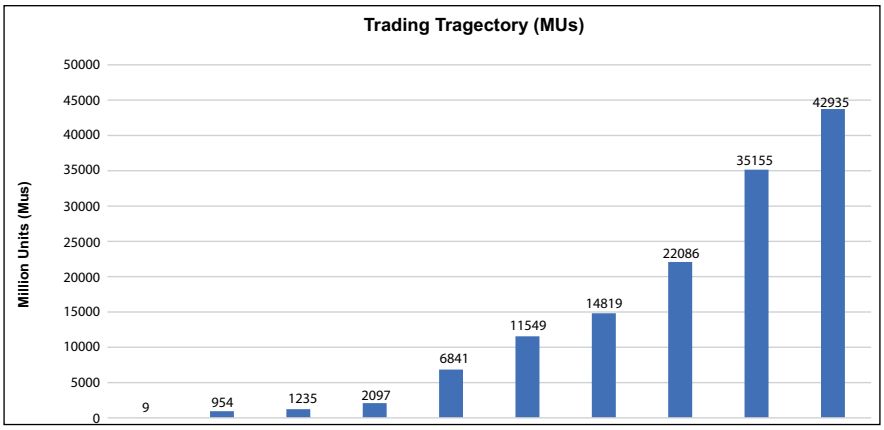

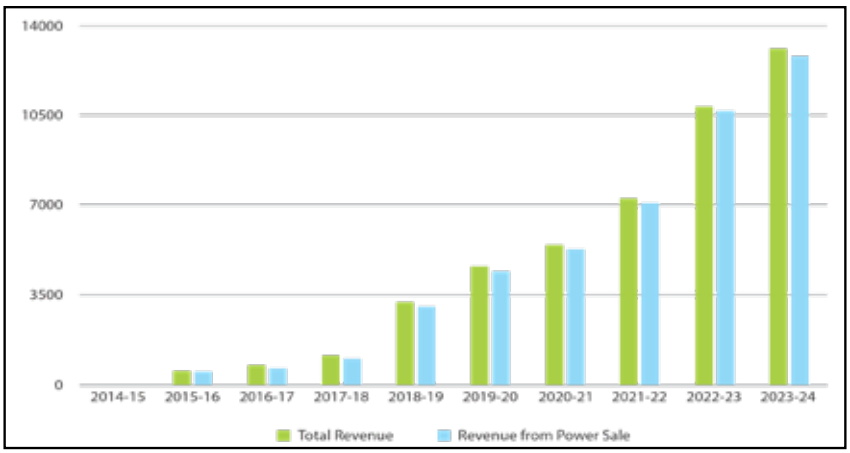

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल राजस्व	40.1	579.12	798.15	1175.91	3264.26	4657.73	5464.68	7310.38	10864.48	13135.8
विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	7.51	529.47	683.55	1038.12	3067.58	4466.33	5295.4	7117.28	10702.38	12863.27

वित्त वर्ष 2023–24 में कंपनी के वार्षिक राजस्व में पावर ट्रेडिंग गतिविधियों का योगदान 98% रहा।

पिछले कुछ वर्षों में पावर सेल एग्रीमेंट (PSAs) पर हस्ताक्षर किए गए

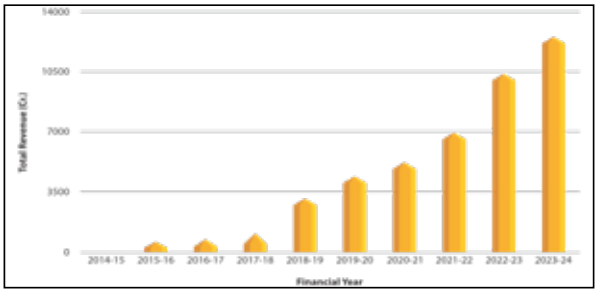

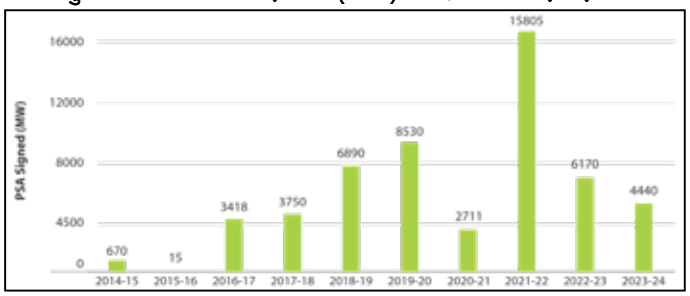

2023–24 में हस्ताक्षरित पीएसए	
स्रोत	**हस्ताक्षरित क्षमता (मेगावाट)**
सौर	2900
पवन	1290
हाइब्रिड	100
बीईएसएस	150
कुल	4440
सीपीएसयू सौर	1200

7. नवाचार, पहल और अनुसंधान एवं विकास

स्थापना के बाद से, सेकी सदैव आरई क्षेत्र में इस तरह के विचारों और नवाचारों को लागू करने, बाजार अनुसंधान और निष्पादित करने में सहायक रहा है। अपनी रचनात्मकता और अभिनव समाधानों के साथ,

सेकी आरई क्षेत्र में विभिन्न अभिनव उत्पादों को विकसित करने में सक्षम रहा है और उनमें से कई बाजार बेंचमार्क बन गए हैं। आरटीसी, पीक विद्युत, हाइब्रिड प्लांट, बीईएसएस टेंडर, एफडीआरई, विभिन्न द्वीपों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरई कार्यान्वयन आदि जैसे उत्पाद इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा, ऐसे उत्पादों की सफलता के लिए, नीति और नियामक समर्थन आवश्यक है। इस क्षेत्र में, सेकी विभिन्न अभिनव नीति निर्माण और इसके समर्थन के लिए लगातार योगदान दे रहा है ताकि नई आरई प्रौद्योगिकियों को समय पर उद्योग में अच्छी तरह से शामिल किया जा सके।

इस तरह की सभी निरंतर अभिनव पहल और प्रयासों के लिए एक समर्पित टेक्नो कमर्शियल टीम और जनशक्ति की भी आवश्यकता होती है, जो इन अभिनव परियोजनाओं के लिए समर्पित रूप से योगदान दे रही है। जहां तक सेकी का संबंध है, ऐसी गतिविधियां इसके दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों का हिस्सा हैं। इसके अधिकांश कर्मचारी, चाहे वह तकनीकी प्रभाग, निविदा प्रभाग, वित्त प्रभाग, परियोजना या उच्च प्रबंधन हो, जटिल समस्याओं को हल करने, नए उत्पादों को बनाने और परीक्षण करने आदि में शामिल हैं। इन प्रयासों में से कुछ उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक पाए जाते हैं और उन्हें बाजार में लाया जाता है। उदाहरण ऊपर सूचीबद्ध हैं।

अतः, यह अनुमान लगाया गया है कि सेकी जनशक्ति और प्रशासनिक शुल्क का लगभग 20% [कर्मचारी हितलाभ व्यय और अन्य व्यय (पी एंड एल), लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार] केवल ऐसे सभी नवाचारों, पहलों/अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, जनशक्ति और प्रशासनिक शुल्क का 20% [कर्मचारी हितलाभ व्यय और अन्य व्यय (पी एंड एल), लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार] ऐसे नवाचारों, पहलों/अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए विनियोजित किया जाएगा।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए राशि निम्नानुसार है''

क्र.सं. (क)	वित्तीय वर्ष (ख)	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय और अन्य व्यय (पीएंडएल), (ग)	अनुमानित अनुसंधान एवं विकास व्यय ((ग) का 20%)
1.	2023-24	101.44 करोड़ रुपये	20.29 करोड़ रुपये

8. मानव संसाधन प्रबंधन

सेकी में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य निरंतर कौशल संवर्धन और कर्मचारी अनुकूल कार्य नीतियों द्वारा सुदृढ़ कर्मचारी के अनुकूल कार्य वातावरण का प्रचार करके कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ अपनी मानव पूंजी के संरेखण पर केंद्रित है। सेकी ने संगठन के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्देश्यों और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की तुलना में अपनी मानव संसाधन रणनीति को संरेखित किया है। व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सेकी ने विशेषज्ञता लाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में सीधी भर्ती के आधार पर जनशक्ति की भर्ती की है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ संगठनात्मक आवश्यकताओं को सिंक्रनाइज़ करके निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चिन्हित किए गए। कंपनी ने निवारक सतर्कता, ई–प्रापण और सुशासन, नैतिकता और अधिशासन, निविदा प्रक्रिया और अनुबंध प्रबंधनः सार्वजनिक क्रय के लिए अंतर्दृष्टि, प्रशासनिक सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम, सतर्कता वाले शिकायतों/शिकायतों की जांच पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यात्मक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा कानूनों और नीतियों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) और विद्युत प्रबंधन में पेचीदगियों, सौर ऊर्जा संयंत्रों की कमीशनिंग की अवधारणा–ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड आयोजित किए गए थे।

सेकी ने अपनी मानव परिसंपत्ति (यों) को महत्व दिया और इस प्रकार कर्मचारी हितलाभ नीतियों में सुधार करने पर विचार किया। कर्मचारी हितलाभ प्रदान करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कर्मचारी मूल्यवान और समर्थित महसूस करें। सेकी ने अपने कर्मचारियों के कैरियर के विकास पर जोर

दिया और मौजूदा कैरियर प्रगति नीति के अनुरूप, 33 कर्मचारियों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया।

कार्यबल में नई प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए सेकी ने प्रतिष्ठित आईआईटी दिल्ली, कानपुर, मद्रास और मुंबई से कुल 13 कार्यकारी प्रशिक्षुओं की भर्ती की है। उन्हें सौंपे गए कार्य पर रखने से पहले, उन्हें 6 महीने के केंद्रित प्रेरण प्रशिक्षण दिया जाएगा जो उन्हें आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद करेगा जो उनके काम को कुशलतापूर्वक करने में मदद करेगा।

सेकी में समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति सौहार्दपूर्ण और अच्छी बनी रही।

9. कर्मचारियों का विवरण

31.03.2024 को निगम में कुल कर्मचारी 119 थे। 119 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी अनुसूचित जाति (एससी), 4 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 27 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हैं। इसके अलावा, 31.3.2024 तक सेकी में 20 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, जो निगम के कुल कार्यबल का 17% है। सेकी ने सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसका कार्यबल समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे।

10. राजभाषा

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान ओएलआईसी की कुल चार बैठकें आयोजित की गईं। राजभाषा शहिंदीश के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान 04 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

हिन्दी पखवाड़ा के दौरान राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए हिन्दी स्मृति ज्ञान प्रतिभागीता, हिन्दी काव्य पाठ और श्कहानी अधूरी करें इसे पूरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना के अनुरूप कंपनी के पास अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक तंत्र है। लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी आवेदकों के अनुरोधों और अपीलों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों के नाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। वर्ष के दौरान, 178 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई।

12. यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। दो दिन का कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान 'लिंग संवेदीकरण और पॉश अधिनियम जागरूकता' पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वर्ष 2023–24 में यौन उत्पीड़न की एक शिकायत मिली थी। आईसीसी ने समय रहते जांच पूरी की और अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को सौंप दी। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस मामले में यथोचित कार्रवाई की गई।

13. सूचना प्रौद्योगिकी

वर्तमान डिजिटल युग में, सूचना प्रौद्योगिकी सेकी के संचालन के निर्बाध कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकी ने अपनी मुख्य प्रक्रियाओं और संबंधित कार्यकलापों का प्रबंधन करने के लिए आईटी को अपनाया है, जो समय के साथ काफी विस्तारित हुए हैं। हमारा आईटी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ और सुरक्षित है, जिसे कंपनी की विस्तारित कार्यकलापों का समर्थन करने और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया है।

सेकी ने एक केंद्रीकृत सर्वर सुविधा के साथ एक सुरक्षित और लचीला डेटा/वॉयस नेटवर्क स्थापित किया है। निरर्थक इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करती

है। कुशल संचालन का समर्थन करने के लिए सर्वर रूम को उन्नत नेटवर्क और इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों के साथ–साथ उच्च गति लैन कनेक्टिविटी के साथ सुदृढ़ किया गया है।

एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन रणनीति चल रही है, जिसमें एक समृद्ध और एकीकृत अनुप्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र के साथ–साथ सहयोगी और उत्पादकता उपकरणों की तैनाती शामिल है। ये उपकरण बुद्धिमान सुरक्षा सुविधाओं से लैस हैं और सेकी नेटवर्क के भीतर और दूरस्थ रूप से विभिन्न उपकरणों में सुलभ हैं जो कर्मचारी उत्पादकता और परिचालन दक्षता को काफी बढ़ाते हैं।

सेकी ने क्लाउड–सक्षम एसएपी ईआरपी प्रणाली लागू की है जो सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए प्रमुख व्यवसाय और बैक–ऑफिस कार्यों को एकीकृत करती है। एनआईसी ई–ऑफिस और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) को इलेक्ट्रॉनिक फाइल संचलन और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए लागू की है, जो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के साथ संरेखित है।

सेकी की कार्पोरेट वेबसाइट (https://www.seci co.in) पूरी तरह उत्तरदायी है और सभी उपकरणों के साथ संगत है। सेकी सक्रिय रूप से ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हितधारकों और जनता के साथ संलग्न है जो नियमित रूप से कार्यकलापों और प्रमुख उपलब्धियों पर अपडेट साझा करता है।

सेकी का आईटी विभाग कई महत्वपूर्ण और चल रही पहल कर रहा है जो संगठन को अधिक दक्षता और डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ाना जारी रखता है।

14. संयुक्त उद्यम (जेवी)

कंपनी की छह संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं, इन्हें मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर सौर पार्क और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए स्थापित किया गया है और 11820 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के सौर पार्क उनके माध्यम से विकसित किए जा रहे हैं।

31.03.2024 तक सौर पार्क के अंदर चालू पार्क क्षमता और परियोजना क्षमता निम्नानुसार है:

#	नाम	शेयरधारिता स्वरूप	पार्क क्षमता (मेगावाट)	संचालित परियोजना क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	सेकी (50%), एपीजीईएनसीओ (41%) और एनआरईडीसीएपी (9%)	4000	3050
2	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सेकी (50%) और केआरईडीएल (50%)	2050	2050
3	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सेकी (50%) और यूपीनेडा (50%)	365	315
4	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	सेकी (50%) और केएसईबी (50%)	105	100
5	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	सेकी (50%) और एमपीयूवीएनएल (50%)	5450	1000
6	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	सेकी (50%) और एचपीएसईबीएल (50%)	-	-
	योग		**10070**	**6515**

*ऊपर उल्लिखित सौर पार्क क्षमता योजना के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित के अनुसार है।

**सौर पार्क में अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता के कारण केआरईडीएल द्वारा 50 मेगावाट की स्थापना की गई थी।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखों को समेकन की इक्विटी विधि पर सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों के साथ समेकित किया जाता है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से 92.01 करोड़ रुपये की कर–पश्चात लाभ (पीएटी) राशि, संयुक्त उद्यम के निवल लाभ का 50% हिस्सा होने पर विचार किया गया है।

15. सतर्कता

सेकी के पास संगठन के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और अखंडता और सर्वोत्तम कार्पोरेट प्रथाओं को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग है। यह संगठन में उच्चतम नैतिक मानकों को बढ़ावा देता है।

सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है जो सीवीसी द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संगठन और मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

कंपनी के पास एक व्हिसल–ब्लोअर नीति भी है जो कर्मचारियों के लिए संगठन के भीतर किसी भी अनैतिक मुद्दों को उठाने के लिए है। कंपनी के पास एक शिकायत पोर्टल है ताकि कर्मचारियों के लिए किसी भी चिंता/शिकायत को उठाने के लिए एक केंद्रीकृत भंडार और एक मंच हो। शिकायत निपटान तंत्र की अधिक पारदशता और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक शिकायत निपटान नीति भी तैयार की गई है।

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। विभाग निविदाओं और ठेकों की निवारक जांचों, कार्यों के निष्पादन और अन्य कार्यों के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है और साथ ही शिकायतों की जांच करता है। निवारक उपाय के रूप में, सतर्कता अनुभाग ने साइट निरीक्षण करने और कार्यों और फाइलों की जांच करने जैसी कार्यकलापयां भी शुरू की हैं। विभाग कंपनी भर में नैतिक कार्य प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है। प्रतिक्रियाशील और दंडात्मक प्रतिक्रिया के साथ, विभाग संगठन में प्रणाली में सुधार के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय करता है।

सत्यनिष्ठा समझौते के प्रावधानों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के संगत दिशा–निर्देशों के अनुसार, बोलीदाता से प्राप्त शिकायतों की जांच करने और संगठन के मुख्य कार्यकारी को अपनी रिपोर्ट देने तथा सत्यनिष्ठा समझौते के अनुपालन की निगरानी करने के लिए भी 02 स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) की नियुक्ति की गई है। सतर्कता अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन के कामकाज में निष्पक्ष, निडर और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2023 (VAW) 30 अक्तूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2023 का विषय "भ्रष्टाचार का विरोध करें– राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"। अभियान के दौरान, सेकी कार्यालय में विभिन्न कार्यकलापों, कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी लाने और भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सेकी कार्पोरेट और साइट कार्यालयों में बैनर, पोस्टर और स्टैंड प्रदर्शित किए गए थे। कर्मचारियों को उनके दिन–प्रतिदिन के कामकाज के दौरान पालन किए जाने वाले विभिन्न सतर्कता पहलुओं और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए सतर्कता कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें सार्वजनिक अधिशासन में पारदर्शिता और अखंडता पर जोर दिया गया। पीआईडीपीआई समाधान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी कई उपाय किए गए।

इसके अलावा, सेकी द्वारा विभिन्न आईटी पहल की गईं ताकि अधिक पारदर्शिता लाई जा सके जैसे सेकी शिकायत प्रबंधन पोर्टल, सेकी सतर्कता निकासी पोर्टल और सेकी सीएसआर पोर्टल। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से पारदशता बढ़ाने के लिए एसएपी में मालसूची प्रबंधन मॉड्यूल का विकास और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली जैसे अन्य निवारक उपाय भी विकसित किए गए हैं।

16. समझौता–ज्ञापन (एमओयू)

कंपनी ने समेकित आधार पर वित्त वर्ष 2023–24 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

वित्त वर्ष 2023–24 में, कुछ मापदंडों और अनुपालन मापदंडों की स्थिति के खिलाफ कंपनी की उपलब्धि इस प्रकार है:

क्र.सं.	पैरामीटर का नाम	टिप्पणियां
1	निर्दिष्ट समय के भीतर टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से माल और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति	डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या– एम–03/0003/2020–डीपीई (एमओयू) दिनांक 22.07.2024 के अनुसार पैरामीटर के खिलाफ निष्पादन का पता लगाया जा रहा है।
2	अनुमोदित क्रय योजना के अनुसार जीईएम से क्रय	कंपनी ने मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्रय योजना का 171.48% हासिल किया
3	अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहलों पर व्यय पीबीटी के % के रूप में	अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल पर कंपनी का व्यय पीबीटी का 3.5 % प्रतिशत था।

क्र.सं.	अनुपालन पैरामीटर	टिप्पणियां
1	लोक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर व्यय के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देश	सीएसआर व्यय पर जारी सभी डीपीई दिशानिर्देशों का वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पूरी तरह से पालन किया गया
2	कंपनी अधिनियम, 2013 में कॉरपोरेट अधिशासन पर प्रावधानों का अनुपालन जैसे किरू (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखापरीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	कंपनी के दायरे में अनुपालन किया
3	परिसंपत्ति (यों) मुद्रीकरण मील के पत्थर पर नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य	लागू नहीं
4	माल और सेवाओं की कुल क्रय के % के रूप में एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की क्रय –25%	पूरी तरह से अनुपालन; कंपनी ने संबंध पोर्टल के अनुसार कुल क्रय का 52.31% क्रय किया।
5	मदों और सेवाओं की कुल क्रय के % के रूप में एससी/एसटी एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की क्रय –4%	भागीदारी की कमी के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से क्रय के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका। तथापि, सेकी महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ लगातार बातचीत कर रहा है। इसके अलावा, एमएसई के लिए सेकी की सभी निविदाओं में निविदा प्रसंस्करण शुल्क और बयाना धन जमा (ईएमडी) की छूट के प्रावधान हैं।
6	माल और सेवाओं की कुल क्रय के % के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की क्रय– 3%	पूरी तरह से अनुपालन; संबंध पोर्टल के अनुसार कंपनी ने कुल क्रय का 20.01% क्रय किया।
7	सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे– (i) सेकी के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा परामर्श शिविर– वित्त वर्ष में एक बार (ii) परियोजना स्थलों पर कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना– एक प्रशिक्षण सत्र (iii) वित्तीय वर्ष में एक बार भूकंप, आग जैसी विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना/मॉक ड्रिल आयोजित करना

क्र.सं.	अनुपालन पैरामीटर	टिप्पणियां
		(iv) योग/ध्यान कार्यशालाओं का आयोजन–वित्त वर्ष में दो बार सभी लक्ष्यों का पूरी तरह से पालन किया गया।

17. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या अन्य कार्पोरेट निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी ने पारेषण कंपनियों, परियोजना विकासकर्ता(ओं) और पीपीए धारक के पक्ष में विभिन्न बैंक गारंटी (गारंटों)/साख पत्र/स्टैंडबाई साख पत्र जारी करने के विरुद्ध बैंक(बैंकों) के पक्ष में प्रतिक्षतिपूर्ति प्रदान की है। 31.03.2024 को बकाया गारंटी 1,205.73 करोड़ रुपये की है। अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार कंपनी ने सेकी की अधिशेष निधियों का निवेश किया है। भुगतान सुरक्षा तंत्र निधियां, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से वीजीएफ/अनुदान आदि के लिए प्राप्त निधियों को बैंकों के साथ ब्याज वाले लेखों में रखा गया है और अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार एएए रेटेड सीपीएसयू बॉन्ड में निवेश किया गया है। इसके अलावा, भुगतान सुरक्षा तंत्र, भुगतान सुरक्षा जमा और निष्पादन गारंटी जमा से संबंधित निधियों को भी 'एएए' रेटेड सीपीएसयू बांडों में निवेश किया गया है।

18. संबंधित पार्टी लेनदेन

इंड (एएस) द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन का खुलासा कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा–टिप्पणियों में उल्लिखित है।

(निर्धारित प्रारूप AOC-2 में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–क** में दिया गया है)

19. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन के बारे में विवरण

कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय मुख्य रूप से आधिकारिक पर्यटन और यात्रा, प्रशिक्षण, व्यापार संवर्धन, सदस्यता और सॉफ्टवेयर की क्रय के लिए 0.74 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान, सेकी ने विश्व बैंक को 172,281 अमेरिकी डॉलर के ऋण पर ब्याज और प्रतिबद्धता शुल्क का भी भुगतान किया है, जिसे परियोजनाओं में पूंजीकृत किया गया है।

20. लेखापरीक्षा

मेसर्स एस आर गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2023–24 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ वार्षिक रिपोर्ट में है।

21. कार्पोरेट अधिशासन

कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित मिशन को प्राप्त करने के लिए स्थायी दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदेही के आधार पर ठोस कार्पोरेट प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है।

निदेशकों की रिपोर्ट का भाग बनने वाले कार्पोरेट अधिशासन संबंधी रिपोर्ट **अनुच्छेद–ख** में है। इसके अलावा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, मैसर्स विकास गेरा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों से प्राप्त निर्धारित कॉरपोरेट अधिशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र **अनुच्छेद–ग** में है।

22. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक विवरणी के उद्धरण सेकी के वेब पोर्टल पर निम्नलिखित यूआरएल पर हैं :- https://www.seci.co.in/financial/annual-return

23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने अपने कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिसमें व्यावसायिक नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्ति (यों) की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी शामिल है।

24. आचार संहिता

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने आचार और आचार संहिता ('संहिता') तैयार की है जो बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मियों पर बोर्ड से एक स्तर नीचे लागू होती है। 'संहिता' के अनुपालन के संबंध में बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों से बोर्ड से एक स्तर नीचे की पुष्टि प्राप्त की गई है।

कॉर्पोरेट अधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ द्वारा घोषणा

सेकी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, सेकी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यापार आचरण और नैतिक संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./–
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/
सीईओ
डीआईएन–03388822

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2024

25. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

लागू लेखा मानकों का पालन सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन किया गया है और लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लाभ और हानि विवरणी दिया जा सके, कंपनी की परिसंपत्ति (यों) की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है; और; वार्षिक लेखा गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी द्वारा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया गया था और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए जाते हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित होती हैं।

26. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, कंपनी सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति **अनुबंध–घ** के रूप में संलग्न है।

27. आभार

निदेशक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को उनके अटूट समर्थन और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए अपनी सत्यनिष्ठा से सराहना करते हैं। निदेशक, सेकी को उनके निरंतर समर्थन के लिए सभी हितधारकों, केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों, केंद्रीय और राज्य विद्युत (उत्पादन, पारेषण और वितरण) कंपनियों, ग्रिड ऑपरेटरों, नियामक और सांविधिक निकायों आदि के आभारी हैं।

निदेशक उस विश्वास को स्वीकार करते हैं और महत्व देते हैं जो सभी ग्राहकों, निवेशकों, वित्त–पोषण एजेंसियों, ऋणदाताओं और हितधारकों ने सेकी के व्यावसायिक प्रयासों में रखा है।

अंत में, निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जो कंपनी के निरंतर विकास और उत्कृष्टता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हस्ता./–
रामेश्वर प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं.: 03388822

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2024

अनुबंध–क

प्रपत्र एओसी–2

अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम संख्या 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ हाथ की लंबाई के लेनदेन शामिल हैं:

1. **ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जिनसे कोई संबंध नहीं था:**

   सेकी लिमिटेड ने संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन नहीं किया है जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान हाथ की लंबाई पर नहीं है।

2. **ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जिनसे कोई संबंध था:**

   क. संयुक्त उद्यमों के साथ वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लेनदेन

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन– देनों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि:	मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	लेन–देन की धनराशि	कुल धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान, यदि कोई हो:
1	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सेकी लिमिटेड का जे.वी.)	परामर्श सेवाएं	2023-24	कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं के लिए अनुबंध	लागू नहीं	रुपए 8.85 लाख	शून्य
2	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (सेकी लिमिटेड का जे.वी.)	प्राप्त लाभांश	2023-24	-	लागू नहीं	रुपये 50 लाख	शून्य
3	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सेकी लिमिटेड के जे.वी.)	प्राप्त लाभांश	2023-24	-	लागू नहीं	रुपये 279.66 लाख	शून्य
4	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सेकी लिमिटेड का जे.वी.)	प्राप्त लाभांश	2023-24	-	लागू नहीं	रुपये 1382. 29 लाख	शून्य

हस्ता./–

रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन नं.: 03388822

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 02.08.2024

अनुबंध–ख

निगमित अधिशासन पर रिपोर्ट

कार्पोरेट अधिशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रथाओं का एक समूह है कि संगठन के मामलों को इस तरह से प्रबंधित किया जा रहा है जो व्यापक अर्थों में अपने सभी लेनदेन में उत्तरदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और अपने हितधारक की आकांक्षा और सामाजिक अपेक्षा को पूरा करता है।

1. निगमित अधिशासन की संहिता पर कंपनी का दृष्टिकोण

सेकी सदैव सच्ची भावना में सर्वोत्तम कार्पोरेट अधिशासन प्रथाओं और इसके पालन को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेकी की कार्पोरेट अधिशासन प्रक्रियाएं नैतिक कार्पोरेट नागरिकता में सेकी के विश्वास को साकार करने में लगातार सुदृढ़ और मदद करती हैं और नैतिक व्यवहार के अनुकरणीय मानकों के माध्यम से प्रकट होती हैं।

कार्पोरेट अधिशासन पर सेकी का दर्शन अपने मूल मूल्यों और व्यावसायिक रणनीति के साथ गठबंधन करता है, जो जिम्मेदार और संपोषणीय व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता का निष्पादन करता है। यह दर्शन आंतरिक संचालन का मार्गदर्शन करता है, बाहरी धारणाओं और हितधारकों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करता है।

इसके अलावा, अधिशासन उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अनुपालन से परे फैली हुई है, इसमें उदीयमान नियामक और बाजार अपेक्षाओं का अनुमान लगाने और उन्हें संबोधित करने के लिए सक्रिय उपाय शामिल हैं।

2. निदेशक मंडल

सेकी के निदेशक मंडल नेतृत्व और रणनीतिक मार्गदर्शन, प्रबंधन से स्वतंत्र उद्देश्य निर्णय प्रदान करते हैं और शेयरधारकों के प्रति हर समय उत्तरदेह रहते हुए कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं।

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

सेकी के निदेशक मंडल के गठन में कार्यकारी निदेशकों का उपयुक्त मिश्रण है जिसमें कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जिनमें सरकारी नामितियों और स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशकों सहित कार्यात्मक निदेशक करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान (रिपोर्ट की तारीख तक)। बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

2.1.1 पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक

1. श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (15.06.2023 से)
2. श्रीमती सुमन शर्मा, प्रबंध निदेशक (19.05.2023 तक)
3. श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त) (31.05.2023 तक)
4. श्री जोशित रंजन सिकीदार, निदेशक (वित्त) (12.09.2023 से)
5. श्री संजय शर्मा, निदेशक (सौर)
6. श्री शिवकुमार वेंकट वेपाकोम्मा निदेशक (विद्युत प्रणाली) (30.08.2024 से)

2.1.2 अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामिती)

1. श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, अध्यक्ष, (15.06.2023 तक)
2. श्री अजय यादव, प्रबंध निदेशक (31.05.2023 से 15.06.2023 तक)
3. श्री पदम लाल नेगी, सरकारी नामिती
4. श्री ललित बोहरा, सरकारी नामिती (04.09.2023 से)

2.1.3 अंशकालिक गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक

1. श्रीमती रश्मि सिंह (07.05.2023 तक)
2. श्री राजकुमार सुदाम बडोले

स्वतंत्र निदेशक ने एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6) के अंतर्गत प्रदान किए गए स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करता है और कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को पूरा करता है और निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र

हैं। स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के संचालन और कामकाज से उचित रूप से परिचित कराया गया था। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार बैठक के शुल्क का भुगतान किया जाता है।

2.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:–

क्र.सं.	बोर्ड की बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तारीख
1	81वीं बोर्ड बैठक	28.06.2023
2	82वीं बोर्ड बैठक	10.08.2023
3	83वीं बोर्ड बैठक	27.09.2023
4	84वीं बोर्ड बैठक	07.12.2023
5	85वीं बोर्ड बैठक	14.02.2024
6	86वीं बोर्ड बैठक	11.03.2024

बोर्ड को कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूरी पहुंच है, जिसमें कार्पोरेट अधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित जानकारी शामिल है।

2.3 बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य निदेशकों/समिति की सदस्यता/अध्यक्षताओं की संख्या

वर्ष 2023–24 (अर्थात 31 मार्च 2024 तक) के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में और 27 सितंबर, 2023 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और अन्य कंपनियों में निदेशक–पद/समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम और पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य कंपनियों में निदेशक–पद का विवरण	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता		पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (27.09.2023)
	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		सदस्य	अध्यक्ष	
श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.06.2023 से)	6	6	शून्य	शून्य	शून्य	भाग लिया
श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, अध्यक्ष (15.06.2023 तक)	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री अजय यादव, प्रबंध निदेशक (31.05.2023 से 15.06.2023 तक)	0	0	1	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्रीमती सुमन शर्मा, प्रबंध निदेशक (19.05.2023 तक)	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री पदम लाल नेगी (27.02.2023 से) सरकार द्वारा नामित निदेशक	6	6	5	4	3	भाग लिया
श्री ललित बोहरा (04.09.2023 से) सरकारी नामित निदेशक	4	4	शून्य	शून्य	शून्य	भाग लिया

निदेशक का नाम और पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य कंपनियों में निदेशक–पद का विवरण	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता		पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (27.09.2023)
	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		सदस्य	अध्यक्ष	
श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त) (31.05.2023 तक)	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री संजय शर्मा निदेशक (सौर)	6	6	2	शून्य	शून्य	भाग लिया
श्री जोशित रंजन सिकीदार, निदेशक (वित्त) (12.09.2023 से)	4	4	2	शून्य	शून्य	भाग लिया
श्री शिवकुमार वेंकट वेपाकोम्मा निदेशक (विद्युत प्रणाली) (30.08.2024 से)	0	0	0	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्रीमती रश्मि सिंह (07.05.2023 तक)	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री राजकुमार सुदाम बडोले	6	6	शून्य	शून्य	शून्य	भाग लिया

3. लेखापरीक्षा समिति

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री राजकुमार सुदाम बडोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.06.2023 तक)
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)
3.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)
4.	श्री ललित बोहरा	सदस्य (27.09.2023 से)
5.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (27.09.2023 तक)

लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए थे।

3.1 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

वर्ष 2023–24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं:–

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तिथि
1	37वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक	04.05.2023
2	38वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक	10.08.2023
3	39वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक	27.09.2023

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तिथि
4	40वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक	07.12.2023
5	41वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक	14.02.2024

3.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	श्री राजकुमार सुदाम बडोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.06.2023 तक)	5	5
2	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)	1	1
3	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)	4	4
4	श्री संजय शर्मा	सदस्य (27.09.2023 तक)	3	3
5	श्री ललित बोहरा	सदस्य (27.09.2023 से)	2	2

4. सेकी की समितियों का विवरण

4.1.1 सीएसआर समिति

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2023 से)
2	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)
3	श्री सी. कन्नन	सदस्य (31.05.2023 तक)
4	श्री राजकुमार सुदाम बडोले	सदस्य (28.06.2023 से)
5	श्री संजय शर्मा	सदस्य

4.1.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों का विवरण

वर्ष 2023–24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीएसआर समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं.	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	सीएसआर समिति की बैठक की तारीख
1	10वीं सीएसआर समिति की बैठक	27.09.2023
2	11वीं सीएसआर समिति की बैठक	07.12.2023
3	12वीं सीएसआर समिति की बैठक	14.02.2024

4.1.3 सीएसआर समिति के सदस्यों द्वारा भाग ली गई बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष (15.06.2023 से)	3	3
2	श्रीमति रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)	0	0
3	श्री सी. कन्नन	सदस्य (31.05.2023 तक)	0	0

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
4	श्री राजकुमार सुदाम बडोले	सदस्य (28.06.2023 से)	3	3
5	श्री संजय शर्मा	सदस्य (22.02.2023 से)	3	3

4.1.4 सेकी की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

सेकी की सीएसआर नीति समाज के कमजोर, कम विशेषाधिकार प्राप्त और हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों पर केंद्रित है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, सेकी ने सीएसआर कार्यकलापों के लिए 649.0965 लाख की राशि खर्च की है। कंपनी ने चिन्हित सीएसआर कार्यकलापों के लिए राशि खर्च की है। वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष 2023–24 में सीएसआर कार्यकलाप

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना (या) चिन्हित कार्यकलाप	क्षेत्र व्यय (सीएसआर परियोजना कार्य का दायरा)	वास्तविक व्यय (लाख रुपए में)
1	आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा बिष्णुपुर संकुल, गुमला झारखंड (आकांक्षी जिला) में सौर आधारित सिंचाई परियोजना के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	60.972
2	सेवावर्धिनी द्वारा भोरमल संकुल, नासिक, महाराष्ट्र में सौर आधारित सिंचाई परियोजना के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	139.662
3	योगेश्वर बहुदेशीय शिक्षण संस्था के माध्यम से गोंदिया में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	48.00
4	युवा साथी फाउंडेशन के माध्यम से एलईडी टीवी की स्थापना के माध्यम से राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता की गुणवत्ता में सुधार	स्वास्थ्य देखभाल	135.27
5	युवास्पार्क के माध्यम से राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल साक्षरता उपकरण	शिक्षा	38.13
6	युवा साथी फाउंडेशन के माध्यम से गांव राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ तक सौर स्ट्रीट लाइट और सड़कों के फुटपाथ के माध्यम से बुनियादी ढांचे का समर्थन	पर्यावरणीय संपोषणीयता	24.7625
7	आरोहण के माध्यम से झारखंड के रांची (आकांक्षी जिले) के गेतलसूद में 2 सरकारी स्कूल में पेयजल, टेबल, सौर पैनलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा	24.30
8	कैडमैक्स समाधानों के माध्यम से आलैंड, कलबुर्गी, कर्नाटक में चिकित्सा शिविरों के आयोजन के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	18.00
9	राष्ट्रीय युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से हरदोई, उत्तर प्रदेश में टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान करने के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	24.99
10	यूनिसेड के माध्यम से डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर (आकांक्षी जिला) उत्तर प्रदेश में बच्चों की ऑप्टिकल और रीढ़ की हड्डी की देखभाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्कूल बैग प्रदान करने के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	12.50

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना (या) चिन्हित कार्यकलाप	क्षेत्र व्यय (सीएसआर परियोजना कार्य का दायरा)	वास्तविक व्यय (लाख रुपए में)
11	माटी के माध्यम से सिद्धार्थनगर (आकांक्षी जिला) उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिविरों के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	17.76
12	आईआईटी कानपुर के माध्यम से आईआईटी कानपुर में स्थायी जल प्रबंधन के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	29.70
13	रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ऋषिकेश, उत्तराखंड में रामकृष्ण मिशन के शारदा तपोवन में 1 कॉटेज के लिए सहायता	शिक्षा	25.00
14	रामकृष्ण मिशन के माध्यम से आलो, अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय स्कूल/छात्रावास, मोबाइल मेडिकल यूनिट और अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए 1 वाहन के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा	10.30
15	धर्मेंद्र सेवा संस्थान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	19.75
16	रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्नेह कुटीर शारदा बालग्राम आश्रम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की 40 वंचित छात्राओं के पोषण के लिए सहायता	पोषाहार	20.00
	योग		**649.1**

सीएसआर क्रियाकलापों पर विस्तृत रिपोर्ट कॉरपोरेट अधिशासन संबंधी रिपोर्ट के अनुबंध–II में दी गई है।

4.2.1 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री राजकुमार सुदाम बडोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.06.2023 तक)
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)
3.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)
4.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (27.09.2023 तक)
5.	श्री ललित बोहरा	सदस्य (27.09.2023 से)

4.2.2 पारिश्रमिक समिति की बैठकों का विवरण

वर्ष 2023–24 के दौरान, पारिश्रमिक समिति की एक बैठक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की गई थी:

क्र.सं.	पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि
1	8वीं पारिश्रमिक समिति की बैठक	14.02.2024

4.2.3 पारिश्रमिक समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में लिए गए भाग का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	श्री राजकुमार सुदाम बडोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.06.2023 तक)	1	1

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)	0	0
3.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)	1	1
4.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (27.09.2023 तक)	0	0
5.	श्री ललित बोहरा	सदस्य (29.09.2023 से)	1	1

4.3.1 पारिश्रमिक नीति

सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सीपीएसई है जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से की जाती है, जो अन्य बातों के साथ–साथ पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक को उनके संबंधित नियुक्ति आदेशों के माध्यम से निर्धारित करता है। कंपनी के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

4.4.1 परियोजना समिति

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने 21 फरवरी 2017 को बोर्ड की एक परियोजना समिति का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान (रिपोर्ट की तारीख तक)। परियोजना समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (28.06.2023 से)	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुमन शर्मा, प्रबंध निदेशक (19.05.2023 तक)	अध्यक्ष
3.	श्री संजय शर्मा, निदेशक (सौर)	सदस्य
4.	श्री जोशित रंजन सिकीदार, निदेशक (वित्त) (27.09.2023 से)	सदस्य
5.	श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त) (31.05.2023 तक)	सदस्य
6.	श्री शैलेश कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (वित्त) (27.09.2023 तक)	सदस्य

4.4.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित परियोजना समिति की बैठकों का विवरण

वर्ष 2023–24 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परियोजना समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं.	परियोजना समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि
1	33वीं परियोजना समिति की बैठक	17.04.2023
2	34वीं परियोजना समिति की बैठक	18.07.2023
3	35वीं परियोजना समिति की बैठक	29.08.2023

क्र.सं.	परियोजना समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि
4	36वीं परियोजना समिति की बैठक	27.09.2023
5	37वीं परियोजना समिति की बैठक	09.11.2023
6	38वीं परियोजना समिति की बैठक	08.12.2023
7	39वीं परियोजना समिति की बैठक	09.01.2024
8	40वीं परियोजना समिति की बैठक	06.03.2024

4.4.3. परियोजना समिति के सदस्यों द्वारा भाग ली गई बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (28.06.2023 से)	अध्यक्ष	7	7
2.	श्रीमती सुमन शर्मा, प्रबंध निदेशक (19.05.2023 तक)	अध्यक्ष	1	1
3.	श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त) (31.05.2023 तक)	सदस्य	1	1
4.	श्री संजय शर्मा निदेशक (सौर)	सदस्य	8	8
5.	श्री जोशित रंजन सिकीदार निदेशक (वित्त) (27.09.2023 से)	सदस्य	4	4
6.	श्री शैलेश कुमार गुप्ता महाप्रबंधक (वित्त) (28.06.2023 से)	सदस्य	3	3

5. वार्षिक आम सभा की बैठकें

सेकी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा बैठकों अर्थात तारीख, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	आम सभा बैठक	दिनांक	समय	स्थान
2020 - 21	10वीं	30.09.2021	11:45 घंटे	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहली मंजिल, एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली 110023
2021 – 22	11वीं	28.09.2022	11:30 घंटे	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहली मंजिल, एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली 110023
2022 – 23	12वीं	27.09.2023	17:45 घंटे	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहली मंजिल, एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली 110023

6. प्रकटन

i. संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार

इंड (एएस) द्वारा आवश्यक संबंधित पार्टियों के साथ दर्ज लेनदेन पर प्रकटीकरण कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के लेखों की टिप्पणियों में उल्लिखित है।

ii. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर–कार्यपालक निदेशक का वर्ष के दौरान (सेवा के अपने कार्यकाल में) कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था। भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में एक शेयर को छोड़कर किसी भी गैर–कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर/परिवर्तनीय लिखत नहीं थी। निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				
	नाम	रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	सुमन शर्मा	सी. कन्नन	संजय शर्मा	जोशीट रंजन सिकीदार
	पद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (सौर)	निदेशक (वित्त)
1	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	21,02,100.00	6,57,991.00	78,63,336.00	75,89,484.00	28,63,347.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य	12,393.00	89,171.00	2,45,913.00	15,600.00	1,18,132.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-	-
	– लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-
	– अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	योग (क)	**21,14,493**	**7,47,162**	**81,09,249**	**76,05,084**	**29,81,479**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि (रुपये)
1	स्वतंत्र निदेशक	**श्रीमती रश्मि सिंह**	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	एक समिति की बैठक में भाग लिया	20,000.00
	आयोग		-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		-
	योग (1)		

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि (रुपये)
2	स्वतंत्र निदेशक	**श्री राजकुमार सुदाम बडोले**	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	15 बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लिया /रुपए 20,000/–	3,00,000.00
	आयोग		-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		-
	योग (1+2)		**3,20,000.00**
3	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक		-
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क		-
	आयोग		-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		-
	योग (2)		**-**
	योग (ख) = (1+2)		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा		

ग. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का नाम	कुल राशि (रुपये)
	नाम	सुनील कुमार मेहलावत	
	पद	कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	34,08,664.00	34,08,664.00
	(ख) धारा 17(2) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य	8,352.00	8,352.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ		
2	स्टॉक विकल्प		
3	स्वेट इक्विटी		
4	आयोग		
	– लाभ के % के रूप में		
	– अन्य, निर्दिष्ट करें		
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	योग	**34,17,016.00**	**34,17,016.00**

iii. कंपनी पर गैर–अनुपालन/दंड और लगाए गए प्रतिबंध

कंपनी द्वारा कोई गैर–अनुपालन नहीं था, किसी भी वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों द्वारा कंपनी पर जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई थी या कोई अन्य मामला नहीं था।

iv. लेखांकन संव्यवहार

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्दिष्ट लेखांकन मानक का पालन किया है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां जो निरंतर लागू होती हैं, लेखों की टिप्पणियों के अनुबंध में निर्धारित हैं।

v. निगमित अधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कार्पोरेट अधिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है (निगम के दायरे में)।

vi. आचार संहिता का अनुपालनः

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्तियों को विधिवत अनुमोदित आचार संहिता परिचालित कर दी गई है और उनके अनुपालन की पुष्टि उनसे प्राप्त हो गई है।

vii. जोखिम प्रबंधन

सेकी की एक विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जो सेकी में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह एक सक्षम तंत्र है जो संभावित जोखिमों के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करके, जोखिम का आकलन करने के लिए एक व्यवस्थित विधि प्रदान करके, ऐसे जोखिमों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए निवारक/शमन उपायों का सुझाव देकर और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके प्रभावी निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता करता है।

viii. लागू कानूनों का अनुपालन

सेकी का निदेशक मंडल लागू कानूनों और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति का अवलोकन करता है जिसे सभी संबंधित विभागों से प्राप्त होने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

ix. लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

x. सेकी की वार्षिक विवरणी सेकी के वेब पोर्टल के निम्नलिखित युआरएल पर दी गई है।

यूआरएलः "https://www.seci.co.in/financial/annual-return"

7. मंडल – सदस्यों के लिए प्रशिक्षणः

यह आवश्यकता आधारित है।

अनुलग्नक–I

सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रारूप

1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा**

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सेकी की सीएसआर नीति सीएसआर कार्यकलापों को शुरू करने का प्रावधान करती है जो गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं। कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट कार्यकलाप शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर समुदाय के लाभ के लिए शुरू की गई हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण को सीएसआर कार्यकलापों के लिए विषय के रूप में अपनाया गया। हमारी सीएसआर कार्यकलाप देश भर के विभिन्न स्थानों में फैली हुई हैं।

2. **सीएसआर समिति की संरचनाः**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक–पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में लिए गए भाग की संख्या
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (28.06.2023 से)	03	03
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक (07.05.2023 तक)	0	0
3.	श्री सी. कन्नन	सदस्य/निदेशक वित्त (31.05.2023 तक)	0	0
4.	श्री राजकुमार सुदाम बडोले	सदस्य/स्वतंत्र निदेशक (28.06.2023 से)	03	03
5.	श्री संजय शर्मा	सदस्य /निदेशक सौर (22.02.2023 से)	03	03

3. **वेब–लिंक बताएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।**

https://www.seci.co.in/about/csr-and-sustainability-policy-of-seci

4. **कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

लागू नहीं

5. **कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण**

क्र. सं.	वित्त वर्ष	विगत वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	2022-23	00	00
	योग	**00**	**00**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ 31,443 लाख रुपये

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः रुपये 628.86 लाख
(ख) विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों का अधिशेषः शून्य
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई होः शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख– 7ग): 628.86 लाख रुपये

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (रुपए में)	खर्च न की गई राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) (ख) के अनुसार अव्ययित सीएसआर लेखे में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिदष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
6,49,09,650	---	---	---	---	---

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए **चालू परियोजनाओं** के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर लेखे में अंतरित राशि (रुपए में)	पूर्णता का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	बिशुनपुर संकुल, गुमला जिला, झारखंड में सतत सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई	पर्यावरणीय संपोषणीयता	हाँ	झारखंड	गुमला	2 वर्ष	13787000	6097200	शून्य	नहीं	आईएसडीजी अनुसंधान संस्थान	सीएसआर 00033785
2.	भोरमल संकुल, नासिक जिला महाराष्ट्र में सतत सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई	पर्यावरणीय संपोषणीयता	नहीं	महाराष्ट्र	नाशिक	2 वर्ष	16714300	13966200	शून्य	नहीं	सेवावर्द–हिनी	सीएसआर 0000860
	योग						**30501300**	**20063400**				

(ग) वित्तीय वर्ष में **चालू परियोजनाओं** के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपए में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	योगेश्वर बाहुदेशीय शिक्षण संस्था के माध्यम से गोंदिया में सौर स्ट्रीट लाइट संस्थापित करने के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	नहीं	महाराष्ट्र	गोंदिया	4800000	नहीं	योगेश्वर बहुदेशीय शिक्षण संस्था	सीएसआर 00056464
2.	युवा साथी फाउंडेशन के माध्यम से एलईडी टीवी की स्थापना के माध्यम से राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार	स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा	हाँ	छत्तीसगढ़	राजनांद – गांव	13527000	नहीं	युवा साथी फाउंडेशन	सीएसआर 00017938

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपए में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
3.	युवास्पार्क के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ के लिए ब्रेल साक्षरता	शिक्षा	हां	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	3813000	नहीं	युवास्पार्क	सीएसआर 00037081
4.	सौर स्ट्रीट लाइट और राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ स्थल के निकट गांव तक सड़कों के पेवमेंट के माध्यम से अवसंरचना सहायता।	पर्यावरणीय संपोषणीयता	हां	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	2476250	नहीं	युवा साथी फाउंडेशन	सीएसआर 00017938
5.	आरोहण के माध्यम से झारखंड के रांची के गेतलसूद में 2 सरकारी स्कूल में पेयजल, टेबल, सौर पैनलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा	हां	झारखंड	रांची	2430000	नहीं	आरोहण	सीएसआर 00004308
6	कैडमैक्स समाधानों के माध्यम से आलंद, कलबुर्गी, कर्नाटक में चिकित्सा शिविरों के आयोजन के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	कर्नाटक	कलबू – रागी	1800000	नहीं	कैडमैक्स सोलुशन	सीएसआर 00013725
7	राष्ट्रीय युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से हरदोई, उत्तर प्रदेश में टीबी किट प्रदान करने के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	उत्तर प्रदेश	हरदोई	2499000	नहीं	राष्ट्रीय युवा फाउंडेशन	सीएसआर 0000506
8	यूनीसेड के माध्यम से डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्कूल बैग प्रदान करने के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	1250000	नहीं	यूनीसेड	सीएसआर 00011913
9	माटी के माध्यम से सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिविरों के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	1776000	नहीं	माटी	सीएसआर 00048875
10	आईआईटी कानपुर के माध्यम से आईआईटी कानपुर में स्थायी जल प्रबंधन के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	नहीं	उत्तर प्रदेश	कानपुर	2970000	नहीं	आईआईटी कानपुर	सीएसआर 00000477
11	रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ऋषिकेश में रामकृष्ण मिशन के 1 कॉटेज शारदा तपोवन के लिए सहायता	शिक्षा	नहीं	उत्तराखंड	ऋषिकेश	2500000	नहीं	रामकृष्ण मिशन	सीएसआर 00006101
12	आलो, अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय स्कूल/छात्रावास, मोबाइल मेडिकल यूनिट और रामकृष्ण मिशन के अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए 1 वाहन के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा	नहीं	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग जिला	1030000	नहीं	रामकृष्ण मिशन	सीएसआर 00006101
13	धर्मेंद्र सेवा संस्थान के माध्यम से अमेठी जिले में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सहायता	पर्यावरणीय संपोषणीयता	नहीं	उत्तर प्रदेश	अमेठी	1975000	नहीं	धर्मेंद्र सेवा संस्थान	सीएसआर 00040949
14	स्नेह कुटीर शारदा बालग्राम आश्रम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की 40 वंचित छात्राओं के पोषण के लिए रामकृष्ण मिशन (आरकेएम) आश्रम को सहायता	स्वास्थ्य और पोषण	नहीं	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	2000000	नहीं	रामकृष्ण मिशन	सीएसआर 00006101
	योग					**44846250**			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि : 6,49,09,650 (8ख+8ग+8घ+8ङ)

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि (लाख रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	628.86
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	649.10

क्र. सं.	विवरण	राशि (लाख रुपए में)
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	20.24
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या विगत वित्तीय वर्षों की कार्यकलापों का अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	सफल वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	20.24

9. (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर लेखे में अंतरित राशि (रुपयों में)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपयों में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष धनराशि (रुपए में)
				फंड का नाम	राशि (रुपयों में)	अंतरण की तिथि	
शून्य							

(ख) विगत वित्तीय वर्ष (वित्तों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/चालू
1.	2023-24/1	बिशुनपुर संकुल, जिला गुमला झारखंड में सतत सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई	2022-23	2 वर्ष	13787000	6097200	13787000	पूर्ण
2.	2023-24/2	भोरमल संकुल, जिला महाराष्ट्र में संपोषणीय सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई	2022-23	2 वर्ष	16714300	13966200	16714300	पूर्ण
	योग				**30501300**	**20063400**	**30501300**	

10. पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अर्जन के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अजत परिसंपत्ति (यों) से संबंधित ब्यौरे (परिसंपत्ति (यों)–वार विवरण) प्रस्तुत करें।

(1) परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति (यों) "बिष्णुपुर संकुल, गुमला झारखंड में सौर आधारित सिंचाई परियोजना"		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	29.02.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹ 37,36,422/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण आदि, पता दिया जाए।	बिशुनपुरा, गुमला, झारखंड– 835231 में समुदाय और किसान समूह
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	5 लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, 10 ड्रिप सिंचाई प्रणाली और 3 स्थापित भागों और उपकरणों के साथ ग्रीन शेड नेट हाउस

(2) परियोजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्ति (यों) ''भोरमल संकुल, नासिक जिला महाराष्ट्र में स्थायी सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई''		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	12.01.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹1,15,98,539
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण आदि, पता दिया जाए।	समुदाय अर्थात अंबाथा, खंडुर्डी, उंबर्डे, पलसन, भावड़ा के 9 किसान
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	9 स्थापित सोलर पंपों

(3) परियोजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्ति (यों) ''गोंदिया में सौर स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए सहायता''		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	25.03.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹48,00,000/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण आदि, पता दिया जाए।	योगेश्वर बहुदेशीय शिक्षण संस्था, 222, सुयोग नगर, इंद्राणी टीवीएस, रिंग रोड, नागपुर–440015
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 200 सोलर लाइट

(4) ''युवा साथी फाउंडेशन के माध्यम से एलईडी टीवी की स्थापना के माध्यम से राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार'' परियोजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्ति (यों)		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	23.02.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹1,35,27,000/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण आदि, पता दिया जाए।	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, राजनंदगांव पिन– 491441. एलईडी टीवी 835 आंगनवाड़ियों को प्रदान किए गए।
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	32 इंच वाले 835 नॉन–स्मार्ट एलईडी टीवी तीन वर्ष की वारंटी के साथ

(5) ''युवास्पार्क के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल साक्षरता, राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़'' परियोजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्ति (यों)		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	28.02.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹ 35,58,800/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) पंजीकृत है, उनका विवरण, पता आदि	राजनंदगांव जिला के 26 सरकारी स्कूल
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	जनपद राजनंदगांव के 41 शासकीय विद्यालयों में एनी ब्रेल उपकरण लगाए गए

(6) परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति (यों) "सौर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से बुनियादी ढांचा समर्थन और राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ साइट के पास गांव में सड़कों का फुटपाथ"।		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	29.03.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹ 24,76,250/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) पंजीकृत है, उनका विवरण, पता आदि।	परिसंपत्ति (यों) किसी भी नाम पर पंजीकृत नहीं थी, बल्कि समुदाय को सौंप दी गई थी और जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया था
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	(i) चार बल्बों के साथ दो सोलर स्ट्रीट लाइट, एक मार्केट में और दूसरी गांव के जंक्शन पर (ii) मंदिर के लिए मार्ग बनाने के लिए खाई को वापस भरना

(7) "आरोहण के माध्यम से रांची, झारखंड के गेतलसूद में 2 सरकारी स्कूल में पेयजल, टेबल, सौर पैनलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता" परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	29.02.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹ 10,90,000/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण, पता आदि।	आरोहण, बी–127, मालवीय नगर, नई दिल्ली, 110017 के नाम से **पंजीकृत** **लाभार्थी:** 1. राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिरकादृ 200 छात्र 2. राजकीयकृत सीनियर स्कूल, नवागढ़ – 1200 छात्र
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	1. सौर पैनलों की स्थापना 2. सौर पैनलों एएमसी 3. पेयजल की मशीन 4. कक्षा फर्नीचर 5. उपरोक्त 2 सरकारी स्कूलों में पंखे और ट्यूबलाइट।

(8) "आईआईटी कानपुर के माध्यम से आईआईटी कानपुर में स्थायी जल प्रबंधन के लिए सहायताष परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	20.03.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹ 24,52,493/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण, पता आदि ।	नामः डॉ राजीव जिंदल विभागरू सतत ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग, संस्थानः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आईआईटी कानपुर)
		पताः सतत ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 208016
(घ)	निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	35 जल प्रवाह मीटर

(9) "रामकृष्ण मिशन के माध्यम से ऋषिकेश में रामकृष्ण मिशन के शारदा तपोवन के लिए 1 कॉटेज की सहायता" परियोजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्ति		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	31.03.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹25,00,000/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण, पता आदि।	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू, पार्क हॉस्पिटल रोड, ऑफ सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा–122018
(घ)	सृजित या अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	ऋषिकेश में 1 कॉटेज (14′ × 13′)

(10) "आदिवासी स्कूल/छात्रावास, मोबाइल मेडिकल यूनिट और आलो, अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन के अस्पताल के सुचारू कामकाज के लिए 1 वाहन के लिए सहायता" परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	19.12.2023
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹10,30,000/-
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) पंजीकृत है, उनका विवरण, पता आदि।	रामकृष्ण मिशन, पीओ– विवेकनगर, जिला–पश्चिम सियांग, आलो–791001, अरुणाचल प्रदेश
(घ)	सृजित या अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	एक 4 पहिया वाहन महिंद्रा बोलेरो ठै VII

(11) "धर्मेंद्र सेवा संस्थान के माध्यम से अमेठी जिले में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सहायता" परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति		
(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	01.03.2024
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	₹19,75,000
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका विवरण, पता आदि।	धर्मेंद्र सेवा संस्थान, 153, क्षेम सदन, शेखपुरा, सदर, जौनपुर, 222002
(घ)	सृजित या अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें	65 सोलर लाइट, अमेठी यूपी–227405

11. यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो उसका कारण बताएं

लागू नहीं

हस्ता./–

रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

सीईओ और अध्यक्ष सीएसआर समिति

डीआईएन नं.: 03388822

अनुबंध–ग

निगमित अभिशासन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
छठी मंजिल, प्लेट बी एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक टॉवर–2,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–10023

मैंने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की अनुपालन शर्तों की जांच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन (डीपीई दिशानिर्देश) पर डीपीई दिशानिर्देशों में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रासंगिक रिकॉर्ड की परीक्षाओं और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का नीचे उल्लिखित सीमा को छोड़कर, अनुपालन किया है:

1. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अनुसार, प्रत्येक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसकी चुकता शेयर पूंजी एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, में कम से कम एक महिला निदेशक होगी, लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल में 19.05.2023 से महिला निदेशक नहीं थी और
2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत आवश्यक है, बोर्ड के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेकिन कंपनी के पास निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना नहीं थी क्योंकि 07.05.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए केवल एक स्वतंत्र निदेशक था और तदनुसार:

   I. लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 07.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में उल्लिखित नहीं थी।

   II. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और 07.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में उल्लिखित नहीं थी।

हालांकि, प्रबंधन के उत्तर के अनुसार, कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने पत्र संख्या सेकी/सीएस/123/VI/2020/55010 दिनांक 12.04.2023, सेकी/सीएस/123/VI/2020/55735 दिनांक 22.05.2023, सेकी/सीएस/123/VI/ 2023/56197 दिनांक 14.06.2023, सेकी/सीएस/123/VI/2020/59078 दिनांक 16.10.2023, सेकी/सीएस/123/VI/2020/62109 दिनांक 12.02.2024 और सेकी/सीएस/123/VI/2020/62972 दिनांक 22.03.2024 द्वारा एमएनआरई को संरचना आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया था।

मैं आगे कहता हूं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

विकास गेरा और एसोसिएट्स की ओर से
कंपनी सचिव
हस्ता./–
(विकास गेरा)
एफसीएस नं. 5248
सीपी नं. 4500
यूडीआईएन: F005248F000753701

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

अनुबंध–घ

प्रपत्र सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी
(नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6वीं मंजिल, प्लेट बी एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक टॉवर –2,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली 110023

मैंने **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (इसके बाद कंपनी कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कार्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई जिसने मुझे कार्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी के लेखों, कागजातों, मिनट बुक, दायर किए गए प्रपत्र और विवरणी और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मेरे सत्यापन के आधार पर, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2024** को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ('लेखापरीक्षा अवधि'), यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है, जो इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

मैंने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई लेखों, कागजातों, मिनट बुक, प्रपत्र और विवरणियां और अन्य रिकॉर्डों की जांच इन प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप–विधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश; *(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)*–

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (परोक्ष लेन–देन का निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संव्यवहार करने के संबंध में;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता) विनियम, 2021; और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की क्रय) विनियम, 2018;

(vi) उपर्युक्त के अलावा, प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी किसी अन्य उद्योग विशिष्ट केन्द्रीय और राज्य कानूनों द्वारा शासित नहीं है।

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) बोर्ड, समिति (समितियों) और आम बैठक (बैठकों) के संबंध में भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस –1 और एसएस –2);

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015–लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(iii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश (''सीपीएसई दिशानिर्देश'')।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन प्रतिनिधित्व के आधार पर, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का काफी हद तक अनुपालन किया है, सिवाय:

1. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अनुसार, प्रत्येक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसकी चुकता शेयर पूंजी एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, में कम से कम एक महिला निदेशक होगी, लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल में 19.05.2023 से महिला निदेशक नहीं थी और

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत आवश्यक है, बोर्ड के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेकिन कंपनी के पास निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना नहीं थी क्योंकि 07.05.2023 से केवल एक स्वतंत्र निदेशक था और तदनुसार –

- *लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 07.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में उल्लिखित अनुसार नहीं थी।*
- *नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और 07.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में उल्लिखित अनुसार नहीं थी।*

हालांकि, प्रबंधन के उत्तर के अनुसार, कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है, कंपनी ने संरचना आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बोर्ड में महिला निदेशक और स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति के लिए एमएनआरई को दिनांक 12.04.2023, 22.05.2023, 14.06.2023, 16.10.2023, 12.02.2024 और 22.03.2024 को अनुरोध पत्र भेजे हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन ऊपर उल्लिखित रिपोर्टिंग को छोड़कर कार्यपालक निदेशकों, नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों को कम से कम सात दिन पहले निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया था, आम तौर पर या कम नोटिस के माध्यम से, एजेंडा और विस्तृत टिप्पणियां अग्रिम में भेजी गई थी और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद थी।

बोर्ड की बैठकों में निर्णय बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं और बोर्ड के सदस्यों द्वारा व्यक्त असंतोष को दर्ज किया जाता है।

कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र के आधार पर हमारी राय है कि प्रबंधन के पास लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी के मामलों पर एक बड़ा असर डालने वाले उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कोई अन्य विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं थी, जिसका कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर पड़ा हो।

(आशु गुप्ता)
प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी
एफसीएस नं. 4123
सीपी नं. 6646
यूडीआईएनः F004123F000745512
सहकर्मी समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या 730/2020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2024

टिप्पणीः इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **अनुबंध क** के रूप में संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवा में,
सदस्यगण,
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
छठी मंजिल, प्लेट बी एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक
टॉवर–2, पूर्वी किदवई नगर
नई दिल्ली 110023

मेरी सम तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। मेरा मानना है कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया, वे मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा–बहियों की सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का यथावश्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरी परीक्षा, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

(आशु गुप्ता)
प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी
एफसीएस नं. 4123
सीपी नं. 6646
यूडीआईएनः F004123F000745512
पीआर समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या 730/2020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2024

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में टिप्पणियों के लिए प्रबंधन के उत्तर।

क्र.सं.	टिप्पणियों	प्रबंधन के उत्तर
1.	जैसा कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के तहत आवश्यक है, प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, कम से कम एक महिला निदेशक होगी, लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल में 19.05.2023 से महिला निदेशक नहीं थी।	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है। एमएनआरई, सेकी के बोर्ड में स्वतंत्र/महिला निदेशक की नियुक्ति/नामांकन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। सेकी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध एमएनआरई से हमारे पत्र दिनांक 9 अप्रैल, 2016, 12 सितंबर, 2016,8 दिसंबर, 2016, 16 जनवरी, 2017, 27 जून, 2–017, 8 अगस्त, 2017, 23 अक्टूबर 2017, 15 दिसंबर 2017, 8 फरवरी 2018, 10 मई 2018, 11 जुलाई, 2018, 13 अगस्त, 2018, 7 जनवरी, 2019, 19 फरवरी, 2019, 18 अप्रैल, 2019, 6 जून 2019, 8 अगस्त 2019, 7 अक्टूबर, 2019, 12 दिसंबर, 2019, 18 फरवरी, 2020, 9 जून, 2021, 28 जनवरी, 2022, 13 दिसंबर, 2022, 9 मार्च, 2023, 12 अप्रैल 2023, 22 मई, 2023, 14 जून 2023, 16 अक्टूबर 2023, 12 फरवरी 2024 और 22 मार्च 2024 द्वारा किया गया है।
2.	जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ओपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है, बोर्ड के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए लेकिन कंपनी में निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना नहीं थी क्योंकि 07.05.2023 से केवल एक स्वतंत्र निदेशक था और तदनुसार– i) लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 07.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर ओपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में उल्लिखित नहीं थी। ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और 2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर ओपीई दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में यथा उल्लिखित नहीं थी।	इसके अलावा हमारे पत्र दिनांक 22 मई 2023, 14 जून 2023, 16 अक्टूबर 2023, 12 फरवरी 2024 और 22 मार्च 2024 के माध्यम से, हमने एमएनआरई से सेकी के बोर्ड में महिला निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। सेकी के बोर्ड में महिला निदेशक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एमएनआरई द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इसके अलावा, चूंकि सेकी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित होने तक, हमने संरचना को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए सरकारी नामित निदेशकों को लेखापरीक्षा और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

I. उद्योग संरचना और विकास

क. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का प्रक्षेपवक्र वैश्विक स्तर पर प्रमुख विकास के केंद्र में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 'नवीकरणीय 2023' रिपोर्ट इंगित करती है कि वर्ष 2023 में नवीकरणीय विद्युत् क्षमता परिवर्धन अनुमानित 507 गीगावॉट तक पहुँच गया, जो वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 50% अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षमता परिवर्धन में वृद्धि जारी रहेगी, जिसमें सौर पीवी और पवन का रिकॉर्ड 96% हिस्सा होगा क्योंकि अधिकांश देशों में जीवाश्म और गैर–जीवाश्म दोनों विकल्पों की तुलना में उनकी उत्पादन लागत कम है। [1]

भारत में शहरीकरण के उदय के साथ, सभी क्षेत्रों में विद्युत् की बढ़ती आवश्यकता है। राष्ट्र के सतत विकास को सक्षम करते हुए जलवायु परिवर्तन संकट को टालने के लिए नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से विद्युत् की मांगों को पूरा करना समय की आवश्यकता बन गई है।

यह लगभग एक दशक पूर्व असंभव सा लग रहा था, हालांकि, देश ने विभिन्न क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा को अपनाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5 वें स्थान पर है। यह वृद्धि केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी में विकास और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विदेशी पूंजी निवेश के कारण देखी गई।

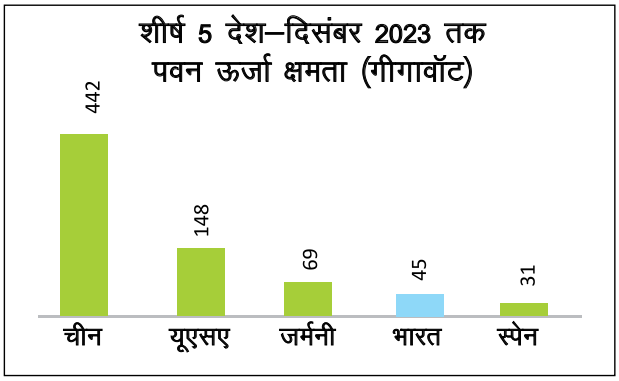

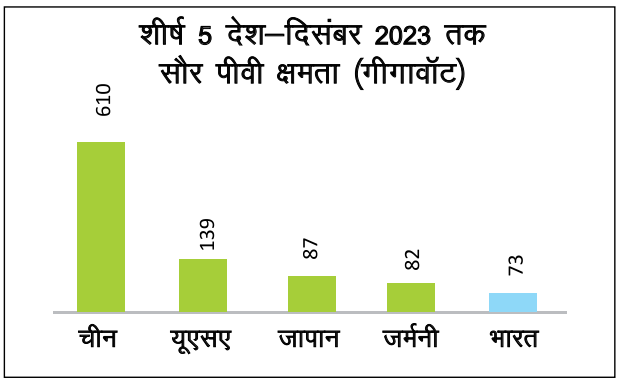

स्रोतः आईआरईएनए

[1]अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी– नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023

विगत कुछ वर्षों में, वैश्विक प्रतिबद्धताओं, सरकारी नीतियों के प्रावधानों और तकनीकी प्रगति के कारण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई है। सीओपी26 में घोषित पंचामृत लक्ष्यों ने बड़े पैमाने पर आरई के विस्तार और अपनाने के लिए देश की नींव रखी है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में, सरकार ने चार अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) को अधिसूचित किया है, जिन्हें वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बोली प्रक्षेपवक्र के अनुसार लक्ष्य दिए गए हैं।

इन एजेंसियों को आरई बाजार के अपने आकलन के अनुसार या सरकार के निर्देशों के अनुसार सौर, पवन, हाइब्रिड, आरटीसी आदि के लिए बोलियां जारी करनी होंगी।

1 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 'नवीकरणीय ऊर्जा 2023' रिपोर्ट

सेकी आरईआईए में से एक होने के नाते इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और 15 गीगावॉट के बोली लक्ष्य को पार करके अनुकरणीय निष्पादन दिखाया है।

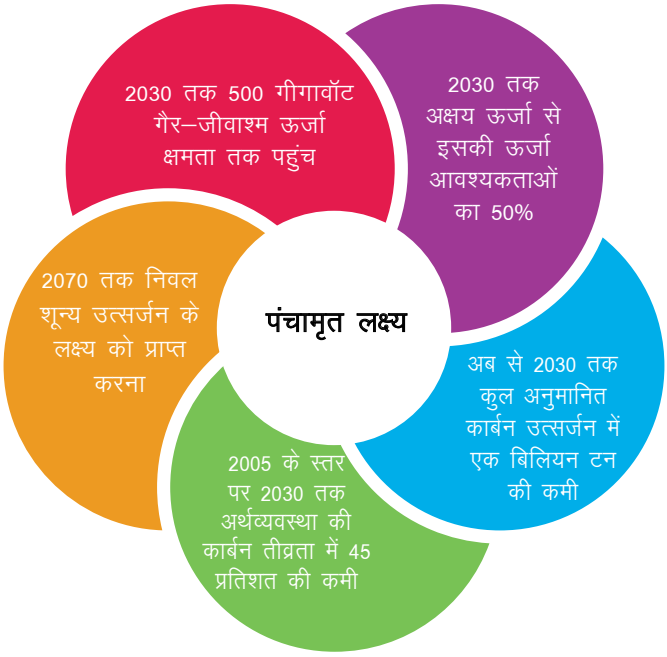

भारत वित्त वर्ष 2023–24 में सौर पीवी और पवन ऊर्जा में एक प्रमुख नायक बनकर उभरा है। हरित अमोनिया, जैव–ऊर्जा, लघु पनबिजली परियोजनाओं आदि जैसे अन्य गैर–जीवाश्म विकल्पों की संभावनाओं का पता लगाया गया है जो देश के हरित ऊर्जा परिदृश्य को पर्याप्त बढ़ा सकते हैं।

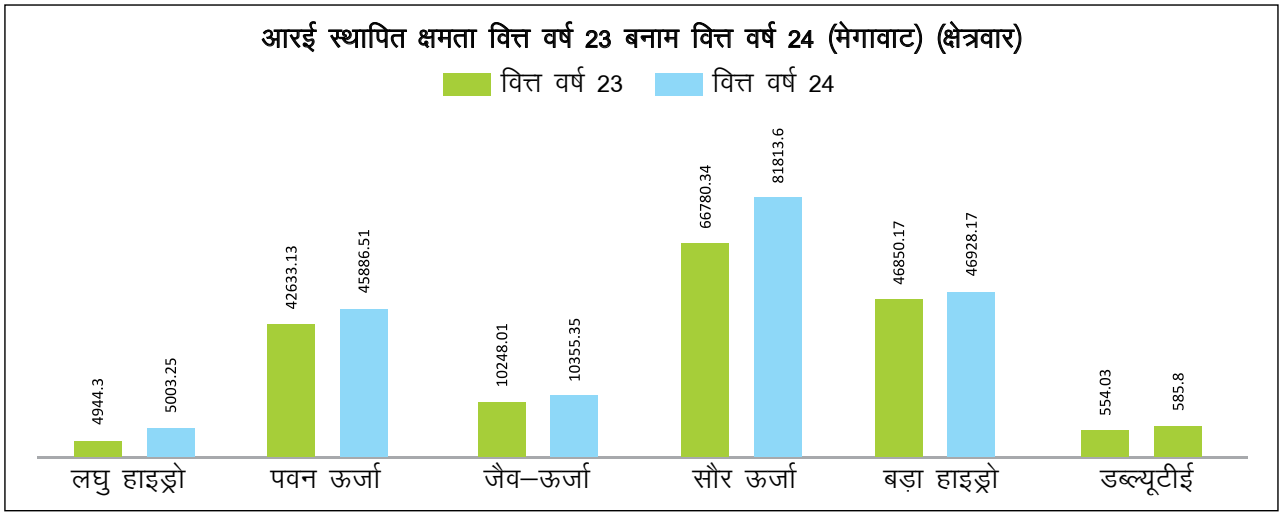

स्रोतः सीईए

ख. आरई कारोबारी स्थिति

i. **निजी क्षेत्र का प्रभुत्वः** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी संस्थाओं का अत्यधिक वर्चस्व है जिन्होंने प्रमुख वित्तीय निवेशों के माध्यम से आरई परियोजनाओं की सहायता की। आरई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने कुछ उपायों की घोषणा की है जैसेः

» स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना।

[3] https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1896063

» 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर–राज्यीय बिक्री के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क की छूट।

» वर्ष 2029–30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए प्रक्षेपवक्र की घोषणा।

» बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

ii. **आयात पर निर्भरता:** वैश्विक विकास का आरई बाज़ार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसका मुख्य कारण अन्य देशों से घटकों की आपूर्ति आयात करने पर इसकी निर्भरता है। यह क्षेत्र को मूल्य भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना में देरी होती है। इस जोखिम से बचने के लिए, सरकार घर में घटकों का निर्माण करके एक विनियमित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उपाय कर रही है। इन उपायों में पीवी सेलों और मॉड्यूलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), घरेलू सामग्री आवश्यकता, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना–II आदि शामिल हैं।

iii. **डिस्कॉम पर निर्भरता:** सेकी के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा डिस्कॉम को व्यापार की जा रही विद्युत् से उत्पन्न होता है। इससे कुछ डिस्कॉम से भुगतान में देरी का खतरा है, जो सेकी की कार्यशील पूंजी को बनाए रखने और डेवलपर्स को समय पर भुगतान जारी करने के लिए खतरा है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के जोखिम को कम करने के लिए, सरकार द्वारा भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र लाए गए हैं। सेकी के पीएसए के हिस्से के रूप में क्रेडिट ऑफ क्रेडिट (एलसी), देर से भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियम, भुगतान सुरक्षा निधि और त्रि–पक्षीय समझौतों के अंतर्गत कवरेज की शुरूआत कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि परियोजना डेवलपर्स को समय पर भुगतान प्राप्त हो।

v. **विकास पारेषण नेटवर्क विकास के अधीन है:** पारेषण लाइनों और सबस्टेशनों के विकास की तुलना में आरई परियोजनाओं की छोटी परिपक्वता अवधि के परिणामस्वरूप गैर–सिंक्रनाइज़ प्रगति हो सकती है जिससे विद्युत् आपूर्ति में देरी हो सकती है। क्षमता वृद्धि की एक स्थिर गति बनाए रखने के लिए, नवीकरणीय संसाधनों से भरपूर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए व्यापक पारेषण योजनाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण निर्बाध एकीकरण और उत्पन्न विद्युत् का समय पर उपयोग सुनिश्चित करता है। पारेषण और परियोजना विकास को सिंक्रनाइज़ करने के लिए मंत्रालय के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान किया जाता है।

II. सेकी और उसके कारोबारी परिवेश का विश्लेषण

क. शक्ति:

i. **सुव्यवस्थित निविदा प्रक्रियाएं–** सेकी की निविदा प्रक्रियाएं विशेष रूप से एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक निविदा मंच के माध्यम से की जाती हैं। वास्तविक समय की बोली और रिवर्स–नीलामी तंत्र अत्यधिक पारदर्शी हैं, जिससे अस्पष्टता बहुत कम रह पाती है। इसके अतिरिक्त, सेकी व्यवहार्यता के अनुसार अपनी क्रय आवश्यकताओं के लिए सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल का उपयोग करने का प्रयास करता है।

ii. **दीर्घकालिक ऑफ–टेक आश्वासन–** सेकी के विद्युत् क्रय समझौते आरई परियोजना डेवलपर्स को दीर्घकालिक ऑफ–टेक आश्वासन प्रदान करते हैं। यह डेवलपर्स के लिए राजस्व धाराओं को सुरक्षित करता है और सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं का भी समर्थन करता है।

iii. **पूर्ववृत्त सुदृढ़ भुगतान–** सेकी ने डेवलपर्स को समय पर भुगतान करने और पीएसए प्रावधानों का सम्मान करने का एक ट्रैक–रिकॉर्ड स्थापित किया है। 31.03.2024 तक, डेवलपर्स को भुगतान में चूक का कोई उदाहरण नहीं देखा गया है। यह, कंपनी की ए (आईसीआरए) की क्रेडिट रेटिंग के साथ मिलकर, सेकी को एक विश्वसनीय व्यापार भागीदार बनाता है।

iv. **नवीकरणीय ऊर्जा निविदाओं में नवाचार–** सेकी ऊर्जा भंडारण के साथ/बिना सौर–पवन संकर के साथ/बिना ऊर्जा भंडारण के साथ, चौबीसों घंटे विद्युत् की आपूर्ति, सुनिश्चित पीक विद्युत्आपूर्ति निविदा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, एफडीआरई आदि जैसे अभिनव परियोजना विन्यास के साथ बाजार विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है।

v. **युवा और गतिशील कार्यबल–** एक चुस्त और मेहनती कार्यबल जो उद्योग के रुझानों के साथ अद्यतित रहता है, कंपनी की मुख्य शक्तियों में से एक है।

vi. **अखिल भारतीय उपस्थिति–** कंपनी का 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक अखिल भारतीय व्यवसाय है, जिसे यह पीएसए और परियोजनाओं के माध्यम से आरई की आपूर्ति करती है।

ख. शिथिलताएँ:

i. **पावर ट्रेडिंग में न्यून मार्जिन –** पावर ट्रेडिंग सीईआरसी द्वारा अनुमोदित 0.07 रुपये प्रति किलोवाट के निश्चित मार्जिन के साथ सेकी (98% शेयर से अधिक) का प्राथमिक राजस्व स्रोत है। सौर और पवन विद्युत के लिए 250 रुपए प्रति किवाघं की औसत टैरिफ को ध्यान में रखते हुए यह लगभग 28% है। वर्तमान में सेकी लाभप्रदता के बहुत कम मार्जिन के साथ अपने परिचालन कर रहा है।

ii. **वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कुशल/विशिष्ट जनशक्ति की कमी–** सेकी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेकी के उपलब्ध मानव संसाधनों को अप–स्किल और प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकसित हो रहे आरई क्षेत्र को बनाए रखने के लिए विशेष और अनुभवी जनशक्ति की भर्ती भी की जा रही है।

iii. **स्वयं की परियोजनाओं का लघु पोर्टफोलियो–** निविदाओं और योजनाओं की देखरेख के अलावा, सेकी अपने स्वयं के निवेश का उपयोग करके आरई परियोजनाओं की स्थापना में भी संलग्न है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सेकी की अपनी परियोजनाओं की कुल कमीशन क्षमता 21 मेगावाट से बढ़कर 122.7 मेगावाट हो गई है। सेकी आरई क्षेत्र में अपने पदचिह्न का और विस्तार करना चाहता है।

ग. अवसर:

i. **भारत में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं**

देश विविध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से समृद्ध है, जो संपोषणीय और स्वच्छ विद्युत् उत्पादन के अवसर प्रदान करता है। देश में क्रमशः 100 मीटर और 120 मीटर पर 302.25 गीगावॉट और 695.50 गीगावॉट की अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता, लगभग 750 गीगावॉट की सौर क्षमता, 21 गीगावॉट से अधिक की लघु पनबिजली क्षमता और बायोमास से 42 गीगावॉट से अधिक के साथ, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय संसाधनों के दोहन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। [4].

ii. **अक्षय ऊर्जा के लिए सुदृढ़ रोडमैप**

सीईए द्वारा प्रकाशित इष्टतम उत्पादन मिश्रण रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, यह अनुमान है कि वर्ष 2029–30 तक विद्युत् उत्पादन स्थापित क्षमता का लगभग 55.5% अक्षय ऊर्जा स्रोतों (अर्थात 777.14 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता में से 431.28 गीगावॉट) से होगा। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि उसी वर्ष तक 41. 65/208.25 गीगावॉट/ गीगावॉटघंटा क्षमता की बीईएसएस क्षमता स्थापित की जाएगी। ये निष्कर्ष भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र और सुदृढ़ रोडमैप की ओर इशारा करते हैं।

2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने वर्ष 2030 तक लक्ष्य आरपीओ प्रक्षेपवक्र को अधिसूचित किया है। निर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्यों का पालन किया जाना है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बाध्य संस्थाओं द्वारा समान रूप से पूर्ण किया जाना है। आरपीओ लक्ष्यों के अनुसार बाध्य कंपनियों (जिसमें डिस्कॉम, ओपन एक्सेस उपभोक्ता और कैप्टिव विद्युत उत्पादक शामिल हैं) को अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से अपनी विद्युत का न्यूनतम हिस्सा क्रय ने के लिए बाध्य किया गया है।

यह सेकी के लिए नए अवसर खोलता है क्योंकि स्पष्ट दृश्यता के साथ अधिक आरई विद्युत् की मांग की आशा की जा सकती है।

iii. **पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अनुकूल लागत–आर्थिकी**

विगत 4–5 वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन टैरिफ में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ समानता के बिंदु पर भारी गिरावट आई है। सेकी की निविदाओं के माध्यम से खोजे गए टैरिफ कई डिस्कॉम की औसत विद्युत् क्रय लागत के बराबर या उससे

[4]स्त्रोत:

कम हैं। परिणामस्वरूप, सेकी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की क्रय डिस्कॉम और थोक उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है।

इसके अलावा, विभिन्न भू–राजनीतिक कारणों से, हाल के दिनों में, वैश्विक ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, सेकी निविदाओं के अंतर्गत खोजे गए टैरिफ पीपीए के जीवन–काल (आमतौर पर 25 वर्ष) के लिए तय किए जाते हैं।

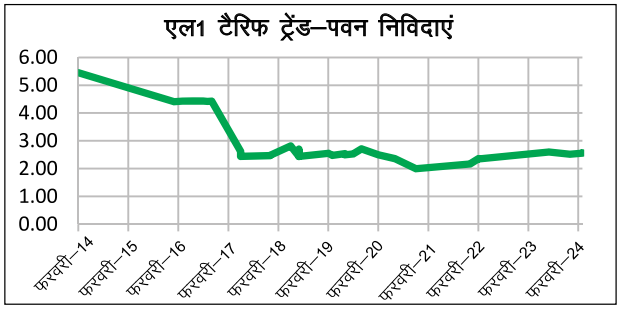

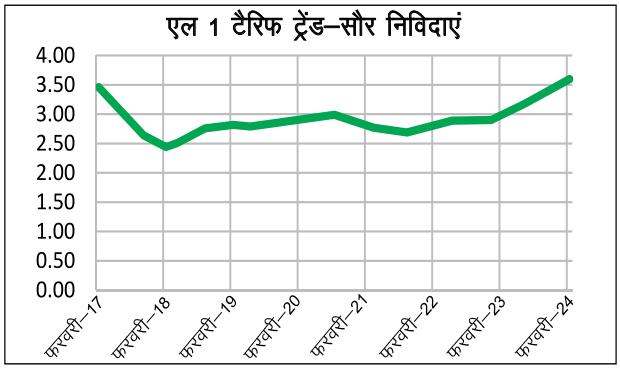

घ. आशंका:

i. विभिन्न आरईआईए के बीच प्रतिस्पर्धा

वर्तमान में भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) हैं, जिनके पास आरई निविदाएं लाने का जनादेश है। इसके साथ ही समान समयसीमा के आसपास कई निविदाएं सक्रिय होने का खतरा है जो किसी भी निविदा में प्राप्त बोलियों की संख्या को प्रभावित कर सकता है।

ii. आरई परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस पारेषण छूट की समाप्ति

पारेषण प्रभार छूट 30 जून 2025 से नीचे की ओर संशोधित हो जाएगी। इसके बाद यह आशा की जाती है कि अंतर्राज्यीय निविदाओं के लिए विद्युत की अवतरण लागत अधिक होने के कारण अधिक राज्य विशिष्ट निविदाओं की ओर परिवर्तन होगा।

iii. पारेषण नेटवर्क विस्तार और आरई विकास लक्ष्य के बीच असमानता

बड़े पैमाने पर आरई पावर के विस्तार के लिए, एक निर्बाध पारेषण नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। पारेषण लाइनें बिछाने और सबस्टेशन अवसंरचना के विकास की तुलना में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि कम होती है जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में विलंब होता है।

III. सेगमेंट–वार परिचालन निष्पादन और आउटलुक

1. वित्त वर्ष 2023–34 के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

» वित्त वर्ष 2023–24 में कुल संविदा क्षमता: 8.44 गीगावॉट (सौर: 4.5 गीगावॉट, हाइब्रिड: 2.1 गीगावॉट और पवन: 1.84 गीगावॉट)

» वित्त वर्ष 2023–24 में कुल संचालित क्षमता: 2.585 गीगावॉट (1.377 गीगावॉट सौर और 1.208 गीगावॉट पवन क्षमता)

» विगत वर्ष की तुलना में वार्षिक व्यापार मात्रा में 22.13% की वृद्धि हुई है, जिसमें 42935 मिलियन यूनिट विद्युत् का कारोबार किया जा रहा है।

» सेकी ने पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए एफडीआरई निविदाएं जारी की हैं।

2. आरई क्षेत्र में सेकी का योगदान

i. अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए निविदाएं: एमएनआरई ने अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों को 2030 तक 500 गीगावॉट तक पहुंचने का वार्षिक लक्ष्य दिया है। एमएनआरई द्वारा निर्धारित बोली प्रक्षेपवक्र के अनुसार, सेकी को प्रति वर्ष 15–16 गीगावॉट आरई क्षमता के लिए बोलियों को निष्पादित करने के लिए आवंटित किया गया है। इससे पहले, आरई क्षेत्र में केवल सौर और पवन ऊर्जा प्रमुख थे, हालांकि, इस प्रवृत्ति में एक बड़ा बदलाव आया है। गतिशील प्रणाली की आवश्यकता के कारण, ऊर्जा भंडारण के साथ संयुक्त विभिन्न आरई स्रोतों जैसे हाइब्रिड सिस्टम की ओर अधिक जोर दिए जाने की आशा है।

ii. आरई विद्युत प्रापण: सेकी की संचयी प्रदान की गई उत्पादन क्षमता 65.317 गीगावॉट है, जिसमें से 21.41 गीगावॉट चालू हो चुकी है। पाइपलाइन में महत्वपूर्ण क्षमता के साथ, सेकी का विद्युत् क्रय व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, सेकी ने आरई पावर के 42 बिलियन यूनिट से अधिक का व्यापार किया।

इन निविदाओं के अंतर्गत, सेकी ने क्रमशः परियोजना डेवलपर और डिस्कॉम के साथ 25 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत् क्रय समझौते (पीपीए) और विद्युत् बिक्री समझौते (पीएसए) किए है।

यह डेवलपर्स को भुगतान सुरक्षा प्रदान करता है और डिस्कॉम से भुगतान एकत्र करने का वचन देता है। सेकी के भुगतान सुरक्षा तंत्र ने समझौतों को बैंक क्षमता प्रदान करने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी निविदाओं में बहुत अच्छी भागीदारी हुई और टैरिफ कम हो गए हैं।

iii. **सेकी की अपनी परियोजनाएं:** आरई परियोजना डेवलपर के रूप में, सेकी ने 122.7 मेगावाट की आरई परियोजनाएं स्थापित की हैं और 1325 मेगावाट की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। अपनी परियोजनाओं के माध्यम से, सेकी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 72 मिलियन यूनिट आरई विद्युत् की आपूर्ति की है। वित्त वर्ष 2023–24 में चालू की गई परियोजनाएं हैं:

» 1.7 द्वीपों में डीजल के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से 1.4 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ लक्षद्वीप में 1.7 मेगावाट सौर परियोजना।

» छत्तीसगढ़ में 40 मेगावाट/120 मेगावाट बीईएसएस की विशेषता वाली 100 मेगावाट की सौर परियोजना, जिसका उद्देश्य शाम के समय अधिक मांग अवधि के दौरान सौर ऊर्जा प्रदान करना है।

iv. **प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी):** सेकी घरेलू ग्राहकों की पूर्ति कर रहा है लेकिन अब यह अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भी अपने दायरे का विस्तार करना चाहता है। वैश्विक प्रतिबद्धताओं के कारण, देश नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पीएसयू/सरकारी एजेंसियों की संख्या में वृद्धि इस क्षेत्र में हो रही है। सेकी आरई परियोजनाओं को लाने में ऐसे ग्राहकों को अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है और इसका आने वाले वर्षों में परामर्श परियोजनाओं के एक बड़े हिस्से को निष्पादित करने का लक्ष्य है। परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाओं के प्रदाता के रूप में, सेकी ने विगत कुछ वर्षों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए 350 मेगावाट से अधिक आरई क्षमता चालू की है।

v. **अभिनव आरई आपूर्ति मॉडल:** ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्राथमिक एग्रीगेटर, सेकी सरकार की साइट योजना के अंतर्गत निविदाएं लेकर आया है।

vi. सेकी ने फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) का अभिनव विद्युत् आपूर्ति मॉडल पेश किया है। कई डिस्कॉम और राज्यों के साथ उनकी आवश्यकताओं और डिजाइन मॉडल को समझने के लिए काम करते हुए, सेकी ने इन निविदाएं जारी की हैं जो आवश्यकता अनुरूप हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य।

vii. **हरित हाइड्रोजन:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है।

सेकी, सरकार की साइट योजना के अंतर्गत निविदाएं लेकर आया है और साइट योजना के अंतर्गत 412,000 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता प्रदान की है, जिससे वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के 5 एमएमटी प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य में योगदान दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य एक निर्बाध आरई आपूर्ति श्रृंखला और इसके स्वदेशीकरण का निर्माण करना है।

viii. **ऊर्जा भंडारण:** सीईए ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2047 तक ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता 2,380 गीगावॉटघंटा की भंडारण क्षमता के साथ 320 गीगावॉट (90 गीगावॉट पीएसपी और 230 गीगावॉट बीईएसएस) तक बढ़ने की आशा है। (पीएसपी से 540 गीगावॉटघंटा और बीईएसएसएस से 1,840 गीगावॉटघंटा) सेकी भी आरई क्षेत्र में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विस्तार में उद्यम कर रहा है। इसने आरटीसी पावर, स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एफडीआरई और सुनिश्चित पीक पावर के लिए निविदाएं भी की हैं।

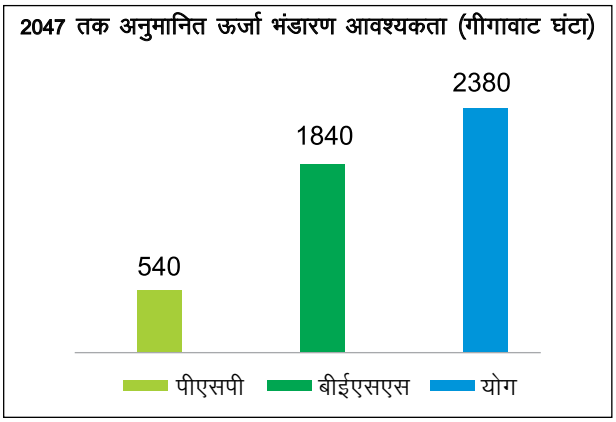

ix. **अपतटीय पवन ऊर्जा:** सेकी ने कैप्टिव मोड/द्विपक्षीय समझौतों/ओपन एक्सेस मोड के अंतर्गत 4 गीगावॉट ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए सीबेड को पट्टा पर देने के लिए निविदा जारी की है। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए सरकार की नीतियों और रूपरेखाओं की सहायता से इस क्षेत्र का और अन्वेषण किया जा रहा है।

x. **सी एंड आई क्षेत्र:** सी एंड आई खंड की अखिल भारतीय ऊर्जा मांग में लगभग 40 से 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह आशा की जाती है कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा आरई के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। साथ ही, वैश्विक संगठनों ने अपनी मूल्य श्रृंखला में स्थायी प्रक्रियाओं को शामिल करना अनिवार्य करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि छोटी इकाइयां जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरा करती हैं, अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए हरित ऊर्जा का विकल्प चुन रही हैं। यह सेकी के लिए सी एंड आई क्षेत्र को चिन्हित करने के अवसर खोलता है।

IV. जोखिम प्रबंधन

सदैव बदलते वैश्विक परिदृश्य में, संगठन एक बेहद गतिशील, अनिश्चित और जटिल क्षेत्र के भीतर काम कर रहे हैं। यह कंपनियों को जोखिमों की प्रकृति का सक्रिय रूप से आकलन करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के उपायों को लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करने की मांग करता है।

सेकी में अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर एक जोखिम प्रबंधन ढांचा है। नीति के अनुसार, विभागों से तिमाहीवार जोखिम रिपोर्ट प्रबंधन, लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को अवगत कराई जाती है। जोखिम रिपोर्ट में सामना किए गए विभिन्न जोखिमों, उनकी जोखिम रेटिंग और किए गए शमन उपायों के बारे में जानकारी शामिल है। प्राप्त फीडबैक, यदि कोई हो, आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है। सेकी जोखिम रजिस्टर रखता है जो विभिन्न जोखिमों का संग्रह है। जोखिम रजिस्टर भविष्य में बाद की जोखिम रणनीति अपनाने में उपयोगी होगा।

V. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

नियामक और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ कार्पोरेट प्रशासन का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए, कंपनी व्यापार के सुचारू और कुशल संचालन के लिए सुदृढ़ आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण कर रही है। मानक बोली दस्तावेज तैयार करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में वित्तीय सहमति और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। प्रक्रिया के मानकीकरण की दिशा में, कंपनी में क्रय नीति और जोखिम प्रबंधन नीति का पालन किया जा रहा है।

अनुभवी सनदी लेखाकार फर्मों के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकें भी नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आकार के अनुरूप हैं।

VI. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन

सेकी के वास्तविक निष्पादन को निदेशकों की रिपोर्ट में विस्तृत किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन वार्षिक लेखों की मुख्य विशेषताएं, संक्षेप में, यहां उल्लिखित हैं:

विद्युत् व्यापार, परियोजना निगरानी शुल्क, अपनी परियोजनाओं की विद्युत् की बिक्री और अन्य आय के माध्यम से कंपनी की कुल आय 13,135.80 करोड़ रुपये है, जबकि विगत वर्ष की तुलना में यह आंकड़ा 10,864.43 करोड़ रुपये है, जिसमें 20.91% की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष में विद्युत् की क्रय सहित कुल व्यय विगत वर्ष के 10,440.83 करोड़ रुपये की तुलना में 12,551.34 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 20.21% की वृद्धि दर्ज की गई।

कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के 423.60 करोड़ रुपए की तुलना में 584.45 करोड़ रुपए और कर–पश्चात लाभ (पीएटी) विगत वर्ष के 315.65 करोड़ रुपए के आंकड़े की तुलना में 436.03 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, पीबीटी और पीएटी में क्रमशः 37.97% और 38.14% की वृद्धि दर्ज की गई।

VII. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

सेकी में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य निरंतर कौशल संवर्धन और कर्मचारी अनुकूल कार्य नीतियों द्वारा सुदृढ़ कर्मचारी के अनुकूल कार्य वातावरण का प्रचार करके कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ अपनी मानव पूंजी के संरेखण पर केंद्रित है। सेकी ने संगठन के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्देश्यों और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए सिस्टम और प्रक्रियाओं की तुलना में अपनी मानव संसाधन रणनीति को संरेखित किया है। व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सेकी ने विशेषज्ञता लाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में सीधी भर्ती के आधार पर जनशक्ति की भर्ती की है।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए। व्यक्तिगत जरूरतों के साथ संगठनात्मक आवश्यकताओं को सिंक्रनाइज़ करके निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों चिन्हित किए गए। कंपनी ने निवारक सतर्कता, ई–प्रापण और सुशासन की कुंजी, नैतिकता और अभिशासन, निविदा प्रक्रिया और अनुबंध प्रबंधनरू सार्वजनिक क्रय के लिए अंतर्दृष्टि, प्रशासनिक सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम, सतर्कता कोण वाले शिकायतों/शिकायतों की हैंडलिंग/जांच पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यात्मक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा कानूनों और नीतियों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, विद्युत् क्रय समझौता (पीपीए) और विद्युत् प्रबंधन में पेचीदगियों, सौर ऊर्जा संयंत्रों की कमीशनिंग की अवधारणादृऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड आयोजित किए गए थे।

सेकी ने अपनी मानव परिसंपत्ति (यों) को महत्व दिया और इस प्रकार कर्मचारी हितलाभ नीतियों में सुधार करने पर विचार किया। कर्मचारी हितलाभ प्रदान करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कर्मचारी मूल्यवान और समर्थित महसूस करें। सेकी ने अपने कर्मचारियों के कैरियर के विकास पर जोर दिया और मौजूदा कैरियर प्रगति नीति के अनुरूप, 33 कर्मचारियों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया।

कार्यबल में नई प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए सेकी ने प्रतिष्ठित आईआईटी दिल्ली, कानपुर, मद्रास और मुंबई से कुल 13 कार्यकारी प्रशिक्षुओं की भर्ती की है। उन्हें सौंपे गए कार्य पर रखने से पहले, उन्हें 6 महीने के केंद्रित प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा जो उन्हें आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद करेगा और उनके काम को कुशलतापूर्वक करने में मदद करेगा।

31.03.2024 को निगम में कुल कर्मचारी 119 थे। 119 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी अनुसूचित जाति (एससी), 4 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 27 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हैं। इसके अलावा, 31.03.2024 तक सेकी में 20 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, जो निगम के कुल कार्यबल का 17% है। सेकी ने सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसका कार्यबल समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे।

सेकी में समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति सौहार्दपूर्ण और अच्छी बनी रही।

VIII. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण

वित्त वर्ष 2023–24 में, सेकी ने 42935 मिलियन यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा का कारोबार किया है, जिससे लगभग 40 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन की बचत हुई है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं किया है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय 0.74 करोड़ रुपए है जो मुख्यत कार्यालयी यात्रा और यात्रा, प्रशिक्षण, व्यवसाय संवर्धन और सॉफ्टवेयर की क्रय पर खर्च किया गया है। वर्ष के दौरान, सेकी ने विश्व बैंक को 172,281 अमेरिकी डॉलर के ऋण पर ब्याज और प्रतिबद्धता शुल्क का भी भुगतान किया है, जिसे परियोजनाओं में पूंजीकृत किया गया है।

IX. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सेकी की कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ की जाती है, जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण चिंता के मुद्दों को

प्राथमिकता देती है और लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंचती है। कंपनी के सीएसआर फंड संबंधित जिला प्रशासन के साथ समन्वय में लिए जाते हैं ताकि गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूर्ण किया जा सके। परियोजनाओं का निष्पादन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाणन रखने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है। वर्ष 2023–24 के लिए डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को अपने सीएसआर बजट का 60% ''स्वास्थ्य और पोषण'' विषय पर खर्च करना था, अधिमानतः आकांक्षी जिलों में।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सेकी ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने वाली सीएसआर कार्यकलापों के लिए रुपये 649.0965 लाख की राशि खर्च की है। कंपनी ने स्वास्थ्य और विषयगत क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण कार्यकलापों की सहायता करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, कुल 16 परियोजनाओं के माध्यम से, जिसमें आकांक्षी जिलों में 7 परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2023–24 में सीएसआर कार्यकलापों के लिए कंपनी का अब तक का सबसे अधिक खर्च देखा गया। हमें विश्वास है कि पैमाने और लाभ में कंपनी की वृद्धि के अनुरूप, सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत इसके योगदान में भी परिणामी वृद्धि देखी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

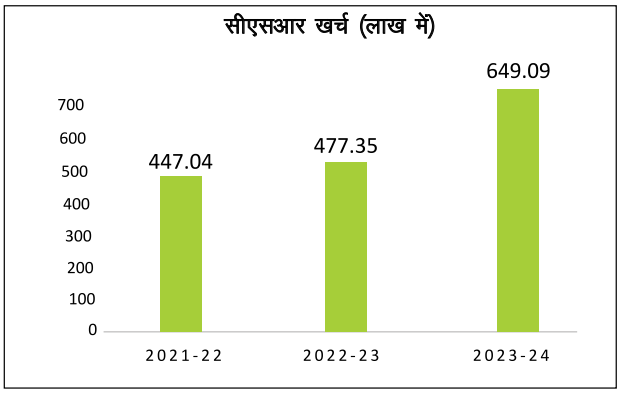

चेतावनी कथन –

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कथन वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेश दोनों में भविष्य के आर्थिक और अन्य विकासों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

जेएसडब्ल्यू के साथ बीईएसपीए पर हस्ताक्षर

ग्रिडको, भुवनेश्वर के साथ पीएसए पर हस्ताक्षर

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव

विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण

सेकी कार्यालय में स्वच्छता शपथ समारोह

हिंदी पखवाड़ा 2023 में भाग लेने वाले कर्मचारी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेकी कार्यालय में कर्मचारियों का समूह

स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्ट
2023-24

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के साथ स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय के विवरण सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय वक्तव्यों के लिए टिप्पणियां, सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सहित (एक साथ 'स्टैंडअलोन इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति का, और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह सहित इसका लाभ एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन (एसए) पर मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के श्लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व विवरणश खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणी पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले पर बल

हम स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय वक्तव्यों की टिप्पणियां में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क **टिप्पणी संख्या 50.2.1** टिप्पणी संख्या 69 के साथ पठित विद्युत डेवलपर्स द्वारा कानून दावों में बदलाव से संबंधित माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)/राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) के समक्ष लंबित कई याचिकाओं से संबंधित है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के अंतर्गत 'कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को मुआवजे' के रूप में ब्याज राशि (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) सहित 22,689.31लाख रुपये का खर्च बुक किया है। इसके अलावा, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूल किया जाना है, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के अंतर्गत कानून में बदलाव के कारण ''डिस्कॉम से मुआवजा'' शीर्ष के अंतर्गत आय के रूप में कुल 22,689.31 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) भी बुक की है।

व्यय और आय विद्युत् की क्रय और बिक्री के कारण होती है क्योंकि मुआवजा सीधे टैरिफ से संबंधित है। इसे एक असाधारण मद के रूप में माना गया

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

है क्योंकि विकासकर्ताओं द्वारा किए गए दावे और डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि में महत्वपूर्ण है और व्यवसाय के परिचालन चक्र के दौरान असामान्य है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने सीईआरसी/एसईआरसी के आदेशों के अनुसार कानून में बदलाव के कारण पावर डेवलपर्स को 31,759.70 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 21,132.74 लाख रुपये) का भुगतान किया है और तदनुसार आदेशों के अनुसार बैक–टू–बैक आधार पर डिस्कॉम से इसकी मांग की है। डिस्कॉम को किए गए कुल दावे में से, वित्त वर्ष 2023–24 में प्राप्त राशि 46250.04 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 37,627.07 लाख रुपये) है।

ख. **टिप्पणी संख्या 64** सौर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से एकमुश्त आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश को भुगतान किए गए 2329.2 लाख रुपये के भुगतान के संबंध में है।

ग. **टिप्पणी संख्या 58** निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना, कार्यात्मक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करने के बारे में है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी कार्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत आवश्यक है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और, ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्या प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई भौतिक मिथ्या विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन और स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय वक्तव्यों के लिए शासन की जिम्मेदारियां

कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के साथ पठित, के रूप में संशोधित के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति (यों) की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखावय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैंय और डिजाइन, कार्यान्वयन

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के रखरखाव भी शामिल है, कि सटीकता और लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, तैयारी और स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है कि एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए और चाहे मिथ्याकथन, धोखाधड़ी या त्रुटि हो, से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है कि वह एक गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहे, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न बनने और लेखांकन के चल रहे गोइंग कंसर्न के आधार का उपयोग करने से संबंधित मामलों का प्रकटन करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन का कंपनी को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा नहीं है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

व्हमारा उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए है कि क्या एक स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय विवरण सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखापरीक्षक रिपोर्ट देना जिसमे हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा सदैव विद्यमान बड़े मिथ्याकथन का पता लगाएगा। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और महत्वपूर्ण माने जाते है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे यथोचित इन स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करें।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

» धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण स्टैंडअलोन इंड के भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक सामग्री मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

» परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

» उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करें।

» लेखांकन के चल रहे गोइंग कंसर्न के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान देना होगा। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने के लिए संघर्ष कर सकती है।

» समग्र प्रस्तुति, संरचना और स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय वक्तव्यों की सामग्री का, प्रकटन सहित मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय विवरण एक तरीके से निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भौतिकता स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों में मिथ्याकथन की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन इंड के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय वित्तीय वक्तव्यों को प्रभावित किया जा सकता है। (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करनाय और (ii) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में किसी भी पहचाने गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, अभिशासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के उत्तरदायी लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं और उनके साथ सभी रिश्तों और ऐसे अन्य मामलों में संवाद करने के लिए जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो,संबंधित सुरक्षा उपाय बनाए रखने का अनुपालन किया है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा आवश्यक है, हम **''अनुबंध क''** में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित कंपनी के लेखों और अभिलेखों की ऐसी जांचों के आधार पर जिन्हें हम उचित समझते हैं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों और उप–निदेशों पर एक विवरण **'अनुबंध ख'** में देते हैं
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं किः
   (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
   (ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून द्वारा आवश्यक लेखे रखे हैं, जहां तक यह उन लेखों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3 (i) (vi) में बताए गए मामलों को छोड़कर।
   (ग) स्टैंडअलोन तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा संव्यवहार

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

किए गए नकदी प्रवाह का विवरण लेखों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) भारत सरकार के कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) लेखों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143 (3) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 3 (ख) में और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षार) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3(i)(vi) में उल्लिखित हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **'अनुबंध ग'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(ज) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(झ) यथा–संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है–स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी 50.2 देखें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभास हानि थी।

iii.. कंपनी द्वारा अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

iv.. क) प्रबंधन ने व्यक्त किया है कि, लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई धन अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे ऋण ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देंगे या निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की पेशकश करेंगे ।

ख. प्रबंधन ने व्यक्त किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेखों की टिप्पणियों में प्रकटन किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्था (''फंडिंग पार्टियां'') सहित कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (''अंतिम लाभार्थी'') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करें।

ग. इन परिस्थितियों में उचित और उचित समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उपखंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए अभ्यावेदनों में, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है

vi. हमारी परीक्षा के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) की रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। चूंकि लेखांकन सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है, इसलिए सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष निष्क्रिय था।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के रूप में 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षार) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुई है, इसलिए 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 24077201BKEQEG8229

एसआर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 में संदर्भित अनुबंध।

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांचे गए लेखों और अभिलेखों के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं किः

i. (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हैं।

(ग) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति (यों), संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। कंपनी की सभी परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के स्वामित्व के अंतर्गत कोई अचल परिसंपत्तियां नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (i) (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी परिसंपत्ति (यों), संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई बेनामी परिसंपत्तियां रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है।

ii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी के पास कोई भौतिक माल–सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 51 में प्रकटन किया गया है, कंपनी को कंपनी के प्राप्यध्बुक ऋणों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। ऐसे बैंकों के साथ कंपनी द्वारा दायर मासिक विवरण लेखों के अनुरूप हैं।

iii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य इकाई को ऋण या गारंटी या सुरक्षा के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कोई निवेश नहीं किया गया है, गारंटी प्रदान नहीं की गई है, सुरक्षा नहीं दी गई है, तदनुसार

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

आदेश के खंड 3 (iii) (ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी कंपनी को ऋण नहीं दिया है जो मांग पर पुनर्भुगतान योग्य है और इसलिए खंड 3 (iii) (ग) की आवश्यकता लागू नहीं है।

(घ) जैसा कि ऊपर खंड 3 (iii) (ग) में बताया गया है, ऐसा कोई ऋण मांग पर पुनर्भुगतान योग्य नहीं है।

(ङ) जैसा कि ऊपर खंड 3 (iii) (घं) में स्पष्ट किया गया है, ऐसी कोई राशि नहीं है जो अतिदेय हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ङ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ङ) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है जो या तो मांग पर चुकौती योग्य हो या चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना हो, इसलिए पैरा 3 (iii) (च) की आवश्यकता लागू नहीं है।

iv. कंपनी ने दिए गए ऋण, किए गए निवेश और यथा लागू गारंटी एवं प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही किसी भी राशि को स्वीकार किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ के भीतर जमा माना जाता है, जहां तक लागू हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (अ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, जैसा कि संशोधित किया गया है, कंपनी द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। उपकर और अन्य तात्विक सांविधिक देयताएं जो उस पर लागू होती हैं, उपयुक्त प्राधिकारियों को दी जाती हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2024 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और लेखों की हमारी जांच के आधार पर, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर के 31 मार्च 2024 तक उप–खंड (क) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

viii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में किसी भी लेनदेन को आत्मसमर्पण या प्रकटन नहीं किया है, जो पहले लेखों में दर्ज नहीं किया गया था।

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii.) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

ix. (क) हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा दुराग्रही चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर उगाहे गए किसी भी धन का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या किसी भीइकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को बंधक रखकर पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) (च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

x. (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) (क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक नहीं था।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई सचेतक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) (क) से 3(xii) (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और इस तरह के लेनदेन के विवरण का प्रकटन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

xiv. (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक जारी की गई कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के लिए हमारे द्वारा विचार किया गया है।

xv. कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvi. (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान गैर–बैंकिंग वित्तीय/आवास वित्त कार्यकलाप संचालित नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ग) कंपनी एक मुखय निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xix. स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वक्तव्यों के लिए टिप्पणी 75 में प्रकटन किए गए वित्तीय अनुपातों के आधार पर, जीवनकाल बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियां, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन–पत्र की तारीख को और तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हमारा कथन हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन नहीं है और हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा देय होने पर निर्वहन किया जाएगा।

xx. (क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, ऐसी कोई राशि खर्च न की गई है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में विनिदष्ट निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो। इस मामले का प्रकटन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी 66 में किया गया है।

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में ऐसी कोई राशि खर्च नहीं की गई है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष लेखे में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो। इस मामले का प्रकटन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के टिप्पणी 66 में किया गया है।

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 24077201BKEQEG8229

एसआर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी संशोधित निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। सैप–ईआरपी को पेरोलध्मानव संसाधन प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, अनुबंध और क्रय के लिए लागू किया गया है। लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सभी वित्तीय लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं।	शून्य
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे–मामलों का समुचित रूप से हिसाब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे–खाते में डालने के ऐसे मामले नहीं हैं जिनमे कंपनी ऋण चुकाने में असमर्थ हो।	शून्य

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब रखा गया था/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाए।	हाँ, केंद्रीयध्राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्तध्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। विचलन के कोई मामले नहीं हैं।	शून्य

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 24077201BKEQEG8229

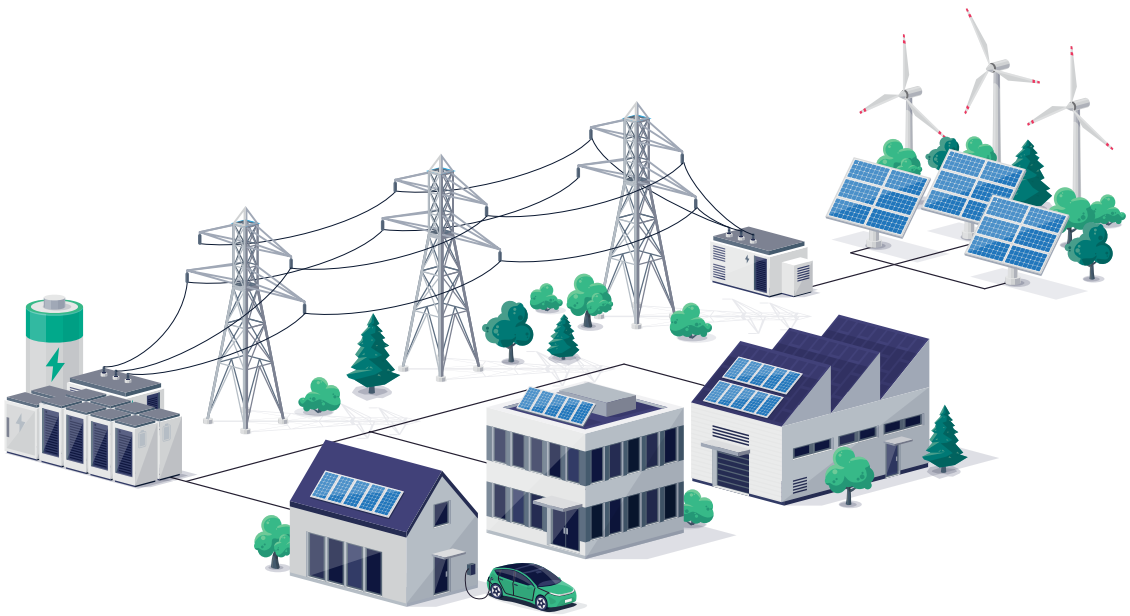

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ग'

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्ति (यों) की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी (''मार्गदर्शन टिप्पणी'') और लेखांकन पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई बड़ी कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है कि में, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्ध ांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन इंड के रूप में वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्ति (यों) के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैंय (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं कंपनीय और (3) कंपनी की परिसंपत्ति (यों) के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक मिथ्याकथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर आधारित था

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 24077201BKEQEG8229

एसआर गोयल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

906, 9वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस,
27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001
फोनः 0141–4041300, 4041301, 2362363,2362365
ई–मेलः info@srgoyal-com * ajay@srgoyal-com'
वेबसाइटः www-srgoyal-com

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के सीएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएनः U40106DL2011GOI225263) के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी निर्देशों और उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 24077201BKEQEG8229

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 02.08.2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सेकी के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 27.09.2024

(संदीप लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन तुलन–पत्र

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियों			
परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण	2	96,732.30	8,013.68
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	3	18,813.76	19,585.35
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्ये	4	1,989.01	25,344.78
अमूर्त परिसंपत्तियों	5	533.24	790.46
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	6	-	-
जेवी में निवेश	7	476.00	476.00
वित्तीय परिसंपत्तियों			
ऋण और अग्रिमे	8	199.96	69.54
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों	9	81,950.75	90,904.04
बॉन्ड में निवेशे	10	160,394.33	86,482.28
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों	11	11,358.58	9,166.30
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**372,447.93**	**240,832.43**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
प्राप्य व्यापार	12	175,825.53	173,944.27
नकद और नकद समकक्ष	13	108,602.36	132,321.32
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेषे	14	107,128.32	80,995.13
ऋण और अग्रिमे	15	3,086.61	1,657.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों	16	123,063.16	119,126.75
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	584.33	731.53
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	18	1,240.49	31.29
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**519,530.80**	**508,808.13**
कुल परिसंपत्तियां		**891,978.73**	**749,640.56**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	19	135,400.00	135,400.00
अन्य इक्विटी	20	145,775.78	102,231.41
कुल इक्विटी		**281,175.78**	**237,631.41**
देयताएं			
गैर–चालू देयताऐं			
वित्तीय देयताऐं			
ऋण	21	24,824.54	301.86
पट्टा देयताऐं	22	166.91	164.20
अन्य वित्तीय देयताएं	23	86,399.52	98,980.13

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रावधान	24	1,335.34	1,004.79
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	4,648.75	416.85
अन्य गैर–वर्तमान देयताऐं	26	4,678.40	5,287.96
कुल गैर चालू देयताऐं		**122,053.46**	**106,155.79**
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताऐं			
उधार	27	5,075.44	-
पट्टा देयताएं	28	13.30	12.66
व्यापार देय	29		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		41,026.26	44,451.09
अन्य वित्तीय देयताएं	30	417,542.16	336,333.84
प्रावधान	31	828.64	872.53
अन्य वर्तमान देयताएं	32	7,917.63	8,161.55
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	33	-	-
कुल चालू देयताएं		**472,403.43**	**389,831.67**
आस्थगित राजस्व	34	16,346.06	16,021.69
कुल इक्विटी और देयताएं		**891,978.73**	**749,640.56**
सामग्री लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न टिप्पणी 1 से 81 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सुनील कुमार) कंपनी सचिव एम.नं. 17693	(जोशित रंजन सिकिदार) निदेशक वित्त डीआईएन 10301499	(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 03388822

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 077201

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2024 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए
आय			
संचालन से राजस्व	35	1,303,506.96	1,079,507.14
अन्य आय	36	10,072.58	6,935.84
कुल आय		**1,313,579.54**	**1,086,442.98**
खर्चे			
सौर ऊर्जा की क्रय	37	1,241,447.06	1,034,325.70
कर्मचारी हितलाभ व्यय	38	5,305.50	3,196.87
वित्त लागत	39	1,093.40	815.16
मूल्यह्रास और परिशोधन	40	2,449.57	1,750.27
अन्य खर्च	41	4,838.62	3,994.95
कुल खर्च		**1,255,134.15**	**1,044,082.95**
असाधारण मदों और कर–पूर्व लाभ		**58,445.39**	**42,360.03**
असाधारण मद			
कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को मुआवजा (टिप्पणी संख्या 69 देखें)		22,689.31	25,600.53
कानून में बदलाव के कारण डिस्कॉम से मुआवजा (टिप्पणी संख्या 69 देखें)		(22,689.31)	(25,600.53)
कर–पूर्व लाभ		**58,445.39**	**42,360.03**
कर व्यय			
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		**10,595.90**	**10,796.21**
पहले के वर्ष		**(4.61)**	**6.89**
आस्थगित कर		**4,251.49**	**(8.03)**
कुल कर व्यय		**14,842.78**	**10,795.07**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**43,602.61**	**31,564.96**
अन्य व्यापक आय			
मद जिन्हें लाभ या हानि (कर का निवल) के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
ओसीआई को हस्तांतरित परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनरू माप लाभ (हानि)		(77.82)	27.34

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		19.58	(6.88)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		**43,544.37**	**31,585.42**
प्रति इक्विटी शेयर आय			
बेसिक (रुपये)		322.03	233.12
डायल्यूटिड (रुपये)		322.03	233.12
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न टिप्पणी 1 से 81 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सुनील कुमार) कंपनी सचिव एम.नं. 17693	(जोशित रंजन सिकिदार) निदेशक वित्त डीआईएन 10301499	(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 03388822

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C
हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 077201

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2024 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
कर–पूर निवल लाभ	58,445.39	42,360.03
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय)	(77.82)	27.34
	58,367.57	**42,387.37**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास, परिशोधन और परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि	2,449.57	1,750.27
वित्त लागत–पट्टा देयता	16.01	15.68
परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ/हानि	5.80	0.10
बट्टे–खाते डाले गए खर्च	35.69	2.83
वित्त लागत– ऋण पर ब्याज	302.01	359.06
अन्य प्रावधान	4.47	3.47
हानि श्रति और अन्य के लिए प्रावधान	3.44	8.18
निष्पादन गारंटी जमा और प्रतिधारण धन पर छूट की समाप्ति	669.99	342.90
आस्थगित राजस्व व्यय से मान्यता प्राप्त सुरक्षा जमा प्राप्य	0.76	0.76
आस्थगित राजस्व आय निष्पादन गारंटी जमा से मान्यता प्राप्त	(770.23)	(759.88)
सुरक्षा जमा प्राप्तियों पर छूट की समाप्ति	(0.42)	(0.39)
आस्थगित पेरोल व्यय	(2.60)	(3.56)
आस्थगित आय से मान्यता प्राप्त – सरकारी अनुदान	(25.98)	(17.99)
लाभांश आय	(1,711.95)	(948.75)
ब्याज आय	(7,235.53)	(5,186.19)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**52,108.59**	**37,953.85**

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,884.70)	(76,708.59)
नकद और नकद समतुल्य, ऋण और अग्रिम और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति(यों) के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	84,417.56	120,219.13
अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति(यों) में (वृद्धि)/कमी	(17.12)	13.51
अन्य चालू परिसंपत्ति(यों) में (वृद्धि)/कमी	147.20	683.46
व्यापार देयताओं, प्रावधानों और अन्य देयताओं में वृद्धि/कमी	65,082.17	113,596.22
परिचालन से अर्जित (प्रयुक्त)/नकदी	199,853.70	195,757.58
प्रत्यक्ष करों का भुगतान	(11,800.48)	(10,376.55)
परिचालन कार्यकलापों से/में निवल नकदी प्रवाह–क	**188,053.22**	**185,381.03**
ख. निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
पूंजीगत अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(2,175.16)	1,536.54
सावधि जमा में निवेश	(107,090.80)	(80,957.80)
सीपीएसयू बॉन्ड में निवेश	(73,912.05)	(86,482.28)
लाभांश आय	1,711.95	948.75
ब्याज आय	7,235.53	5,186.19
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य में निवेश	(66,174.32)	(23,406.24)
निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश	-	-
अचल परिसंपत्तियों का निपटान	5.40	5.24
अचल परिसंपत्तियों की क्रय	(656.18)	(83.09)
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह–ख	**(241,055.63)**	**(183,252.69)**
ग. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय	-	100,000.00
आवंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन राशि	-	(100,000.00)

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति	24,522.68	301.86
अल्पकालिक ऋणों की प्राप्ति	5,075.44	-
प्रदत्त पट्टा देयता	(12.66)	(12.06)
भुगतान किया गया ब्याज	(302.01)	(359.06)
लाभांश का भुगतान	-	-
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह–ग	**29,283.45**	**(69.26)**
नकद और नकद समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि (क+ख+ग)	**(23,718.96)**	**2,059.09**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें)	**132,321.32**	**130,262.23**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें)	**108,602.36**	**132,321.32**

टिप्पणीः

1. नकद और नकद समतुल्य में बैंकों के पास चालू लेखों, बचत लेखों, स्वत स्वीप सावधि जमाओं, 3 माह तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा और उन पर उपार्जित ब्याज शामिल होते हैं।
2. टिप्पणी 13 के अनुसार नकद और नकद समकक्षों का सामंजस्य।
3. विगत वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक है, पुन समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
4. अनाहरित उधार सुविधाओं के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सुनील कुमार)	**(जोशित रंजन सिकिदार)**	**(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)**
कंपनी सचिव	**निदेशक वित्त**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
एम.नं. 17693	**डीआईएन 10301499**	**डीआईएन 03388822**

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 077201

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 तक शेष
135,400	-	135,400	-	135,400

31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

1 अप्रैल 2022 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 तक शेष राशि
35,400	-	35,400	100,000	135,400

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2024 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष	योग
		प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	**-**	**102,231.41**	**102,231.41**
पूर्व–अवधि त्रुटियां	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष	-	102,231.41	102,231.41
वर्ष का लाभ	-	43,602.61	43,602.61
अन्य व्यापक आय	-	(58.24)	(58.24)
वर्ष के दौरान शेयरों का आवंटन	-	-	-
कुल व्यापक आय	**-**	**145,775.78**	**145,775.78**
प्रतिधारित आय में/से स्थानांतरण			
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-
अंतिम लाभांश–वित्त वर्ष 2020–21 (टिप्पणी संख्या 19 देखें)	-	-	-
31 मार्च 2024 तक शेष	**-**	**145,775.78**	**145,775.78**

31 मार्च 2023 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	आवंटन के लंबित रहते शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष	योग
		प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2022 तक शेष	**100,000.00**	**70,645.99**	**170,645.99**
पूर्व–अवधि त्रुटियां	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः स्थापित शेष	**100,000.00**	**70,645.99**	**170,645.99**
वर्ष का लाभ	-	31,564.96	31,564.96
अन्य व्यापक आय	-	20.46	20.46
वर्ष के दौरान शेयरों का आवंटन	(100,000.00)	-	(100,000.00)
कुल व्यापक आय	**-**	**102,231.41**	**102,231.41**
प्रतिधारित आय में/ से अंतरण	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-
अंतिम लाभांश–वित्त वर्ष 2020–21 (टिप्पणी संख्या 19 देखें)	-	-	-
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	**-**	**102,231.41**	**102,231.41**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
एम.नं. 17693

(जोशित रंजन सिकिदार)
निदेशक वित्त
डीआईएन 10301499

(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 077201

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी: 1:

क. रिपोर्टिंग निकाय

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में अधिवासित एक कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है **(सीआईएन: U40106DL2011GOI225263)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता छठा तल, प्लेट बी, एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक टॉवर –2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली –110023** है। कंपनी मुख्य रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कई योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजनाएं, पवन ऊर्जा परियोजनाएं, सौर पार्क योजनाएं और ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप योजनाएं हैं। कंपनी सौर, पवन, हाइब्रिड और फ्लोटिंग पावर परियोजनाओं की नीलामी में भी संलग्न है। कंपनी के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और यह इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं से अक्षय ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस क्षेत्र में सक्रिय है। कंपनी सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में भी शामिल है। कंपनी अक्षय ऊर्जा विद्युत् के उत्पादन और बिक्री में भी संलग्न है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर चलते हुए चालू गोइंग कंसर्न पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और बाद में इसमें संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), विद्युत अधिनियम, 2003 लागू सीमा तक अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 02.08.2024 को आयोजित बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2. माप का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (लेखांकन नीति बिंदु संख्या 14 अर्थात ''वित्तीय साधन'' देखें)। उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर आगे वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में चर्चा की गई है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) तक पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा कथित हो।

4. वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमानध्गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

एक परिसंपत्तियों तब चालू है जब यह:

» सामान्य प्रचालन चक्र में महसूस किए जाने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा हैय

» मुख्य रूप से व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में व्यापार के उद्देश्य से धारितय

» रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर महसूस होने की आशाय अथवा

» नकद या नकद समकक्ष जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान

करने के लिए विनिमय या उपयोग किए जाने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता वर्तमान है जबः

» यह सामान्य संचालन चक्र में तय होने की आशा है;

» यह मुख्य रूप से व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में व्यापार के उद्देश्य से है;

» यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर तय होने के कारण है; अथवा

» रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियोंध्देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है। कंपनी के रूप में इंड 101 एएस के रूप में 16 और इंडस्ट्रीज के रूप में 38 के प्रावधानों को पूर्वव्यापी लागू नहीं करने के द्वारा विकल्प का उपयोग करने के लिए चुना है और इंड के रूप में संक्रमण की तारीख अर्थात 1 अप्रैल 2016 इंड के रूप में इंड के अंतर्गत एक समझा लागत के रूप में विगत जीएएपी वहन राशि का उपयोग करने के लिए जारी है। इसलिए, 1 अप्रैल 2016 को विगत जीएएपी के अनुसार परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि, अर्थात इंड एएस में कंपनी के संक्रमण की तारीख, इंड एएस में संक्रमण पर बनाए रखी गई थी।

1. परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण

1.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को परिसंपत्ति (यों) के रूप में मान्यता तब दी जाती है यदि और केवल अगर यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है।

परिसंपत्ति (यों), संयंत्र और उपकरण की मदों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है।

बाद में माप लागत कम संचित मूल्यह्रास परिशोधन और संचित हानि पर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो सीधे परिसंपत्तियों को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है।

जब परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के कुछ हिस्सों में अलग–अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से मान्यता दी जाती है।

कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजे, पुनर्वास और अन्य खर्चों के लिए अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/देनदारियों को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

उपयोग में लाई गई परिसंपत्ति (यों) के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी प्रभावित होना है, पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है जो अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन होता है।

फालतू पुर्जे, वैकल्पिक उपकरण और सर्विसिंग उपकरण की मदें जो परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करती हैं, अधिग्रहण पर पूंजीकृत होती हैं। अन्य फालतू पुर्जे को माल–सूची के रूप में अग्रेषित किया जाता है और खपत पर लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त होती है।

पट्टे पर ली गई भूमि पर परिसंपत्तियों के सृजन को जब निर्माण वास्तविक लागत पर पूरा हो जाता है और पट्टे की अवधि में मूल्यह्रास होता भवनध्सुधार के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

1.2. परवर्ती लागत

परवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभव होता है कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम में

प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के हिस्से को बदलने की लागत को मद की अग्रनीत राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि भाग में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। बदले गए हिस्से की अग्रनीत राशि की मान्यता रद्द कर दी गई है। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन–प्रतिदिन सर्विसिंग की लागत को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.3. मान्यता रद्द करना

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की आशा नहीं हो। परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के निपटान पर लाभ और हानि परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रनीत राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है, और लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

1.4. मूल्यह्रास/परिशोधन

कंपनी की विद्युत उत्पादन इकाइयों की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि पर लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

विद्युत व्यवसाय के उत्पादन से संबंधित भवनों का मूल्यह्रास सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हुए किया जाता है।

आरओयू परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि में परिशोधन किया जाता है।

ऊपर विनिदष्ट परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिदष्ट उपयोगी जीवन काल का अनुसरण करते हुए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण में जोड़नेध्हटाने पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तारीख तक प्रभारित किया जाता है जिस तारीख को परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती हैध्उसका निपटान कर दिया जाता है।

जहां वर्ष के दौरान विनिमय में उतार–चढ़ाव, कीमत समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन अथवा इसी प्रकार के कारकों के कारण दीर्घावधिक देयताओं में वृद्धिध्कमी के कारण मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्ति का अपरिशोधित शेष मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों का अनुसरण करते हुए निर्धारित शेष उपयोगी जीवन अवधि में भावी प्रभाव से प्रभारित किया जाता है।

व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये या उससे कम लागत वाली परिसंपत्ति भौतिकता के कारण अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाती है।

1.4. पट्टे

1. पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के पट्टा एसेट क्लास में मुख्य रूप से विधुत क्रय करार (पीपीए) के अंतर्गत भूमि, भवन और सौर ऊर्जा संयंत्र के पट्टे शामिल हैं। कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध की शुरुआत में अनुबंध में पट्टा है या नहीं। एक अनुबंध है, या इसमें शामिल है, एक पट्टा यदि अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचान की गई परिसंपत्ति (यों) के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि: (I) अनुबंध में एक चिन्हित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (II) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से काफी आर्थिक लाभ हैं और (III) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख में, कंपनी एक परिसंपत्ति (यों) के उपयोग का अधिकार – ('आरओयू') और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें यह बारह माह या उससे कम की अवधि वाले पट्टों को छोड़कर (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य के पट्टों एक पट्टेदार है। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय को मान्यता देती है।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति को पट्टे की शुरुआत की तारीख से उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत से पहले सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन हानि के लिए भी किया जाता है जब ऐसे संकेतक मौजूद होते हैं।

प्रारंभ तिथि पर, पट्टे की देयता के माप में शामिल पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान शामिल होते हैं, जो किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन प्राप्य और परिवर्तनीय पट्टे के भुगतान को कम करते हैं जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं। शुरू में प्रारंभ तिथि के रूप में सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है। विद्युत क्रय करार के अंतर्गत सौर विद्युत संयंत्र के मामले में, चूंकि परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पूर्णत अभिज्ञात परिसम्पत्ति से आउटपुट की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए इन भुगतानों को पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार परिसम्पत्ति के मापन के निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना है। कंपनी इन परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों को लाभ या हानि में प्रभारित करेगी जब वे देय हो जाएंगे। (बिंदु 8 देखें)।

2. पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टे जिनके लिए कंपनी पट्टेदार है, उन्हें वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टेदार होती है, तो वह हेड पट्टा और सबपट्टा में अपने हितों को अलग–अलग रखती है। उप–पट्टा को मुख्य–पट्टा से उत्पन्न होने वाली आरओयू परिसंपत्ति (यों) के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य

समीक्षाधीन तारीख को निर्माणाधीन पीपीई की लागत निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के रूप में प्रकट की जाती है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लेने की लागत शामिल है यदि पूंजीकरण मानदंड पूर्ण किया जाता है और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल है। क्रय मूल्य पर पहुंचने में किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है। पीपीई के अधिग्रहणधनिर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम जो तुलन–पत्र की तारीख पर बकाया हैं, उन्हें 'पूंजीगत अग्रिमों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3. ऋण लेने की लागत

ऋण लेने की लागत के रूप में 109 इंडएएस में वर्णित के रूप में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग कर गणना (क) ब्याज व्यय से मिलकर बनता है – 'वित्तीय साधन' (ख) पट्टा देयता के संबंध में वित्त शुल्क के रूप में 116 इंडएएस के अनुसार मान्यता प्राप्त – 'पट्टे' और (ग) विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले मतभेद का आदान–प्रदान इस सीमा तक कि वे ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है.

ऋण लेने की लागत जो सीधे अर्हक परिसंपत्ति (यों) के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/विकास या निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो। योग्य परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धन ऋण लेती है, तो ऋण लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आम तौर पर ऋण लेती है और उन्हें एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग करती है, तो ऋण लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना सामान्य ऋण की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो अवधि के दौरान बकाया होती है और अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या निर्माण के लिए उपयोग की जाती है।

ऋण लागत का पूंजीकरण तब बंद हो जाता है जब उनके इच्छित उपयोगों के लिए योग्य परिसंपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं। ऋण लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई धन के ऋण लेने के संबंध में खर्च करती है।

ऋण लेने की लागत में विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, इस हद तक कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

4. नकद और नकद समकक्ष

तुलन–पत्र में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों और हाथ पर नकदी और तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

5. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब प्राप्त होता है औरध्या उचित आश्वासन होता है कि वे प्राप्त होंगे और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी। अनुदान जो किसी परिसंपत्ति की लागत के लिए कंपनी को क्षतिपूर्ति करते हैं, संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त हैं। अनुदान जो कंपनी को किए गए खर्चों की भरपाई करते हैं, उस अवधि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें संबंधित लागत खर्च की जाती है और संबंधित खर्चों से कटौती की जाती है।

अप्रयुक्त अनुदान में से निधि निवेश पर अर्जित ब्याज को अनुदान माना जाता है ।

6. नकद और नकद समकक्ष

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यदि पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास एक वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व है जिसे मजबूती से अनुमान लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को पूर्व–कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की आशा की जाती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह वास्तव में निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि निवल के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से की जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का मजबूती से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। आकस्मिक देयताओं का प्रकटन प्रबंधनध्स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से की जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में

नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबन्धन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आवक संभाव्य हो। इनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित हो।

7. राजस्व

कंपनी का राजस्व विद्युत, परामर्श, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं और अन्य आय की बिक्री से उत्पन्न होता है।

7.1. उत्पादन के आधार पर विद्युत्परिवर्तनीय पट्टा रसीदों की बिक्री से राजस्व।

राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की आशा होती है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को बाहर करता है। कंपनी राजस्व को जब (या जैसा) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है मान्यता देती है।

विद्युत परिवर्तनीय पट्टा प्राप्तियों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को क्रेता संस्थानों के साथ विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) के निबंधन एवं शर्तों के आधार पर तथा क्रेता संस्थानों के साथ सहमत दरों के अनुसार मान्यता दी जाती है। इकाइयों (केडब्ल्यूएच) की पहचान अंतराज्यीय विद्युत बिक्री के मामले में संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखा (जेएमआर)/(एसईए) तथा अंतर्राज्यीय विद्युत बिक्री के मामले में क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) के आधार पर की जाती है। प्रत्येक रिपोटग तिथि पर विद्युत/परिवर्तनीय पट्टा प्राप्तियों की बिक्री से प्राप्त राजस्व में लाभाथयों को की गई बिक्री शामिल होती है लेकिन बिल नहीं किया जाता अर्थात बिना बिल वाला राजस्व।

कारोबार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियमित अंतराल पर बिक्री लेनदेन का मिलान किया जाता है।

प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।

7.2. सेवाओं से राजस्व

परामर्श, परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रदान की गई अन्य सेवाओं से राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की आशा होती है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं करता है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसा) निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आमतौर पर तब होता है जब (या जैसा) सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

अनुबंध संशोधनों का हिसाब तब लगाया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन को मंजूरी दी जाती है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएं जो अलग–अलग नहीं हैं, उन्हें संचयी कैच–अप आधार पर माना जाता है, जबकि जो अलग–अलग हैं, उन्हें भावी रूप से या तो एक अलग अनुबंध के रूप में माना जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर रखी जाती है, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के रूप में और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में यदि स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर कीमत नहीं है।

7.2.1. ग्रिड/ऑफ–ग्रिड–रूफटॉप परियोजनाओं/सौर विद्युत परियोजनाओं/पवन विद्युत परियोजनाओं/हाइब्रिड परियोजनाओं/फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के मामले में राजस्व मान्यता।

एमएनआरई छतों पर परियोजनाओं के संबंध में प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, क्षेत्र दौरों, निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन आदि के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का 3%/2% प्रदान करता है। रूफटॉप परियोजनाओं के संबंध में परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से राजस्व – ग्रिड/ऑफ ग्रिड को प्रगति के चरण और परियोजनाओं/योजनाओं की संबंधित शर्तों से संबंधित व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है। विशेष योजना के मामले में, जहां राजस्व को मान्यता दी गई है और योजना को बंद कर दिया गया है/बाद में शुरू की

गई क्षमता है, पूर्व में मान्यता प्राप्त राजस्व के किसी भी प्रभाव को तदनुसार उलट दिया जाता है।

प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और फील्ड दौरों पर किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर मान्यता प्राप्त राजस्व से घटा दिया जाता है और निवल आय प्रकट की जाती है। यदि पॉलिसी के अनुरूप मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया व्यय अधिक होता है तो उसे बाद के वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व में से समायोजित किया जाता है।

रूफटॉप परियोजनाओं के अंतर्गत विकासकर्ता से प्राप्त/प्राप्य सेवा प्रभार (देय प्रोत्साहनों का निवल, यदि कोई हो) को उस वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जा रही है जिसमें परियोजना क्षमता स्वीकृत की गई है। तथापि, सेवा प्रभारों को चालू करते समय/वास्तविक क्षमता चालू करते समय लागू बैंचमार्क लागत (यदि कोई हो) में परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाता है।

विभिन्न एमएनआरई योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रबंधन प्रभारों को एमएनआरई द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार संवितरित निधियों के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

सौर / पवन / हाइब्रिड / फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सफलता शुल्क सौर/पवन/हाइब्रिड/फ्लोटिंग विद्युत विकासकर्ताओं से 1 किश्त में वसूल किया जा रहा है अर्थात एलओए जारी होने पर 100%। तकनीकी अनुमानों के अनुसार प्रदान की गई विभिन्न कार्यकलापों/सेवाओं के पूरा होने के आधार पर एलओए/एलओआई जारी करने के समय कुल सफलता शुल्क के 90% को प्रोद्भवन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष 10% को सौर/पवन/हाइब्रिड/फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के चालू होने के समय मान्यता दी जाती है।

सौर / पवन / हाइब्रिड / फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सफलता शुल्क सौर/पवन/हाइब्रिड/फ्लोटिंग विद्युत विकासकर्ताओं से 2 किस्तों में लिया जा रहा है अर्थात् एलओए पर 50% और पीपीए हस्ताक्षर पर 50%। इन निविदाओं में कुल सफलता शुल्क का 100% पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय प्रोद्भवन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी गई है।

विनिर्माण सुविधा से संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्र के संबंध में सफलता शुल्क सौर विद्युत विकासकर्त्ताओं से वसूला जा रहा है। तकनीकी अनुमान और परियोजना की लंबी अवधि के अनुसार आय / कुल सफलता शुल्क का 40% विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर करते समय प्रोद्भवन आधार पर, 50% वित्तीय समापन (एफसी) पर और शेष 10% सौर विद्युत परियोजना के चालू होने के समय मान्यता प्राप्त है।

7.3. राजस्व मान्यता – अन्य परिचालन आय और अन्य आय

अन्य परिचालन आय और अन्य आय से प्राप्त राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, म्यूचुअल फंड निवेशों से लाभांश, विलंबित भुगतानों के लिए ग्राहकों से प्राप्त अधिभार, निविदा शुल्क, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय आदि शामिल हैं।

ब्याज आय को मान्यता तब दी जाती है, जब औसत दर्जे या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है, समय अनुपात के आधार पर बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए।

स्क्रैप की बिक्री का लेखा–जोखा रखा जाता है। लाभ की हानि के लिए बीमा दावों को स्वीकृति के वर्ष में हिसाब दिया जाता है। वसूली की निश्चितता के आधार पर अन्य बीमा दावों का लेखा–जोखा रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर मापा गया ऋण उपकरणों के लिए, ब्याज आय ईआईआर का उपयोग करके दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या छोटी अवधि में अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को बिल्कुल छूट देती है, जहां उपयुक्त हो, वित्तीय

परिसंपत्ति की सकल अग्रनीत राशि या वित्तीय देयता की परिशोधन लागत के लिए।

ईआईआर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट नुकसान पर विचार नहीं करती है।

ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है। विद्युत् की बिक्री के लिए देर से भुगतान/अतिदेय विविध देनदारों पर ब्याज/अधिभार को मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य ब्याज/अधिभार के साथ–साथ वारंटी दावे, सेवा प्रभारों के विलंब से भुगतान पर ब्याज प्रभार, परिनिर्धारित क्षतियां, निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती, बैंक गारंटियों को देर से प्रस्तुत करने पर विलंब प्रभार और जहां कहीं वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता हो, उन्हें उपार्जित नहीं माना जाता है और इसलिए इनकी प्राप्तिध स्वीकृति पर हिसाब लगाया जाता है।

लाभांश आय को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और लाभांश की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है।

8. आउटपुट के आधार पर विधुत/वेरिएबल पट्टा भुगतान का क्रय

सौर विद्युत विकासकर्ताओं (एसपीडी) के साथ निष्पादित विद्युत क्रय करारों (पीपीए) की शर्तों के अनुसार संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखा/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर उत्पादन के आधार पर विद्युत की क्रय/परिवर्तनीय पट्टा भुगतान का लेखा–जोखा रखा जाता है। कारोबार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियमित अंतराल पर क्रय लेनदेन का मिलान किया जाता है। डिस्कॉम को बिल की गई इकाइयों की तुलना में खरीदी गई इकाइयों की किसी भी अधिकता की वसूली एसपीडी से की जाती है।

आपूर्तिकर्ताओं से प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त छूट क्रय की राशि से काट ली जाती है।

9. कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभों में अन्य बातों के साथ–साथ भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हैं।

9.1. अल्पावधि हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष का लाभ और हानि के विवरण में छूट रहित राशि पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

निष्पादन से संबंधित वेतन के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए एक देयता को मान्यता दी जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का मजबूती से अनुमान लगाया जा सकता है।

9.2. परिभाषित योगदान योजनाएं

परिभाषित योगदान योजनाएं वे योजनाएं हैं जिनमें एक इकाई अलग–अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। भविष्य निधि और पेंशन निधि में वर्ष के दौरान भुगतानध्देय कंपनी के योगदान को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। कंपनी की एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद अन्य सेवानिवृत्ति योजनाः

कंपनी का दायित्व है कि वह रोजगार पश्चात लाभों के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि का भुगतान न करे। तदनुसार, कंपनी भविष्य निधि, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी) या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नियोक्ता के योगदान पर विचार करने के बाद देयता प्रदान करती है। इसे लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

9.3. परिभाषित हितलाभ योजनाएं

एक परिभाषित हितलाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगार के बाद की हितलाभ योजना है।

ग्रेच्युटी, छुट्टी हितलाभ, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ के प्रति कंपनी की देयता अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग की जाती है, जो भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्वावधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की हैय उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी भी अपरिचित पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य काट लिया जाता है। डिस्काउंट दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उपज पर आधारित है, जिसमें परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान होने की आशा होती है।

गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक योग्य बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए देयता होती है, तो देयता के वर्तमान मूल्य को कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को ओसीआई में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

9.4. दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभं

कंपनी के छुट्टी नकदीकरण के अंतर्गत हितलाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों का गठन करते हैं। छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण वर्ष के अंत में उपलब्ध छुट्टी की पात्रता और अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य के हितलाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्वावधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित किया हैय उस हितलाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित परिसंपत्ति का उचित मूल्य काट लिया जाता है। डिस्काउंट दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उपज पर आधारित है, जिसमें कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुमानित परिपक्वता तिथियां हैं। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उपजाते हैं।

दायित्वों को तुलन–पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, भले ही वास्तविक निपटान होने की आशा हो।

9.5. प्रतिनियुक्ति

कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण और अधिवर्षिता हितलाभों के संबंध में देयता का हिसाब मूल संगठनों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों और निबंधनों के आधार पर लगाया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन शुरू में कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर दर्ज किए जाते हैं, जिस तारीख को लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति और देनदारियों को समीक्षाधीन तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या परिवर्तन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय मतभेदों को उस वर्ष में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

गैर–मौद्रिक मदों को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तन किया जाता है।

11. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान कर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, कर दरों का उपयोग करके

अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि पर और विगत वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन लागू होता है।

आस्थगित कर को तुलन–पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की मात्रा और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी मतभेदों पर लागू होने की आशा करते हैं जब वे उलट जाते हैं, उन कानूनों के आधार पर जो रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है यदि वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्ति को ऑफसेट करने के लिए विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य हितलाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्ति की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ का एहसास होगा।

12. गैर–वित्तीय परिसंपत्ति (यों) की हानि

कंपनी की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रनीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। किसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य से अधिक है, निपटान के लिए कम लागत और उपयोग में इसका मूल्य। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है।

हानि को मान्यता तभी दी जाती है यदि किसी परिसंपत्तियों की अग्रनीत राशि इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है। हानि नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। पूर्वावधि में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है।

एक हानि नुकसान उलट जाती है यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है। एक हानि नुकसान को केवल इस हद तक उलट दिया जाता है कि परिसंपत्तियों की अग्रनीत राशि उस अग्रनीत राशि से अधिक नहीं होती है जो निर्धारित की गई होती, मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल, यदि कोई हानि हानि मान्यता प्राप्त नहीं थी।

13. सामग्री पूर्वावधि त्रुटियां

सामग्री पूर्वावधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्वावधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः स्थापित करके ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई शुरुआती अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से स्थापित किया जाता है।

14. वित्तीय उपकरण

एक वित्तीय उपकरण कोई भी ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्तियों और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

14.1. वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्ति (यों) को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्ति (यों) के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, लेनदेन की लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण या मुद्दे के कारण होती है।

परवर्ती माप

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

एक 'ऋण लिखत' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

(क) परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल में धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारित करना है, और

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति (यों) को बाद में ईआईआर पद्ध ति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई में ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होने पररू श्ऋण साधनश को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण दस्तावेजों को शुरू में और साथ ही उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। ओसीआई में उचित मूल्य संचालनों को मान्यता दी जाती है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, हानि हानि और उलटफेर और लाभ और हानि में विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण लिखत रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर डेट लिखत (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल डेट लिखत के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है. कोई भी ऋण लिखत, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी एक ऋण लिखत को वर्गीकृत करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत या एफवीटीपीएल मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे श्लेखांकन बेमेलश कहा जाता है)। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश लागत पर मापा जाता है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्ति की कंपनी का हिस्सा) मुख्य रूप से तब मान्यता रद्द कर दी जाती है (अर्थात कंपनी की तुलन–पत्र से हटा दी जाती है) जबः

» परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

» कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या 'पास–थ्रू' व्यवस्था के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को अधिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हैय और या तो

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या

(ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बनाए रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि के माप और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती हैः

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण लिखत हैं, और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं, जैसे, उधार, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, प्राप्य व्यापार और बैंक शेष।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं।

(ग) इंडएएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

(घ) इंडएएस 115 के रूप में व्यापार प्राप्तियां.

(ङ) ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।

(च) वित्तीय गारंटी संविदाएं जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और जोखिम जोखिम पर हानि की मान्यता के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि के लिए प्रदान करने के लिए 12 माह के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है जैसे कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने के लिए वापस आ जाती है।

14.2.वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता पर, उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को और, ऋण के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के निवल को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण, वित्तीय गारंटी अनुबंध शामिल हैं।

परवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में तब मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त लागत में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर ऋण, व्यापार देय और अन्य संविदात्मक देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफवीटीपीएल)

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताएं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से किए जाते हैं।

व्यापार के लिए आयोजित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि में नामित किया जाता है, और केवल तभी जब इंड एएस 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के लिए, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभध्हानि को मान्यता दी जाती है। इन लाभध हानि को बाद में लाभ और हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी में संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को नामित नहीं किया है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा

देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रनीत राशियों में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

15. प्रचालित सेगमेंट

इंड एएस 108 के अनुसार, सेगमेंट की जानकारी पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा सेगमेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंडएएस 108 के तात्पर्य में कंपनी के 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या 'सीओडीएम' है. आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए गए सेगमेंट परिणामों में सीधे एक सेगमेंट के साथ–साथ उन मदों को शामिल किया जाता है जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। अनावंटित मदों में मुख्य रूप से कार्पोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल हैं।

सेगमेंट के लिए सीधे जिम्मेदार राजस्व को सेगमेंट राजस्व के रूप में माना जाता है। खंडों के लिए सीधे जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य खर्चों को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

खंड पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण, और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान की गई कुल लागत है।

सेगमेंट परिसंपत्तियों में परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, माल–सूची और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सीधे या यथोचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है। वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, संबंधित खंडों के लिए जिम्मेदार संचालन के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग की सीमा के आधार पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण खंडों को आवंटित किए गए हैं। सेगमेंट परिसंपत्तियां में निवेश, आयकर परिसंपत्तियों परिसंपत्तियां, निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य, पूंजी अग्रिम, कॉरपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें सेगमेंट में यथोचित रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देनदारियों में एक खंड के संबंध में सभी परिचालन देयताएं शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल हैं। सेगमेंट देनदारियों में इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण और ऋण और अन्य देयताएं और प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें यथोचित रूप से खंडों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

16. संवितरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

सेकी एमएनआरई की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और संबंधित मंजूरी आदेशों की शर्तों के अनुसार एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीएफए के संवितरण में शामिल है।

एमएनआरई से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय वित्तीय देयता को दर्शाया जाता है और इन निधियों पर अजत ब्याज भी संबंधित केन्द्रीय वित्तीय वित्तीय सहायता में जमा कर दिया जाता है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता संबंधित पाटयों को प्राप्त की गई दूरी के अनुसार और संबंधित स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार भी संवितरित की जाती है।

17. भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ)

750 मेगावाट, 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, डेवलपर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) की स्थापना की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 4 फरवरी 2019 के अपने आदेश के अंतर्गत वीजीएफ योजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक गारंटियों (बीजी) के नकदीकरण से प्राप्त धनराशि, इस निधि पर अर्जित ब्याज, शीघ्र भुगतान के लिए प्रोत्साहन (यदि पीएसएफ से शीघ्र भुगतान के लिए उपयोग की गई राशि का भुगतान किया गया है) और सरकार से अनुदान इस निधि में जमा किए जाएंगे और विकासकर्ताओं/विद्युत उत्पादकों द्वारा देय प्रति यूनिट शुल्क (यदि कोई हो) की वसूली भी इस निधि में जमा की जाएगी

आदेश के अनुसार निधि का उपयोग किया जाएगाः

(क) संस्थानों के क्रय से भुगतान की वसूली में देरी के मामले में सौर परियोजना डेवलपर्स को समय पर भुगतान करना।

(ख) पीएसए/पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय परिकल्पित नहीं दीर्घकालिक खुली पहुंच,

पारेषण प्रभार आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से साख–पत्र/बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए और लागू विनियमों के अनुरूप सीटीयू/एसटीयू के साथ हस्ताक्षरित थोक विद्युत पारेषण समझौते (बीपीटीए) के अनुसार लागू प्रभार।

(ग) नीति/विनियामक मुद्दों/निर्णयों और पारेषण – निकासी/खुली पहुंच बाधाओं आदि के कारण क्रेता से प्रशुल्क की कम वसूली के मामले में सहमत पीपीए दर से विकासकर्ताओं को अलग–अलग भुगतान करना।

(घ) लागू विनियमों के अनुसार अल्पकालिक खुली पहुंच प्रभारों के कारण भुगतान करना।

(ङ) पीपीए/पीएसए/वीजीएफ प्रतिभूतिकरण की परिचालन कठिनाइयों से उत्पन्न मुद्दों सहित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमों और मध्यस्थता अवार्ड आदि के कारण किसी भी शुल्क के लिए।

विभिन्न एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तों के अनुसार, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें देय टैरिफ को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हस्ताक्षरित पीपीए से कम कर दिया गया है। टैरिफ में कमी के कारण सौर विद्युत की क्रय में कमी की किसी भी राशि को सीधे पीएसएफ में जमा किया जा रहा है।

राज्य ऊर्जा लेखा (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) के कारण विद्युत की बिक्री और क्रय की यूनिटों में उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को लेखाओं में उचित रूप से निपटाया जाता है। खरीदी गई इकाइयों की तुलना में बेची गई इकाइयों की अधिकता के मामले में, अंतर भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में जमा किया जाता है।

पारेषण कंपनियों को किए गए भुगतान और सेकी द्वारा पारेषण प्रभारों के लिए डिस्कॉम/क्रेता संस्थानों से प्राप्त भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को पीएसएफ को अंतरित कर दिया जाता है।

निष्पादन गारंटी जमा पर प्राप्त विस्तार/अर्जित ब्याज को भी 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीमों पर एमएनआरई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाएगा।

सौर पार्क कार्यान्वयन एजेंसियों (एसपीआईए) से प्राप्त विलंब प्रभारों को भी 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीमों पर एमएनआरई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाएगा।

पीएसएफ लेखे में पड़ी निधि को चालू देनदारियों के अंतर्गत वित्तीय देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है।

18. बैंक गारंटी नकदीकरण/बीजी नकदीकरण के बदले विकासकर्ता द्वारा जमा की गई निधियां (पवन/हाइब्रिड/सौर/फ्लोटिंग सौर (मानक बोली दिशानिर्देश–गैर वीजीएफ योजनाएं)

पवन/हाइब्रिड/सौर/फ्लोटिंग सोलर (मानक बोली दिशानिर्देश–गैर वीजीएफ योजना) के अंतर्गत बैंक गारंटी के नकदीकरण/बीजी नकदीकरण के बदले विकासकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी के नकदीकरण पर प्राप्त निधियों को ब्याज वाले लेखे में अलग से रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एमएनआरई से अनुदेश/दिशानिर्देश प्राप्त होने तक इन निधियों पर उपार्जित ब्याज भी उसी लेखे में जमा किया जाता है।

घ. अन्य लेखांकन नीतियां

1. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां और अमूर्त परिसंपत्तियां

1.1. प्रारंभिक पहचान और माप

एक अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता तब दी जाती है यदि यह संभव है कि अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्तियों के कारण हैं, कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे और परिसंपत्तियों की लागत को दृढ़ता से मापा जा सकता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां जो कंपनी द्वारा अधिग्रहित की जाती है, जिसमें परिमित उपयोगी जीवन होता है, लागत पर मान्यता प्राप्त होती है। बाद में माप लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानि नुकसान पर किया जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार आकस्मिक व्यय शामिल है। किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में ले अग्रेनीत किया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों।

1.2. मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्यता से हटा दिया जाता है जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति के एक मद के निपटान पर लाभ और हानि अमूर्त परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

1.3. परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग करने के विधिक अधिकार की अवधि में या 5 वर्ष जो भी कम हो, सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है।

2. माल–सूची

माल–सूची का मूल्यांकन लागत से कम तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में क्रय की लागत, रूपांतरण की लागत और माल–सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। खरीदी गई माल–सूची की लागत छूट और छूट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। निवल वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की कम अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है।

3. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर कम आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

4. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरणी इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरणी' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार की जाती है।

5. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतान/देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

6. पारेषण प्रभार

विद्युत की क्रय धबिक्री के भाग के रूप में, पारेषण प्रभारों की प्रतिपूत प्रकृति के होते हैं जो क्रेता यूटिलिटी से वसूल किए जाते हैं और एसएलडीसी को देय होते हैं और कंपनी की ओर से कोई दायित्व नहीं होता है। क्रय संस्थानों से वसूल किए जाने योग्य बिल रहित पारेषण प्रभारों के प्रावधान को मान्यता दी जाती है और अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाता है और एसएलडीसी को देय तदनुरूपी राशि अन्य चालू वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाई जाती है।

ङ. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें शामिल मदों के साथ–साथ तुलन–पत्र की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्तियां और देयताएं शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय विगत अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होते हैं। वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है

1. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन–काल

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन–काल कई कारकों पर आधारित है,

जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि

संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य मात्रा विशेष रूप से प्रत्याशित बाजार दृष्टिकोण और विद्युत संयंत्रों से संबद्ध भावी नकदी प्रवाह के संबंध में अनुमानों और पूर्वानुमानों पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

3. रोजगार के बाद की हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ–साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। कंपनी मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं उचित और प्रलेखित हैं। हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणनाओं पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

4. राजस्व

कंपनी संबंधित समझौतों में निर्दिष्ट टैरिफ दरों के आधार पर और इंड एएस 115 के अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार विद्युत् की बिक्री से राजस्व रिकॉर्ड करती है। ऐसे मामलों में जहां इकाइयों का अभी पता लगाया जाना है, राजस्व की मान्यता के उद्देश्य से अनंतिम इकाइयों पर विचार किया जाना है।

5. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकर

महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में इंडएएस 105 'बिक्री और बंद संचालन के लिए आयोजित गैर–चालू परिसंपत्ति के अंतर्गत बिक्री के लिए आयोजित गैर–चालू परिसंपत्ति के लेखांकन लागू करने के लिए आवश्यक है.

प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए परिसंपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष में बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या उनकी अग्रनीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी।

6. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड एएस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्ति' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है। इसके बाद यदि परिस्थितियां अप्रत्याशित घटनाओं को बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

7. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि परीक्षण

संयुक्त उद्यमों में निवेश की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से निवेशी कंपनी के संचालन से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

टिप्पणी 2: गैर–चालू परिसंपत्तियां–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2023 को	अतिरिक्त	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भवन	81.31			81.31	33.18	4.74		37.92	43.39	48.13
संयंत्र और मशीनरी	10,786.37	89,953.06		100,739.43	3,173.62	1,280.96		4,454.58	96,284.85	7,612.75
कंप्यूटर–इंड यूजर डिवाइस	206.06	71.81	(45.73)	232.14	140.30	38.00	(42.58)	135.72	96.42	65.76
कंप्यूटर–सर्वर – नेटवर्क	10.64			10.64	7.47	0.68		8.15	2.49	3.17
फर्नीचर और फिक्सचर– कार्यालय	159.71	21.40		181.11	35.61	15.61		51.22	129.89	124.10
मोटर कारें	35.95		(10.11)	25.84	7.04	3.80	(3.08)	7.76	18.08	28.91
कार्यालय उपकरण	283.14	71.47	(1.82)	352.79	152.28	44.13	(0.80)	195.61	157.18	130.86
योग	**11,563.18**	**90,117.74**	**(57.66)**	**101,623.26**	**3,549.50**	**1,387.92**	**(46.46)**	**4,890.96**	**96,732.30**	**8,013.68**

31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	अतिरिक्त	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भवन	81.31			81.31	28.44	4.74		33.18	48.13	52.87
संयंत्र और मशीनरी	10,786.37			10,786.37	2,590.27	583.35		3,173.62	7,612.75	8,196.10
कंप्यूटर–इंड यूजर डिवाइस	168.90	43.82	(6.66)	206.06	107.62	36.73	(4.05)	140.30	65.76	61.28
कंप्यूटर–सर्वर और नेटवर्क	10.64			10.64	6.66	0.81		7.47	3.17	3.98
फर्नीचर और फिक्सचर– कार्यालय	153.91	8.28	(2.48)	159.71	21.13	15.41	(0.93)	35.61	124.10	132.78
मोटर कारें	51.61		(15.66)	35.95	17.12	4.80	(14.88)	7.04	28.91	34.49
कार्यालय उपकरण	260.98	24.10	(1.94)	283.14	109.77	44.05	(1.54)	152.28	130.86	151.21
योग	**11,513.72**	**76.20**	**(26.74)**	**11,563.18**	**2,881.01**	**689.89**	**(21.40)**	**3,549.50**	**8,013.68**	**8,632.71**

टिप्पणी :

2.1 81.31 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 81.31 लाख रुपये) का भवन पट्टे की भूमि पर बनाया गया है।

2.2 वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट की परियोजना 01.02.2024 को चालू की गई थी। तदनुसार, वर्ष के दौरान 88,19981 लाख रुपए की राशि का पूंजीकरण किया गया है।

2.3 वर्ष के दौरान लक्षद्वीप में 1.7 मेगावाट की परियोजना 23.12.2023 को चालू की गई थी। तदनुसार, वर्ष के दौरान 1,753.25 लाख रुपये की राशि का पूंजीकरण किया गया है।

टप्पणी 3 : गैर–चालू परिसंपत्तियों – परिसंपत्तियों का उपयोग अधिकार

31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2023 को	पुनर्वर्गीकरण	अतिरिक्त	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिसंपत्ति (यों) के उपयोग का अधिकार – आवासीय–फ्लैट	1,734.06	-	-	-	1,734.06	192.78	58.65	-	251.43	1,482.63	1,541.28
परिसंपत्ति (यों) के उपयोग का अधिकार – भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (संक्रमण पर)	332.17	-	-	-	332.17	51.83	12.98	-	64.81	267.36	280.34
परिसंपत्ति (यों) के उपयोग का अधिकार एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,181.48	-	-	-	19,181.48	1,417.75	699.96	-	2,117.71	17,063.77	17,763.73
योग	**21,247.71**	**-**	**-**	**-**	**21,247.71**	**1,662.36**	**771.59**	**-**	**2,433.95**	**18,813.76**	**19,585.35**

31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	पुनर्वर्गीकरण	अतिरिक्त	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023तक	31 मार्च 2022 तक
परिसंपत्ति (यों) के उपयोग का अधिकार – आवासीय – फ्लैट	1,734.06	-		-	1,734.06	134.13	58.65	-	192.78	1,541.28	1,599.93
परिसंपत्ति (यों) के उपयोग का अधिकार – भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (संक्रमण पर)	332.17	-		-	332.17	38.88	12.95	-	51.83	280.34	293.29
परिसंपत्ति (यों) के उपयोग का अधिकार – एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,181.48	-		-	19,181.48	717.79	699.96	-	1,417.75	17,763.73	18,463.69
योग	**21,247.71**	**-**	**-**	**-**	**21,247.71**	**890.80**	**771.56**	**-**	**1,662.36**	**19,585.35**	**20,356.91**

टिप्पणी 4: गैर–चालू परिसंपत्तियां – निर्माणाधीन पूंजीगत

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक					31 मार्च 2023 तक				
	1 अप्रैल 2023 को	वृद्धियां	अतिरिक्त	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2022 को	अतिरिक्त	कटौती/ समायोजन	बड़ा	31 मार्च 2023 को
मेगावाट सीपीएसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना										
अन्य व्यावसायिक शुल्क	1,416.00	3.16			1,419.16	1,416.00				1,416.00
मेगावाट सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 300 मेगावाट सौर परियोजना (पूर्ववर्ती 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना)										
पंजीकरण शुल्के	136.41				136.41	139.24		(2.83)		136.41
विज्ञापन	-				-	-				-
अन्य व्यावसायिक शुल्क	79.91	5.90			85.81	79.91				79.91
लक्षद्वीप										
अन्य व्यावसायिक शुल्क	118.20	11.80	(119.96)	(10.04)	0.00	118.20				118.20
उप अनुबंध व्यय	1,544.67	198.54		(1,743.21)	-	133.03	1,411.64			1,544.67
लक्षद्वीप										
एफएसपीवी लक्षद्वीप परियोजना	-		118.22	-	118.22					
100 मेगावाट छत्तीसगढ़										
अन्य व्यावसायिक शुल्क	6.53			(6.53)	-	6.53				6.53
पंजीकरण शुल्क	47.20			(47.20)	-	47.20				47.20
साइट खर्च	10.53	142	(6.70)	(145.83)	-	1.26	9.27			10.53
उप अनुबंध व्यय	21,556.03	65,649.81		(87,205.84)	-		21,556.03			21,556.03
ऋण लेने की लागत	230.95	93.11		(324.06)	-		230.95			230.95
50 मेगावाट लेह										
साइट का खर्च	35.69		(35.69)		-		35.69			35.69
100 मेगावाट झारखंड										
ऋण लेने की लागत	162.66	64.32			226.98		162.66			162.66
साइट व्यय और अन्य शुल्क	-	2.43			2.43					-
योग	**25,344.78**	**66,171.07**	**(44.13)**	**(89,482.71)**	**1,989.01**	**1,941.37**	**23,406.24**	**(2.83)**		**- 25,344.78**

टिप्पणी:

4.1 इंड एएस–23: ऋण लागत के अनुसार, 93.11 लाख रुपये (विगत वर्ष 230.95 लाख रुपये) और 64.32 लाख रुपये (विगत वर्ष 162.66 लाख रुपये) की राशि को 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः दो परियोजनाओं अर्थात छत्तीसगढ़ में बीईएसएस के साथ 100 मेगावाट सौर पीवी पावर प्रोजेक्ट और झारखंड में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्लांट में पूंजीकृत किया गया है।

4.2 पूंजी डब्ल्यूआईपी के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी संख्या 50.3 (प्रतिबद्धताएं) देखें।

टिप्पणी 5 : पूंजी कार्य–प्रगति कार्यकाल अनुसूची

निर्माणाधीन परियोजनाएं (लाख रुपए)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2024					
1200 मेगावाट सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 300 मेगावाट सौर परियोजना (पूर्ववर्ती 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना)	5.90		4.25	212.07	222.22
एफएसपीवी लक्षद्वीप परियोजना		118.22			118.22
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना	3.16		1,416.00		1,419.16
100 मेगावाट झारखंड	66.75	162.66			229.41
योग					**1,989.01**
31 मार्च, 2023					
1200 मेगावाट सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 300 मेगावाट सौर परियोजना (पूर्ववर्ती 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना)	-	4.25	-	212.07	216.32
100 मेगावाट छत्तीसगढ़	21,796.25	48.05	6.37	0.57	21,851.24
लक्षद्वीप परियोजना	1,411.64	168.49	35.46	47.28	1,662.87
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना	-	1,416.00	-	-	1,416.00
100 मेगावाट झारखंड	162.66	-	-	-	162.66
50 मेगावाट लेह	35.69	-	-	-	35.69
योग					**25,344.78**

अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं (लाख रुपए)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक					
शून्य	-	-	-	-	-

(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची निम्नानुसार है:

(लाख रुपए)

विवरण	परियोजना की अनुमानित लागत	वास्तविक लागत खर्च	परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तिथि	परियोजना के पूरा होने की संशोधित अनुमानित तिथि	में पूर्ण किया जाना है				योग
					1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–2 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक									
शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(लाख रुपए)

विवरण	परियोजना की अनुमानित लागत	वास्तविक लागत खर्च	परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तिथि	परियोजना के पूरा होने की संशोधित अनुमानित तिथि	में पूर्ण किया जाना है				योग
					1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–2 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2023 तक									
लक्षद्वीप परियोजना	1,743.20	1,662.87	07-11-21	30-09-23	1,662.87	-	-	-	1662.87
50 मेगावाट लेह	37,200.00	35.69	09-02-23	09-02-24	35.69	-	-	-	35.69

टिप्पणी 5: गैर–चालू परिसंपत्तियां – अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2023 को	अतिरिक्त	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,497.29	32.84	-	1,530.13	706.83	290.06	-	996.89	533.24	790.46
योग	**1,497.29**	**32.84**	**-**	**1,530.13**	**706.83**	**290.06**	**-**	**996.89**	**533.24**	**790.46**

31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	अतिरिक्त	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,490.40	6.89	-	1,497.29	418.01	288.82	-	706.83	790.46	1,072.39
योग	**1,490.40**	**6.89**	**-**	**1,497.29**	**418.01**	**288.82**	**-**	**706.83**	**790.46**	**1,072.39**

टप्पणी 6: गैर–चालू परिसंपत्तियां–विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक					31 मार्च 2023 तक				
	1 अप्रैल 2023 को	वृद्धियां	कटौती/समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2022 को	वृद्धियां	कटौती/समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2023 को
शून्य										

विकास कार्यकाल अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां।

(क) निर्माणाधीन परियोजनाएं (लाख रुपए)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक					
शून्य	-	-	-	-	-

(ख) अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं (लाख रुपए)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक					
शून्य	-	-	-	-	-

(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है, विकास पूर्णता अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां शून्य है।

टिप्पणी 7: गैर–चालू परिसंपत्तियां – संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) में निवेश

इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (लागत पर)

संयुक्त उद्यम के इक्विटी शेयर (अउद्धृत)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	फेस वैल्यू (रुपए)	शेयरों की संख्या	मूल्य (रुपए लाख)	फेस वैल्यू (रुपए)	शेयरों की संख्या	मूल्य (रुपए लाख)
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	10	50,000	5	10	50,000	5
हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	1,000	22,100	221	1,000	22,100	221
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	10	500,000	50	10	500,000	50
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	10	500,000	50	10	500,000	50
केरल रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,000	5,000	50	1,000	5,000	50
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	1,000	10,000	100	1,000	10,000	100
योग			**476.00**			**476.00**
उद्धृत निवेश की कुल राशि			शून्य			शून्य
अउद्धृत निवेश की कुल राशि			476.00			476.00
निवेश पर क्षति की कुल राशि			शून्य			शून्य

7.1. संयुक्त उद्यम (ओं) में निवेश का मूल्यांकन लेखा नीति संख्या 1.सी.14.1 के अनुसार किया जाता है।

7.2. संयुक्त उद्यम में सभी निवेश उद्धृत न किए गए निवेश हैं और उनका मूल्यांकन निवेश के मूल्य में लागत कम स्थायी कमी, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

टिप्पणी 8: गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण और अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम – सुरक्षित	199.96	69.54
योग	**199.96**	**69.54**

8.1 कंपनी ने कर्मचारियों को निर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ ऋण दिया है, जिसे इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधन लागत पर वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 9: गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
डिस्कॉम से वसूली योग्य (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	81,942.95	90,896.66
प्रतिभूति जमा प्राप्य	7.80	7.38
योग	**81,950.75**	**90,904.04**

टिप्पणी 10: गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – बांड में निवेश

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बांड में उद्धृत निवेश (परिशोधन लागत पर मान्यता प्राप्त)		
सीपीएसयू बांड	160,394.33	86,482.28
योग	**160,394.33**	**86,482.28**

10.1 सेकी की अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार, 1,60,394.33 लाख रुपए (31.03.2023 को 86,482.28 लाख रुपए) की राशि 'एएए' रेटेड सीपीएसयू बांडों में निवेश की गई है। इस फंड में निष्पादन गारंटी जमा (पीजीडी) के 21,548.70 लाख रुपये (पीवाई रुपये 19,721.60 लाख), भुगतान प्रतिभूति जमा (पीएसडी) के 8,214.57 लाख रुपये (पीवाई रुपये 5,701.50 लाख रुपये), भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) के 87,381.44 लाख रुपये (पीवाई रुपये 61,059.18 लाख रुपये) और पवन भुगतान सुरक्षा कोष के 43,249.62 लाख रुपये (पीवाई रुपये शून्य) शामिल हैं।

टिप्पणी 11: अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम		
पूंजी अग्रिम	10,985.73	8,810.57
अन्य अग्रिम	312.03	324.67
अन्य		
आस्थगित राजस्व व्यय – प्रतिभूति जमा	12.19	12.95
आस्थगित राजस्व व्यय – कर्मचारियों को वाहन और आवास अग्रिम	48.63	18.11
योग	**11,358.58**	**9,166.30**

11.1 पूंजीगत अग्रिम में एनबीसीसी, नौरोजी नगर में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए भुगतान किए गए 8,281.97 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक शून्य रुपये), छत्तीसगढ़ में स्थित 100 मेगावाट परियोजना के लिए भुगतान किए गए 373.89 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 61,96.30 लाख रुपये), जिला कलेक्टर को भुगतान किए गए 2,329.20 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 2120.71 लाख रुपये) शामिल हैं। (देखें टिप्पणी सं 64) के अंतर्गत 1200 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम (पूर्ववर्ती 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना) के अंतर्गत 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए रामगिरी गांव और मुथुवाकुंतला गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए अनंतपुर।

टिप्पणी 12: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – प्राप्य व्यापार

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार प्राप्तियों को अच्छा माना गया है – सुरक्षित	54,261.11	56,746.27
व्यापार प्राप्तियों को अच्छा माना गया है – असुरक्षित	121,564.42	117,198.00
	175,825.53	**173,944.27**
प्राप्य व्यापार जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और	-	-
घटा: अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि) के लिए भत्ता	-	-

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्राप्य व्यापार – क्रेडिट हानि	244.82	241.42
घटाः अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि) के लिए भत्ता	(244.82)	(241.42)
योग	**175,825.53**	**173,944.27**

12.1. प्राप्य व्यापार में संबंधित पक्षों से संबंधित 757.82 लाख रुपये शामिल हैं (31 मार्च 2023 तक, 1,430.62 लाख रुपये)

टिप्पणी 13: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंक के पास शेष राशि (अर्जित ब्याज सहित)		
चालू खाते	62,418.62	47,903.71
बचत खाते	43,688.17	71,715.99
सीसी/ओडी खाते	2,495.57	12,701.62
योग	**1,08,602.36**	**1,32,321.32**

13.1 चालू लेखों में ऑटो स्वीप सावधि जमा और उन पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

13.2 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सरकारी अनुदान/निधि	33,350.75	37,596.12
भुगतान सुरक्षा तंत्र (विस्तार धन शामिल है) (टिप्पणी 63 देखें)	52,423.19	28,098.12
निष्पादन गारंटी जमा	290.30	1,828.47
अन्य	22,538.12	64,798.61
योग	**108,602.36**	**132,321.32**

टिप्पणी 14: चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंक के पास शेष राशि (अर्जित ब्याज सहित)		
3 माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा, 12 माह में परिपक्व	107,090.80	80,957.80
गैर–चालू जमाराशियों के अलावा बैंक में सावधि जमा	37.52	37.33
योग	**107,128.32**	**80,995.13**

14.1 बैंक के पास शेष राशि (अर्जित ब्याज सहित) में निम्नलिखित के कारण सावधि जमा शामिल हैं:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सरकारी अनुदान/निधि	-	-
भुगतान सुरक्षा तंत्र (विस्तार धन शामिल है) (टिप्पणी 63 देखें)	37.52	37.33
अन्य	107,090.80	80,957.80
योग	**107,128.32**	**80,995.13**

14.1.1 पीजीडी जमाराशियों पर अजत ब्याज भुगतान सुरक्षा तंत्र में शामिल है।

टिप्पणी 15: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण और अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम – सुरक्षित	42.74	29.66
अग्रिम – असुरक्षित	7.77	16.73
दूसरों के लिए अग्रिम		
असुरक्षित	1,531.77	1,531.77
वसूली योग्य राशि		
संबंधित पक्ष	0.96	-
अन्य	1,503.37	79.68
योग	**3,086.61**	**1,657.84**

टिप्पणी 16: वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बिना–बिल राजस्व	119,036.84	100,308.22
बिल न किए गए पारेषण प्रभार	360.65	365.72
डिस्कॉम से वसूली योग्य (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	3,663.18	18,450.59
प्रतिभूति जमा प्राप्य	2.49	2.22
योग	**123,063.16**	**119,126.75**

16.1 1,19,036.84 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,00,308.22 लाख रुपये) के बिना बिल राजस्व में विद्युत् की बिक्री के लिए 1,19,014.20 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,00,283.85 लाख रुपये) का राजस्व शामिल है, लेकिन पीएसए की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक चालान जारी नहीं किए गए थे और ट्रेडिंग मार्जिन के बंटवारे के लिए 22.64 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 24.37 लाख रुपये) का राजस्व शामिल है, लेकिन 31 मार्च 2024 तक चालान जारी नहीं किए गए थे।

16.2 बिना बिल पारेषण शुल्क में 360.65 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 365.72 लाख रुपये) शामिल हैं, जो पारेषण शुल्क से संबंधित हैं, जिनके लिए 31 मार्च 2024 तक चालान जारी नहीं किए गए थे।

टिप्पणी 17: वर्तमान परिसंपत्तियां –अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम		
संबंधित पक्ष		
असुरक्षित	136.08	4.71
कर्मचारियों		
असुरक्षित	0.49	3.29
अन्य		
असुरक्षित	0.50	0.50
राजस्व/सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	22.42	20.47

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आयकर रिफंड	243.17	475.05
कर अधिकारियों के पास जमा	4.59	-
पूर्व–प्रदत्त खर्च	32.90	34.13
अन्य	144.18	193.38
योग	**584.33**	**731.53**

टिप्पणी 18: वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर देयताएं	(10,595.90)	(10,796.21)
अग्रिम कर	6,366.00	8,153.00
टीडीएस प्राप्य	5,470.39	2,674.50
योग	**1,240.49**	**31.29**

18.1 आयकर पर महत्वपूर्ण लेखा नीति के बिंदु संख्या 11 को देखें।

टिप्पणी 19: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
सम मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000 रुपये (31 मार्च 2023 तक सममूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000 रुपये)	2,00,000	2,00,000
जारी और अभिदत्त		
1,35,40,000 सममूल्य के इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000 रुपये (31 मार्च 2023 को प्रत्येक 1000 रुपये के सममूल्य के 1,35,40,000 इक्विटी शेयर)	1,35,400	1,35,400
पूर्ण प्रदत्त		
1,35,40,000 सममूल्य के इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000 रुपये (31 मार्च 2023 को प्रत्येक 1000 रुपये के सममूल्य के 1,35,40,000 इक्विटी शेयर)	1,35,400	1,35,400

(क) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में शेष शेयर	13,540,000	135,400	3,540,000	35,400
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	10,000,000	100,000
वर्ष के अंत में शेष शेयर	**13,540,000**	**135,400**	**13,540,000**	**135,400**

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार:

कंपनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के साथ केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मतदान अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग किए जाने योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक भी उनके लिए समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	13,540,000	100%	13,540,000	100%

(घ) प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरण:

वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित व्यक्ति*	13,540,000	100%	-

वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित व्यक्ति*	13,540,000	100%	-

*6 शेयरों की संख्या भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित की जाती है।

(ङ) लाभांश: (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(i) इक्विटी शेयर – वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश 31 मार्च 2023 तक समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश– रुपये शून्य (31 मार्च 2022: रुपये शून्य) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए दीपम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से छूट के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई थी।	-	-
(ii) इक्विटी शेयर – समीक्षाधीन अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं लाभांश वित्त वर्ष 2023–24 के लिए दीपम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से छूट के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।	-	-

टिप्पणियां:

19.1. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के 27 मई, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को 31.03.24 को निवल मूल्य का 5% या वर्ष 2023–24 के लिए कर के बाद लाभ (पीएटी) का 30%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए दीपम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से छूट के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।

टिप्पणी 20: अन्य इक्विटी

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिधारित आय	145,775.78	102,231.41
योग	**145,775.78**	**102,231.41**

प्रतिधारित आय – (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथ शेष	102,231.41	70,645.99
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	43,602.61	31,564.96
घटा: अंतिम लाभांश का भुगतान	-	-
घटा: अंतरिम लाभांश का भुगतान	-	-
प्रतिधारित आय में सीधे मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की मदें		
परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि), कर का निवल	(58.24)	20.46
इति शेष	**145,775.78**	**102,231.41**

टिप्पणी 21: गैर–चालू वित्तीय देयताएं – ऋण

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
विदेशी मुद्रा ऋण (विश्व बैंक (आईबीआरडी) – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
आईबीआरडी ऋण (टिप्पणी संख्या 70 देखें)	18,908.55	219.93
सीटीएफ ऋण (टिप्पणी संख्या 70 देखें)	5,915.99	81.93
योग	**24,824.54**	**301.86**
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
15.06.2024 को देय*	472.71	-
15.12.2024 को देय*	472.71	-

* 28.03.2024 को प्रचलित विनिमय दर पर अमरीकी डॉलर 5,66,980.43 को परिवर्तित किया गया।

टिप्पणी 22: गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयता–(इंड एएस के रूप में 116 के लिए टिप्पणी संख्या 43 देखें)	166.91	164.20
योग	**166.91**	**164.20**

टिप्पणी 23: गैर–चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिधारण धन	-	4,023.14
निष्पादन गारंटी जमा	4,456.41	4,060.33
एसपीडी को देय – (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	81,943.11	90,896.66
योग	**86,399.52**	**98,980.13**

23.1 रुपये 4,456.41 लाख (4,060.33 लाख रुपये 31 मार्च 2023 तक) की निष्पादन गारंटी जमा राशि में आरएफएस की शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) द्वारा की गई जमा राशि शामिल है।

23.2 शून्य रुपये (रुपये 4,023.14 लाख 31 मार्च 2023 तक) की प्रतिधारण राशि में सेकी द्वारा छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप परियोजनाओं के प्रति किया गया प्रतिधारण शामिल है।

टिप्पणी 24: गैर–चालू देयताएं – प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,335.34	1,004.79
योग	**1,335.34**	**1,004.79**

24.1 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 44 में किया गया है।

टिप्पणी 25: गैर वर्तमान देयताएं – आस्थगित कर देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयताएं	4,648.75	416.85
योग	**4,648.75**	**416.85**

25.1 आस्थगित कर देनदारियों में उतार–चढ़ाव

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के आरंभ में आस्थगित कर देयताएं	416.85	418.00
जोड़: पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	4,327.61	29.15
घटा: कर्मचारी हितलाभ के कारण	(90.61)	(33.62)
घटा: दूसरों के कारण	(5.10)	3.32
वर्ष की समाप्ति पर आस्थगित कर देयताएं	**4,648.75**	**416.85**

टिप्पणी 26: अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ग्राहकों से अग्रिम	90.00	229.21
अप्राप्त सफलता शुल्क	4,588.40	5,058.75
योग	**4,678.40**	**5,287.96**

26.1 ग्राहकों से 90.00 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 229.21 लाख रुपये) अग्रिम लेखा नीति के अनुसार अग्रिम रूप से प्राप्त सफलता शुल्क के लिए है (संदर्भ बिंदु संख्या 1.सी.7.2.1)

26.2 अप्रमाणित सफलता शुल्क 4,588.40 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 5,058.75 लाख रुपये) में विनिर्माण सुविधा से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए प्राप्त सफलता शुल्क के लिए 3,812.80 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 4,568.00 लाख रुपये) शामिल हैं। (संदर्भ बिन्दु संख्या 1.सी.7.2.1)। टिप्पणी संख्या 72 देखें।

टिप्पणी 27: वर्तमान वित्तीय देयताएं – ऋण

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
मांग पर चुकाने योग्य ऋण		
बैंकों से	-	-
सुरक्षित	-	-
कैश क्रेडिट/ओडी	5,075.44	-
असुरक्षित	-	-
कैश क्रेडिट/ओडी	-	-
योग	**5,075.44**	**-**

27.1 बैंकों से नकद ऋण/ओडी वर्तमान और भविष्य सहित कंपनी की प्राप्तियों/बही ऋणों पर प्रथम पैरी पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है। अनाहरित ऋण सुविधाओं के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

टिप्पणी 28: वर्तमान देयताएं – पट्टा देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयता–भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (टिप्पणी संख्या 43 देखें)	13.30	12.66
योग	**13.30**	**12.66**

टिप्पणी 29: वर्तमान वित्तीय देयताएं – व्यापार देय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार देय		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (टिप्पणी संख्या 56 देखें)	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	41,026.26	44,451.09
योग	**41,026.26**	**44,451.09**

टिप्पणी 30: वर्तमान देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पूंजीगत व्यय के प्रति देय	3,066.17	3,276.65
खर्चों के प्रति देय	468.22	350.70
भुगतान सुरक्षा निधि (टिप्पणी 63 देखें)	166,224.74	150,013.49
भुगतान प्रतिभूति जमा	16,296.48	6,917.61
बिना बिल वाले देय–सौर/पवन/हाइब्रिड	119,722.03	97,987.49
बैंक गारंटी नकदीकरण–पवन/फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना (टिप्पणी संख्या 68 देखें)	53,041.98	33,210.52
देय प्रतिभूति जमा	407.27	411.48
संवितरण के लिए सब्सिडी	33,278.82	36,063.63
एसपीडी को देय (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	6,610.61	6,904.23
प्रतिधारण धन	17,285.84	179.46
अर्जित ब्याज लेकिन विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआरडी और सीटीएफ) के कारण नहीं	90.15	0.74
प्रतिबद्धता प्रभार अर्जित लेकिन विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआरडी और सीटीएफ) के कारण नहीं	43.22	20.69
अन्य देय	1,006.63	997.15
योग	**417,542.16**	**336,333.84**

30.1 रुपये 407.27 लाख (31 मार्च 2023 तक 411.48 लाख रुपये) की देय प्रतिभूति जमा राशि कंपनी द्वारा जारी विभिन्न आरएफएस की शर्तों के अनुसार पक्षों द्वारा जमा की गई राशि की ओर है।

30.2 बिना बिल देय – सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड पावर 1,19,722.03 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 97,987.49 लाख रुपये) विद्युत् की क्रय के लिए है जिसके लिए आरएफएस की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक चालान नहीं बनाए गए थे।

30.3 संवितरण के लिए सब्सिडी 33,278.82 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 36,063.63 लाख रुपये) आगे संवितरण के लिए एमएनआरई से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए है (लेखा नीति 1.सी.16 देखें)। इसमें वर्ष के दौरान जमा किए गए निवल ब्याज (एमएनआरई को वापस अर्जित ब्याज कम अर्जित किया गया) के कारण 1,185.31 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 854.34 लाख रुपये) शामिल हैं, जो एमएनआरई को देय है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, सेकी

को एमएनआरई द्वारा विभिन्न अतिरिक्त योजनाओं के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत धन के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार है।

30.4 अन्य देय में ब्याज के साथ विवाद समाधान शुल्क शामिल है, (टिप्पणी 67 देखें) 375.93 लाख रुपये (विगत वर्ष 373.62 लाख रुपये)।

30.5 अन्य देय में 357.41 लाख रुपये (विगत वर्ष 361.01 लाख रुपये) का देय बिना बिल पारेषण शुल्क शामिल है, जो पारेषण शुल्क से संबंधित है, जिसके लिए 31 मार्च 2024 तक चालान प्राप्त नहीं हुए थे।

टिप्पणी 31: वर्तमान देयताएं – प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	776.50	824.86
अन्य प्रावधान	52.14	47.67
योग	**828.64**	**872.53**

31.1 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 44 में किया गया है।

टिप्पणी 32: अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ग्राहकों से अग्रिम	2,603.21	1,620.51
दूसरों से अग्रिम	41.30	41.25
प्रतिभूति जमा राशि	76.24	76.24
वैधानिक देय राशि	1,323.08	1,112.71
अप्राप्त फंड हैंडलिंग शुल्क – एमएनआरई	-	0.65
अप्राप्त सफलता शुल्क	1,820.47	1,835.50
अन्य देय	2,053.33	3,474.69
योग	**7,917.63**	**8,161.55**

32.1 ग्राहकों से 2,603.21 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,620.51 लाख रुपये) का अग्रिम अग्रिम लेखा नीति के अनुसार अग्रिम रूप से प्राप्त सफलता शुल्क के लिए है (संदर्भ बिंदु संख्या 1.सी.7.2.1)

32.2 अन्य से 41.30 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 41.25 लाख रुपये) की अग्रिम राशि अरुणाचल प्रदेश में गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अग्रिम राशि के लिए है।

32.3 अन्य देय राशि में रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के अंतर्गत विभिन्न डेवलपर्स से प्राप्त 488.40 लाख रुपये की राशि शामिल है। (टिप्पणी संख्या 62 देखें)

32.4 अप्रमाणित सफलता शुल्क 1,820.47 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,835.50 लाख रुपये) में लेखांकन नीति के अनुसार अग्रिम में विनिर्माण सुविधा से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए प्राप्त सफलता शुल्क के लिए 1,138.72 रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,392.00 लाख रुपये) शामिल हैं। (संदर्भ बिन्दु न. 1.सी.7.2.1)। टिप्पणी संख्या 72 देखें।

टिप्पणी 33: वर्तमान कर देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर देयताएं	-	-
अग्रिम कर	-	-
टीडीएस प्राप्य	-	-
योग	**-**	**-**

टिप्पणी 34: आस्थगित राजस्व

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित आय – रूफटॉप के लिए अनुदान	326.30	344.34
आस्थगित आय आय – प्रतिधारण धन	183.19	505.61
आस्थगित राजस्व आय – निष्पादन गारंटी जमा	14,634.52	15,171.74
आस्थगित आय – लेह परियोजना के लिए अनुदान	1,202.05	-
योग	**16,346.06**	**16,021.69**

34.1 आस्थगित आय – रूफटॉप के लिए अनुदान 326.30 लाख रुपये (रुपये 344.34 लाख 31 मार्च 2023 तक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित एमएनआरई से प्राप्त सरकारी अनुदान की ओर है।

34.2 आस्थगित आय–छत्तीसगढ़ परियोजना के लिए 1,202.05 लाख रुपये का अनुदान एमएनआरई से छत्तीसगढ़ में बीईएसएस के साथ 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त सरकारी अनुदान की ओर है।

टिप्पणी 35: संचालन से राजस्व

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत् की बिक्री	728,027.85	703,077.94
विद्युत् की बिक्री (पट्टा किराया के रूप में प्राप्त)	561,792.66	369,166.62
सेवाओं की बिक्री	11,009.07	6,261.98
अन्य परिचालन आय	2,677.38	1,000.60
योग	**1,303,506.96**	**1,079,507.14**

टिप्पणियां:

35.1. विद्युत् की बिक्री 4,570.44 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए 4,283.67 लाख रुपये) की छूट का निवल है।

35.1.1 विद्युत् की बिक्री में 1,19,014.20 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए, 1,00,283.85 लाख रुपये) की अनंतिम अबिल्ड बिक्री शामिल है, जिसके लिए पीएसए की शर्तों के अनुसार बाद के माह में बिल तैयार किए जा रहे हैं।

35.2. सेवाओं की बिक्री में निम्नलिखित शामिल हैं –

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्शी आय	251.22	435.67
परियोजना निगरानी शुल्क	9,230.71	4,590.05
अन्य	1,527.14	1,236.26
योग	**11,009.07**	**6,261.98**

35.2.1 अन्य में पीटीसी के साथ पवन ऊर्जा परियोजना अनुबंध के संबंध में 22.64 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए – 24.37 लाख रुपये) के साथ 7 पैसे प्रति यूनिट के ट्रेडिंग मार्जिन / 25.50% (करों सहित) की शेयरिंग का अनंतिम बिना बिल राजस्व शामिल है, जिसके लिए बाद के माह में बिल तैयार किए जा रहे हैं।

35.3. अन्य परिचालन आय में निम्नलिखित शामिल हैं – (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा शुल्क	1,258.05	644.16
रूफटॉप – अन्य प्राप्तियां (टिप्पणी संख्या 65 देखें)	2.16	1.78
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान	25.98	17.99
विविध	1,391.19	336.67
योग	**2,677.38**	**1,000.60**

टिप्पणी 36: अन्य आय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	7,235.53	5,186.19
आस्थगित राजस्व आय – निष्पादन गारंटी जमा	770.23	759.88
आस्थगित राजस्व आय–प्रतिधारण धन देय	322.42	18.03
प्रतिभूति जमा प्राप्तियों पर छूट बंद करना	0.42	0.39
संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	1,711.95	948.75
अन्य गैर–परिचालन आय	32.03	22.60
योग	**10,072.58**	**6,935.84**

36.1 ब्याज आय में सावधि जमा डिपॉजिट/ऑटोस्वीप सावधि जमा, मोबिलाइजेशन अग्रिम और कर्मचारियों को 7,235.53 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए 5,186.19 लाख रुपये) के वाहन अग्रिम पर ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 37: विद्युत् की क्रय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत् का क्रय	694,663.10	675,335.52
विद्युत् का क्रय (पट्टा किराया के रूप में भुगतान)	546,783.96	358,990.18
योग	**1,241,447.06**	**1,034,325.70**

37.1 विद्युत् की क्रय पर 19,878.95 लाख रुपये की छूट (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए 15,584.78 लाख रुपये) की छूट है।

37.2 विद्युत् के क्रय में 1,19,722.03 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए 97,987.49 लाख रुपये) की अनंतिम बिना बिल वाला क्रय शामिल है, जिसके लिए पीपीए की शर्तों के अनुसार बाद के माह में बिल प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 1,19,722.03 लाख रुपये की बिना बिल की गई क्रय में विद्युत् की 4,117.66 लाख रुपये की क्रय शामिल है, जिसके खिलाफ डिस्कॉम को बिक्री चालान जारी कर दिए गए हैं।

टिप्पणी 38: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और हितलाभ	4,619.08	2,783.47
भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	459.74	389.58
कर्मचारी कल्याण	226.68	23.82
योग	**5,305.50**	**3,196.87**

38.1. वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ और धन में योगदान में पीआरपी के लिए प्रावधान शामिल है। (टिप्पणी संख्या 59 देखें।

38.2. 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 44 में किया गया है।

टिप्पणी 39: वित्त लागत

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण पर ब्याज (सरकारी गारंटी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क सहित)	302.01	359.06
निष्पादन गारंटी जमा पर छूट बंद करना	355.92	324.39
देय प्रतिधारण धन पर छूट बंद करना	314.07	18.51
पट्टा देयता पर फाइनेंस कॉस्ट (इंड एएस 116)	16.01	15.68
बीजी/एलसी शुल्क	104.63	96.76
आस्थगित राजस्व व्यय – प्राप्य प्रतिभूति जमा	0.76	0.76
योग	**1,093.40**	**815.16**

39.1 कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक से 10,000 लाख रुपये, यस बैंक से 15,000 लाख रुपये, एक्सिस बैंक से 17,499 लाख रुपये, एचडीएफसी बैंक से 50,000 लाख रुपये, भारतीय स्टेट बैंक से 50,000 लाख रुपये, कोटक महिंद्रा बैंक से 57,000 लाख रुपये और पंजाब नेशनल बैंक से 30,000 लाख रुपये की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमा को मंजूरी है।

टिप्पणी 40: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर – (टिप्पणी 2 देखें)	1,387.92	689.89
उपयोग करने के अधिकार पर – (टिप्पणी 3 देखें)	771.59	771.56
अमूर्त परिसंपत्तियों पर – (टिप्पणी 5 देखें)	290.06	288.82
योग	**2,449.57**	**1,750.27**

नोट 41: अन्य व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन और प्रचार	312.27	553.84
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	10.66	8.57
बैंक प्रभार	4.13	0.99
बीमा व्यय	0.23	0.90
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1,372.28	692.81
लाइसेंस शुल्क	40.00	40.00
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि/बट्टे–खाते में डाली गई छूट	5.80	1.91
बैठकों के खर्चे	114.28	171.62

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सदस्यता शुल्क	15.51	16.82
विविध व्यय	459.10	319.13
कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव	83.87	61.19
मुद्रण, डाक और स्टेशनरी	22.15	18.91
व्यावसायिक पुस्तकें और पत्रिकाएं	0.39	0.60
किराया	3.60	7.44
भवन की मरम्मत और रखरखाव	212.93	196.65
सुरक्षा और जनशक्ति व्यय	546.75	506.85
प्रायोजन व्यय	96.73	37.88
सहायता सेवा शुल्क	-	1.29
टेलीफोन, मोबाइल व्यय और इंटरनेट व्यय	111.09	74.56
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	30.62	3.08
यात्रा और परिवहन व्यय	275.16	231.06
पानी, विद्युत् और विद्युत् शुल्क	108.51	104.96
वाहन किराया/संचालन और रखरखाव व्यय	76.79	88.89
संचालन और रखरखाव व्यय	278.76	365.72
खराब और संदिग्ध ऋण (हानि) और अन्य के लिए प्रावधान	7.91	11.65
दान	-	0.28
उप योग	**4,189.52**	**3,517.60**
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (टिप्पणी संख्या 66 देखें)	649.10	477.35
योग	**4,838.62**	**3,994.95**

41.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान के संबंध में विवरण **(लाख रुपए)**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षकों के रूप में		
लेखापरीक्षा शुल्क	8.75	7.79
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.73	0.78
अन्य क्षमता में		
अन्य सेवाएं (प्रमाणन शुल्क)	1.18	-
योग	**10.66**	**8.57**

42. इंड एएस–12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण

क) आयकर खर्च

(i) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर (लाख रुपए)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्तमान कर व्यय		
चालू वर्ष	10,595.90	10,796.21
विगत वर्षों के लिए समायोजन	(4.61)	6.89
कुल चालू कर व्यय	**10,591.29**	**10,803.10**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन	4,251.49	(8.03)
कुल स्थगित कर व्यय	4,251.49	(8.03)
कुल आयकर व्यय	**14,842.78**	**10,795.07**

(ii) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर–पूर्व	कर व्यय /(लाभ)	कर का निवल	कर–पूर्व	कर व्यय /(लाभ)	कर का निवल
परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	(77.82)	19.58	(58.24)	27.34	(6.88)	20.46

(iii) कर व्यय और भारत की घरेलू कर दर से गुणक लेखांकन लाभ का मिलान

(लाख रुपए)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कर–पूर्व लाभ	58,445.39	42,360.03
कंपनी की घरेलू कर दर 25.168% (P-Y- 25.168%) का उपयोग करके कर:	14,709.54	10,661.17
निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
जोड़ें/(घटा): विगत वर्ष का कर	(4.61)	6.89
जोड़ें/(कम): आस्थगित कर व्यय	4,251.49	(8.03)
जोड़ें: आयकर में अनुमत नहीं व्यय (निवल)	(4,107.10)	139.57
घटा: छूट प्राप्त आय	(6.54)	(4.53)
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर	**14,842.78**	**10,795.07**

43. इंड एएस–116 'पट्टों' के अनुसार प्रकटीकरण

अप्रैल 1, 2019, से कंपनी ने इंड एएस 116, पट्टों को अपनाया और प्रारंभिक आवेदन की तारीख को संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करके 1 अप्रैल, 2019 को मौजूद सभी पट्टा अनुबंधों पर मानक लागू किया।

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के वहन मूल्य में परिवर्तन

31 मार्च, 2024 को: (लाख रुपए)

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	स्वामी क्रय समझौता	योग
अप्रैल 1, 2023 तक शेष राशि	19,305.01	280.34	-	19,585.35
पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-
वृद्धियां	-	-	-	-
हटाई गई	-	-	-	-
परिशोधन	758.61	12.98	-	771.59
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	**18,546.40**	**267.36**	**-**	**18,813.76**

31 मार्च, 2023 को: (लाख रुपए)

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	स्वामी क्रय समझौता	योग
अप्रैल 1, 2022 तक शेष	20,063.62	293.29	-	20,356.91
इंड एएस 116 को अपनाने के कारण पुनर्वर्गीकृत	-	-	-	-
वृद्धियां	-	-	-	-
हटाई गई		-	-	-
परिशोधन	758.61	12.95	-	771.56
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	**19,305.01**	**280.34**	**-**	**19,585.35**

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर कुल मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया गया है।

वर्तमान और गैर–वर्तमान का ब्रेक–अप निम्नलिखित है:–

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के अंत तक पट्टा देयता	180.21	176.86
वर्तमान पट्टा देयता	13.30	12.66
गैर–वर्तमान पट्टा देयता	166.91	164.20

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पट्टा देयता में संचलन निम्नलिखित है: (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथ शेष	176.86	173.24
वृद्धियां:		
इस अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	16.01	15.68
हटाए गए:		
पट्टा देयता का भुगतान	12.66	12.06
इति शेष	**180.21**	**176.86**

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक बिना–छूट नगदी प्रवाह		
एक वर्ष से कम	13.30	12.66
एक से पांच वर्ष	77.15	73.47
पांच वर्ष से अधिक	384.52	401.49
वर्ष के अंत में कुल रियायती पट्टा देयता	474.97	487.62
वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	180.21	176.86

लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देनदारियों पर ब्याज	16.01	15.68
परिशोधन	771.59	771.56
पट्टा देनदारियों के मापन में शामिल नहीं किया गया परिवर्तनशील पट्टा भुगतान (पीपीए के अंतर्गत सौर/पवन/हाइब्रिड/फ़्लोटिंग पावर प्लांट)	546,783.96	358,990.18
उप– पट्टा उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार से आय	-	-
अल्पकालिक पट्टा से संबंधित व्यय	3.60	7.44
अल्पकालिक पट्टा को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टा से संबंधित व्यय	-	-

विभिन्न विद्युत् क्रय करारों/विद्युत बिक्री करारों (पीपीए/पीएसए) के अनुसार व्यवस्थाओं को पट्टा माना जाता है जहां सौर विद्युत् विकासकर्त्ताओं को भुगतान/डिस्कॉम से प्राप्तियां केवल सौर विद्युत् संयंत्रों द्वारा सृजित आउटपुट पर निर्भर करती हैं। इंड एएस 116 के प्रारंभ के दौरान कंपनी ने व्यावहारिक समीचीन का विकल्प चुना है और तदनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है। 1 अप्रैल 2019 के बाद दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को पट्टा के रूप में माना जाता है और परिवर्तनीय भुगतान/प्राप्तियों को पट्टा किराया (पट्टे के रूप में माने जाने वाले पीपीए पर/पट्टे के रूप में माने जाने वाले पीएसए पर) के रूप में प्रकट किया जाता है।

सेकी ने डीआरडीओ कैंपस, कोलार कर्नाटक में 10 मेगावाट सौर परियोजना की स्थापना के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त समझौता–ज्ञापन के अनुसरण में, डीआरडीओ ने उपयोग के अधिकार के आधार पर पट्टे की भूमि के लिए 11.02.2019 को लाइसेंस डीड/भूमि उपयोग अनुमति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, डीआरडीओ ने पीपीए के 25 वर्षों की पूरी अवधि के लिए निर्धारित 1 रुपये (प्रति माह) के नाममात्र पट्टा किराए पर 50 एकड़ भूमि प्रदान की है, जिसे पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पट्टा किराया विद्युत् आपूर्ति शुरू होने की तारीख से देय है। यह परियोजना 23.10.2020 को चालू की गई थी। सेकी ने उपरोक्त पट्टा भुगतान को आरओयू एसेट के रूप में मान्यता नहीं दी है क्योंकि पट्टा भुगतान बहुत महत्वहीन है।

44. इंड एएस–19 के अनुसार प्रकटीकरण, कर्मचारी हितलाभ परिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान:

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि (प्रशासन शुल्क सहित) और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित राशि निम्नानुसार है:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ईपीएफओ को भुगतान की गई/देय राशि	169.76	166.18
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए मूल संगठन को भुगतान की गई राशि	-	-
घटाः अनुदान में स्थानांतरित/पूंजीकृत	-	-
लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि	**169.76**	**166.18**

पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदानः

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, जो 1 जून 2012 से प्रभावी है, को एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना के अनुसार, सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट मासिक आधार पर एलआईसी को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है।

परिभाषित हितलाभ योजना

ग्रेच्युटीः

कंपनी में एक परिभाषित हितलाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी का पात्र है, जो सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा–समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख रुपये है। ग्रेच्युटी के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। दायित्व अ–वित्त–पोषित है।

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना (पीआरएमएस):

कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा व्यय के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। दायित्व अ–वित्त–पोषित है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्तियों/देयता की स्थिति निर्धारित करती हैः

(लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्वों में परिवर्तनः				
परिभाषित हितलाभ दायित्व, वर्ष के प्रारम्भ में	316.25	276.17	118.69	101.04
अधिग्रहण समायोजन	-	2.59	-	-
वर्तमान सेवा लागत	53.59	46.96	25.25	17.90
ब्याज लागत	23.34	19.33	8.76	7.07

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
पिछली सेवालागत	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(46.66)	(8.78)	(2.29)	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	42.22	(20.02)	35.59	(7.32)
परिभाषित हितलाभ दायित्व, वर्ष के अंत में	**388.74**	**316.25**	**186.00**	**118.69**

तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त राशिः (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	388.74	316.25	186.00	118.69
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	**388.74**	**316.25**	**186.00**	**118.69**
तुलन–पत्र में राशिः				
वर्तमान देयता	8.48	26.27	1.67	0.79
गैर–वर्तमान देयताएँ	380.26	289.98	184.33	117.90
निवल देयता	**388.74**	**316.25**	**186.00**	**118.69**

तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त राशिः (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
वर्तमान सेवा लागत	53.59	46.96	25.25	17.90
निवल ब्याज	23.34	19.33	8.76	7.07
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**76.93**	**66.29**	**34.01**	**24.97**

निवल ब्याज में शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
ब्याज व्यय/(आय)	23.34	19.33	8.76	7.07
निवल ब्याज	**23.34**	**19.33**	**8.76**	**7.07**

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त शामिल राशिः (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(42.22)	20.02	(35.60)	7.32
निवल ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	-	-
(ओसीआई) में मान्यता प्राप्त कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(42.22)**	**20.02**	**(35.60)**	**7.32**

बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि में शामिलः (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.61	(16.40)	-	-
अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	33.61	(3.62)	36.54	(1.31)
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**42.22**	**(20.02)**	**36.54**	**(1.31)**

निवल ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणियां	-	-	-	-
निवल ब्याज में शामिल ब्याज आय	-	-	-	-
निवल ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर वसूली	**-**	**-**	**-**	**-**

योजना परिसंपत्तियों से कम परिभाषित हितलाभ दायित्व के साथ वित्त–पोषित योजनाओं के लिए जानकारीः

(लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	**-**	**-**	**-**	**-**

बीमांकिक धारणा:

ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएं नीचे दी गई हैं **(लाख रुपए)**

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
छूट दर	7.22%	7.38%	7.22%	7.38%
मृत्यु दर	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)
अपेक्षित औसत शेष सेवाएँ (वर्षों में)	24.62	24.40	24.62	24.40
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी की कमी दरः (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष से अधिक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष तक	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	19.08	18.95	19.08	18.95

संवेदनशीलता विश्लेषण:

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.50% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित हितलाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

धारणाएं	धारणा में परिवर्तन	दायित्व ग्रेच्युटी के पीवी में परिवर्तन	धारणा में परिवर्तन	दायित्व पीआरएमबी के पीवी में परिवर्तन
छूट दर में बदलाव का असर	0.50% की वृद्धि	(26.05)	0.50% की वृद्धि	(11.25)
	0.50% की कमी	28.78	0.50% की कमी	10.86
पीआरएमबी के मामले में वेतन वृद्धि दर/ चिकित्सा लागत दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	28.99	0.50% की वृद्धि	10.81
	0.50% की कमी	(26.45)	0.50% की कमी	(11.20)

परिभाषित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफ़ाइल **(लाख रुपए)**

वर्ष	राशि	
	ग्रेच्युटी	पीआरएमबी
0 से 1 वर्ष	8.47	1.67
1 से 2 वर्ष	24.66	8.24
2 से 3 वर्ष	20.85	9.99
3 से 4 वर्ष	6.74	12.33
4 से 5 वर्ष	28.08	18.25
5 से 6 वर्ष	5.55	24.53
6 वर्ष बाद	294.35	75.01

अर्जित छुट्टी नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण योजना परिभाषित की है। इस योजना के अंतर्गत वे अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण के पात्र हैं, जो कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन हैं। छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है। दायित्व अ–वित्त–पोषित है।

अर्ध–वेतन छुट्टी नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बेनिफिट अर्ध–वेतन छुट्टी नकदीकरण प्लान परिभाषित किया है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन आधे वेतन के नकदीकरण के पात्र हैं। छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है। दायित्व अवित्तपोषित है। निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्ति (यों)/देयता की स्थिति निर्धारित करती है:

(लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन:				
वर्ष के प्रारम्भ में परिभाषित हितलाभ दायित्व	413.91	373.54	165.86	146.11
अधिग्रहण समायोजन	10.33	-	4.40	0.52
वर्तमान सेवा लागत	86.35	65.48	31.73	26.49
ब्याज लागत	30.55	26.15	12.24	10.23
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(48.03)	(57.76)	(21.83)	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	49.98	6.50	3.32	(17.49)
परिभाषित हितलाभ दायित्व, वर्ष के अंत में	**543.09**	**413.91**	**195.72**	**165.86**

तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त शामिल राशि: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	543.09	413.91	195.72	165.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	**543.09**	**413.91**	**195.72**	**165.86**
तुलन–पत्र में राशि:				
वर्तमान देयता	18.57	22.41	4.53	15.66
गैर–वर्तमान देयताएँ	524.52	391.50	191.19	150.20
निवल देयता	**543.09**	**413.91**	**195.72**	**165.86**

लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि में शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
वर्तमान सेवा लागत	86.35	65.48	31.73	26.49
निवल ब्याज	30.55	26.15	12.24	10.23
अवधि में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) या हानि	49.97	6.50	3.32	(17.49)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**166.87**	**98.13**	**47.29**	**19.23**

निवल ब्याज में शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
ब्याज व्यय/(ब्याज आय)	30.55	26.15	12.24	10.23
निवल ब्याज	**30.55**	**26.15**	**12.24**	**10.23**

बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि में शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	0.16	-	0.06
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	12.07	(22.62)	4.39	(8.48)
योजना देनदारियों पर अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक (लाभ)/हानि	37.90	28.96	(1.08)	(9.06)
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**49.97**	**6.50**	**3.31**	**(17.48)**

छुट्टी नकदीकरण के लिए लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएं नीचे दी गई हैं:

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31मार्च 2023
छूट दर	7.22%	7.38%	7.22%	7.38%
मृत्यु दर	100% of IALM (2012-14)		100% of IALM (2012-14)	
अपेक्षित औसत शेष सेवाएँ	24.62	24.40	24.62	24.39
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी नौकरी छोड़ने की दर: (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	19.08	18.95	19.08	18.95

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.50% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित हितलाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

मान्यताएं	धारणा में परिवर्तन	दायित्व अर्जित छुट्टी देयता के पीवी में परिवर्तन	धारणा में परिवर्तन	अर्ध–वेतन छुट्टी देयता
छूट की दर	0.50% की वृद्धि	(35.94)	0.50% की वृद्धि	(12.66)
	0.50% की कमी	39.19	0.50% की कमी	13.79
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	39.62	0.50% की वृद्धि	13.94
	0.50% की कमी	(36.18)	0.50% की कमी	(12.75)

परिभाषित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफ़ाइल **(लाख रुपए)**

वर्ष	राशि	
	अर्जित छुट्टी देयता	अर्ध–वेतन छुट्टी देयता
0 से 1 वर्ष	18.57	4.53
1 से 2 वर्ष	32.15	13.24
2 से 3 वर्ष	34.48	11.75
3 से 4 वर्ष	9.27	3.33
4 से 5 वर्ष	54.97	19.65
5 से 6 वर्ष	7.35	2.62
6 वर्ष बाद	386.30	140.59

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (औद्योगिक डीए पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों में मूल वेतन और डीए के 30% तक सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं जिनमें पीएफ, ग्रेच्युटी, पोस्ट सुपरनेशन चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल हैं। दिशा–निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इस संबंध में अपनी स्वयं की स्कीमें बनानी होती हैं। ग्रेच्युटी और पीआरएमएस के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है क्योंकि देयता अ–वित्त–पोषित है। तथापि, सभी कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान उक्त लोक उद्यम विभाग की सीमाओं तक ही सीमित होगा।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित अंशदान योजना – भविष्य निधि	162.61	157.56
2	परिभाषित अंशदान योजना – पेंशन	178.95	131.30
3	परिभाषित हितलाभ योजना– ग्रेच्युटी	76.93	46.28
4	परिभाषित हितलाभ योजना – पीआरएमएस	34.01	17.64
5	सेवानिवृत्ति के बाद अन्य लाभ	-	-
	योग	**452.50**	**352.77**

जोखिम प्रकटन

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से, इसमें कई जोखिम है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

क) संपत्ति की अस्थिरता:

कंपनी के पास अपने दायित्वों के संबंध में कोई योजना परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए यह इस संबंध में किसी भी जोखिम के संपर्क में नहीं है।

ख) छूट दर में बदलाव:

छूट दर में कमी से योजना देनदारियों में वृद्धि होगी, हालांकि यह आंशिक रूप से योजनाओं के बॉन्ड होल्डिंग्स के मूल्य में वृद्धि से ऑफसेट हो जाएगा।

ग) मुद्रास्फीति जोखिम:

पेंशन योजनाओं में, भुगतान में पेंशन मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए यह एक कम भौतिक जोखिम है।

घ) जीवन प्रत्याशा:

पेंशन प्लान के दायित्व सदस्य के जीवन के लिए लाभ प्रदान करना है, इसलिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के परिणामस्वरूप योजनाओं की देनदारियों में वृद्धि होगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुद्रास्फीति बढ़ने के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में बदलाव के प्रति उच्च संवेदनशीलता होती है।

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि निवेश की स्थिति एक परिसंपत्ति–देयता मिलान (एएलएम) ढांचे में प्रबंधित की जाती है जिसे दीर्घकालिक निवेश प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है जो कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के तहत दायित्वों के अनुरूप हैं। इस ढांचे में, कंपनी का एएलएम उद्देश्य लंबी अवधि की निश्चित ब्याज प्रतिभूतियों में परिपक्वता के साथ निवेश करके पेंशन दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों का मिलान करना है जो लाभ भुगतान से मेल लेखे हैं क्योंकि वे देय और उचित मुद्रा में आते हैं।

कंपनी सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेश की अवधि और अपेक्षित उपज कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी बहिर्वाह से कैसे मेल खा रही है। कंपनी ने पिछली अवधि से अपने जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को नहीं बदला है। निवेश अच्छी तरह से विविध हैं, जैसे कि किसी भी निवेश की विफलता का संपत्ति के समग्र स्तर पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

45. सरकारी अनुदान और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के लिए इंड एएस 20 लेखांकन के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न सरकारी भवनों में 1 मेगावाट पी ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता के कार्यान्वयन के लिए एमएनआरई से 450 लाख रुपये प्राप्त किए गए थे। 450 लाख रुपये में से 123.70 लाख रुपये 31 मार्च 2024 तक परिशोधन किए जा चुके हैं। (लेखा नीति संख्या 1.C.5 देखें।

46. इंड एएस 21 के अनुसार प्रकटीकरण 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'

विनिमय अंतर की राशि (143.67) लाख रुपये है जिसमें विश्व बैंक ऋण के कारण मार्क टू मार्केट (एमटीएम) हानि (143.38 रुपये) लाख (31 मार्च 2023: रुपये 0.40 लाख) शामिल हैं।

47. इंड एएस 24के रूप में 'संबंधित पक्षों के प्रकटन' के अनुसार प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्षों की सूची

i) संयुक्त उद्यम:

1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2. हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
3. कर्नाटक सोलर पावर डेवलप्मेंट कार्पोरेश लिमिटेड
4. लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5. रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
6. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता*	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
श्री जोशित रंजन सिकिदार**	निदेशक (वित्त)
श्री संजय शर्मा	निदेशक (सोलर)
श्री भूपिंदर सिंह भल्ला***	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी	सरकारी नामिति निदेशक
श्री ललित बोहरा****	सरकारी नामिति निदेशक
श्रीमती रश्मि सिंह*****	स्वतंत्र निदेशक
श्री राजकुमार सुदाम बडोले	स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील कुमार	कंपनी सचिव
श्री सी. कन्नन******	निदेशक वित्त
श्रीमती सुमन शर्मा*******	प्रबंध निदेशक

* 15 जून 2023 से

** 28 अगस्त 2023 से

*** 15 जून 2023 तक

****4 सितंबर 2023 से

*****7 मई 2023 तक

****** 31 मई 2023 तक

******* 19 मई 2023 तक

iii) सेवा–निवृत्ति पश्चात हितलाभ योजना:

1. सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

iv) एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो अधिकांश शेयरों को धारण करके केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है (टिप्पणी संख्या 19 देखें)। इंड एएस 24 के रूप में के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, संस्थाओं जिस पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं संबंधित पक्षों के रूप में माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं। ऐसी संस्थाएं जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेनदेन है, उनमें एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कंपनी ने नीचे उल्लिखित संस्थाओं और अन्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ टेलीफोन व्यय, जमा, सफलता शुल्क, निविदा शुल्क आदि जैसे अन्य लेनदेन किए हैं। ये लेनदेन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है।

ख. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:

संयुक्त उद्यम (लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	वर्ष के दौरान माल और सेवाओं की बिक्री/खरीद		
	कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं के लिए संविदा	-	-
	कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं के लिए अनुबंध	8.85	-
	माल की बिक्री/खरीद	-	-
ii)	कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	-
iii)	प्राप्त लाभांश	1,711.95	948.75
iv)	किया गया इक्विटी योगदान	-	-
v)	मंजूर ऋण	-	-
vi)	प्राप्त गारंटी	-	-

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान	32.78	131.30
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मुआवजा		
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	228.66	336.84
नियोजन उपरांत हितलाभ एवं अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	24.60	36.80
अन्य हितलाभ	61.30	18.85
योग	**347.34**	**523.79**

एक ही सरकार के नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन (लाख रुपए)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	एनटीपीसी लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत जारी अनुदान	47,181.20	3,225.00
		सौर ऊर्जा की खरीद	809.91	8,033.26
		प्राप्त परियोजना निगरानी शुल्क	181.96	-
2	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	प्राप्त निविदा शुल्क	71.98	18.00
		परियोजना की निगरानी शुल्क	-	767.00
		प्राप्त भुगतान सुरक्षा जमा	750.00	-
		सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	18,917.35	35,976.40

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
3	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	सोलर पावर की बिक्री–स्व परियोजना	1,248.53	1,243.19
		जीसीआरटी– चरण II के तहत जारी सब्सिडी	-	96.96
4	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सौर ऊर्जा की खरीद	7,565.93	-
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेवा–निवृत्ति के बाद के हितलाभ	19.62	
		पोस्ट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	-	2.19
6	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	परामर्शी आय	145.61	80.04
		आवास किराया भुगतान	1.14	-
		अनुदान – सीपीएसयू – सरकार उत्पादक योजना	2,739.80	-
7	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	डीडीयूजीजेवाई के तहत भुगतान जारी	-	757.82
8	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	अनुदान वितरित	28,074.98	-
9	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	एमएनआरई की मीडिया योजनाओं के लिए भुगतान	1,513.19	-
		व्यापार संवर्धन खर्च	-	17.39
		विज्ञापन और प्रचार	3.21	-
10	मुख्य निर्माण इंजीनियर (आर एंड डी) (पीटी–डीआरडीओ)	विद्युत् की बिक्री – डीआरडीओ की अपनी परियोजनाएं	723.07	717.79
		एसएलडीसी शुल्क	6.18	5.68
11	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	4,984.60	10,935.50
12	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	-	252.00
13	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बैठकों के लिए टीए/डीए	0.20	
		व्यापार संवर्धन खर्च	-	7.66
14	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	बैठकों के लिए टीए/डीए	0.44	-
15	लखनऊ सोलर पावर डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बैठकों के लिए टीए/डीए	0.25	-
		परामर्शी आय	0.18	-
	योग		**114,939.33**	**62,135.87**

ग. संबंधित पार्टियों के साथ बकाया शेष राशि (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वसूली योग्य राशि		
संयुक्त उद्यमों से	10.80	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं से	1,183.02	709.63
संबंधित पक्षों के संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्रावधान		
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	208.29	207.84
देय राशि		
संयुक्त उद्यमों के लिए	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं से	563.72	271.84

घ. व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन (लाख रुपए)

विवरण	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सोलर पार्क के लिए अनुदान जारी			
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	4,984.60	10,935.50
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	254.45	-
रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	-	252.00

ङ. ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम के बारे में प्रकटीकरण प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को या तो अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दिया जाता है:

क) मांग पर चुकौती; अथवा

ख) किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना,

ऋणकर्ता का प्रकार	वर्तमान अवधि		विगत अवधि	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	ऋणों की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	ऋणों की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत
प्रमोटर	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
निर्देशक	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
केएमपी	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
संबंधित पक्ष	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
योग	**शून्य**	**लागू नहीं**	**शून्य**	**लागू नहीं**

48. भारतीय लेखा मानक–27 के अनुसार प्रकटीकरण, पृथक वित्तीय विवरण

48.1 तैयार किए गए वित्तीय विवरण पृथक वित्तीय विवरण हैं।

48.2 संयुक्त उद्यमों में महत्वपूर्ण निवेश इस प्रकार हैं: –

संयुक्त उद्यमों में निवेश

विवरण	व्यवसाय का स्थान /निगमन का देश	स्वामित्व ब्याज		प्रमुख गतिविधियाँ
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थापना
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कर्नाटक, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	मध्य प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उत्तर प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
केरल रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	केरल, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास

संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को 'अलग वित्तीय विवरणों' पर भारतीय लेखा मानक 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापा जाता है।

49. इंड 33 के रूप में 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) प्रति शेयर मूल और डायल्यूटिड आय (रुपये में)	322.03	233.12
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	1,000.00	1,000.00
(ii) इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (लाख रुपए)		
संचालन से	43,602.61	31,564.96
(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)	13,540,000	13,540,000

50. इंड 37 के अनुसार 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्ति' प्रकटीकरण

50.1 प्रावधानों में उतर–चढाव

विवरण	संदिग्ध ऋण और अन्य के लिए प्रावधान	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के आरंभ में अग्रनीत राशि	289.08	302.07
वर्ष के दौरान परिवर्धन	7.90	11.65
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	(16.38)

विवरण	संदिग्ध ऋण और अन्य के लिए प्रावधान	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान उलटफेर/समायोजन	(0.02)	(8.26)
वर्ष के अंत में अग्रनीत राशि	**296.96**	**289.08**

50.2 आकस्मिक देयताएं

50.2.1 31 मार्च 2024 तक, विद्युत डेवलपर्स द्वारा कानून के दावों में बदलाव से संबंधित माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)/राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) के समक्ष कई याचिकाएं लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विकासकर्ताओं ने समीक्षा के लिए माननीय एपीटीईएल के समक्ष कानून दावों में परिवर्तन के संबंध में आयोग के आदेशों को चुनौती दी है। कानून के दावे में परिवर्तन के संबंध में माननीय एपीटीईएल के एक आदेश को डिस्कॉम और सेकी द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। आज की तारीख में मामला आगे की सुनवाई के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। दावे की राशि आकस्मिक है क्योंकि दावा राशि विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है जिन्हें विकासकर्ताओं द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और माननीय सीईआरसी/एपीटीईएल के आदेश पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, इसे बैक–टू–बैक आधार पर संबंधित खरीद संस्थानों से वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ डिस्कॉम ने कानून दावों में परिवर्तन के संबंध में माननीय एपटेल के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं किन्तु इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सेकी द्वारा बताई गई सुलह राशि पर माननीय एपीटीईएल द्वारा किसी भी विपरीत निर्णय को भविष्य की वार्षिकी से तुरंत समायोजित किया जाएगा और सेकी द्वारा अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) इस संबंध में संबंधित पावर डेवलपर्स द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता के आधार पर ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। (टिप्पणी संख्या 69 देखें)

50.2.2 कंपनी ने पारेषण कंपनियों, परियोजना विकासकर्ता (ओं) और पीपीए धारक के पक्ष में 1,20,572.69 लाख रुपए (विगत वर्ष 1,05,567.64 लाख रुपए) की संचयी राशि के लिए विभिन्न बैंक गारंटी/साख पत्र/स्टैंडबाई साख पत्र जारी करने के विरुद्ध बैंक(बैंकों) के पक्ष में प्रतिक्षतिपूर्ति प्रदान की है। उपलब्ध सीमाओं और गैर–निधि आधारित सीमा के उपयोग का बैंक–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	स्वीकृत गैर निधि आधारित सीमा*	उपयोग की गई सीमा 31.03.2024 तक
एचडीएफसी बैंक	50,000.00	29,121.43
आईसीआईसीआई बैंक	10,000.00	4,967.74
यस बैंक	15,000.00	13,378.09
एक्सिस बैंक	17,499.00	14,370.49
भारतीय स्टेट बैंक	50,000.00	49,190.06
कोटक महिंद्रा बैंक	57,000.00	9,544.88
पंजाब नेशनल बैंक	30,000.00	0.00
योग	**229,499.00**	**120,572.69**

*निधि आधारित ऋण सुविधा के साथ विनिमेय सीमाएं सहित।

50.2.3 कंपनी ने संबंधित अनुबंधों के नियमों और शर्तों का आंशिक रूप से अनुपालन न करने के लिए एमएनआरई विभिन्न रूफटॉप योजनाओं के तहत एलडी/जुर्माना के रूप में 31 मार्च, 2024 तक 1,580.53 लाख रुपये की (31 मार्च, 2023 तक– 1,578.37 लाख रुपये) राशि वसूल की है। इन एलडी प्रभारों को कंपनी की लेखा नीति के अनुसार सेकी की आय के रूप में लगातार मान्यता दी गई है। आय मान्यता पर वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ध्यान

में रखते हुए, इसे दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019, 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022 6 जून, 2022 और 22 नवंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से आगे के निर्देशों/सलाह के लिए एमएनआरई को भेजा गया है।

50.2.4 सेकी ने विभिन्न डेवलपर्स से खरीदी जाने वाली 1000 मेगावाट विद्युत् की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 04.11.2016 और 01.12.2016 को विद्युत् बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कमीशनिंग में देरी के मद्देनजर, एमएसईडीसीएल ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) में एक याचिका दायर की है, जिसमें सेकी द्वारा कम आपूर्ति के कारण नुकसान के रूप में 13,172 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है और सौर परियोजनाओं के लिए सीओडी से 31.03.2019 तक टैरिफ में कमी के लिए 1,374 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है। सेकी ने इस विषय पर एमईआरसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी लेकिन एमईआरसी ने 14.09.2020 को क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर अपना आदेश पारित किया, जहां उसने अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा। सेकी ने इस आदेश को एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी है। इसके अलावा, एमईआरसी ने 12.02.2021 को योग्यता के आधार पर अपना अंतिम आदेश पारित किया, जिसे सेकी द्वारा एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी गई थी। दोनों अपीलें एपीटीईएल के समक्ष लंबित हैं।

50.2.5 डीईआरसी ने सेकी ट्रेडिंग मार्जिन 7 पैसे प्रति यूनिट के भुगतान के लिए माननीय एपीटीईएल के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के खिलाफ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर की है। सेकी द्वारा उत्तर दायर किया गया है और मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। यदि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो 31 मार्च, 2024 को 4,399.16 लाख रुपए की आय उत्क्रमण होगी।

50.2.6 सेकी को पवन किश्त–VII योजना के तहत मैसर्स बेटम विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीपीए पर हस्ताक्षर न करने के लिए 1,200 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। आवेदन को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है, सीईआरसी का आदेश अभी भी लंबित है। सेकी द्वारा मंगलाचरण राशि को आय के रूप में बुक किया गया है और प्रतिकूल सीईआरसी आदेश के परिणाम से सेकी पर 1,200 लाख रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ा है।

49.2.7 सेकी द्वारा जारी विनिर्माण सुविधा निविदा से संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्र को रद्द करने और एपी डिस्कॉम द्वारा 7000 मेगावाट विद्युत की खरीद को रद्द करने के लिए माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। यह मामला आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है। यदि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो यह निविदा समाप्त कर दी जाएगी और इसके परिणामस्वरूप पीपीए और पीएसए रद्द हो जाएगा। सेकी को योजना के लिए एकत्र किए गए 11,466.40 लाख रुपये का सफलता शुल्क वापस करना होगा।

50.2.8 वर्ष के दौरान जीएसटी विभाग ने जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत पारित किया है और वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 97.18 लाख रुपये के जुर्माने के साथ मांग की है। उक्त आदेश के विरुद्ध सेकी ने जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की है और मामला न्यायाधीन है।

50.2.9 कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामले जहां कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है/भुगतान पीएसएम फंडों से किया जाना है/बीजी पहले से ही भुनाया गया है और आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, आकस्मिक देयताओं के तहत नहीं दिखाया गया है।

50.3 प्रतिबद्धताएं

49.3.1 पूंजीगत खाते (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों) पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 19,538.70 लाख रुपये (विगत वर्ष 98,527.04 लाख रुपये) है।

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण*	19,538.70	98,527.04
अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-

*डब्ल्यूटीसी नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए एनबीसीसी को भुगतान किए गए 8,281.97 लाख रुपये के पूंजीगत अग्रिम का निवल पूंजी प्रतिबद्धता है।

50.3.2 कंपनी में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है जिसमे 31 मार्च 2024 तक कोई भी बड़ाअनुमानित नुकसान हुआ हो।

51. इंड एएस–107 'वित्तीय लिखत' के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्तियां, नकद और नकद समतुल्य, निवेश, जमा शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को अपने वित्तीय लिखत के उपयोग से निम्नलिखित जोखिम है:

1. ऋण जोखिम
2. लिक्विडिटी जोखिम
3. बाजार जोखिम

1. ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, नकद और नकद समकक्षों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा से उत्पन्न होता है।

प्राप्य व्यापार

कंपनी में मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। इन भुगतान सुरक्षा तंत्रों ने कंपनी को वर्ष भर अच्छी तरह से सेवा दी है कंपनी ने विगत वर्ष में व्यापार प्राप्तियों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण हानि हानि का अनुभव नहीं किया है क्योंकि क्रेडिट जोखिम की कोई एकाग्रता नहीं है।

अन्य वित्तीय लिखत और नकद और नकद समकक्ष

कंपनी में 1,08,602.36 लाख रुपये (31 मार्च 2023 रुपये 1,32,321.32 लाख) नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष उच्च रेटिंग वाले बैंकों के पास रखे जाते हैं।

कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 1,07,128.32 लाख रुपये (31 मार्च 2023 रुपये 80,995.13 लाख) की जमा राशि रखी, जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों/संस्थानों के साथ जमा करती है।

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
संयुक्त उद्यम में गैर चालू निवेश*	-	-
बांड में गैर चालू निवेश	160,394.33	86,482.28
गैर–चालू ऋण एवं अग्रिम	199.96	69.54
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	81,950.75	90,904.04
नकद एवं नकद समतुल्य	108,602.36	132,321.32
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	107,128.32	80,995.13
वर्तमान ऋण एवं अग्रिम	3,086.61	1,657.84
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	123,063.16	119,126.75

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
प्राप्य व्यापार	175,825.53	173,944.27
योग	**760,251.02**	**685,501.17**

*संयुक्त उद्यमों में गैर–चालू निवेश का प्रकटन ऊपर नहीं किया गया है।

अपेक्षित क्रेडिट या हानि के लिए प्रावधान

(क) ऐसी वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 माह की प्रत्याशित साख हानियों का प्रयोग करके मापा जाता हो।

कंपनी में ऐसी परिसंपत्तियां है जहां प्रति–पक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रयोग करके मापा जाता हो।

कंपनी जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके और सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्तियों का जीवनकाल **(लाख रुपए)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना गया	135,640.57	33,924.76	1,743.77	1,710.64	1,121.89	1683.91	175,825.53
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां –जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	107.14	107.14
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां– अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-		137.68	137.68
घटाः क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-		(244.82)	(244.82)
कुल प्राप्य व्यापार	**135,640.57**	**33,924.76**	**1,743.77**	**1,710.64**	**1,121.89**	**1,683.91**	**175,825.53**
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	128,052.90	38,353.94	5,637.60	196.53	671.57	1031.33	173,943.87
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	104.14	104.14
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां– अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-		137.68	137.68
घटाः क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-		(241.42)	(241.42)
कुल व्यापार प्राप्य	**128,052.90**	**38,353.94**	**5,637.60**	**196.53**	**671.57**	**1,031.73**	**173,944.27**

2. लिक्विडिटी जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है, जहां तक संभव हो, कि अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए बिना, सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों के तहत, देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त तरलता होगी।

वित्तपोषण की व्यवस्था

समीक्षाधीन अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच थीः

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
फ्लोटिंग दर ऋण		
ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट'	43,654.07	29,327.33
विश्व बैंक से सावधि ऋण''	41,874.58	65,471.37

*कंपनी को निम्नलिखित बैंकों से निधि आधारित ऋण सीमा स्वीकृत हैः

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	स्वीकृत गैर निधि आधारित सीमा'	31.03.2024 तक उपयोग की गई सीमा	31.03.2023 तक उपयोग की गई सीमा	टिप्पणियां
एचडीएफसी बैंक	25,500.00	5,075.44	887.63	-
भारतीय स्टेट बैंक	2,000.00	-	-	-
एक्सिस बैंक	7,500.00	4,371.49	4,786.04	इस सीमा की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमाओं के रूप में उप–सीमा है जिसका उपयोग एसबीएलसी / एलसी / बीजी जारी करने के लिए किया जा सकता है। दर्शाया गया उपयोग केवल एसबीएलसी जारी करने के लिए है।
आईसीआईसीआई बैंक	100.00	-	-	यह गैर–निधि आधारित ऋण सुविधाओं की उप–सीमा है।
आईसीआईसीआई बैंक	1.00	-	-	–

बैंक का नाम	स्वीकृत गैर निधि आधारित सीमा'	31.03.2024 तक उपयोग की गई सीमा	31.03.2023 तक उपयोग की गई सीमा	टिप्पणियां
यस बैंक	3,000.00	-	-	–
कोटक महिंद्रा बैंक	15,000.00	-	-	यह गैर–निधि आधारित ऋण सुविधाओं की उप–सीमा है।
योग	**53,101.00**	**9,446.93**	**5,673.67**	

**उपर्युक्त राशि रुपये के बराबर है और इसकी गणना 28.03.2024 को समापन विनिमय दर (आरबीआई संदर्भ दर) पर की गई है।

व्यापार देय जीवनकाल अनुसूची (लाख रुपए)

बैंक का नाम	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	
(ii) अन्य	40869.40	-	-	-	156.86	41,026.26
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल देय व्यापार	**40,869.40**	**-**	**-**	**-**	**156.86**	**41,026.26**
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	44294.23	-	-	156.86	-	44,451.09
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल देय व्यापार	**44,294.23**	**-**	**-**	**156.86**	**-**	**44,451.09**

वित्तीय देयताओं की जीवनकाल अनुसूची

(लाख रुपए)

विवरण	देय नहीं	मांग पर	3 महीने या उससे कम	3–12 महीने	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएं	-	253,562.54	130,338.22	23,354.57	48,601.07	78,165.47	534,021.87
योग	**-**	**253,562.54**	**130,338.22**	**23,354.57**	**48,601.07**	**78,165.47**	**534,021.87**
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएं	-	213,858.10	109,358.29	6,011.01	50,782.62	55,480.81	435,490.83
योग	**-**	**213,858.10**	**109,358.29**	**6,011.01**	**50,782.62**	**55,480.81**	**435,490.83**

3. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलता है, जैसे ब्याज दरें कंपनी की आय को प्रभावित कर सकती हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को इष्टतम बनाते समय स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रकटन का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। बाजार जोखिम को आगे इस प्रकार अलग किया जा सकता है:

क) विदेशी मुद्रा जोखिम और ख) ब्याज दर जोखिम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिमः विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव करेगा।

(ii) ब्याज दर जोखिमः ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव करेगा।

52. इंड एएस 108 'प्रचालनिक खण्ड' के अनुसार प्रकटीकरण

क. सामान्य जानकारी

कंपनी में दो रिपोर्ट करने योग्य खंड हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो इसकी रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयाँ हैं। रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती हैं, और उन्हें अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि उन्हें विभिन्न तकनीक और विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सारांश कंपनी के प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड में संचालन का वर्णन करता हैः

क.1 पावर ट्रेडिंग और उत्पादनः कंपनी में पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और यह इस डोमेन में इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं से सौर/पवन विद्युत के व्यापार के माध्यम से सक्रिय है। इसके अलावा कंपनी विद्युत् उत्पादन के कारोबार में भी है।

क.2 परामर्शी और परियोजना प्रबंधनः इसमें परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सेवाएं आदि प्रदान करना शामिल है। प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड के परिणामों से संबंधित जानकारी नीचे शामिल की गई है। निष्पादन को आयकर से पहले खंड लाभ के आधार पर मापा जाता है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाने वाली आंतरिक प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल है। खण्ड लाभ का उपयोग निष्पादन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि इन उद्योगों में काम करने वाली अन्य संस्थाओं के सापेक्ष कुछ खंडों के परिणामों का मूल्यांकन करने में ऐसी जानकारी सबसे अधिक प्रासंगिक है। प्रचालनिक खण्ड के बीच ट्रांसफर की कीमतें तीसरे पक्ष के साथ लेनदेन के समान तरीके से निष्पक्ष लेनदेन के आधार पर होती हैं।

ख. रिपोर्ट करने योग्य खंडों और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों के सामंजस्य के बारे में जानकारीः

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	व्यापार खंड					
	पावर ट्रेडिंग और उत्पादन		परामर्शी और परियोजना प्रबंधन		योग	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
खंड राजस्व						
संचालन से राजस्व	1,290,939.14	1,073,040.46	11,011.23	6,263.76	1,301,950.37	1,079,304.22
अनावंटित ब्याज और अन्य आय	-	-	-	-	11,629.17	7,138.76
कुल	**1,290,939.14**	**1,073,040.46**	**11,011.23**	**6,263.76**	**1,313,579.54**	**1,086,442.98**
खंड परिणाम	46,657.14	37,083.60	10,609.97	5,858.03	57,267.11	42,941.63
अनावंटित व्यय, ब्याज और वित्त शुल्क	-	-	-	-	10,450.89	7,720.36
कर से पहले लाभ	-	-	-	-	58,445.39	42,360.03
करों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	14,842.78	10,795.07
कर के बाद लाभ	-	-	-	-	43,602.61	31,564.96
मूल्यह्रास और परिशोधन	1,298.75	601.38	392.21	390.28	1,690.96	991.66
अनावंटित मूल्यह्रास	-	-	-	-	758.61	758.61

बैंक का नाम	व्यापार खंड					
	पावर ट्रेडिंग और उत्पादन		परामर्शी और परियोजना प्रबंधन		योग	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर नकद व्यय	-	-	5.80	1.91	5.80	1.91
पूंजीगत व्यय	89,953.06		197.52	83.09	90,150.58	83.09
अनावंटित पूंजीगत व्यय					-	-

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	व्यापार खंड					
	पावर ट्रेडिंग और उत्पादन		परामर्शी और परियोजना प्रबंधन		योग	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अन्य जानकारी:						
खण्ड परिसंपत्तियां	800,058.66	614,122.15	2,510.84	3,046.57	802,569.49	617,168.71
अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	89,409.24	132,471.85
योग परिसंपत्तियां	**800,058.66**	**614,122.15**	**2,510.84**	**3,046.57**	**891,978.73**	**749,640.56**
खण्ड देयताएं	539,968.70	461,074.06	45,326.41	46,631.27	585,295.11	507,705.33
अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	25,507.84	4,303.82
योग देयताएं	**539,968.70**	**461,074.06**	**45,326.41**	**46,631.27**	**610,802.95**	**512,009.15**

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

प्रमुख ग्राहकों से राजस्व कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक है

(लाख रुपए)

देनदारों का नाम	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	2023–24	प्रतिशत %	2022–23	प्रतिशत %
उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड	171,192.11	13.13	137,688.12	12.75
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	148,437.97	11.39	132,382.79	12.26

53. इंड 113 के रूप में के अनुसार प्रकटीकरण–उचित मूल्य मापन श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां:						
निवेश						
– इक्विटी इंस्ट्रूमेंट*	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत
–बॉन्ड	-	-	160,394.33	-	-	86,482.28
ऋण	-	-	3,286.57	-	-	1,727.38
प्राप्य व्यापार	-	-	175,825.53	-	-	173,944.27
नकद और नकद समकक्ष	-	-	108,602.36	-	-	132,321.32
अन्य बैंक शेष	-	-	107,128.32	-	-	80,995.13
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	205,013.91	-	-	210,030.79
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**760,251.02**	**-**	**-**	**685,501.17**
वित्तीय देयताः						
ऋण	-	-	29,899.98	-	-	301.86
पट्टा देयता			180.21			176.86
व्यापार देय	-	-	41,026.26	-	-	44,451.09
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	503,941.68	-	-	435,313.97
योग वित्तीय देयता	**-**	**-**	**575,048.13**	**-**	**-**	**480,243.78**

*संयुक्त उद्यमों में 476 लाख रुपए के निवेश का प्रकटन ऊपर नहीं किया गया है।

54. इंड 115 के अनुसार प्रकटीकरण–ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

I. मदों और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में विद्युत् की बिक्री, व्यापार, परामर्शी और अन्य सेवाओं के माध्यम से विद्युत् की बिक्री से आय शामिल है। प्रमुख कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित हैः

(क) विद्युत् की बिक्री से राजस्व (स्व–उत्पादन)

कंपनी का राजस्व अपने संयंत्रों से विद्युत् की बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों, मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विद्युत् उपयोगिताओं के साथ–साथ राज्यों में काम करने वाली निजी डिस्कॉम को विद्युत् बेचती है। विद्युत की बिक्री सामान्यत ग्राहकों के साथ किए गए दीर्घावधि विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) के अनुसरण में की जाती है।

प्रकृति का विवरण, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैंः

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत् की बिक्री (स्व–उत्पादन)	कंपनी समय के साथ विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए हितलाभ प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। विद्युत बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) के अनुसार किया जाता है। राशि मासिक आधार पर बिल की जाती है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होती है।

(ख) विद्युत् कारोबार से राजस्व

(i) व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री

कंपनी विकासकर्ताओं से विद्युत क्रय कर रही है और इसे मूलधन सिद्धांत के आधार पर डिस्कॉम को बेच रही है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत प्रकृति का विवरण, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नानुसार हैंः

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री	कंपनी समय के साथ व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए हितलाभ को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण करारों की शर्तों के अनुसार किया जाता है। राशि मासिक आधार पर बिल की जाती है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होती है।

(ग) सेवाओं की बिक्री से राजस्व

कंपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य परामर्शी अनुबंधों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी अनुबंध करती है।

अनुबंधों के तहत निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और परामर्शी और अन्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परियोजना की निगरानी	कंपनी हासिल किए गए मील के पत्थर (ओं) के आधार पर निगरानी शुल्क समय/समय के साथ एक बिंदु पर शुल्क के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है। परियोजना निगरानी शुल्क से प्राप्त राजस्व का निर्धारण ठेकों की शर्तों के अनुसार किया जाता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जिसका अनुमान कंपनी में उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होते हैं।
परियोजना की निगरानी	कंपनी हासिल किए गए मील के पत्थर (ओं) के आधार पर निगरानी शुल्क समय/समय के साथ एक बिंदु पर शुल्क के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है। परियोजना निगरानी शुल्क से प्राप्त राजस्व का निर्धारण ठेकों की शर्तों के अनुसार किया जाता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जिसका अनुमान कंपनी में उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होते हैं।

II. राजस्व का विघटन

निम्न तालिका में, राजस्व को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता के समय से अलग किया जाता है:

(लाख रुपए)

विवरण	विद्युत् की बिक्री (स्व–उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	योग
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए					
राजस्व मान्यता का समय						
उत्पादों और सेवाओं को समय के साथ स्थानांतरित किया गया	3,493.96	1,286,326.55	9,033.61	251.22	394.03	1,299,499.37
उत्पाद और सेवाएँ एक समय पर स्थानांतरित की जाती हैं	-	-	197.10	-	1,133.11	1,330.21
योग	**3,493.96**	**1,286,326.55**	**9,230.71**	**251.22**	**1,527.14**	**1,300,829.58**

(लाख रुपए)

विवरण	विद्युत् की बिक्री (स्व–उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	योग
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए					
राजस्व मान्यता का समय						
उत्पादों और सेवाओं को समय के साथ स्थानांतरित किया गया	2,006.11	1,070,238.45	4,589.86	435.67	371.99	1,077,642.08
उत्पाद और सेवाएँ एक समय पर स्थानांतरित की जाती हैं	-	-	0.19	-	864.27	864.46
योग	**2,006.11**	**1,070,238.45**	**4,590.05**	**435.67**	**1,236.26**	**1,078,506.54**

III. संविदा मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलानः

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अनुबंध मूल्य	1,305,400.02	1,078,481.54
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
छूट	(4,570.44)	(4,283.67)
मान्यताप्राप्त राजस्व	**1,300,829.58**	**1,078,506.54**

IV. अनुबंध शेष राशि

अनुबंध परिसंपत्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब अनुबंधों पर बिलिंग पर अर्जित राजस्व की अधिकता होती है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध की संपत्ति को बिना बिल वाले राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है जब नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार होता है और केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है। संविदा देयताएं मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित होती हैं जिन्हें ग्राहकों से अग्रिम कहा जाता है।

निम्न तालिका व्यापार प्राप्तियों, बिना बिल वाले राजस्व और ग्राहकों से अग्रिम के बारे में जानकारी प्रदान करती हैः

(लाख रुपए)

देनदारों का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	प्रवाह	गैर–वर्तमान
व्यापार प्राप्य	175,825.53	-	173,944.27	-
बिना–बिल राजस्व	119,036.84	-	100,308.22	-
ग्राहकों से अग्रिम	2,603.21	90.00	1,620.51	229.21

55. निवर्तमान लेखांकन घोषणाएं

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, एमसीए ने कंपनी पर लागू मौजूदा मानकों में कोई नया मानक या संशोधन अधिसूचित नहीं किया है।

56. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा आवश्यक 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क) किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशिरू		
मूल राशि	-	-
उस पर देय ब्याज	-	-
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज राशि और आपूर्तिकर्ताओं को नियत दिन के बाद भुगतान की गई राशि	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अर्जित ब्याज और भुगतान नहीं किए गए शेष की राशि	-	-
ङ) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को उपर्युक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान किए जाने की तारीख तक और बाद के वर्षों में भी देय और देय ब्याज की राशि	-	-

57. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी में उपलब्ध अधिशेष निधियों को आवधिक रूप से अल्पावधि जमा राशि में रखा जाता है जिसमें इस प्रयोजन के लिए जारी सरकारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

58. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है, बोर्ड के कम से कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेकिन कंपनी में निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना नहीं थी क्योंकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सेकी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था। एमएनआरई से डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के बोर्ड में अधिक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है।

59. चालू वर्ष में निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए 374.82 लाख रुपए (विगत वर्ष 411.79 लाख रुपए) का निवल प्रावधान किया गया है। इसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा।

60. 31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्य और देय बकाया क्रमशः 1,75,825.53 लाख रुपये और 41,026.26 लाख रुपये है। आवश्यकता के अनुसार, सभी पक्षों को पुष्टिकरण पत्र भेजे गए थे। व्यापार पर देय बकाया 24,458.91 लाख रुपए की राशि की पुष्टि की गई है। डिस्कॉम और अन्य पार्टियों से 31.03.2024 तक प्राप्य व्यापार बकाया के मुकाबले 30 जून 2024 तक 1,68,774.32 लाख रुपये की व्यापार प्राप्य बकाया राशि प्राप्त हुई है।

61. 'चालू परिसंपत्तियों' के तहत दिखाए गए व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य शेष और 'चालू देयताओं' के तहत दिखाए गए व्यापार और अन्य देयताओं में स्थायीकरण/सामंजस्य और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन शेष शामिल हैं। सुलह सतत आधार पर की जाती है। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वहां प्रावधान किए गए हैं। समायोजन, यदि कोई हो, संबंधित पक्षों के साथ इसकी पुष्टि/सामंजस्य पर ध्यान दिया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

62. वर्ष के दौरान सेकी को आबंटित क्षमता के मुकाबले गैर–निष्पादन के कारण रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के अंतर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं से परिनिर्धारित क्षति के रूप में 25.99 लाख रुपए (प्रति वर्ष 2.15 लाख रुपए) की राशि प्राप्त हुई है। कुछ डेवलपर्स ने डीआरसी से संपर्क किया था और डीआरसी

ने एमएनआरई को अपनी सिफारिश में दिनांक 25–03–2022 को इन डेवलपर्स पर परिसमापन हर्जाना लगाने के लिए एक पद्धति का सुझाव दिया था। तदनुसार, सेकी ने डीआरसी से संपर्क करने वाले विकासकर्ताओं से संबंधित बीजी को लागू करने का सहारा नहीं लिया है। आज तक सेकी को डीआरसी आदेश दिनांक 25–03–2022 की अनुशंसा के आधार पर एमएनआरई से कोई आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले को दिनांक 03–06–2022, 06.04.2023 और 24.04.2024 के पत्र द्वारा एमएनआरई के साथ उठाया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेकी को 951.66 लाख रुपये (पी.वाई, शून्य) की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें 15.36 लाख रुपये का ब्याज और 42.71 लाख रुपये (पी.वाई, शून्य) शामिल हैं, जिसमें रूफटॉप 1000 मेगावाट योजना और रूफटॉप सीपीडब्ल्यूडी योजना के तहत विभिन्न डेवलपर्स से तरल नुकसान के रूप में 0.07 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।

सी एंड एजी लेखापरीक्षा ने अतीत में रूफटॉप योजना के तहत एलडी पर आय मान्यता के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति भी की है (टिप्पणी संख्या 49.2.3 देखें)। तदनुसार, सेकी ने विभिन्न रूफटॉप योजनाओं के अंतर्गत विक्रेता से प्राप्त 1467.33 लाख रुपए की परिनिर्धारित क्षतिपूत को एमएनआरई से लंबित अनुदेशों के रूप में आय के रूप में नहीं माना है।

63. एमएनआरई ने 04 फरवरी 2019 के आदेश के तहत पीएसएम दिशानिर्देश जारी किए। तदनुसार, पीएसएम निधि एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में एमएनआरई से प्राप्त 50,000.00 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 50,000.00 लाख रुपये) शामिल हैं। कुल पीएसएम निधियां 1,66,224.74 लाख रुपए की हैं जिसमें बीजी नकदीकरण, विस्तार राशि, प्रशुल्क में कमी आदि शामिल हैं। 31.03.2024 तक निकाली गई और उपयोग की गई राशि ऊर्जा बिलों के खिलाफ डिस्कॉम से अतिदेय के कारण 21,363.63 लाख रुपये और कानून (जीएसटी/एसजीडी) दावों में बदलाव के खिलाफ डिस्कॉम से अतिदेय के कारण 394.13 लाख रुपये है।

64. सेकी आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में 160 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस (बीईएसएस) के साथ बड़े पैमाने पर सौर–पवन हाइब्रिड परियोजना विकसित करने की प्रक्रिया में था, जिसमें सौर 120 मेगावाट और पवन 40 मेगावाट है। परियोजना की स्थापना के लिए नियोजित कुल भूमि लगभग 889.90 एकड़ है, जिसमें से 690.68 एकड़ भूमि के लिए अग्रिम कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। जिला कलेक्टर, अनंतपुर को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आवंटित भूमि के लिए 2,120.71 लाख रुपये की कुल अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था और इसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2020–21 में, आंध्र प्रदेश के नए और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) ने दिनांक 11.08.2020 और 30.09.2020 के पत्रों के माध्यम से सेकी को नई निर्यात नीति के बारे में सूचित किया है और कहा है कि भूमि अब सेकी को केवल पट्टे के आधार पर आवंटित की जाएगी और पट्टा किराया अग्रिम कब्जे की तारीख से शुरू होगा। सेकी द्वारा भुगतान की गई अनुग्रह राशि को पट्टा किराये में समायोजित किया जाएगा और अग्रिम अनुग्रह राशि पर सेकी को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

सेकी ने अपने पत्र दिनांक 28.09.2020, 14.06.2021, 21.06.2021 और 05.04.2022 के माध्यम से एनआरईडीसीएपी को बताया है कि अग्रिम कब्जे की तारीख से प्रस्तावित पट्टा रेंटल शुरू होने की तारीख सेकी के लिए अस्वीकार्य है। चूंकि पूर्ण और सन्निहित भूमि आज तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नहीं सौंपी गई है, इसलिए अग्रिम कब्जे की तारीख से पट्टा शुरू करना सही नहीं है और परियोजना कार्यकलापों को शुरू करने के लिए सेकी को पूर्ण और सन्निहित भूमि उपलब्ध कराने की तारीख से पट्टा किराया वसूलने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करना सही नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नई भूमि नीति की अधिसूचना प्रमुख भूमि पार्सल के कब्जे की तारीख से बहुत बाद में है, जिस स्थिति में नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यह मामला आन्ध्र प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। तदनुसार, इंड एएस–116 के अनुसार 200 मेगावाट परियोजना पर आरओयू परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता नहीं दी गई है।

एमएनआरई ने दिनांक 13.04.2021 के पत्र द्वारा 160 मेगावाट सौर पार्क योजना को रद्द कर दिया, इसके अलावा एमएनआरई ने दिनांक 11.11.2021 के पत्र के माध्यम से आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड पार्क की स्थापना के लिए सेकी को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तदनुसार, अब सेकी 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड

योजना के तहत उपरोक्त परियोजना स्थापित करेगा। एमएनआरई ने दिनांक 22.11.2022 के पत्र द्वारा परियोजना विन्यास को 200 मेगावाट सौर/पवन बीईएसएस हाइब्रिड पार्क से 200 मेगावाट सौर पार्क में बदल दिया। इसके अलावा एमएनआरई ने दिनांक 28.04.2023 के पत्र द्वारा रामीगिरी सोलर पार्क की क्षमता को 200 मेगावाट से बढ़ाकर 300 मेगावाट कर दिया। अब, सेकी सीपीएसयू योजना के तहत परियोजना को पूरा करेगा।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेकी ने पहचान की कि 300 मेगावाट सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए 1178.8 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। 1178.8 एकड़ भूमि में से 897.87 एकड़ आंध्र प्रदेश सरकार से श्एकमुश्त बिक्रीश के आधार पर ली जाएगी और शेष 280.93 एकड़ आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम (270.93 एकड़) और आंध्र प्रदेश के नए और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (10 एकड़) से पट्टे पर ली जाएगी।

1 मार्च 2024 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव ने रामगिरी और मुथुवाकुंतला गांवों में चिन्हित भूमि को अग्रिम कब्जे के समय प्रचलित दरों पर श्एकमुश्त बिक्रीश के आधार पर सेकी को आवंटित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की। इसके बाद, 5 मार्च 2024 को, सेकी ने उपाध्यक्ष और एमडी, एनआरईडीकैप को एक पत्र भेजकर सेकी को 'एकमुश्त बिक्री' के आधार पर भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया, जिस पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, 2120.71 लाख रुपए के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अनंतपुर को 208.49 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

65. रूफटॉप–अन्य परिचालन आय के तहत अन्य प्राप्तियों में आरएफएस के अनुसार एलडी/जुर्माना/सीयूएफ अपेक्षाओं को पूरा न करने के लिए वसूल किए गए 2.16 लाख रुपए (विगत वर्ष 1.78 लाख रुपए) शामिल हैं। आय मान्यता पर वित्त वर्ष 2017–18 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इसे दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019, 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022, 6 जून, 2020 और 22 नवंबर, 2022 के पत्र आगामी निर्देशों/सलाह के लिए जारी किए गए है।. एमएनआरई से लंबित निदेश/सलाह लेखा नीति संख्या 1.सी.9.2 के अनुसार इसे सेकी की आय के रूप में माना गया है।

66. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

66.1. कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना आवश्यक है। उपरोक्त के आधार पर, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सीएसआर राशि 628.86 लाख रुपये (विगत वर्ष 499.35 लाख रुपये) है। तदनुसार, सीएसआर व्यय के लिए राशि खर्च की गई है जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

(लाख रुपए)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1.	**स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना**		
	डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में बच्चों की ऑप्टिकल और स्पाइनल देखभाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्कूल बैग प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।	12.50	-
	सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिविरों के लिए सीएसआर सहायता।	17.76	-
	हरदोई, उत्तर प्रदेश में टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।	24.99	-
	आलंद, कलबुर्गी, कर्नाटक में चिकित्सा शिविरों के आयोजन के लिए सीएसआर सहायता।	18.00	-
	राजनांदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ियों में एलईडी टीवी की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएसआर सहायता।	135.27	-
	झारखंड के रांची में गेटवर्षसूद के 2 सरकारी स्कूल में पेयजल, टेबल, सौर पैनलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीएसआर सहायता।	24.30	-
2.	**भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना**		
	शारदा बालाग्राम परिसर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के 100 छात्रों को भोजन/दैनिक आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।	-	25.00
	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों अर्थात एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया और कलावती अस्पताल, दिल्ली में 44 सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर, वेंडिंग मशीन और नैपकिन की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता	-	33.66
	स्नेह कुटीर शारदा बालग्राम आश्रम की 40 वंचित छात्राओं के पोषण के लिए रामकृष्ण मिशन ग्वालियर को सीएसआर सहायता।	20.00	-
3	**पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना**		
	बिशुनपुर संकुल, गुमला, झारखंड में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के लिए सीएसआर सहायता।	60.97	76.90
	महाराष्ट्र में नासिक जिले के सुरगाना ब्लॉक में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के लिए सीएसआर समर्थन	139.66	27.48
	लेह में सरकारी संस्थानों और अन्य संस्थानों/एजेंसियों को सौर जल तापकों के वितरण के लिए एलएएचडीसी एलईएच को सीएसआर सहायता	-	25.08
	आईआईटी कानपुर में सतत जल प्रबंधन के लिए सीएसआर सहायता।	29.70	-
4	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान**		
	बंगलौर, कर्नाटक में परम केन्द्र की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता		70.83
5	**शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना**		
	लेह के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी का कार्यान्वयन।		88.60
	लेह लद्दाख में शिक्षक प्रशिक्षण		32.15
	ऋषिकेश में रामकृष्ण मिशन के 1 कॉटेज के विकास के लिए सीएसआर सहायता।	25.00	-
	मोंगोड, हुबली, कर्नाटक में आवासीय लामा शिविर में छात्रावास के उन्नयन और नवीकरण के लिए सीएसआर सहायता	-	49.70

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
	आलो, अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय स्कूल/छात्रावास, मोबाइल मेडिकल यूनिट और रामकृष्ण मिशन के अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए 1 वाहन के लिए सीएसआर सहायता।	10.30	-
	राजनांदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल साक्षरता उपकरणों के लिए सीएसआर सहायता।	38.13	-
6	**पीएम केयर्स फंड**	**-**	4.48
7	**विकास परियोजनाएं**		
	शारदा बालाग्राम परिसर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में सौर स्ट्रीट लाइट प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।	-	7.98
	अमेठी में गरीब परिवारों के लिए 125 सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के वितरण के लिए सीएसआर सहायता	-	35.50
	योगेश्वर बहुदेशीय शिक्षण संस्था के माध्यम से गोंदिया में सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता।	48.00	-
	छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव (आकांक्षी जिला) में सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, सड़कों के पक्के निर्माण के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीएसआर सहायता।	24.76	-
	अमेठी जिले में सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता।	19.75	-
	योग	**649.10**	**477.35**

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	628.86	499.35
ख. विगत वर्ष की कमी/(अधिक) राशि	-	(22.00)
ग. कुल (क+ख)	628.86	477.35
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	649.10	477.35
कमी राशि/अधिक राशि*	20.24	-

*वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खर्च की गई सीएसआर की अतिरिक्त राशि 20.24 लाख रुपये है।

66.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने समय–समय पर संशोधित कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 निर्धारित किए हैं। इन नियमों में अपेक्षित है कि किसी चालू परियोजना को छोड़कर खर्च न की गई सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि में अनुसूची VII में विनिदष्ट निधि में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। तथापि, यदि ऐसी राशि का उपयोग तीन वित्तीय वर्षों में नहीं किया जाता है तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि में अनुसूची VII में विनिदष्ट निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

67. एमएनआरई ने विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुपालन में, डेवलपर्स (एसपीडी/डब्ल्यूपीडी/रूफटॉप डेवलपर्स) ने डीआरसी से संपर्क किया है और 31 मार्च, 2024 तक 679.32 लाख रुपये (पीवाई रुपये 679.32 लाख) जमा किए हैं, जिसमें से गैर–वीजीएफ योजना से संबंधित राशि 317.09 लाख रुपये (पीवाई रुपये 316.09 लाख) है, इसे एक अलग ब्याज–असर वाले बैंक खाते में रखा गया है और 31 मार्च 2024 तक उस पर अर्जित ब्याज 58.85 लाख रुपये (विगत वर्ष 57.53 लाख रुपये) है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, विवाद समाधान समिति की सिफारिशों के अनुसार इस आशय का आदेश पारित होने की स्थिति में डीआरसी सदस्यों की फीस काटने के बाद राशि पार्टी को वापस कर दी जाती

है। कोई भी निर्णय डेवलपर के पक्ष में नहीं है, तो डेवलपर्स द्वारा जमा किए गए शुल्क को 07 जून 2023 के डीआरसी दिशानिर्देशों और उसके सभी प्रासंगिक संशोधनों के अनुरूप सेकी द्वारा बनाए गए अलग फंड में जमा किया जाएगा।

68. पवन विद्युत परियोजना/फ्लोटिंग सौर परियोजना/आईएसटीएस सौर/गैर वीजीएफ स्कीमों के विलंबित/चालू न होने के लिए विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गई बीजी/निधियों का नकदीकरण।

वर्ष के दौरान सेकी को पवन ऊर्जा के विलंबित/कमीशनिंग के लिए विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गई बीजी/निधियों के नकदीकरण, आईएसटीएस सौर, फ्लोटिंग सौर परियोजना/टैरिफ में कमी और वीजीएफ स्कीमों के कारण अतिरिक्त मार्जिन के कारण 19,903.01 लाख रुपये (प्रति वर्ष 28,791.05 लाख रुपये) प्राप्त हुए हैं। आरएफएस/पीपीए के प्रावधानों के अनुसार, पवन विद्युत के विलंबित/कमीशनिंग, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और नॉन वीजीएफ स्कीमों के लिए प्राप्त राशि को पीएसएफ के सृजन के लिए अलग रखा जाना है। तथापि, पवन विद्युत, फ्लोटिंग सौर परियोजना और गैर–वीजीएफ स्कीमों के लिए पीएसएफ के सृजन/प्रशासन हेतु दिशा–निर्देशों के जारी होने तक प्राप्तियों को अलग ब्याज वाले खाते/सीपीएसयू बांडों में निवेशित किया जाता है।

69. विद्युत विनियामक आयोगों (सीईआरसी/एसईआरसी) और एपीटीईएल ने सेकी को कानून दावों (जीएसटी/एसजीडी/बीसीडी/अन्य) में परिवर्तन की प्रतिपूत के लिए विद्युत विकासकर्ताओं को भुगतान करने का निदेश देते हुए आदेश पारित किए थे। इसके अतिरिक्त, पीएसए और आदेशों की शर्तों के अनुसार, इसकी वसूली संबंधित क्रय संस्थानों (डिस्कॉम) से बैक–टू–बैक आधार पर की जाएगी।

तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के तहत ''कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को मुआवजे'' के रूप में ब्याज राशि सहित 22,689.31 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) का खर्च बुक किया है। इसके अलावा, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूल किया जाना है, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के तहत कानून में बदलाव के कारण ''डिस्कॉम से मुआवजा'' शीर्ष के तहत आय के रूप में कुल 22,689.31 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) भी बुक की है।

खर्च और आय विद्युत् की खरीद और बिक्री के कारण होती है क्योंकि मुआवजा सीधे टैरिफ से संबंधित है। इसे एक असाधारण मद के रूप में माना गया है क्योंकि विकासकर्ताओं द्वारा किए गए दावे और डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि में महत्वपूर्ण है और व्यवसाय के परिचालन चक्र के दौरान असामान्य है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने सीईआरसी/एसईआरसी के आदेशों के अनुसार कानून में बदलाव के कारण पावर डेवलपर्स को 31,759.70 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 21,132.74 लाख रुपये) का भुगतान किया है और तदनुसार आदेशों के अनुसार बैक–टू–बैक आधार पर डिस्कॉम से इसकी मांग की है। डिस्कॉम को किए गए कुल दावे में से, वित्त वर्ष 2023–24 में प्राप्त राशि 46250.04 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 37,627.07 लाख रुपये) है। चूंकि कंपनी ने एकमुश्त भुगतान के बजाय वाषकी आधारित भुगतान तंत्र के लिए आवेदन किया है, बारह माह की अवधि के दौरान देय और वसूली योग्य राशि को चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष राशि को गैर–चालू के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, एकमुश्त आधार पर डिस्कॉम से प्राप्त किसी भी भुगतान को समायोजित किया जाता है और तदनुसार विकासकर्ताओं को भुगतान किया जाता है।

तदनुसार, पावर डेवलपर्स को देय 88553.72 लाख रुपये की राशि को ''एसपीडी को देय'' के रूप में दिखाया गया है और आगे 31 मार्च 2024 तक 6610.61 लाख रुपये की वर्तमान वित्तीय देयता और 81,943.11 लाख रुपये (विगत वर्षः वर्तमान वित्तीय देयता रुपये 6,904.23 लाख रुपये और गैर–चालू वित्तीय देयता रुपये 90,896.66 लाख) के लिए गैर–वर्तमान वित्तीय देयता में वर्गीकृत किया गया है।

डिस्कॉम से वसूली योग्य 85606.13 लाख रुपये की राशि को ''डिस्कॉम से वसूली योग्य'' के रूप में दिखाया गया है और आगे 31 मार्च 2024 तक 3663.18 लाख रुपये की वर्तमान वित्तीय संपत्ति और 81942.95 लाख रुपये की गैर–चालू वित्तीय संपत्ति (विगत वर्षः वर्तमान वित्तीय संपत्ति 18,450.59 लाख रुपये और गैर–चालू वित्तीय संपत्ति 90,896.66 लाख रुपये) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत विकासकर्ताओं को देय राशि और डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि के बीच का अंतर 2947.43 लाख रुपए है।

70. सेकी ने 14 दिसंबर, 2022 (14.02.2023 को पुनर्गठित) के साथ 80 मिलियन अमरीकी डॉलर (67 मिलियन अमरीकी डॉलर का आईबीआरडी ऋण और आईबीआरडी ऋण आईडी 8944–IN और सीटीएफ ऋण संख्या 8944–IN और सीटीएफ ऋण संख्या के साथ 13 मिलियन अमरीकी डॉलर का सीटीएफ ऋण)

का ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है। TF0A9875A विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के गारंटी समझौते के माध्यम से भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा संप्रभु गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जाता है। एमएनआरई और सेकी के बीच बैक–टू–बैक गारंटी समझौते पर 01.05.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण से $ 22.41 मिलियन और $ 6.99 मिलियन की राशि का संवितरण लिया गया है। आईबीआरडी ऋण 15 जून, 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2043 तक छमाही समान किस्तों में चुकाने योग्य है। आईबीआरडी ऋण पर ब्याज दर एसओएफआर (सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) प्लस 1.24% का परिवर्तनीय स्प्रेड है (31.03.2024 को)। सीटीएफ ऋण 15 जून, 2029 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2058 तक छमाही समान किस्तों में चुकाने योग्य है और इसमें 0.25% प्रति वर्ष का सेवा शुल्क (अर्थात ब्याज) है। इसके अलावा, आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण ब्याज के साथ देय ऋण की अनाहरित राशि पर क्रमशः @0.25% और @0.18% प्रतिबद्धता प्रभार लगाए जाते हैं। सेकी के निदेशक मंडल ने कंपनी की ''विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (एफईआरएमपी)'' 11 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित की। नीति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है जिसे कंपनी के विदेशी मुद्रा प्रकटन की हेजिंग से संबंधित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया गया है। वर्ष के दौरान ऋण अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

71. वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत रुपए 157.43 लाख (विगत वर्ष रुपए 393.61 लाख) है। ऋण लागत के समायोजन के रूप में मानी जाने वाली विनिमय दर के अंतर के कारण 0.63 लाख रुपए की राशि को ब्याज लागत माना गया है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी की प्रस्तावित सौर विद्युत परियोजना के लिए मीयादी ऋण पर खोजी गई ब्याज दर के आधार पर कार्यात्मक मुद्रा में ऋण लेने की लागत @7.90% पर विचार किया गया है। कंपनी द्वारा कोई सामान्य कॉर्पोरेट ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, इंडस 23 के अनुसार प्रकट की जाने वाली पूंजीकरण दर कंपनी पर लागू नहीं होती है।

72. सेकी ने विनिर्माण सुविधा से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए 12000 मेगावाट के लिए निविदा जारी की। वित्त वर्ष 2021–22 में सेकी द्वारा 9,600 लाख रुपये @ 80,000/– रुपये प्रति मेगावाट का सफलता शुल्क प्राप्त किया गया था।12000 मेगावाट क्षमता में से, 9234 मेगावाट के विद्युत् खरीद समझौतों (पीपीए) पर 31.03.2024 तक (31.03.2023 तक 9000 मेगावाट) हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 2333 मेगावाट के विद्युत क्रय करार को रद्द कर दिया गया था और 2333 मेगावाट की क्षमता मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फोर लिमिटेड को दी गई थी और उन्होंने सफलता शुल्क रु 1,866.40 लाख का भुगतान किया है।

तदनुसार, लेखा नीति सं 2874.88 लाख रुपए (पीवाई 792.00 लाख रुपए) की सफलता फीस को लेखा नीति सं 2005 के अनुरूप आय के रूप में बुक किया गया है। सी.9.2.1 और 4,951.52 लाख रुपये की शेष सफलता शुल्क को अनप्रोद्भूत सफलता शुल्क के रूप में दिखाया गया है। (टिप्पणी संख्या 26.2 और 32.4 देखें)।

73. कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखः

सभी अचल संपत्तियों का ब्यौरा (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) जिनके स्वामित्व के दस्तावेज कंपनी के नाम पर नहीं हैं और जहां ऐसी अचल संपत्ति दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित है, ब्यौरा निम्नानुसार है–

(लाख रुपए)

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के आइटम का विवरण	सकल वहन मूल्य	किसके नाम पर रखे गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से रखी गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
31 मार्च, 2024 तक						
अन्य (संपत्तियों के उपयोग का अधिकार)						
शून्य						
31 मार्च, 2023 तक						
अन्य (संपत्तियों के उपयोग का अधिकार)						
(क) आवासीय फ्लैट– एनबीसीसी	पट्टे पर दी गई संपत्ति	1,734.06	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए)	नहीं	11-08-2018 and 25-09-2019	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) के साथ पट्टा समझौते का निष्पादन 07.07.2023 को किया गया है।
(ख) वाणिज्यिक भवन – एनबीसीसी	पट्टे पर दी गई संपत्ति	19,181.48	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए)	नहीं	10-08-2018	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) के साथ पट्टा समझौते का निष्पादन 07.07.2023 को किया गया है।

74. बंद कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद कंपनियों के साथ लेनदेन के बारे में प्रकटीकरणः–

(लाख रुपए)

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	वर्तमान अवधि के अनुसार बकाया शेष	कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटन किया जाना है	विगत अवधि के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटन किया जाना है
31 मार्च, 2024 तक					
शून्य					
31 मार्च, 2023 तक					
शून्य					

75. महत्वपूर्ण अनुपातों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	अंश	हर	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% में परिवर्तन	टिप्पणियाँ
1	वर्तमान अनुपात	कुल चालू परिसंपत्तियाँ	कुल चालू देनदारियाँ	1.10	1.31	-15.74%	-
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण(1)	नेट वर्थ(2)	0.11	0.00	5210.37%	वर्ष के दौरान विश्व बैंक ऋण और नकद ऋण सुविधा के लाभ के कारण ऋण ₹ 478.82 लाख से बढ़कर ₹ 30080.19 लाख हो गया है।

क्र. सं.	विवरण	अंश	हर	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% में परिवर्तन	टिप्पणियाँ
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय(3)	ब्याज और लीज़ भुगतान + मूलधन चुकौती	39.10	41.27	-5.26%	-
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	कर के बाद शुद्ध लाभ – पूर्व लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.17	0.14	18.13%	-
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस या बिक्री	औसत इन्वेंट्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	7.45	7.96	-6.38%	-
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	29.05	23.30	24.69%	-
8	शुद्ध कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी(4)	27.66	9.07	204.84%	बिक्री में 20.75% की वृद्धि हुई अर्थात ₹ 10,79,507.14 लाख से ₹ 13,03,506.96 लाख तक और चालू देयताओं में ₹ 3,36,333.84 लाख से ₹ 4,17,543.82 लाख तक की वृद्धि के कारण कार्यशील पूंजी में कमी आई।
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	नेट बिक्री	0.03	0.03	14.40%	-
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज, कर, असाधारण मदों और अन्य व्यापक आय से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी(5)	0.19	0.18	3.95%	-
11	निवेश पर रिटर्न	निवेश से उत्पन्न आय	औसत निवेश	3.60	1.99	80.44%	वर्ष के दौरान जेवीसी से प्राप्त लाभांश ₹ 948.75 लाख से बढ़कर ₹ 1,711.95 लाख हो गया।

(1) **कुल ऋण:** दीर्घावधि उधार + अल्पावधि उधार + पट्टा देयताएँ

(2) **निवल मूल्य:** इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी

(3) **ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय:** करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर–नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान आदि। + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि, उचित मूल्य लाभ/हानि आदि।

(4) **औसत कार्यशील पूंजी:** कुल चालू संपत्ति – कुल चालू देयताएँ

(5) **नियोजित पूंजी:** मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयताएँ

74. इंड एएस 7 के अनुसार वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं का समाधान–नकदी प्रवाह

कंपनी की पट्टा देयताओं में परिवर्तन को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: **(लाख रुपए)**

विवरण	1 अप्रैल, 2023	नक़दी प्रवाह	गैर नक़दी परिवर्तन			31 मार्च, 2024
			पट्टा देयताओं के लिए निवल परिवर्धन	विदेशी मुद्रा उतर–चढाव	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	176.86	(12.66)	16.01	-	-	180.21

(लाख रुपए)

विवरण	1 अप्रैल, 2022	नक़दी प्रवाह	गैर नक़दी परिवर्तन			31 मार्च, 2023
			पट्टा देयताओं के लिए निवल परिवर्धन	विदेशी मुद्रा उतर–चढाव	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	173.24	(12.06)	15.68	-	-	176.86

77. कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से ऋण लिया है, कंपनी द्वारा बैंकों के पास दायर चालू परिसंपत्तियों का तिमाही विवरण/विवरणियां लेखा बहियों के साथ करार में हैं और कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं हैं।

78. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II के सामान्य अनुदेशों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक सूचना/प्रकटीकरण कंपनी पर लागू सीमा तक प्रकट किए जाते हैं।

79. तुलन–पत्र की तिथि के बाद कोई घटना नहीं हुई है, जिसका 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

परिचालन चक्र

80. कंपनी की कार्यकलापों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्तमान और गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

81. विगत वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक, पुन व्यवस्थित किया गया है अथवा पुन समूहित किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सुनील कुमार)	**(जोशित रंजन सिकिदार)**	**(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)**
कंपनी सचिव	**निदेशक वित्त**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
एम.नं. 17693	**डीआईएन 10301499**	**डीआईएन 03388822**

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 077201

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2024

समेकित वित्तीय रिपोर्ट
2023-24

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्गण
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''इसके बाद कंपनी'' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यमों (कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम एक साथ ''समूह'' के रूप में संदर्भित) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय के विवरण सहित) शामिल हैं, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और वर्ष का नकदी प्रवाह का वर्ष को समाप्त समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद ''समेकित इंड एएस विवरणियों'' के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अर्हक राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के वित्तीय विवरणियों पर प्रभाव को छोड़कर और नीचे दिए गए मामलों पर बल में संदर्भित, और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के आधार पर संयुक्त उद्यमों की पृथक वित्तीय जानकारी उपरोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियां, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित रूप में आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य हैं, मार्च, 2024 के अन्य व्यापक आय सहित उनके समेकित लाभ, इक्विटी में उनके समेकित परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अर्हक मत के लिए आधार

1. **आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एपीएसपीसीपीएल) में:**

   एपीएसपीसीपीएल का 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए **8,698.95 लाख रुपये** का निवल लाभ है, जिसमें से **4,349.48 लाख रुपये** सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हिस्से को समेकित वित्तीय विवरणियों में लेखांकन किया गया है।

   क) जीएसटी इनपुट का दावा भवन और बुनियादी ढांचे (अचल संपत्ति) पर किया जाता है, जबकि जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 (5) के तहत करदाता को इस तरह के इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं हैं। जीएसटी इनपुट की सीमा तक, गैर–चालू परिसंपत्तियों के तहत सीडब्ल्यूआईपी का अल्पकथन हुआ है और वर्तमान परिसंपत्तियों का अतिकथन हुआ है।

   हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन (एसए) पर मानकों के अनुसार समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के 'समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व' अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक अपेक्षाओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

के तहत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले पर बल

हम समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) विद्युत डेवलपर्स द्वारा कानून दावों में बदलाव से संबंधित माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)/राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) के समक्ष लंबित कई याचिकाओं से संबंधित टिप्पणी संख्या 69 के साथ पठित टिप्पणी संख्या 50.2.1 के संबंध में कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के तहत ''कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को मुआवजे'' के रूप में ब्याज राशि (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) सहित 22,689.31 लाख रुपये का खर्च बुक किया है। इसके अलावा, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूल किया जाना है, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के तहत कानून में बदलाव के कारण ''डिस्कॉम से मुआवजा'' शीर्ष के तहत आय के रूप में कुल 22,689.31 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) भी बुक की है।

खर्च और आय विद्युत् की खरीद और बिक्री के कारण होती है क्योंकि मुआवजा सीधे टैरिफ से संबंधित है। इसे एक असाधारण मद के रूप में माना गया है क्योंकि विकासकर्ताओं द्वारा किए गए दावे और डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि में महत्वपूर्ण है और व्यवसाय के परिचालन चक्र के दौरान असामान्य है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने सीईआरसी/एसईआरसी के आदेशों के अनुसार कानून में बदलाव के कारण पावर डेवलपर्स को 31,759.70 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 21,132.74 लाख रुपये) का भुगतान किया है और तदनुसार आदेशों के अनुसार बैक–टू–बैक आधार पर डिस्कॉम से इसकी मांग की है। डिस्कॉम को किए गए कुल दावे में से, वित्त वर्ष 2023–24 में प्राप्त राशि 46250.04 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 37,627.07 लाख रुपये) है।

ख) टिप्पणी संख्या 64 सौर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से एकमुश्त आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश को भुगतान किए गए 2329.20 लाख रुपये के भुगतान के संबंध में।

ग) निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना, कार्यात्मक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, लेखापरीक्षा समिति के गठन और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रअभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत अपेक्षानुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करने के बारे में टिप्पणी संख्या 58। 'अन्य लेखापरीक्षक के काम का उपयोग' पर लेखापरीक्षा (एसए 600) पर मानक की भौतिकता सहित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम आगे निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में

क. पट्टा देयता

संदर्भ टिप्पणी संख्या 42, कंपनी ने पट्टा आधार पर सरकार द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में पट्टा किराया देयता के लिए एक पट्टा प्रावधान किया है। प्रकटीकरण सं 37 के अनुसार, मूल आबंटन की तारीख से अनुमान के आधार पर

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पट्टा देयता सृजित की गई। हालांकि, संबंधित जीओ संख्या 35 डीटी। 18.11.2019 पट्टा किराया लगाने की प्रभावी तारीख के बारे में स्पष्ट नहीं है। प्रकटीकरण संख्या 42 (घ) के अनुसार पट्टा किराया देयता नहीं बनाई गई है।

ख. पीजीसीआईएल के साथ समझौते के अनुसार, 'टिप्पणी संख्या 34, एनपी कुंता पार्क (1500 मेगावाट) के 100 मेगावाट के लिए द्विपक्षीय पारेषण शुल्क' के संदर्भ में, एपीएसपीसीएल ने द्विपक्षीय पारेषण शुल्क के लिए 768.84 लाख रुपये की मान्यता दी है, जिसका पहले विरोध किया गया था और अपील की गई थी। यह उपरोक्त मांग विगत कुछ वर्षों से लंबित है, हालांकि कंपनी ने पहले किसी भी देयता को मान्यता नहीं दी है, इस कारण इस वर्ष लाभ और हानि लेखे में 768.84 लाख रुपये की राशि प्रभारित की गई।

ग. टिप्पणी संख्या 39क के संदर्भ में, 1 अप्रैल, 2023 तक, एपीजीईएनसीओ के पास एपीजीईएनसीओ से 23,353.99 लाख रुपए का बकाया प्राप्य व्यापार शेष था, वर्ष के दौरान, एपीजीईएनसीओ ने इस शेष राशि के लिए कुछ भुगतान किए। तत्पश्चात, एपीजीईएनसीओ के सदस्यों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के विचार–विमर्श के बाद, आस्थगित देयताओं से 7,235.77 लाख रुपए की राशि की मान्यता रद्द कर दी गई थी और शेष राशि का भुगतान 19 मासिक किस्तों में करने पर सहमति हुई थी, एपीजेनको शेषों की मान्यता रद्द करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कंपनी के लेखों में 122.19 लाख रुपए का समायोजन हुआ। यह समायोजन इंड एएस 115 के अनुसार संचयी कैच–अप आधार पर किया गया था, जिससे पहले से मान्यता प्राप्त राजस्व कम हो गया और वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित हुई।

2. कर्नाटक सोलर पावर डेवलप्मेंट कार्पोरेश लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) में।

कंपनी ने 28 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया है। तदनुसार, कंपनी किसानों को वार्षिक पट्टा किराए के रूप में 21,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सामान्य टीडीएस प्रावधानों के अनुसार, कंपनी लागू दरों पर आयकर अधिनियम की धारा 194I के तहत टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी होगी और सरकार को टीडीएस की कटौती और प्रेषण के बाद किसानों को निवल राशि का भुगतान करेगी। लेकिन जैसा कि किसानों ने इससे असहमति जताई और मांग की कि 21,000 रुपये प्रति एकड़ का पूरा वार्षिक पट्टा किराया बिना किसी कटौती के भुगतान किया जाए, कंपनी ने इस मुद्दे को ऊर्जा विभाग के समक्ष रखा है।

इस विभाग ने परिपत्र संख्याः एन 481 एनसीए 2018 के माध्यम से कहा ''उपायुक्त, तुमकुर जिले द्वारा निर्धारित वार्षिक पट्टा किराए के अनुसार एसपीडी द्वारा भुगतान किए गए भूमि पट्टा शुल्क से टीडीएस राशि का भुगतान करने के लिए, बिना किसी वसूली के और किसानों के साथ किए गए पट्टा समझौतों के अनुसार 21,000 रुपये प्रति एकड़'' का भुगतान किया जाए। यह भी कहा गया था कि किसानों को देय पट्टे के किराये से कोई राशि नहीं काटने का निर्णय एक सुविचारित निर्णय है। यह किसानों को अनुचित लाभ पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि किसानों को मिलने वाले लाभ को कम नहीं करने का निर्णय है। केएसपीडीसीएल को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि यह राशि विकासकर्त्ताओं से प्राप्त होती है। यह भी कहा गया था कि किसानों को देय पट्टे के किराये से कोई राशि नहीं काटने का निर्णय एक सुविचारित निर्णय है। यह किसानों को अनुचित लाभ पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि किसानों को मिलने वाले लाभ को कम नहीं करने का निर्णय है। केएसपीडीसीएल को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि यह राशि विकासकर्त्ताओं से प्राप्त होती है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

समेकित इंड एएस वित्तीय के अलावा अन्य जानकारी विवरण और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और, ऐसा करने में, अन्य जानकारी महत्वपूर्ण रूप से समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों के साथ असंगत है कि क्या विचार है, या हमारे ज्ञान लेखापरीक्षा में प्राप्त या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताया जा रहा प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन के उत्तरदायित्व और उन समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों के अभिअभिशासन के लिए प्रभारित।

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के संदर्भ में इन समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के साथ पठित, के रूप में संशोधित जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह के समेकित नकदी प्रवाह.का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करे। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं जो ऊपर कथित समेकित इंड एएस के अनुरूप इस प्रकार की वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जुत्तारदायी हैं जो कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की ऐसी तैयारी के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए गए जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करे और महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हो।

समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की तैयारी में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन करने, लागू होने और लेखांकन गोइंग कंसर्न का उपयोग कर जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल भी समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारे उद्देश्यों के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या एक पूरे के रूप में समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और हमारी राय देते हुए हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है,

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे यथोचित इन समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

» समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण के जोखिमों को चिन्हित करना और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या बअर्थात या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

» उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं।

» उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

» लेखांकन के आधार पर गोइंग कंसर्न के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटन, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

» समग्र प्रस्तुति, संरचना और समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण का मूल्यांकन, प्रकटन करना, और क्या समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरण एक तरीके से अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

» समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह में संस्थाओं या व्यावसायिक कार्यकलापों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम निर्देशन, पर्यवेक्षण और समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनमें हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित इंड एएस

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

के रूप में वित्तीय विवरणियों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं।

भौतिकता समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों में मिथ्याकथन की भयावहता है कि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव है कि समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है बनाता है। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचाने गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में कंपनी के अभिशासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय का अनुपालन किया है।

अधिशासन के प्रभारित लोगों के साथ संवाद मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते है जो वर्तमान अवधि के समेकित इंड में वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के यथोचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हितलाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम होगें।

अन्य मामले

क) हमने समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों में शामिल पांच संयुक्त उद्यम कंपनियों (अर्थात आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड, कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनकी समेकित इंड एएस के अनुरूप उस तारीख को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों में कर–पश्चात 8,750.62 लाख रुपये के निवल लाभ और 8,750.62 रुपये की कुल व्यापक आय को दर्शाते हैं।

ख) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में एक संयुक्त उद्यम, अर्थात लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में रुपए 450.84 लाख का कर–पश्चात निवल लाभ और रुपए 450.84 लाख की कुल व्यापक आय शामिल है, जिसके वित्तीय विवरणियों और अन्य वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है। ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा प्रमाणित की गई है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। जहां तक यह संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त से संबंधित है,

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

हमारी राय पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ऊपर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय और नीचे अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणियों/वित्तीय जानकारी के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित है, कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांचों के आधार पर जिन्हें हमने उचित समझा और संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम **अनुबंध क** में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों और उप–निदेशों पर एक विवरण देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि

   (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास का सबसे अच्छा करने के लिए पूर्वोक्त समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों के हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक लेखों को समूह द्वारा रखा गया है, जहां तक यह उन लेखों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, सिवाय कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2 (i) (vi) में बताए गए मामलों को छोड़कर।

   (ग) समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित बयान और इस रिपोर्ट से निपटा नकदी प्रवाह के समेकित बयान समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों की तैयारी के प्रयोजन के लिए बनाए लेखों के संगत में हैं.

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिसूचना सं काआ 2010 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 के जीएसआर 463 (ङ) के अनुसार अधिनियम की उपधारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (च) लेखों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 2(ख) में और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2(i)(vi) में बताए गए हैं।

   (छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुबंध ख'' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(ज) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. कंपनी ने अपने समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है–कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों के लिए टिप्पणी 49.2 देखें।

ii. कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम को व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं पर कोई वास्तविक पूर्वाभास हानि नहीं हुई।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) कंपनी के प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या उसकी किसी भी संयुक्त उद्यम कंपनियों ने लेखों की टिपणियों में प्रकट की गई कोई भी धनराशि लिखित रूप में या अन्यथा अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो ऋण ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (''मध्यवर्तों'') इस आशय से नहीं किया है कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या ऐसी किसी भी संयुक्त उद्यम कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी।

(ख) कंपनी के प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों की टिपणियों में प्रकटन किए गए अनुसार इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी या उसकी कोई भी संयुक्त उद्यम कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (''अंतिम लाभार्थियों'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या निवेश करेगी या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह कोई भी धन कंपनी या उसकी किसी भी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्था (''फंडिंग पार्टियां'') शामिल हैं।

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

पर हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हुआ हो कि नियम 11 (ङ) के उपखंड (i) और (ii) के तहत दिए गए अभ्यावेदनों में, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो लाभांश की घोषणा की है और न ही भुगतान किया है। तथापि, अपने संयुक्त उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त उद्यम अधिनियम की धारा 123 का अनुपालन कर रहे हैं। संयुक्त उद्यमों के लिए जिनके लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, जैसा कि अन्य मामलों के पैराग्राफ में ऊपर उल्लेख किया गया है, हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

vi. (क) हमारी परीक्षा के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने लेखों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) की रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। चूंकि लेखांकन सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है, इसलिए सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष निष्क्रिय था।

(ख) भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के मामले में, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जैसा कि अन्य मामलों के पैरा में ऊपर उल्लेख किया गया है, जैसा कि ऐसे संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग सम्पादन) की रिकार्डिंग सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर में अभिलिखित सभी संगत लेनदेनों के लिए वर्ष भर समथत और प्रचालित किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई उदाहरण नहीं देखा गया।

(ग) भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के मामले में, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, जैसा कि अन्य मामलों में ऊपर उल्लेख किया गया है, हम कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) के परंतुक के अनुपालन पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के रूप में 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुई है, इसलिए 31 मार्च 2024 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समूह के लिए लागू नहीं है।

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

vii. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश''/''कैरा'') के पैराग्राफ 3 (xxi) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी की गई सीएआरओ रिपोर्ट और समेकित उद्यम कंपनियों के संबंधित लेखापरीक्षकों के आधार पर, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है। इंड एएस कंपनी के वित्तीय विवरणियों के रूप में, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है,

उन कंपनियों का विवरण जहां सीएआरओ की रिपोर्ट में अर्हताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी/अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	खण्ड सं. सीएआरओ रिपोर्ट की जो अर्हक या प्रतिकूल है
1	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	U40300AP2014 PTC109375	संयुक्त उद्यम	पैरा 3 खंड VII (ख)
2	कर्नाटक सोलर पावर डेवलप्मेंट कार्पोरेश लिमिटेड बैंगलोर	U40107KA-2015PLC079223	संयुक्त उद्यम	पैरा 3 खंड VII (ग)
3	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	U40102MP-2015PLC034450	संयुक्त उद्यम	पैरा 3 खंड I (क) (क) पैरा 3 खंड I (ख)

इन कंपनियों की कंपनी अधिनियम, (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक जारी नहीं की गई है।

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी/अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम
1	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U40300UP-2015PLC072134	संयुक्त उद्यम

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 2407720BKEQEH7734

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी संशोधित निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। एसएपी–ईआरपी को पेरोल/मानव संसाधन प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, अनुबंध और खरीद के लिए लागू किया गया है। लेखांकन लेन–देन की प्रक्रिया के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं।	शून्य
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे–खाते डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का समुचित रूप से लेखांकन रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण, मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे–खाते में डालने के मामले नहीं हैं।	शून्य

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश	निदेशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन रखा गया था/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाए।	हाँ, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। विचलन के कोई मामले नहीं हैं।	शून्य

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 2407720BKEQEH7734

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

पैराग्राफ 2 (जी) में संदर्भित अनुलग्नक शीर्षक ''अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत हमारी सम तिथि की रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (''कंपनी'') और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों के हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च 2024 तक भारत में निगमित कंपनियां हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित अनुसार संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आधार आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 केतहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी और भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी (''मार्गदर्शन टिप्पणी'') और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की जो वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक निर्धारित है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षा है है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए समेकित इंड एएस के रूप में वित्तीय विवरणियों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए आवश्यक है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते है जो समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

अर्हक मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, समूह ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया है।

हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा की गई सीमित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरी की पहचान की गई है:

आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एपीएसपीसीपीएल) में:

1. किसानों को पूंजीगत अग्रिम:

कमी: पूंजीगत अग्रिमों की निगरानी और रिकॉर्डिंग पर कंपनी का नियंत्रण प्रभावी नहीं था। विशेष रूप से, नियंत्रण अतिदेय अग्रिमों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अग्रिम जो पर्याप्त लिखत या वसूली के मूल्यांकन के बिना विस्तारित अवधि के लिए बकाया रहे हैं।

प्रभाव: इन अग्रिमों का ठीक से मूल्यांकन करने और संभावित रूप से लिखने में विफलता से परिसंपत्तियों का अतिविवरण और खर्चों की समझ हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से वित्तीय विवरणियों का मिथ्या विवरण हो सकता है।

प्रासंगिक आईएफसीओएफआर नियम: (नियंत्रण कार्यकलाप): कंपनी में पूंजीगत अग्रिमों के लिए समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण कार्यकलापों का अभाव था।

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

2. **बीमा कवरेजः**

कमीः अचल संपत्तियों और माल–सूची के लिए बीमा कवरेज पर कंपनी का नियंत्रण प्रभावी नहीं था। विशेष रूप से, नियंत्रण यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि बीमा कवरेज इन परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य के साथ संरेखित था, जिससे संभावित कम–बीमा हो सकता है।

प्रभावः परिसंपत्तियों का संभावित बीमा कंपनी को नुकसान या क्षति की स्थिति में निरंतर वित्तीय जोखिम के लिए उजागर करता है। यह जोखिम वित्तीय विवरणियों में पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होता है।

प्रासंगिक आईएफसीओएफआर नियमः (सूचना और संचार): कंपनी ने पर्याप्त बीमा कवरेज बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लोगों को परिसंपत्ति मूल्यों के बारे में जानकारी प्रभावी ढंग से संप्रेषित नहीं की।

एक 'महत्वपूर्ण कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि समूह के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणियों के एक महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण को रोका नहीं जाएगा या समय पर पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, समूह ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है, जो समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर आधारित है, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुरूप हैं और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामले

कंपनी के इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह अपने संयुक्त उद्यमों से संबंधित है जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की, संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इसके दो संयुक्त उद्यमों के लिए, जिनके लिए हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के अस्तित्व और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 2407720BKEQEH7734

एस आर गोयल इंड कंपनी

सनदी लेखाकार

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के सीएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएनः U40106DL2011GOI225263) के समेकित वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी निर्देशों और उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 001537C

हस्ता./–
ए.के. अटोलिया
(साझेदार)
एम नं.: 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 अगस्त, 2024
यूडीआईएनः 2407720BKEQEH7734

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (समेकित)

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा दिनांक **02.08.2024** की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (स्टैंडअलोन), हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड** की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के **कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड और लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड** की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 05.12.2024

(डॉ. कविता प्रसाद)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2024 तक समेकित तुलन–पत्र

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	96,732.30	8,013.68
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	3	18,813.76	19,585.35
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	4	1,989.01	25,344.78
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	533.24	790.46
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	6	-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश*	7	42,903.78	35,319.84
वित्तीय परिसंपत्तियां			
ऋण और अग्रिम	8	199.96	69.54
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	9	81,950.75	90,904.04
बांड में निवेश	10	1,60,394.33	86,482.28
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	11	11,358.58	9,166.30
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां		**4,14,875.71**	**2,75,676.27**
वर्तमान संपत्ति			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
प्राप्य व्यापार	12	1,75,825.53	1,73,944.27
नकद और नकद समकक्ष	13	1,08,602.36	1,32,321.32
नकदी और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	14	1,07,128.32	80,995.13
ऋण और अग्रिम	15	3,086.61	1,657.84
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	16	1,23,063.16	1,19,126.75
अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	584.33	731.53
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	18	1,240.49	31.29
कुल चालू परिसंपत्तियां		**5,19,530.80**	**5,08,808.13**
कुल परिसंपत्तियां		**9,34,406.51**	**7,84,484.40**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	19	1,35,400.00	1,35,400.00
अन्य इक्विटी *	20	1,88,203.56	1,37,075.25
कुल इक्विटी		**3,23,603.56**	**2,72,475.25**
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	21	24,824.54	301.86
पट्टा देयताएं	22	166.91	164.20
अन्य वित्तीय देयताएं	23	86,399.52	98,980.13
प्रावधान	24	1,335.34	1,004.79

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	4,648.75	416.85
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	26	4,678.40	5,287.96
कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**1,22,053.46**	**1,06,155.79**
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	27	5,075.44	-
पट्टा देयताएं	28	13.30	12.66
व्यापार देयताएं	29		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		41,026.26	44,451.09
अन्य वित्तीय देयताएं	30	4,17,542.16	3,36,333.84
प्रावधान	31	828.64	872.53
अन्य चालू देयताएं	32	7,917.63	8,161.55
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	33	-	-
कुल चालू देयताएं		**4,72,403.43**	**3,89,831.67**
आस्थगित राजस्व	34	16,346.06	16,021.69
कुल इक्विटी और देयताएं		**9,34,406.51**	**7,84,484.40**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न टिप्पणी 1 से 79 इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग हैं।

* लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के प्रबंधन प्रमाणित पुनःकथित वित्तीय विवरणियों के अनुसार पुनःकथित।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
एम.नं. 17693

हस्ता./–
(जोशित रंजन सिकिदार)
निदेशक वित्त
डीआईएन 10301499

हस्ता./–
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का समेकित विवरण

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
परिचालन से राजस्व	35	13,03,506.96	10,79,507.14
अन्य आय	36	8,360.63	5,987.09
कुल आय		**13,11,867.59**	**10,85,494.23**
खर्चे			
सौर ऊर्जा की खरीद	37	12,41,447.06	10,34,325.70
कर्मचारी हितलाभ व्यय	38	5,305.50	3,196.87
वित्त लागत	39	1,093.40	815.16
मूल्यह्रास और और परिशोधन	40	2,449.57	1,750.27
अन्य व्यय	41	4,838.62	3,994.95
कुल व्यय		**12,55,134.15**	**10,44,082.95**
असाधारण मदें और कर–पूर्व लाभ		**56,733.44**	**41,411.28**
असाधारण मदें			
''कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को मुआवजा (टिप्पणी संख्या 69 देखें)''		(22,689.31)	25,600.53
''कानून में बदलाव के कारण डिस्कॉम से मुआवजा (टिप्पणी संख्या 69 देखें)''		22,689.31	(25,600.53)
जोड़ें: इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा'		9,201.46	7,260.49
कर–पूर्व लाभ		**65,934.90**	**48,671.77**
कर व्यय			
वर्तमान कर			
चालू वर्ष		10,595.90	10,796.21
विगत वर्ष		(4.61)	6.89
आस्थगित कर		**4,251.49**	**(8.03)**
कुल कर व्यय		**14,842.78**	**10,795.07**
वर्ष वर्ष का लाभ लाभ/(हानि)		**51,092.12**	**37,876.70**

(लाख रुपए)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यापक आय			
मद जिन्हें लाभ या हानि (कर का निवल) के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
ओसीआई को हस्तांतरित परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)		(77.82)	27.34
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		19.58	(6.88)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष का लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		**51,033.88**	**37,897.16**
प्रति इक्विटी शेयर आय			
बेसिक (रुपये)		377.34	279.74
डायल्यूटिड (रुपये)		377.34	279.74
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		

संलग्न टिप्पणी 1 से 79 इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग हैं।

* लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के प्रबंधन प्रमाणित पुनः कथित वित्तीय विवरणियों के अनुसार पुनः कथित।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

हस्ता./–
(जोशित रंजन सिकिदार)
निदेशक वित्त
डीआईएन 10301499

हस्ता./–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
एम.नं. 17693

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
कर–पूर्व निवल लाभ	65,934.90	48,671.77
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय)	(77.82)	27.34
	65,857.08	**48,699.11**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा *	(9,201.46)	(7,260.49)
मूल्यह्रास, परिशोधन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि	2,449.57	1,750.27
वित्तीय लागत–पट्टा देयता	16.01	15.68
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ/हानि	5.80	0.83
बट्टे–खाते में डाले गए व्यय	35.69	2.83
वित्तीय लागत–ऋण पर ब्याज	302.01	359.06
खराब और संदिग्ध ऋण (हानि) और अन्य के लिए प्रावधान	7.91	11.65
निष्पादन गारंटी जमा और प्रतिधारण धन पर छूट की समाप्ति	669.99	342.90
आस्थगित राजस्व व्यय प्रतिभूति जमा प्राप्य से मान्यता प्राप्त	0.76	0.76
आस्थगित राजस्व आय निष्पादन गारंटी जमा से मान्यता प्राप्त	(770.23)	(759.88)
प्रतिभूति जमा प्राप्य पर छूट की समाप्ति	(0.42)	(0.39)
आस्थगित पेरोल व्यय	(2.60)	3.10
आस्थगित आय से मान्यता प्राप्त–सरकारी अनुदान	(25.98)	(17.99)
ब्याज आय	(7,235.53)	(5,186.19)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**52,108.59**	**37,961.25**

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,884.70)	(76,708.59)
नकदी और नकद समकक्ष, ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	84,417.56	1,20,212.47
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(17.12)	13.51
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	147.20	683.46
व्यापार देय, प्रावधान और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	65,082.18	1,13,596.22
संचालन से उत्पन्न/(प्रयुक्त) नकदी	**1,99,853.70**	**1,95,758.32**
प्रत्यक्ष कर का भुगतान	(11,800.48)	(10,376.55)
परिचालन कार्यकलापों से/में निवल नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त)– क	**1,88,053.22**	**1,85,381.77**
ख. निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(2,175.16)	1,536.54
सावधि जमा में निवेश	(1,07,090.80)	(80,957.80)
सीपीएसयू बांड में निवेश	(73,912.05)	(86,482.28)
लाभांश आय	1,711.95	948.75
ब्याज आय	7,235.53	5,186.19
निर्माणाधीन पूंजी कार्य में निवेश	(66,174.32)	(23,406.24)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश	-	-
अचल संपत्तियों का निपटान	5.40	4.51
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(656.18)	(83.09)
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह–बी	**(2,41,055.63)**	**(1,83,253.42)**
ग. वत्त–पोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय	-	1,00,000.00
आवंटन के लंबित शेयर आवेदन राशि	-	(1,00,000.00)

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घकालिक ऋण की प्राप्ति	24,522.68	301.86
अल्पकालिक ऋण की प्राप्ति	5,075.44	
पट्टे की देयता का भुगतान	(12.66)	(12.06)
ब्याज का भुगतान	(302.01)	(359.06)
लाभांश का भुगतान	-	-
वित्त–पोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह–ग	**29,283.45**	**(69.26)**
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल (कमी)/ वृद्धि (क+ख+ग)	(23,718.96)	2,059.09
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें)	1,32,321.32	1,30,262.23
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष (नीचे टिप्पणी 1 और 2 देखें)	1,08,602.36	1,32,321.32

टिप्पणियां:

1. नकद और नकद समतुल्य में चालू लेखों, बचत लेखों, स्वतः स्वीप सावधि जमा, 3 माह तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा और उन पर अर्जित ब्याज में बैंकों के पास शेष राशि शामिल है।
2. टिप्पणी 13 के अनुसार नकद और नकद समकक्षों का सामंजस्य।
3. विगत वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक, पुन समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
4. अनाहरित ऋण सुविधाओं के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।
5. * लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के प्रबंधन प्रमाणित पुनःकथित वित्तीय विवरणियों के अनुसार पुनःकथित।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

हस्ता./–
(जोशित रंजन सिकिदार)
निदेशक वित्त
डीआईएन 10301499

हस्ता./–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
एम.नं. 17693

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	पूर्वावधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 तक शेष
1,35,400	-	1,35,400	-	1,35,400

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	पूर्वावधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः कथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 तक शेष
35,400	-	35,400	1,00,000	1,35,400

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	शेयर आवंटन के लंबित आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष	योग
		प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि		1,37,075.25	1,37,075.25
पूर्वावधि त्रुटियां			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः कथित शेष			
वर्ष का लाभ		51,092.12	51,092.12
जमाः संयुक्त उद्यम के इंड एएस 116 के अनुसार उप–पट्टे के कारण शेयर		126.20	126.20
घटाः संयुक्त उद्यम के इंड एएस 116 के आस्थगित कर के प्रभाव का हिस्सा		(31.76)	(31.76)
घटाः वर्ष के दौरान किया गया सीएसआर व्यय		-	-
अन्य व्यापक आय		(58.24)	(58.24)
वर्ष के दौरान शेयरों का आवंटन			-
कुल व्यापक आय	-	**1,88,203.56**	**1,88,203.56**
प्रतिधारित आय में/से स्थानांतरण			
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-		
31 मार्च 2024 तक शेष	-	**1,88,203.56**	**1,88,203.56**

31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपए)

विवरण	शेयर आवंटन के लंबित आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष	योग
		प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2022 तक शेष	1,00,000.00	99,102.04	1,99,102.04
पूर्वावधि त्रुटियां			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः कथित शेष			
वर्ष का लाभ	-	37,876.70	37,876.70
जमाः संयुक्त उद्यम के इंड एएस 116 के अनुसार उप–पट्टे के कारण शेयर		120.12	120.12
घटाः संयुक्त उद्यम के इंड एएस 116 के आस्थगित कर के प्रभाव का हिस्सा		(30.23)	(30.23)
घटाः वर्ष के दौरान किया गया सीएसआर व्यय		(13.84)	(13.84)
घटाः सीएसआर रिजर्व से उपयोग किया गया		-	-
अन्य व्यापक आय	-	20.46	20.46
कुल व्यापक आय	**1,00,000.00**	**1,37,075.25**	**2,37,075.25**
प्रतिधारित आय में/से स्थानांतरण		-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	(1,00,000.00)	-	(1,00,000.00)
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	-	**1,37,075.25**	**1,37,075.25**

*लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के प्रबंधन प्रमाणित पुनःकथित वित्तीय विवरणियों के अनुसार पुनःकथित।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
एम.नं. 17693

हस्ता./–
(जोशित रंजन सिकिदार)
निदेशक वित्त
डीआईएन 10301499

हस्ता./–
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02.08.2024

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी: 1:

क. रिपोर्टिंग निकाय

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में अधिवासित एक कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है (**सीआईएनः U40106DL2011GOI225263**)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता **छठा तल, प्लेट बी, एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक टॉवर –2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली –110023 है।** इन समेकित वित्तीय विवरणियों में कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं और इसके संयुक्त उद्यमों (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित) में रुचि है। यह समूह मुख्य रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कई योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त–पोषण (वीजीएफ) योजनाएं, पवन विद्युत परियोजनाएं, सौर पार्क योजनाएं और ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप योजनाएं हैं। यह समूह सौर, पवन, हाइब्रिड और फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं की नीलामी में भी संलग्न है। समूह के पास विद्युत् व्यापार लाइसेंस है और यह इस क्षेत्र में इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सौर ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से सक्रिय है। यह समूह सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में भी शामिल है। यह समूह नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के उत्पादन और बिक्री में भी संलग्न है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए जाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और बाद में संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लागू सीमा तक अनुपालन में हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणियों को निदेशक मंडल द्वारा 02.08.2024 को आयोजित बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2. माप का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (लेखांकन नीति बिंदु संख्या 16 अर्थात ''वित्तीय लिखत'' देखें)। उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में आगे चर्चा की गई है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) तक पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो।

4. वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण

समूह वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र में प्रस्तुत करता है।

एक संपत्ति चालू है जबः

» सामान्य प्रचालनिक चक्र में महसूस किए जाने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा है;

» मुख्य रूप से व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में व्यापार के उद्देश्य से धारित;

» रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर साकार होने की उम्मीद है; अथवा

» नकद या नकद समकक्ष जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग किए जाने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयताएं वर्तमान है जबः

» सामान्य प्रचालनिक चक्र में तय होने की आशा है;

» यह मुख्य रूप से व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में व्यापार के उद्देश्य से है;

» यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह में तय होने के कारण है; अथवा

» रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयताएं के निपटान को आस्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

इन लेखांकन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है। समूह ने इंड एएस16 और इंड एएस 38 के प्रावधानों को लागू नहीं करने और इंड एएस 101 के विकल्प का उपयोग करने का चुनाव किया और इंड एएस के रूप में संक्रमण की तारीख अर्थात 1 अप्रैल 2016 को इंड एएस के रूप में एक समझा लागत के रूप में विगत जीएएपी अग्रनीत राशि का उपयोग करना जारी रखा। इसलिए, 1 अप्रैल 2016 को विगत जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि, अर्थात इंड एएस में समूह के संक्रमण की तारीख, इंड एएस में संक्रमण पर बनाए रखी गई थी।

1. समेकन का आधार

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण समेकन के उद्देश्य से समूह के समान रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए जाते हैं।

1.1. संयुक्त व्यवस्था

इंड एएस 111 श्संयुक्त व्यवस्थाश के तहत, संयुक्त व्यवस्था में निवेश को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की विधिक संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और देयताएं पर निर्भर करता है। समूह के छह संयुक्त उद्यम हैं।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम में शुरू में समेकित तुलन–पत्र में लागत पर मान्यता प्राप्त होने के बाद ब्याज इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है (नीचे 1.2 देखें)।

1.2. इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, एक संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण की तारीख के बाद से संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों के समूह के हिस्से में बदलाव को पहचानने के लिए निवेश की अग्रनीत राशि को समायोजित किया जाता है।

लाभ और हानि विवरणी एसोसिएट या संयुक्त उद्यम के संचालन के परिणामों के समूह के हिस्से को दर्शाता है। उन निवेशकर्ताओं के ओसीआई में कोई भी बदलाव समूह के ओसीआई के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, जब संयुक्त उद्यम की इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त परिवर्तन होता है, तो समूह इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में, जब लागू हो, किसी भी बदलाव के अपने हिस्से को मान्यता देता है। समूह और संयुक्त उद्यम के बीच लेन–देन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ और हानि संयुक्त उद्यम में हित की सीमा तक समाप्त हो जाती है। अवास्तविक नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि लेनदेन हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, इक्विटी लेखा महत्वपूर्ण निवेशकर्ताओं की लेखांकन नीतियों को बदल दिया गया है।

संयुक्त उद्यम पर आंतरिक नियंत्रण खोने पर, समूह लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त अग्रनीत राशि में परिवर्तन के साथ अपने उचित मूल्य पर किसी भी प्रतिधारित निवेश को मापता है और मान्यता देता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यताप्राप्त किसी भी राशि का लेखांकन किया जाता है जैसे कि समूह ने सीधे संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का निपटान किया था। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि में वर्गीकृत किया गया है।

यदि संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित कम हो जाता है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण बनाए रखा जाता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों का केवल एक आनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जहां उपयुक्त हो।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को एक संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है यदि और केवल अगर यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और मद की लागत को दृढ़ता से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है।

बाद में माप लागत कम संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि पर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो सीधे संपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए उत्तरदायी है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के कुछ हिस्सों में अलग–अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से मान्यता दी जाती है।

कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजे, पुनर्वास और अन्य खर्चों के लिए अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी प्रभावित होना है, पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है जो अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन होता है।

स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड–बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण की वस्तुएं जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करती हैं, अधिग्रहण पर पूंजीकृत होती हैं। अन्य स्पेयर पार्ट्स को माल–सूची के रूप में ले जाया जाता है और खपत पर लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त होती है।

पट्टे पर ली गई भूमि पर परिसंपत्तियों के निर्माण को भवन/सुधार के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब निर्माण वास्तविक लागत पर पूरा हो जाता है और पट्टे की अवधि में मूल्यह्रास होता है।

2.2. परवर्ती लागत

परवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि में वृद्धि के रूप में तब मान्यता तब दी जाती है जब यह संभव होता है कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और मदों की लागत को मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के हिस्से को बदलने की लागत को मद की अग्रनीत राशि में तब मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि भाग में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और इसकी लागत को दृढ़ता से मापा जा सकता है। बदले गए हिस्से की अग्रनीत राशि को मान्यता रद्द कर दी गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन–प्रतिदिन सर्विसिंग की लागत को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3. मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रनीत राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है, और लाभ और हानि विवरणी में मान्यताप्राप्त है।

2.4. मूल्यह्रास/परिशोधन

समूह की विद्युत् उत्पादक इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि पर लाभ और हानि विवरणी पर लगाया जाता है

विद्युत व्यवसाय के उत्पादन से संबंधित भवनों का मूल्यह्रास सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा

अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हुए किया जाता है।

ऊपर विनिदष्ट परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिदष्ट उपयोगी जीवन काल का अनुसरण करते हुए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में जोड़ने/हटाने पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तारीख तक प्रभारित किया जाता है जिस तारीख को परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है/उसका निपटान कर दिया जाता है।

आरओयू संपत्ति पट्टे की अवधि में परिशोधन की जाती है

जहां वर्ष के दौरान विनिमय में उतार–चढ़ाव, कीमत समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन अथवा इसी प्रकार के कारकों के कारण दीर्घावधिक देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्ति का अपरिशोधित शेष मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों का अनुसरण करते हुए निर्धारित शेष उपयोगी जीवन अवधि में भावी प्रभाव से प्रभारित किया जाता है।

व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति भौतिकता के कारण अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाती है।

3. पट्टे

1) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के पट्टा परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) के तहत भूमि, भवन और सौर ऊर्जा संयंत्र के पट्टे शामिल हैं। कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध की शुरुआत में अनुबंध में पट्टा है या नहीं। एक अनुबंध में शामिल है, एक पट्टा यदि अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी चिन्हित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि: (i) अनुबंध में एक चिन्हित संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति के उपयोग से काफी आर्थिक लाभ हैं और (पपप) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख में, कंपनी बारह महीने या उससे कम की अवधि वाले पट्टों को छोड़कर (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य के एक राइट–ऑफ–यूज़ एसेट और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें यह एक पट्टेदार है। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

उपयोग के अधिकार की संपत्ति को पट्टे की शुरुआत की तारीख से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत तक सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यांकन हानि के लिए भी किया जाता है जब ऐसे संकेतक मौजूद होते हैं।

प्रारंभ तिथि पर, पट्टे की देयता के माप में शामिल पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान शामिल होते हैं, जो किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन प्राप्य और परिवर्तनीय पट्टे के भुगतान को कम करते हैं जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं जिन्हे, शुरू में प्रारंभ तिथि के रूप में सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है। विद्युत क्रय करार के अंतर्गत सौर विद्युत संयंत्र के मामले में, चूंकि परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पूर्णत अभिज्ञात परिसम्पत्ति से आउटपुट की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए इन भुगतानों को पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार परिसम्पत्ति के मापन के निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना है। कंपनी इन परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों को लाभ या हानि में देय होने पर प्रभारित करेगी। (बिंदु संख्या 10 देखें)

2) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टे जिनके लिए कंपनी पट्टेदार है, उन्हें वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध

को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टेदार होती है, तो वह मुख्य–पट्टा और उप–पट्टा में अपने हितों को अलग–अलग रखती है। उप–पट्टा को मुख्य–पट्टा से उत्पन्न होने वाली आरओयू संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य

समीक्षाधीन तारीख को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को श्निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यश के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, ऋण लागत शामिल है यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा किया जाता है और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल है। खरीद मूल्य पर पहुंचने में किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम जो तुलन–पत्र की तारीख पर बकाया हैं, उन्हें श्पूंजीगत अग्रिमोंश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

5. ऋण लागत

ऋण लागत में (क) इंड एएस 109 में वर्णित प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज व्यय गणना–'वित्तीय लिखत' (ख) इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा देयता के संबंध में मान्यता प्राप्त वित्त शुल्क–'पट्टे' और (ग) विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले अंतर का ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मान्यताप्राप्त सीमा तक आदान–प्रदान शामिल है।

ऋण लागत जो सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/विकास या निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो। योग्य परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

जब समूह विशेष रूप से एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धन ऋण लेता है, तो ऋण लागत पूंजीकृत होती है। जब समूह आम तौर पर ऋण लेता है और उन्हें एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग करता है, तो ऋण लागत के पूंजीकरण की गणना सामान्य ऋण की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो अवधि के दौरान बकाया होती है और अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या निर्माण के लिए उपयोग की जाती है।

ऋण लागत का पूंजीकरण तब बंद हो जाता है जब उनके इच्छित उपयोगों के लिए योग्य परिसंपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप पूरे हो जाते हैं। ऋण लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई धन के ऋण लेने के संबंध में खर्च करती है। ऋण लागत में विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर इस सीमा तक शामिल हैं कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

6. नकद और नकद समकक्ष

तुलन–पत्र में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों और हाथ– नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को शुरू में प्राप्त होने पर और/या उचित आश्वासन होने पर कि वे प्राप्त होंगे और समूह अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करने पर आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। अनुदान जो किसी संपत्ति की लागत के लिए समूह को क्षतिपूर्ति करते हैं, संबंधित संपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त हैं। अनुदान जो समूह को किए गए खर्चों की भरपाई करते हैं, उस अवधि में मान्यताप्राप्त होती है जिसमें संबंधित लागत खर्च की जाती है और संबंधित खर्चों से कटौती की जाती है।

अप्रयुक्त अनुदान में से निधि निवेश पर अर्जित ब्याज को अनुदान माना जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है यदि, विगत घटना के परिणामस्वरूप, समूह के पास एक वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है जिसे दृढ़ता से अनुमान लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक हितलाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को पूर्व–कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यताप्राप्त राशि रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की आशा की जाती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह वास्तव में निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को दृढ़ता से मापा जा सकता है। एक प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि निवल के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं संभावित देयता हैं जो विगत घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से की जाएगी, जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का दृढ़ता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, देयता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। आकस्मिक देयताओं का प्रकटन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां है जो विगत घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से की जाएगी, जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरणियों में तब किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह प्रबन्ध के निर्णय के आधार पर संभाव्य हो। इनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समेकित वित्तीय विवरणियों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित हों।

9. राजस्व

समूह का राजस्व विद्युत, परामर्शी, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं और अन्य आय की बिक्री से उत्पन्न होता है

9.1 उत्पादन के आधार पर विद्युत/परिवर्तनीय पट्टा प्राप्तियों की बिक्री से राजस्व

राजस्व को उस संकल्पना के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट हो या उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की आशा हो और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को बाहर करता है। समूह राजस्व को मान्यता देता है जब (या जैसा) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व का अभिदान क्रेता संस्थानों के साथ विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) के निबंधन एवं शर्तों के आधार पर तथा क्रेता संस्थानों के साथ सहमत दरों के अनुसार किया जाता है। इकाइयों (केडब्ल्यूएच) को मान्यता अंतराज्यीय विद्युत बिक्री के मामले में संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखा (जेएमआर)/(एसईए) तथा अंतर्राज्यीय विद्युत बिक्री के मामले में क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) के आधार पर दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विद्युत/परिवर्तनीय पट्टा प्राप्तियों की बिक्री से प्राप्त राजस्व में लाभार्थियों को की गई बिक्री शामिल होती है लेकिन बिल नहीं किया जाता अर्थात बिना बिल वाला राजस्व।

कारोबार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियमित अंतराल पर बिक्री लेनदेन का मिलान किया जाता है।

प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।

9.2 सेवाओं से राजस्व

परामर्शी, परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रदान की गई अन्य सेवाओं से राजस्व को उस संकल्पना के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट हो या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की आशा हो और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं हो। समूह राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब (या जैसा) निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आमतौर पर तब होता है जब (या जैसा) सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

अनुबंध संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन को मंजूरी दी जाती है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएं जो अलग–अलग नहीं हैं, उनका संचयी कैचअप आधार पर लेखांकन किया जाता है, जबकि जो अलग–अलग हैं, उन्हें भावी रूप से या तो एक अलग अनुबंध के रूप में माना जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर होती है, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के रूप में और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में यदि स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर कीमत नहीं है।

9.2.1 ग्रिड/ऑफ ग्रिड–रूफटॉप परियोजनाओं/ सौर ऊर्जा परियोजनाओं / पवन विद्युत परियोजनाओं / हाइब्रिड परियोजनाओं / फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के मामले में राजस्व मान्यता

एमएनआरई छतों पर परियोजनाओं के संबंध में प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, क्षेत्र दौरों, निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन आदि के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का 3%/2% प्रदान करता है। रूफटॉप परियोजनाओं के संबंध में परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से राजस्व–ग्रिड/ऑफ ग्रिड को प्रगति के चरण और परियोजनाओं/योजनाओं की संबंधित शर्तों से संबंधित व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है। विशेष स्कीम के मामले में, जहां राजस्व को मान्यता दी गई है और स्कीम को बंद कर दिया गया है/बाद में क्षमता चालू की गई है, पहले मान्यता प्राप्त राजस्व के किसी भी प्रभाव को तदनुसार उलट दिया जाता है।

प्रचार, अभिमुखीकरण, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और फील्ड दौरों पर किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर मान्यता प्राप्त राजस्व से घटा दिया जाता है और निवल आय प्रकट की जाती है। यदि पॉलिसी के अनुरूप मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में वर्ष के दौरान किया गया व्यय अधिक होता है तो उसे बाद के वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व में से समायोजित किया जाता है।

रूफटॉप परियोजनाओं के अंतर्गत विकासकर्ता से प्राप्त/प्राप्य सेवा प्रभार (देय प्रोत्साहनों का निवल, यदि कोई हो) को उस वर्ष में आय के रूप में मान्यता दी जा रही है जिसमें परियोजना क्षमता स्वीकृत की गई है। तथापि, सेवा प्रभारों को कमीशनिंग/वास्तविक क्षमता के चालू होने के समय लागू बैंचमार्क लागत (यदि कोई हो) में परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाता है।

विभिन्न एमएनआरई योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रबंधन प्रभारों को एमएनआरई द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार संवितरित निधियों के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

सौर/पवन/हाइब्रिड/फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सफलता शुल्क सौर /पवन /हाइब्रिड /फ्लोटिंग विद्युत विकासकर्ताओं से लिया जा रहा है। तकनीकी अनुमानों के अनुसार प्रदान की गई विभिन्न कार्यकलापों /सेवाओं के पूरा होने के आधार पर एलओए/एलओआई जारी करने के समय कुल सफलता शुल्क के 90% को प्रोद्भवन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष 10% को सौर /पवन /हाइब्रिड/फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के चालू होने के समय मान्यता दी जाती है।

सौर/पवन/हाइब्रिड/फ्लोटिंग विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सफलता शुल्क

सौर /पवन /हाइब्रिड /फ्लोटिंग विद्युत विकासकर्ताओं से 2 किस्तों में लिया जा रहा है अर्थात् 50% आशय पत्र पर और 50% पीपीए हस्ताक्षर पर। इन निविदाओं में कुल सफलता शुल्क का 100% पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय प्रोद्भवन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विनिर्माण सुविधा से संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्र के संबंध में सफलता शुल्क सौर विद्युत विकासकर्त्ताओं से वसूला जा रहा है। तकनीकी अनुमान और परियोजना की लंबी अवधि के अनुसार आय / कुल सफलता शुल्क का 40% विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर करते समय प्रोद्भवन आधार पर, 50% वित्तीय समापन (एफसी) पर और शेष 10% सौर विद्युत परियोजना के चालू होने के समय मान्यता प्राप्त है।

9.3 राजस्व मान्यता–अन्य परिचालन आय और अन्य आय

अन्य परिचालन आय और अन्य आय से प्राप्त राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, म्यूचुअल फंड निवेशों से लाभांश, विलंबित भुगतानों के लिए ग्राहकों से प्राप्त अधिभार, निविदा शुल्क, स्क्रैप की बिक्री, अन्य विविध आय आदि शामिल हैं।

ब्याज आय को मान्यता तब दी जाती है, जब औसत दर्जे या संग्रहणीयता के रूप में, समय अनुपात के आधार पर बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

स्क्रैप की बिक्री का लेखा–जोखा रखा जाता है। लाभ की हानि के लिए बीमा दावों को स्वीकृति के वर्ष में लेखांकन किया जाता है। वसूली की निश्चितता के आधार पर अन्य बीमा दावों का लेखा–जोखा रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर मापा गया ऋण लिखतों के लिए, ब्याज आय ईआईआर का उपयोग करके दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवन या छोटी अवधि में अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को बिल्कुल छूट देती है, वित्तीय संपत्ति की सकल अग्रनीत राशि या वित्तीय देयता की परिशोधन लागत के लिए जहां उपयुक्त हो। ईआईआर की गणना करते समय, समूह वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट नुकसान पर विचार नहीं करता है।

ब्याज आय को लाभ और हानि विवरणी में अन्य आय में शामिल किया जाता है। विद्युत् की बिक्री के लिए देर से भुगतान/अतिदेय विविध देनदारों पर ब्याज/अधिभार को मान्यता तब दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य ब्याज/अधिभार के साथ–साथ वारंटी दावे, सेवा प्रभारों के विलंब से भुगतान पर ब्याज प्रभार, परिनिर्धारित क्षतियां, निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती, बैंक गारंटियों को देर से प्रस्तुत करने पर विलंब प्रभार और जहां कहीं वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता हो, उन्हें उपार्जित नहीं माना जाता है और इसलिए इनकी प्राप्ति/स्वीकृति पर लेखांकन किया जाता है।

लाभांश आय को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और लाभांश की राशि को दृढ़ता से मापा जा सकता है।

10. उत्पादन के आधार पर विद्युत/परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों की खरीद

विद्युत विकासकर्ताओं (एसपीडी) के साथ निष्पादित विद्युत क्रय करारों (पीपीए) की शर्तों के अनुसार विद्युत की खरीद/उत्पादन पर आधारित परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों का लेखा–जोखा संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखा/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर किया जाता है। कारोबार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियमित अंतराल पर खरीद लेनदेन का मिलान किया जाता है। डिस्कॉम को बिल की गई इकाइयों की तुलना में खरीदी गई इकाइयों की किसी भी अधिकता की वसूली एसपीडी से की जाती है। (बिंदु संख्या 3 देखें)

आपूर्तिकर्ताओं से प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त छूट खरीद की राशि से काट ली जाती है।

11 कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभों में अन्य बातों के साथ–साथ भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी हितलाभ और सेवानिवृत्ति के बाद के हितलाभ शामिल हैं।

11.1 अल्पावधि हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरणी में छूट रहित राशि पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

निष्पादन से संबंधित वेतन के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए एक देयता को मान्यता दी जाती है यदि समूह के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई विगत सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या रचनात्मक देयता है और देयता का दृढ़ता से अनुमान लगाया जा सकता है।

11.2 परिभाषित योगदान योजनाएं

परिभाषित योगदान योजनाएं वे योजनाएं हैं जिनमें एक इकाई अलग–अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। भविष्य निधि और पेंशन निधि में वर्ष के दौरान समूह के भुगतान/देय अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है। समूह की एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद अन्य हितलाभ योजनाः

समूह का दायित्व है कि वह रोजगार पश्चात हितलाभों के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अनधिक राशि का भुगतान करे। तदनुसार, समूह भविष्य निधि, पेंशन निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी) या किसी अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए नियोक्ता के योगदान पर विचार करने के बाद देयता प्रदान करता है। वही लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

11.3 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

परिभाषित हितलाभ योजना परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगार के बाद की हितलाभ योजना है।

देयता अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में समूह के निवल देयता की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग की जाती है, जो भविष्य के हितलाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है; उस हितलाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी भी अपरिचित विगत सेवा लागत और किसी भी योजना संपत्ति का उचित मूल्य काट लिया जाता है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उपज पर आधारित है, जिसमें परिपक्वता तिथियां समूह के दायित्वों की शर्तों के लगभग होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें हितलाभ का भुगतान किए जाने की आशा होती है।

गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक योग्य बीमांकिक द्वारा सालाना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप समूह के लिए देयता होती है, तो देयता के वर्तमान मूल्य को कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को ओसीआई में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

11.4 दीर्घकालिक सावधि कर्मचारी हितलाभ

समूह के छुट्टी नकदीकरण के तहत हितलाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों का गठन करते हैं। छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण वर्ष के अंत में उपलब्ध छुट्टी की पात्रता और अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल देयता भविष्य के हितलाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है; उस हितलाभ को वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित संपत्ति का उचित मूल्य काट लिया जाता है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार उपज पर आधारित है, जिसमें परिपक्वता तिथियां समूह के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती हैं। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

दायित्वों को तुलन–पत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, भले ही वास्तविक निपटान होने की आशा हो।

11.5 प्रतिनियुक्ति

समूह में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण और अधिवर्षिता हितलाभों के संबंध में दायित्वों का लेखांकन मूल संगठनों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों और निबंधनों के आधार पर किया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा लेनदेन और किया

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन शुरू में कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर दर्ज किए जाते हैं, जिस तारीख को लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को समीक्षाधीन तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर परिवर्तन किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या परिवर्तन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय मतभेदों को उस वर्ष में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

गैर–मौद्रिक मदों को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तन किया जाता है।

13. आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान कर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर दरों का उपयोग करके अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होता है, और विगत वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजनकर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर को तुलन–पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यताप्राप्त है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देयताओं की मात्रा और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी मतभेदों पर लागू होने की आशा करते हैं जब वे उलट जाते हैं, उन कानूनों के आधार पर जो रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट किया जाता है यदि वर्तमान कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त है, सिवाय इसके कि यह सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यताप्राप्त है।

एक आस्थगित कर संपत्ति को इस हद तक मान्यताप्राप्त है कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ का आभास होगा।

आस्थगित कर देयताओं को संयुक्त व्यवस्था में ब्याज की अग्रनीत राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है जहां समूह अस्थायी मतभेदों के उलट होने के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि मतभेद निकट भविष्य में उलट नहीं होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को संयुक्त व्यवस्था में ब्याज की अग्रनीत राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहां यह संभव नहीं है कि मतभेद निकट भविष्य में उलट जाएंगे और कर योग्य लाभ उपलब्ध नहीं होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

14. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रनीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य से अधिक है, निपटान के लिए कम लागत और उपयोग में इसका मूल्य। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है।

हानि को मान्यता तब दी जाती है यदि किसी परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है। हानि को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। पूर्व अवधि में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है कि नुकसान कम हो गया है या अब मौजूद नहीं है।

हानि उलट जाती है यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई बदलाव हुआ है। हानि को केवल इस हद तक उलट दिया जाता है कि परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि उस अग्रनीत राशि से अधिक नहीं होती है जो निर्धारित की गई होती, मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल, यदि कोई हानि मान्यता प्राप्त नहीं थी।

15. महत्वपूर्ण पूर्व–अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व–अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः स्थापित करके ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई शुरुआती अवधि के लिए संपत्ति, देयताओं और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से स्थापित किया जाता है।

16. वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

16.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, लेनदेन की लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण या मुद्दे के कारण होती है।

परवर्ती माप

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

एक श्ऋण साधनश को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होः

(क) परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल में धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति को धारण करना है, और

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह उपजता हैं जो केवल मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई में ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण लिखतों को शुरू में और साथ ही उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। ओसीआई में उचित मूल्य उतार–चढ़ाव को मान्यता दी जाती है। हालांकि, समूह ब्याज आय, हानि हानि और उलटफेर और लाभ और हानि में विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्यता दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर ऋण लिखत (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण लिखत के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण लिखत, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, समूह एक ऋण साधन को वर्गीकृत करने का चुनाव कर सकता है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे श्लेखांकन बेमेलश कहा जाता है)। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण लिखतों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत पर मापा जाता है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) मुख्य रूप से मान्यता रद्द कर दी जाती है (अर्थात समूह के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है) जबः

» परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या

» समूह ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या श्पास–थ्रूश व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और अथवा

(क) समूह ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या

(ख) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बनाए रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इंड एएस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता हैः

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं, जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

(ख) वित्तीय संपत्ति जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं।

(ग) इंड 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

(घ) इंड 115 के अंतर्गत के तहत व्यापार प्राप्तियों

(ङ) ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।

(च) वित्तीय गारंटी संविदाएं जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि की मान्यता के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से

क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि के निर्धारण के लिए 12 महीने के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार होता है जैसे कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते की मान्यता उलट जाती है।

16.2 वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता पर, उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर और, ऋण के मामले में, सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागतों के निवल पर मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण, वित्तीय गारंटी अनुबंध शामिल हैं।

परवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिशोधन लागत पर वित्तीय वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त लागत में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर ऋण, व्यापार देय और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफवीटीपीएल)

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए आयोजित वित्तीय देयताएं और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से किए जाते हैं।

व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तिथि में नामित किया जाता है, और केवल तभी जब इंड एएस 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देयताओं के लिए, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानि को बाद में लाभ और हानि में अंतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, समूह इक्विटी में संचयी लाभ या हानि को अंतरित कर सकता है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है। समूह ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कोई वित्तीय देयता निर्दिष्ट नहीं किया है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रनीत राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

17. प्रचालनिक खण्ड

इंड एएस 108 के अनुसार, खण्ड की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालनिक खण्ड की समूह के प्रबंधन द्वारा खण्ड को संसाधन आवंटित करने और उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल इंड एएस 108 के अर्थ में सामूहिक रूप से समूह का श्मुख्य परिचालन निर्णय निर्माताश या श्सीओडीएमश है। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए गए खण्ड परिणामों में सीधे एक खण्ड के साथ–साथ उन मदों को शामिल किया जाता है जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। अनावंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल हैं।

खण्ड के लिए सीधे उत्तरदायी राजस्व को खण्ड राजस्व के रूप में माना जाता है। खंडों के लिए सीधे उत्तरदायी व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य खर्चों को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

खंड पूंजीगत व्यय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान कुल लागत है।

खण्ड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, व्यापार और अन्य प्राप्य, माल–सूची और अन्य संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सीधे या यथोचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है। वर्ष के लिए खण्ड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, संबंधित खंडों के लिए उत्तरदायी संचालन के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग की सीमा के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खंडों को आवंटित किए गए हैं। खण्ड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियों, निर्माणाधीन पूंजी, पूंजी अग्रिम, कॉरपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें खण्ड में यथोचित रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताओं में एक खंड के संबंध में सभी परिचालन देयताएं शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल हैं। खण्ड देयताओं में इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण और अन्य देयताएं और प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें यथोचित रूप से खंडों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

18. संवितरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

सेकी एमएनआरई की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और संबंधित मंजूरी आदेशों की शर्तों के अनुसार एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के तहत सीएफए के संवितरण में शामिल है।

एमएनआरई से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय देयता को दर्शाया जाता है और इन निधियों पर अर्जित ब्याज भी संबंधित केन्द्रीय वित्तीय सहायता में जमा कर दिया जाता है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता संबंधित पाटयों को प्राप्त की गई दूरी के अनुसार और संबंधित स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार भी संवितरित की जाती है।

19. भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ)

750 मेगावाट, 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, डेवलपर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) की स्थापना की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 4 फरवरी 2019 के अपने आदेश के तहत वीजीएफ योजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक गारंटियों (बीजी) के नकदीकरण से प्राप्त धन, इस निधि पर अर्जित ब्याज, शीघ्र भुगतान के लिए प्रोत्साहन (यदि पीएसएफ से प्रारंभिक भुगतान के लिए उपयोग की गई राशि का भुगतान किया गया है) और सरकार से अनुदान इस निधि में जमा किया जाएगा और विकासकर्ताओं/विद्युत उत्पादकों द्वारा देय प्रति यूनिट शुल्क (यदि कोई हो) लगाया जाएगा, तो इसे भी इस निधि में जमा किया जाएगा।

आदेश के अनुसार निधि का उपयोग किया जाएगाः

(क) खरीद संस्थानों से भुगतान की वसूली में देरी के मामले में सौर परियोजना डेवलपर्स को समय पर भुगतान करना।

(ख) पीएसए/पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय परिकल्पित नहीं दीर्घकालिक खुली पहुंच, पारेषण प्रभार आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से साख–पत्र/बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए और लागू विनियमों के अनुरूप सीटीयू/एसटीयू के

साथ हस्ताक्षरित थोक विद्युत पारेषण समझौते (बीपीटीए) के अनुसार प्रभार लागू करना।

(ग) नीति/विनियामक मुद्दों/निर्णयों और पारेषण–निकासी/खुली पहुंच बाधाओं आदि के कारण क्रेता से प्रशुल्क की कम वसूली के मामले में सहमत पीपीए दर से विकासकर्ताओं को अलग–अलग भुगतान करना।

(घ) लागू विनियमों के अनुसार अल्पकालिक खुली पहुंच प्रभारों के कारण भुगतान करना।

(ङ) पीपीए/पीएसए/वीजीएफ प्रतिभूतिकरण की परिचालन कठिनाइयों से उत्पन्न मुद्दों सहित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमों और मध्यस्थता अवार्ड आदि के कारण किसी भी शुल्क के लिए।

विभिन्न एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तों के अनुसार, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें देय टैरिफ को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हस्ताक्षरित पीपीए से कम कर दिया गया है। टैरिफ में कमी के कारण सौर विद्युत की खरीद में कमी की किसी भी राशि को सीधे पीएसएफ में जमा किया जा रहा है।

राज्य ऊर्जा लेखा (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) के कारण विद्युत की बिक्री और खरीद की यूनिटों में उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को लेखों में उचित रूप से निपटाया जाता है। खरीदी गई इकाइयों की तुलना में बेची गई इकाइयों की अधिकता के मामले में, अंतर भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में जमा किया जाता है।

पारेषण कंपनियों को किए गए भुगतान और सेकी द्वारा पारेषण प्रभारों के लिए डिस्कॉम/क्रेता संस्थानों से प्राप्त भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को पीएसएफ को अंतरित कर दिया जाता है।

निष्पादन गारंटी जमा पर प्राप्त विस्तार/अर्जित ब्याज को भी 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीमों पर एमएनआरई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाएगा।

सौर पार्क कार्यान्वयन एजेंसियों (एसपीआईए) से प्राप्त विलंब प्रभारों को भी 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीमों पर एमएनआरई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाएगा।

पीएसएफ खाते में पड़ी निधि को चालू देयताओं के तहत वित्तीय देयताओं के रूप में दिखाया जाता है।

20. बैंक गारंटी नकदीकरण/बीजी नकदीकरण के बदले विकासकर्ता द्वारा जमा की गई निधियां (पवन/हाइब्रिड/सौर/फ्लोटिंग सोलर (मानक बोली दिशानिर्देश–गैर वीजीएफ योजनाएं)

पवन/हाइब्रिड/सौर/फ्लोटिंग सोलर (मानक बोली दिशानिर्देश–गैर वीजीएफ स्कीम) के अंतर्गत बैंक गारंटी के नकदीकरण/बीजी नकदीकरण के बदले विकासकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी के नकदीकरण पर प्राप्त निधियों को ब्याज वाले खाते में अलग से रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एमएनआरई से अनुदेश/दिशानिर्देश प्राप्त होने तक इन निधियों पर उपार्जित ब्याज भी उसी खाते में जमा किया जाता है।

घ. अन्य लेखांकन नीतियां

1. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति

1.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता तब दी जाती है यदि अगर यह संभव है कि अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण हैं, समूह में प्रवाहित होंगे और संपत्ति की लागत को दृढ़ता से मापा जा सकता है।

समूह द्वारा अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्ति, जिनके पास सीमित उपयोगी जीवन है, लागत पर मान्यता प्राप्त हैं। बाद में माप लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानि नुकसान पर किया जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी आकस्मिक व्यय शामिल है। किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में ले जाया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों।

1.2. मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्यता से हटा दिया जाता है जब उनके उपयोग से या उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की एक मद के निपटान पर लाभ और हानि अमूर्त परिसंपत्ति की अग्रनीत राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

1.3. परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि में या 5 वर्ष जो भी कम हो, सीधी रेखा विधि पर परिशोधन किया जाता है।

2. माल–सूची

माल–सूची का मूल्यांकन लागत से कम तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और माल–सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। खरीदी गई माल–सूची की लागत छूट और छूट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। निवल वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की कम अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है।

3. प्रतिशेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से समूह के इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर कम आय की गणना समूह के इक्विटी शेयरधारकों के लिए उत्तरदायी निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

4. नकदी प्रवाह विवरणी

नकदी प्रवाह विवरणी इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरणी' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार की जाती है।

5. लाभांश

समूह के शेयरधारकों को भुगतान/देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

6. पारेषण प्रभार

विद्युत की खरीद/बिक्री के भाग के रूप में, पारेषण प्रभारों की प्रतिपूत प्रकृति के होते हैं जो क्रेता संस्थान से वसूल किए जाते हैं और एसएलडीसी को देय होते हैं और कंपनी की ओर से कोई दायित्व नहीं होता है। क्रय संस्थानों से वसूल किए जाने योग्य बिल रहित पारेषण प्रभारों के प्रावधान को मान्यता दी जाती है और अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाता है और एसएलडीसी को देय तदनुरूपी राशि अन्य चालू वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाई जाती है।

ङ. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जो शामिल मदों के साथ–साथ आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय विगत अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतनहित पूर्वानुमानों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होते हैं। समेकित वित्तीय विवरणियों की समझ बढ़ाने के लिए, समेकित वित्तीय विवरणियों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर) शामिल हैं। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

2. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि**

संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य मात्रा विशेष रूप से प्रत्याशित बाजार दृष्टिकोण और विद्युत संयंत्रों से संबद्ध भावी नकदी प्रवाह के संबंध में अनुमानों और पूर्वानुमानों पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

3. **नियोजन पश्चात हितलाभ योजनाएं**

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ–साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। समूह मानता है कि इसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं उचित और प्रलेखित हैं। हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

4. **राजस्व**

समूह संबंधित करारों में विनिदष्ट टैरिफ दरों के आधार पर और इंड एएस 115 के अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अभिलिखित करता है। ऐसे मामलों में जहां इकाइयों का अभी पता लगाया जाना है, राजस्व की मान्यता के उद्देश्य से अनंतिम इकाइयों पर विचार किया जाना है।

5. **बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां**

महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में इंड एएस 105 'बिक्री और बंद संचालन के लिए आयोजित गैर चालू परिसंपत्तियों के तहत बिक्री के लिए धारित गैर–चालू संपत्ति के लेखांकन लागू करने के लिए आवश्यक है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए परिसंपत्तियों की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष में बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या उनकी अग्रनीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी।

6. **प्रावधान और आकस्मिकताएं**

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड एएस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण रूप से यदि परिस्थितियां अप्रत्याशित घटनाओं को बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

7. **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि परीक्षणे**

संयुक्त उद्यमों में निवेश की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से निवेशी समूह के संचालन से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

टिप्पणी 2: गैर–चालू परिसंपत्तियां–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च 2024 तक (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2023 को	वृद्धियां	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भवन	81.31			81.31	33.18	4.74		37.92	43.39	48.13
प्लांट और मशीनरी	10,786.37	89,953.06		1,00,739.43	3,173.62	1,280.96		4,454.58	96,284.85	7,612.75
कंप्यूटर–एंड यूजर डिवाइस	206.06	71.81	(45.73)	232.14	140.30	38.00	(42.58)	135.72	96.42	65.76
कंप्यूटर–सर्वर और नेटवर्क	10.64			10.64	7.47	0.68		8.15	2.49	3.17
फर्नीचर और फिक्सचर–कार्यालय	159.71	21.40		181.11	35.61	15.61		51.22	129.89	124.10
मोटर कार	35.95		(10.11)	25.84	7.04	3.80	(3.08)	7.76	18.08	28.91
कार्यालय उपकरण	283.14	71.47	(1.82)	352.79	152.28	44.13	(0.80)	195.61	157.18	130.86
योग	**11,563.18**	**90,117.74**	**(57.66)**	**1,01,623.26**	**3,549.50**	**1,387.92**	**(46.46)**	**4,890.96**	**96,732.30**	**8,013.68**

31 मार्च 2023 तक (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	वृद्धियां	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भवन	81.31			81.31	28.44	4.74		33.18	48.13	52.87
प्लांट और मशीनरी	10,786.37			10,786.37	2,590.27	583.35		3,173.62	7,612.75	8,196.10
कंप्यूटर–एंड यूजर डिवाइस	168.90	43.82	(6.66)	206.06	107.62	36.73	(4.05)	140.30	65.76	61.28
कंप्यूटर–सर्वर और नेटवर्क	10.64			10.64	6.66	0.81		7.47	3.17	3.98
फर्नीचर और फिक्सचर–कार्यालय	153.91	8.28	(2.48)	159.71	21.13	15.41	(0.93)	35.61	124.10	132.78
मोटर कार	51.61		(15.66)	35.95	17.12	4.80	(14.88)	7.04	28.91	34.49
कार्यालय उपकरण	260.98	24.10	(1.94)	283.14	109.77	44.05	(1.54)	152.28	130.86	151.21
योग	**11,513.72**	**76.20**	**(26.74)**	**11,563.18**	**2,881.01**	**689.89**	**(21.40)**	**3,549.50**	**8,013.68**	**8,632.71**

टिप्पणी:

2.1 81.31 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 81.31 लाख रुपये) का भवन पट्टे की भूमि पर बनाया गया है।

2.2 वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट की परियोजना 01.02.2024 को चालू की गई थी। तदनुसार, वर्ष के दौरान 88,199.81 लाख रुपये की राशि का पूंजीकरण किया गया है।

2.3 वर्ष के दौरान लक्षद्वीप में 1.7 मेगावाट की परियोजना 23.12.2023 को चालू की गई थी। तदनुसार, वर्ष के दौरान 1,753.25 लाख रुपये की राशि को पूंजीकृत किया गया है।

टिप्पणी 3: गैर चालू संपत्ति – उपयोग संपत्ति का अधिकार

31 मार्च 2024 तक (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2023 को	पुनर्वर्गीकरण	वृद्धियां	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संपत्ति के उपयोग का अधिकार – आवासीय – फ्लैट	1,734.06	-		-	1,734.06	192.78	58.65	-	251.43	1,482.63	1,541.28
संपत्ति के उपयोग का अधिकार – भूमि 10 मेगावॉट राजस्थान (संक्रमण पर)	332.17	-		-	332.17	51.83	12.98	-	64.81	267.36	280.34
संपत्ति के उपयोग का अधिकार – एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,181.48	-		-	19,181.48	1,417.75	699.96	-	2,117.71	17,063.77	17,763.73
योग	**21,247.71**	**-**	**-**	**-**	**21,247.71**	**1,662.36**	**771.59**	**-**	**2,433.95**	**18,813.76**	**19,585.35**

31 मार्च 2023 तक (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	पुनर्वर्गीकरण	वृद्धियां	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
संपत्ति के उपयोग का अधिकार – आवासीय – फ्लैट	1,734.06	-		-	1,734.06	134.13	58.65	-	192.78	1,541.28	1,599.93
संपत्ति के उपयोग का अधिकार – भूमि 10 मेगावॉट राजस्थान (संक्रमण पर)	332.17	-		-	332.17	38.88	12.95	-	51.83	280.34	293.29
संपत्ति के उपयोग का अधिकार – एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,181.48	-		-	19,181.48	717.79	699.96	-	1,417.75	17,763.73	18,463.69
योग	**21,247.71**	**-**	**-**	**-**	**21,247.71**	**890.80**	**771.56**	**-**	**1,662.36**	**19,585.35**	**20,356.91**

टिप्पणी 4: गैर चालू संपत्ति – निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक					31 मार्च 2023 तक				
	1 अप्रैल 2023 को	वृद्धियां	कटौती/ समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वृद्धियां	कटौती/ समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2023 तक
1200 मेगावाट सीपी एसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना										
अन्य व्यावसायिक शुल्क	1,416.00	3.16			1,419.16	1,416.00				1,416.00
1200 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना (पूर्ववर्ती 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना)										
पंजीकरण शुल्क	136.41				136.41	139.24		(2.83)		136.41
विज्ञापन	-				-	-				-
अन्य व्यावसायिक शुल्क	79.91	5.90			85.81	79.91				79.91
लक्षद्वीप										
अन्य व्यावसायिक शुल्क	118.20	11.80	(119.96)	(10.04)	0.00	118.20				118.20
उप अनुबंध व्यय	1,544.67	198.54		(1,743.21)	-	133.03	1,411.64			1,544.67
लक्षद्वीप										
एफएसपीवी लक्षद्वीप परियोजना	-		118.22	-	118.22					
100 मेगावाट छत्तीसगढ़										
अन्य व्यावसायिक शुल्क	6.53			(6.53)	-	6.53				6.53
पंजीकरण शुल्क	47.20			(47.20)	-	47.20				47.20
साइट का खर्च	10.53	142	(6.70)	(145.83)	-	1.26	9.27			10.53
उप अनुबंध व्यय	21,556.03	65,649.81		(87,205.84)	-		21,556.03			21,556.03
ऋण लागत	230.95	93.11		(324.06)	-		230.95			230.95
50 मेगावाट लेह										
साइट का खर्च	35.69		(35.69)		-		35.69			35.69
100 मेगावाट झारखंड										
ऋण लागत	162.66	64.32			226.98		162.66			162.66
साइट व्यय और अन्य शुल्क	-	2.43			2.43					-
योग	**25,344.78**	**66,171.07**	**(44.13)**	**(89,482.71)**	**1,989.01**	**1,941.37**	**23,406.24**	**(2.83)**		**- 25,344.78**

टिप्पणी:

4.1 इंड एएस–23% ऋण लागत के अनुसार, 93.11 लाख रुपये (विगत वर्ष 230.95 लाख रुपये) और 64.32 लाख रुपये (विगत वर्ष 162.66 लाख रुपये) की राशि को 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः छत्तीसगढ़ में बीईएसएस के साथ 100 मेगावाट सौर पीवी पावर प्रोजेक्ट और झारखंड में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्लांट में पूंजीकृत किया गया है।

4.2 पूंजी डब्ल्यूआईपी के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी संख्या 49.3 (प्रतिबद्धताएं) देखें।

निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य जीवनकाल अनुसूची।

(क) निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं (लाख रुपए)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2024					
1200 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना (पूर्ववर्ती 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना)	5.90		4.25	212.07	222.22
एफएसपीवी लक्षद्वीप परियोजना		118.22			118.22
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना	3.16		1,416.00		1,419.16
100 मेगावाट झारखंड	66.75	162.66			229.41
योग					**1,989.01**
31 मार्च, 2023					
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना)	-	4.25	-	212.07	216.32
100 मेगावाट छत्तीसगढ़	21,796.25	48.05	6.37	0.57	21,851.24
लक्षद्वीप परियोजना	1,411.64	168.49	35.46	47.28	1,662.87
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना	-	1,416.00	-	-	1,416.00
100 मेगावाट झारखंड	162.66	-	-	-	162.66
50 मेगावाट लेह	35.69	-	-	-	35.69
योग					**25,344.78**

(ख) परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (लाख रुपए)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक					
शून्य	-	-	-	-	-

(ग) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची निम्नानुसार है:

(लाख रुपए)

विवरण	परियोजना की अनुमानित लागत	वास्तविक लागत खर्च	परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तिथि	परियोजना के पूरा होने की संशोधित अनुमानित तिथि	कब पूर्ण किया जाना है				योग
					1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक									
शून्य									
31 मार्च 2023 तक									
लक्षद्वीप परियोजना	1,743.20	1,662.87	07-11-2021	30-09-2023	1,662.87	-	-	-	1662.87
50 मेगावाट लेह	37,200.00	35.69	09-02-2023	09-02-2024	35.69				35.69

टिप्पणी 5: गैर चालू परिसंपत्तियां–अमूर्त परिसंपत्ति

31 मार्च, 2024 तक (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2023 को	वृद्धियां	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,497.29	32.84	-	1,530.13	706.83	290.06		996.89	533.24	790.46
योग	**1,497.29**	**32.84**	**-**	**1,530.13**	**706.83**	**290.06**	**-**	**996.89**	**533.24**	**790.46**

31 मार्च, 2023 तक (लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	वृद्धियां	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2022 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,490.40	6.89	-	1,497.29	418.01	288.82		706.83	790.46	1,072.39
योग	**1,490.40**	**6.89**	**-**	**1,497.29**	**418.01**	**288.82**	**-**	**706.83**	**790.46**	**1,072.39**

टिप्पणी 6: गैर चालू संपत्ति–विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक					31 मार्च 2023 तक				
	1 अप्रैल 2023 को	वृद्धियां	कटौती/ समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2022 तक	वृद्धियां	कटौती/ समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2023 तक
शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का जीवनकाल।

(क) निर्माणाधीन परियोजनाएं (लाख रुपए)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक					
शून्य		-	-	-	-

(ख) परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (लाख रुपए)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 तक					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक					
शून्य	-	-	-	-	-

(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है, विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां शून्य है।

टिप्पणी 7: गैर–चालू संपत्ति–संयुक्त उद्यम में निवेश

(इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकन)

इक्विटी शेयर में निवेश	चालू वर्ष में शेयरों की संख्या	चालू वर्ष में शेयरों का अंकित मूल्य	31 मार्च 2024 तक (लाख रुपए)	चालू वर्ष में शेयरों की संख्या	चालू वर्ष में शेयरों का अंकित मूल्य	31 मार्च 2023 तक (लाख रुपए)
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	50,000	10	21,889.80	50,000	10	18,922.62
हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	22,100	1,000	239.99	22,100	1,000	233.63
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,00,000	10	13,451.16	5,00,000	10	10,791.18
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,00,000	10	1,452.44	5,00,000	10	1,001.60
रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	5,000	1,000	580.23	5,000	1,000	448.40
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	10,000	1,000	5,290.16	10,000	1,000	3,922.41
योग			**42,903.78**			**35,319.84**
उद्धृत निवेश की सकल राशि			शून्य			शून्य
अन–उद्धृत निवेश की सकल राशि			42,903.78			35,319.84
निवेश पर हानि की सकल राशि			शून्य			शून्य

7.1. संयुक्त उद्यम (ओं) में निवेश का मूल्यांकन लेखा नीति संख्या 1.सी.16.1 के अनुसार किया जाता है

* लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के प्रबंधन प्रमाणित पुनः कथित वित्तीय विवरणियों के अनुसार पुनःकथित।

टिप्पणी 8: गैर चालू वित्तीय संपत्ति–ऋण और अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम–सुरक्षित	199.96	69.54
योग	**199.96**	**69.54**

8.1. कंपनी ने कर्मचारियों को निर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ ऋण दिया है, जिसे इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसार परिशोधन लागत पर वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 9: गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
डिस्कॉम से वसूली योग्य (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	81,942.95	90,896.66
प्रतिभूति जमा प्राप्य	7.80	7.38
योग	**81,950.75**	**90,904.04**

टिप्पणी 10: गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – बांड में निवेश

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बांड में उद्धृत निवेश (परिशोधन लागत पर मान्यता प्राप्त)		
सीपीएसयू बांड	1,60,394.33	86,482.28
योग	**1,60,394.33**	**86,482.28**

10.1 सेकी की अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार, 1,60,394.33 लाख रुपये (31.03.2023 को 86,482.28 लाख रुपये) की राशि श्एएएश रेटेड सीपीएसयू बॉन्ड में निवेश की गई है। इस फंड में निष्पादन गारंटी जमा (पीजीडी) के 21,548.70 लाख रुपये (पीवाई रुपये 19,721.60 लाख), भुगतान सुरक्षा जमा (पीएसडी) के 8,214.57 लाख रुपये (पीवाई रुपये 5,701.50 लाख रुपये), भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) के 87,381.44 लाख रुपये (पीवाई रुपये 61,059.18 लाख रुपये) और पवन भुगतान सुरक्षा कोष के 43,249.62 लाख रुपये (पीवाई रुपये शून्य) शामिल हैं।

टिप्पणी 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम		
पूंजी अग्रिम	10,985.73	8,810.57
अन्य अग्रिम	312.03	324.67
अन्य		
आस्थगित राजस्व व्यय – प्रतिभूति जमा	12.19	12.95
आस्थगित राजस्व व्यय – कर्मचारियों को वाहन और आवास अग्रिम	48.63	18.11
योग	**11,358.58**	**9,166.30**

11.1 पूंजीगत अग्रिम में एनबीसीसी, नौरोजी नगर में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए भुगतान किए गए 8,281.97 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक शून्य रुपये), छत्तीसगढ़ में स्थित 100 मेगावाट परियोजना के लिए भुगतान किए गए 373.89 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 61,96.30 लाख रुपये), जिला कलेक्टर को भुगतान किए गए 2,329.20 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 2120.71 लाख रुपये) शामिल हैं। (देखें टिप्पणी सं 64) के अंतर्गत 1200 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम (पूर्ववर्ती 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना) के अंतर्गत 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए रामगिरी गांव और मुथुवाकुंतला गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए अनंतपुर।

टिप्पणी 12: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–व्यापार प्राप्य

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	56,746.27	56,746.27
व्यापार प्राप्तियों को अच्छा माना गया– असुरक्षित	1,19,079.26	1,17,198.00
	1,75,825.53	**1,73,944.27**
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और	-	-
घटाः अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि) के लिए भत्ता	-	-
व्यापार प्राप्य– क्रेडिट हानि	244.82	241.42
घटाः अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (हानि) के लिए भत्ता	(244.82)	(241.42)
योग	**1,75,825.53**	**1,73,944.27**

12.1. व्यापार प्राप्य में संबंधित पक्षों से संबंधित 757.82 लाख रुपये शामिल हैं (31 मार्च 2023 तक, 1,430.62 लाख रुपये)

टिप्पणी 13: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां– नकद और नकद समकक्ष

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंक के पास शेष राशि (अर्जित ब्याज सहित)		
चालू खाते	62,418.62	47,903.71
बचत खाते	43,688.17	71,715.99
सीसी/ओडी खाते	2,495.57	12,701.62
योग	**1,08,602.36**	**1,32,321.32**

13.1 चालू खातों में ऑटो स्वीप सावधि जमा और उन पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

13.2 वर्तमान वित्तीय संपत्ति – नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सरकारी अनुदान/निधि	33,350.75	37,596.12
भुगतान सुरक्षा तंत्र (विस्तार धन शामिल है) (टिप्पणी 63 देखें)	52,423.19	28,098.12
निष्पादन गारंटी जमा	290.30	1,828.47
अन्य	22,538.12	64,798.61
योग	**1,08,602.36**	**1,32,321.32**

टिप्पणी 14: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंक में शेष राशि (अर्जित ब्याज सहित)		
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा, 12 महीने में परिपक्व	1,07,090.80	80,957.80
गैर–चालू जमा के अलावा अन्य बैंकों में अंकित सावधि जमा	37.52	37.33
योग	**1,07,128.32**	**80,995.13**

14.1 बैंक के पास शेष राशि (अर्जित ब्याज सहित) में निम्नलिखित के कारण सावधि जमा शामिल हैं: **(लाख रुपए)**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सरकारी अनुदान/निधि	-	-
भुगतान सुरक्षा तंत्र (विस्तार धन शामिल है) (टिप्पणी 63 देखें)	37.52	37.33
निष्पादन गारंटी जमा	-	-
अन्य	1,07,090.80	80,957.80
योग	**1,07,128.32**	**80,995.13**

14.1 बैंक के पास शेष राशि (अर्जित ब्याज सहित) में निम्नलिखित के कारण सावधि जमा शामिल हैं:

टिप्पणी 15: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण और अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम – सुरक्षित	42.74	29.66
अग्रिम – असुरक्षित	7.77	16.73
अन्यों को अग्रिम		
असुरक्षित	1,531.77	1,531.77
वसूली योग्य राशि		
संबंधित पक्ष	0.96	-
अन्य	1,503.37	79.68
योग	**3,086.61**	**1,657.84**

टिप्पणी 16: वर्तमान परिसंपत्तियां– अन्य वित्तीय वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बिना–बिल राजस्व	1,19,036.84	1,00,308.22
बिना–बिल पारेषण प्रभार	360.65	365.72
डिस्कॉम से वसूली योग्य (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	3,663.18	18,450.59
प्रतिभूति जमा प्राप्य	2.49	2.22
योग	**1,23,063.16**	**1,19,126.75**

16.1 1,19,036.84 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,00,308.22 लाख रुपये) के अबिल राजस्व में बिजली की बिक्री के लिए 1,19,014.20 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,00,283.85 लाख रुपये) का राजस्व शामिल है, लेकिन पीएसए की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक चालान नहीं बनाए गए थे और 22.64 लाख रुपये का राजस्व (31 मार्च 2023 तक, ₹ 24.37 लाख) ट्रेडिंग मार्जिन के बंटवारे की ओर लेकिन चालान 31 मार्च 2024 तक नहीं बढ़ाए गए थे।

16.2 अनबिल्ड ट्रांसमिशन शुल्क में 360.65 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 365.72 लाख रुपये) शामिल हैं, जो ट्रांसमिशन शुल्क से संबंधित हैं, जिनके लिए 31 मार्च 2024 तक चालान नहीं बनाए गए थे।

टिप्पणी 17: वर्तमान परिसंपत्तियां–अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम		
संबंधित पक्ष		
असुरक्षित	136.08	4.71
कर्मचारी		
असुरक्षित	0.49	3.29
अन्य		
असुरक्षित	0.50	0.50
राजस्व/सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	22.42	20.47
आयकर रिफंड	243.17	475.05
कर अधिकारियों के पास जमा	4.59	-
पूर्व–प्रदत्त खर्च	32.90	34.13
अन्य	144.18	193.38
योग	**584.33**	**731.53**

टिप्पणी 18: वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर परिसंपत्तियां	(10,595.90)	(10,796.21)
अग्रिम कर	6,366.00	8,153.00
खरीद पर टीसीएस भुगतान	-	-
टीडीएस प्राप्य	5,470.39	2,674.50
योग	**1,240.49**	**31.29**

18.1 आयकर पर महत्वपूर्ण लेखा नीति के बिंदु संख्या 13 को देखें।

टिप्पणी 19: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
2,00,00,000 सम मूल्य के इक्विटी शेयर रुपए 1000 प्रत्येक (2,00,00,000 सम मूल्य के इक्विटी शेयर रुपए 1000 प्रत्येक 31 मार्च 2023 तक)	2,00,000	2,00,000
जारी और अभिदत्त		
1,35,40,000 सम मूल्य के इक्विटी शेयर रुपए 1000 प्रत्येक (60,00,000 प्रत्येक 1000 रुपये के सममूल्य के इक्विटी शेयर 31 मार्च 2023 तक)	1,35,400	1,35,400
पूर्ण प्रदत्त		
1,35,40,000 सम मूल्य के इक्विटी शेयर रुपए 1000 प्रत्येक (1,35,40,000 प्रत्येक 1000 रुपये के सममूल्य के इक्विटी शेयर 31 मार्च 2023 तक)	1,35,400	1,35,400

क) वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का समाधानः (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	1,35,40,000	1,35,400	35,40,000	35,400
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	1,00,00,000	1,00,000
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**1,35,40,000**	**1,35,400**	**1,35,40,000**	**1,35,400**

ख) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकारः

कंपनी ने शेयरधारकों की शेयर धारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के साथ केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मतदान अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग किए जाने योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक भी उनके लिए समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं।

ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरणः

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयर की संख्या	प्रतिशतता	शेयर की संख्या	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	1,35,40,000	100%	1,35,40,000	100%

घ) प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरणः

वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित व्यक्ति*	1,35,40,000	100%	-

वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित व्यक्ति*	1,35,40,000	100%	-

*6 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित है।

ङ) लाभांशः (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(i) इक्विटी शेयर – वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश– रुपये शून्य (31 मार्च 2022: रुपये शून्य) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए दीपम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से छूट के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई थी।	-	-
(ii) इक्विटी शेयर – समीक्षाधीन अवधि के अंत में मान्यताप्राप्त नहीं लाभांश वित्त वर्ष 2023–24 के लिए दीपम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से छूट के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।	-	-

टिप्पणी:

19.1. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के 27 मई, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को 31.03.24 को निवल मूल्य का 5% या वर्ष 2023–24 के लिए कर–पश्चात लाभ (पीएटी) का 30%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए दीपम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से छूट के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया है।

टिप्पणी 20: अन्य इक्विटी

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिधारित आय	1,88,203.56	1,37,075.25
शेयर आवंटन के लंबित आवेदन राशि	-	-
योग	**1,88,203.56**	**1,37,075.25**

प्रतिधारित आय –

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथ शेष*	1,37,075.25	99,102.04
जमा: संयुक्त उद्यम के इंड एएस 116 के अनुसार उप पट्टे पर शेयर	126.20	120.12
घटा: संयुक्त उद्यम के इंड एएस 116 के आस्थगित कर के प्रभाव का हिस्सा	(31.76)	(30.23)
घटा: वर्ष के दौरान किया गया सीएसआर व्यय	-	(13.84)
जमा: लाभ और हानि विवरणी के अनुसार वर्ष का लाभ *	51,092.12	37,876.70
घटा: अंतिम लाभांश का भुगतान		
प्रतिधारित आय में सीधे मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की मदें		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि), कर का निवल	(58.24)	20.46
इति शेष	**1,88,203.56**	**1,37,075.25**

*लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित पुनःघोषित वित्तीय विवरणों के अनुसार पुनःविवरण।

टिप्पणी 21: गैर चालू वित्तीय देयताएंदृऋण

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
विदेशी मुद्रा ऋण (विश्व बैंक (आईबीआरडी) – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
आईबीआरडी ऋण (टिप्पणी संख्या 70 देखें)	18,908.55	219.93
सीटीएफ ऋण (टिप्पणी संख्या 70 देखें)	5,915.99	81.93
योग	**24,824.54**	**301.86**
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
15.06.2024 को देय*	472.71	-
15.12.2024 को देय*	472.71	-

*5,66,980.43 अमरीकी डॉलर को 28.03.2024 को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया।

टिप्पणी 22: गैर–चालू वित्तीय देयताएं–पट्टा देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयता–(इंड 116 की टिप्पणी संख्या 43 देखें)	166.91	164.20
योग	**166.91**	**164.20**

टिप्पणी 23: गैर–चालू देयताएं–अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिधारण राशि	-	4,023.14
निष्पादन गारंटी जमा	4,456.41	4,060.33
एसपीडी को देय – (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	81,943.11	90,896.66
योग	**86,399.52**	**98,980.13**

23.1 4,456.41 लाख रुपये (रुपये 4,060.33 लाख 31 मार्च 2023 तक) की निष्पादन गारंटी जमा राशि में आरएफएस की शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) द्वारा की गई जमा राशि शामिल है।

23.2 शून्य रुपये (रुपये 4,023.14 लाख 31 मार्च 2023 तक) की प्रतिधारण राशि में सेकी द्वारा छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप परियोजनाओं के प्रति किया गया प्रतिधारण शामिल है।

टिप्पणी 24: गैर चालू देयताएं–प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,335.34	1,004.79
योग	**1,335.34**	**1,004.79**

24.1 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 44 में किया गया है।

टिप्पणी 25: गैर वर्तमान देयताएं–आस्थगित कर देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयताएं	4,648.75	416.85
योग	**4,648.75**	**416.85**

25.1 आस्थगित कर देयताओं में उतार–चढ़ाव

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के आरंभ में आस्थगित कर देयताएं	416.85	418.00
वृद्धि:		
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	4,327.61	29.15
घटा:		
कर्मचारी हितलाभ के कारण	(90.61)	(33.62)
अन्यों के कारण	(5.10)	3.32
वर्ष की समाप्ति पर आस्थगित कर देयताएं	**4,648.75**	**416.85**

टिप्पणी 26: अन्य गैर– चालू देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ग्राहकों से अग्रिम	90.00	229.21
अउपार्जित सफलता शुल्क	4,588.40	5,058.75
योग	**4,678.40**	**5,287.96**

26.1 ग्राहकों से 90.00 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 229.21 लाख रुपये) का अग्रिम, अग्रिम लेखा नीति के अनुसार अग्रिम रूप से प्राप्त सफलता शुल्क के लिए है (बिंदु संख्या 1.सी.9.2.1 देखें)

26.2 अउपार्जित सफलता शुल्क 4,588.40 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 5,058.75 लाख रुपये) में विनिर्माण सुविधा से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए प्राप्त सफलता शुल्क के लिए 3,812.80 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 4,568.00 लाख रुपये) शामिल हैं। (बिंदु संख्या 1.सी.9.2.1 देखें)। टिप्पणी संख्या 72 देखें।

टिप्पणी 27: वर्तमान वित्तीय देयताएंदृऋण

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
मांग पर चुकाने योग्य ऋण		
बैंकों से		
सुरक्षित		
कैश क्रेडिट/ओडी	5,075.44	-
असुरक्षित		
कैश क्रेडिट/ओडी	-	-
योग	**5,075.44**	**-**

27.1 बैंकों से नकद ऋण/ओडी वर्तमान और भविष्य सहित कंपनी की प्राप्तियों/बही ऋणों पर प्रथम पैरी पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है। अनाहरित ऋण सुविधाओं के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

टिप्पणी 28: वर्तमान देयताएं–पट्टा देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयता–भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (टिप्पणी संख्या 43 देखें)	13.30	12.66
योग	**13.30**	**12.66**

टिप्पणी 29: वर्तमान वित्तीय देयताएं–व्यापार देय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार देय		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (टिप्पणी संख्या 56 देखें)	-	-
उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	41,026.26	44,451.09
योग	**41,026.26**	**44,451.09**

टिप्पणी 30: वर्तमान देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पूंजीगत व्यय के प्रति देय	3,066.17	3,276.65
खर्चों के प्रति देय	468.22	350.70
भुगतान सुरक्षा निधि (टिप्पणी 63 देखें)	1,66,224.74	1,50,013.49
भुगतान सुरक्षा जमा	16,296.48	6,917.61
बिना बिल वाले देय–सौर/पवन/हाइब्रिड	1,19,722.03	97,987.49
बैंक गारंटी नकदीकरण– पवन/अस्थायी सौर ऊर्जा परियोजना (टिप्पणी संख्या 68 देखें)	53,041.98	33,210.52
देय सुरक्षा जमा	407.27	411.48
संवितरण के लिए सब्सिडी	33,278.82	36,063.63
एसपीडी को देय (टिप्पणी संख्या 69 देखें)	6,610.61	6,904.23
प्रतिधारण धन	17,285.84	179.46
अर्जित ब्याज लेकिन विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआरडी और सीटीएफ) के कारण नहीं	90.15	0.74
प्रतिबद्धता प्रभार अर्जित लेकिन विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआरडी और सीटीएफ) के कारण नहीं	43.22	20.69
अन्य देय	1,006.63	997.15
योग	**4,17,542.16**	**3,36,333.84**

30.1 407.27 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 411.48 लाख रुपये) की देय सुरक्षा जमा राशि कंपनी द्वारा जारी विभिन्न आरएफएस की शर्तों के अनुसार पार्टियों द्वारा जमा की गई राशि है।

30.2 बिन बिल देय – सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड पावर 1,19,722.03 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 97,987.49 लाख रुपये) विद्युत् की खरीद के लिए है जिसके लिए आरएफएस की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक चालान नहीं बनाए गए थे।

30.3 संवितरण के लिए सब्सिडी 33,278.82 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 36,063.63 लाख रुपये) आगे संवितरण के लिए एमएनआरई से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए है (लेखा नीति 1.सी.18 देखें)। इसमें वर्ष के दौरान जमा किए गए निवल ब्याज (एमएनआरई को वापस अर्जित ब्याज कम अर्जित किया गया) के कारण 1,185.31 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 854.34 लाख रुपये) शामिल हैं, जो एमएनआरई को देय है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, सेकी को एमएनआरई द्वारा विभिन्न अतिरिक्त योजनाओं के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत धन के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार है।

30.4 अन्य देय में ब्याज के साथ विवाद समाधान शुल्क शामिल है, (टिप्पणी 67 देखें) 375.93 लाख रुपये (विगत वर्ष 373.62 लाख रुपये)।

30.5 अन्य देय में 357.41 लाख रुपये (विगत वर्ष 361.01 लाख रुपये) का देय अनबिल्ड पारेषण शुल्क शामिल है, जो पारेषण शुल्क से संबंधित है, जिसके लिए 31 मार्च 2024 तक चालान प्राप्त नहीं हुए थे।

टिप्पणी 31: वर्तमान देयताएं–प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	776.50	824.86
अन्य प्रावधान	52.14	47.67
योग	**828.64**	**872.53**

31.1 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 44 में किया गया है।

टिप्पणी 32: वर्तमान देयताएं –अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ग्राहकों से अग्रिम	2,603.21	1,620.51
दूसरों से अग्रिम	41.30	41.25
सुरक्षा जमा राशि	76.24	76.24
वैधानिक बकाया	1,323.08	1,112.71
अनारक्षित निधि प्रबंधन शुल्क – एमएनआरई	-	0.65
अप्राप्त सफलता शुल्क	1,820.47	1,835.50
अन्य देय	2,053.33	3,474.69
योग	**7,917.63**	**8,161.55**

32.1 ग्राहकों से 2,603.21 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,620.51 लाख रुपये) का अग्रिम अग्रिम लेखा नीति के अनुसार अग्रिम रूप से प्राप्त सफलता शुल्क के लिए है (बिंदु संख्या 1.सी.9.2.1 देखें)

32.2 अन्य से 41.30 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 41.25 लाख रुपये) की अग्रिम राशि अरुणाचल प्रदेश में गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अग्रिम राशि के लिए है।

32.3 अन्य देय राशि में रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के तहत विभिन्न डेवलपर्स से प्राप्त 488.40 लाख रुपये की राशि शामिल है। (टिप्पणी संख्या 62 देखें)।

32.4 अउपार्जित सफलता शुल्क 1,820.47 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,835.50 लाख रुपये) में लेखांकन नीति के अनुसार अग्रिम में विनिर्माण सुविधा से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए प्राप्त सफलता शुल्क के लिए 1,138.72 रुपये (31 मार्च 2023 तक, 1,392.00 लाख रुपये) शामिल हैं। (बिंदु संख्या 1.सी.9.2.1 देखें)। टिप्पणी संख्या 72 देखें।

टिप्पणी 33: वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर परिसंपत्तियां	-	-
अग्रिम कर	-	-
टीडीएस प्राप्य	-	-
योग	**-**	**-**

टिप्पणी 34: आस्थगित राजस्व

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित आय – रूफटॉप के लिए अनुदान	326.30	344.34
आस्थगित आय आय – प्रतिधारण धन	183.19	505.61

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित राजस्व आय – निष्पादन गारंटी जमा	14,634.52	15,171.74
आस्थगित आय–लेह परियोजना के लिए अनुदान	1,202.05	-
योग	**16,346.06**	**16,021.69**

34.1 आस्थगित आय – रूफटॉप के लिए अनुदान 326.30 लाख रुपये (रुपये 344.34 लाख 31 मार्च 2023 तक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित एमएनआरई से प्राप्त सरकारी अनुदान के लिए है।

34.2 आस्थगित आय–छत्तीसगढ़ परियोजना के लिए 1,202.05 लाख रुपये का अनुदान एमएनआरई से छत्तीसगढ़ में बीईएसएस के साथ 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त सरकारी अनुदान के लिए है।

टिप्पणी 35: परिचालन से राजस्व

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत् की बिक्री	7,28,027.85	7,03,077.94
विद्युत् की बिक्री (पट्टे किराये के रूप में प्राप्त)	5,61,792.66	3,69,166.62
सेवाओं की बिक्री	11,009.07	6,261.98
अन्य परिचालन आय	2,677.38	1,000.60
योग	**13,03,506.96**	**10,79,507.14**

टिप्पणियां:

35.1. विद्युत् की बिक्री 4,570.44 लाख रुपये (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, 4,283.67 लाख रुपये) की छूट का निवल है।

35.1.1 विद्युत् की बिक्री में 1,19,014.20 लाख रुपये (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, 1,00,283.85 लाख रुपये) की अनंतिम बिन बिल बिक्री शामिल है, जिसके लिए पीएसए की शर्तों के अनुसार बाद के महीने में बिल तैयार किए जा रहे हैं।

35.2 सेवाओं की बिक्री में निम्नलिखित शामिल हैं–

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्शी आय	251.22	435.67
परियोजना निगरानी शुल्क	9,230.71	4,590.05
अन्य	1,527.14	1,236.26
योग	**11,009.07**	**6,261.98**

35.2.1 अन्य में पीटीसी के साथ पवन ऊर्जा परियोजना अनुबंध के संबंध में 22.64 लाख रुपये (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए – 24.37 लाख रुपये) के साथ 7 पैसे प्रति यूनिट के ट्रेडिंग मार्जिन / 25.50% (करों सहित) की शेयरिंग का अनंतिम बिन बिल राजस्व शामिल है, जिसके लिए बाद के महीने में बिल तैयार किए जा रहे हैं।

35.2. अन्य परिचालन आय में निम्नलिखित शामिल हैं – (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा शुल्क	1,258.05	644.16
रूफटॉप – अन्य प्राप्तियां (टिप्पणी संख्या 65 देखें)	2.16	1.78
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान	25.98	17.99
विविध	1,391.19	336.67
योग	**2,677.38**	**1,000.60**

टिप्पणी 36: अन्य आय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	7,235.53	5,186.19
आस्थगित राजस्व आय – निष्पादन गारंटी जमा	770.23	759.88
आस्थगित राजस्व आय–प्रतिधारण धन देय	322.42	18.03
सुरक्षा जमा प्राप्य पर छूट की समाप्ति	0.42	0.39
अन्य गैर–परिचालन आय	32.03	22.60
योग	**8,360.63**	**5,987.09**

36.1 ब्याज आय में सावधि जमा/ऑटोस्वीप सावधि जमा, मोबिलाइजेशन अग्रिम और कर्मचारियों को 7,235.53 लाख रुपये (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 5,186.19 लाख रुपये) का वाहन अग्रिम पर ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 37: विद्युत् की खरीद

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत् की खरीद	8,82,456.88	6,75,335.52
विद्युत् की खरीद (पट्टा किराया के रूप में भुगतान)	3,58,990.18	3,58,990.18
योग	**12,41,447.06**	**10,34,325.70**

37.1 विद्युत् की खरीद पर 19,878.95 लाख रुपये की छूट (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 15,584.78 लाख रुपये) की छूट है।

37.2 विद्युत् की खरीद में 1,19,722.03 लाख रुपये (31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 97,987.49 लाख रुपये) की अनंतिम बिन बिल वाली खरीद शामिल है, जिसके लिए पीपीए की शर्तों के अनुसार बाद के महीने में बिल प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 1,19,722.03 लाख रुपये की अबिल की गई खरीद में विद्युत् की 4,117.66 लाख रुपये की खरीद शामिल है, जिसके खिलाफ डिस्कॉम को बिक्री चालानजारी किए गए हैं।

टिप्पणी 38: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और हितलाभ	4,619.08	2,783.47
भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	459.74	389.58
कर्मचारी कल्याण	226.68	23.82
योग	**5,305.50**	**3,196.87**

38.1 वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ और धन में योगदान में पीआरपी के लिए प्रावधान शामिल है। (टिप्पणी संख्या 59 देखें।

38.2 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 44 में किया गया है।

टिप्पणी 39: वित्त लागत

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण पर ब्याज (सरकारी गारंटी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क सहित)	302.01	359.06
निष्पादन गारंटी जमा पर छूट की समाप्ति	355.92	324.39
देय प्रतिधारण धन पर छूट की समाप्ति	314.07	18.51
पट्टा देनदारी पर वित्त लागत (इंड एएस 116)	16.01	15.68
बीजी/एलसी शुल्क	104.63	96.76
आस्थगित राजस्व व्यय – प्राप्य सुरक्षा जमा	0.76	0.76
योग	**1,093.40**	**815.16**

39.1 कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक से 10,000 लाख रुपये, यस बैंक से 15,000 लाख रुपये, एक्सिस बैंक से 17,499 लाख रुपये, एचडीएफसी बैंक से 50,000 लाख रुपये, भारतीय स्टेट बैंक से 50,000 लाख रुपये, कोटक महिंद्रा बैंक से 57,000 लाख रुपये और पंजाब नेशनल बैंक से 30,000 लाख रुपये की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमा को मंजूरी दी है।

टिप्पणी 40: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर – (टिप्पणी 2 देखें)	1,387.92	689.89
उपयोग के अधिकार पर – (टिप्पणी 3 देखें)	771.59	771.56
अमूर्त संपत्ति पर – (टिप्पणी 5 देखें)	290.06	288.82
योग	**2,449.57**	**1,750.27**

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन एवं प्रचार	312.27	553.84
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	10.66	8.57
बैंक शुल्क	4.13	0.99
बीमा व्यय	0.23	0.90
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	1,372.28	692.81
लाइसेंस शुल्क	40.00	40.00
संपत्ति की बिक्री पर हानि/बट्टे खाते में डालना	5.80	1.91
व्यय की पूर्ति	114.28	171.62
सदस्यता शुल्क	15.51	16.82
विविध व्यय	459.10	319.13
कार्यालय की मरम्मत एवं रखरखाव	83.87	61.19
मुद्रण, डाक शुल्क और स्टेशनरी	22.15	18.91
व्यावसायिक पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	0.39	0.60
किराया	3.60	7.44
भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	212.93	196.65
सुरक्षा एवं जनशक्ति व्यय	546.75	506.85
प्रायोजन व्यय	96.73	37.88
समर्थन सेवा शुल्क	-	1.29
टेलीफोन, मोबाइल खर्च और इंटरनेट व्यय	111.09	74.56
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	30.62	3.08
यात्रा एवं वाहन व्यय	275.16	231.06
पानी, विद्युत् और विद्युत् शुल्क	108.51	104.96
वाहन किराया/चालन एवं रखरखाव व्यय	76.79	88.89
संचालन एवं रखरखाव व्यय	278.76	365.72
अशोध्य और संदिग्ध ऋण (हानि) और अन्य के लिए प्रावधान	7.91	11.65
दान	-	0.28
उप योग	**4,189.52**	**3,517.60**
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (टिप्पणी संख्या 66 देखें)	649.10	477.35
योग	**4,838.62**	**3,994.95**

41.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान के संबंध में विवरण (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षकों के रूप में		
लेखापरीक्षा शुल्क	9.88	7.79
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.78	0.78
योग	**10.66**	**8.57**

42. इंड एएस–12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण

क) आयकर व्यय

(i) लाभ और हानि विवरणी में मान्यताप्राप्त आयकर (लाख रुपए)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	10,595.90	10,796.21
विगत वर्षों के लिए समायोजन	(4.61)	6.89
कुल वर्तमान कर व्यय	**10,591.29**	**10,803.10**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	4,251.49	(8.03)
कुल आस्थगित कर व्यय	**4,251.49**	**(8.03)**
कुल आयकर व्यय	**14,842.78**	**10,795.07**

(ii) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर–पूर्व	कर व्यय / (हितलाभ)	कर का निवल	कर–पूर्व	कर व्यय / (हितलाभ)	कर का निवल
परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ / (हानि)	(77.82)	19.58	(58.24)	27.34	(6.88)	20.46

(iii) भारत की घरेलू कर दर से गुणा, कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान

(लाख रुपए)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कर–पूर्व लाभ	65,934.90	48,671.77
कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग कर कर: 25.168% (विगत वर्ष 25.168%)	**16,594.50**	**12,249.71**
का कर प्रभाव:		
जमा / (घटा): पूर्व वर्ष कर	(4.61)	6.89

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
जमा / (घटा): आस्थगित कर व्यय	4,251.49	(8.03)
घटा: संयुक्त उद्यम के निवल लाभ के हिस्से पर कर का प्रभाव	(2,315.82)	(1,827.32)
जमा: आयकर (निवल) में खर्च की अनुमति नहीं है	(4,107.10)	139.57
घटा: छूट प्राप्त आय	424.32	(4.53)
लाभ और हानि विवरणी के अनुसार कर	**14,842.78**	**10,556.29**

43. इंड एएस–116 'पट्टों' के अनुसार प्रकटीकरण

प्रभावी अप्रैल 1, 2019, कंपनी ने इंड एएस 116, पट्टों को अपनाया और प्रारंभिक आवेदन की तारीख को संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करके 1 अप्रैल, 2019 को मौजूद सभी पट्टा अनुबंधों पर मानक लागू किया।

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर अग्रनीत मूल्य में परिवर्तन

मार्च 31, 2024 तक: **(लाख रुपए)**

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	विद्युत् खरीद करार	योग
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	19,305.01	280.34	-	19,585.35
पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-
वृद्धियां	-	-	-	-
विलुप्त	-	-	-	-
परिशोधन	758.61	12.98	-	771.59
मार्च 31, 2024 को शेष राशि	**18,546.40**	**267.36**	**-**	**18,813.76**

मार्च 31, 2023 तक: **(लाख रुपए)**

विवरण	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	विद्युत् खरीद करार	योग
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	20,063.62	293.29	-	20,356.91
इंड एएस 116 अपनाने के कारण पुनर्वर्गीकृत	-	-	-	-
वृद्धियां	-	-	-	-
विलुप्त		-	-	-
परिशोधन	758.61	12.95	-	771.56
मार्च 31, 2023 को शेष राशि	**19,305.01**	**280.34**	**-**	**19,585.35**

परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर कुल मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि विवरणी में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के तहत शामिल किया गया है।

वर्तमान और गैर–वर्तमान का ब्रेक–अप निम्नलिखित है:– (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के अंत में पट्टा देयता	180.21	176.86
वर्तमान पट्टा देयता	13.30	12.66
गैर–वर्तमान पट्टा देयता	166.91	164.20

मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पट्टा देयता में उतार–चढाव निम्नलिखित है: (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथ शेष	176.86	173.24
वृद्धियां:		
इस अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	16.01	15.68
विलुप्त:		
पट्टा देयता का भुगतान	12.66	12.06
इति शेष	**180.21**	**176.86**

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह		
एक वर्ष से कम	13.30	12.66
एक से पांच वर्ष	77.15	73.47
पांच वर्ष से अधिक	384.52	401.49
वर्ष के अंत तक कुल छूट रहित पट्टा देयता	474.97	487.62
वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	180.21	176.86

लाभ और हानि में मान्यताप्राप्त राशि (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयताओं पर ब्याज	16.01	15.68
परिशोधन	771.59	771.56
पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किया गया परिवर्तनशील पट्टा भुगतान (पीपीए के तहत सौर/पवन/हाइब्रिड/फ़्लोटिंग पावर प्लांट)	5,46,783.96	3,58,990.18
उप–पट्टा उपयोग संपत्ति के अधिकार से आय	-	-
अल्पकालिक पट्टा से संबंधित व्यय	3.60	7.44
अल्पकालिक पट्टा को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टा से संबंधित व्यय	-	-

विभिन्न विद्युत क्रय करारों/विद्युत बिक्री करारों (पीपीए/पीएसए) के अनुसार व्यवस्थाओं को पट्टा माना जाता है जहां सौर विद्युत विकासकर्त्ताओं को भुगतान/डिस्कॉम से प्राप्तियां केवल सौर विद्युत संयंत्रों द्वारा सृजित आउटपुट पर निर्भर करती हैं। इंड एएस 116 के प्रारंभ के दौरान कंपनी ने व्यावहारिक समीचीन का विकल्प चुना है और तदनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को पट्टे के रूप में नहीं माना गया है। 1 अप्रैल 2019 के बाद दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को पट्टा के रूप में माना जाता है और परिवर्तनीय भुगतान/प्राप्तियों को पट्टा रेंटल (पट्टे के रूप में माने जाने वाले पीपीए पर/पट्टे के रूप में माने जाने वाले पीएसए पर) के रूप में प्रकट किया जाता है।

सेकी ने डीआरडीओ कैंपस, कोलार कर्नाटक में 10 मेगावाट सौर परियोजना की स्थापना के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, डीआरडीओ ने उपयोग के अधिकार के आधार पर पट्टे की भूमि के लिए 11.02.2019 को लाइसेंस डीड/भूमि उपयोग अनुमति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, डीआरडीओ ने पीपीए के 25 वर्षों की पूरी अवधि के लिए निर्धारित 1 रुपये (प्रति माह) के नाममात्र पट्टा किराए पर 50 एकड़ भूमि प्रदान की है, जिसे पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पट्टा किराया विद्युत आपूर्ति शुरू होने की तारीख से देय है। यह परियोजना 23.10.2020 को चालू की गई थी। सेकी ने उपरोक्त पट्टा भुगतान को आरओयू परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है क्योंकि पट्टा भुगतान बहुत महत्वहीन है।

44. इंड एएस–19 के अनुसार प्रकटीकरण, कर्मचारी हितलाभ परिभाषित योजनाएं:

भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान:

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि (प्रशासन शुल्क सहित) और लाभ और हानि विवरणी के लिए प्रभारित राशि निम्नानुसार है:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ईपीएफओ को भुगतान की गई/देय राशि	169.76	166.18
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए मूल संगठन को भुगतान की गई राशि	-	-
घटा: अनुदान में स्थानांतरित/पूंजीकृत	-	-
लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि	**169.76**	**166.18**

पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, जो 1 जून 2012 से प्रभावी है, को एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना के अनुसार, सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट मासिक आधार पर एलआईसी को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है।

परिभाषित हितलाभ योजना

ग्रेच्युटी:

कंपनी में एक परिभाषित हितलाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी का पात्र है, जो अधिवर्षिता, त्यागपत्र, समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख रुपये के अधीन है। ग्रेच्युटी के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। देयता अवित्तपोषित है।

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना (पीआरएमएस):

कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना तैयार की है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा व्यय के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। देयता अवित्तपोषित है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्तियों/देयता की स्थिति निर्धारित करती है:

(लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्वों में परिवर्तन:				
परिभाषित हितलाभ दायित्व, वर्ष के प्रारम्भ में	316.25	276.17	118.69	101.04
अधिग्रहण समायोजन	-	2.59	-	-
वर्तमान सेवा लागत	53.59	46.96	25.25	17.90
ब्याज लागत	23.34	19.33	8.76	7.07
विगत सेवा लागत	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(46.66)	(8.78)	(2.29)	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	42.22	(20.02)	35.59	(7.32)
परिभाषित हितलाभ दायित्व, वर्ष के अंत में	**388.74**	**316.25**	**186.00**	**118.69**

तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	388.74	316.25	186.00	118.69
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	**388.74**	**316.25**	**186.00**	**118.69**
तुलन–पत्र में राशि:				
चालू देयताएं	8.48	26.27	1.67	0.79
गैर–चालू देयताएं	380.26	289.98	184.33	117.90
निवल देयता	**388.74**	**316.25**	**186.00**	**118.69**

लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त कुल राशि में निम्न शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तमान सेवा लागत	53.59	46.96	25.25	17.90
निवल ब्याज	23.34	19.33	8.76	7.07
लाभ और हानि विवरणी में मान्यताप्राप्त कुल व्यय	**76.93**	**66.29**	**34.01**	**24.97**

निवल ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
ब्याज व्यय/(आय)	23.34	19.33	8.76	7.07
निवल ब्याज	**23.34**	**19.33**	**8.76**	**7.07**

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि में निम्न शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(42.22)	20.02	(35.60)	7.32
निवल ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर आय	-	-	-	-
(ओसीआई) में मान्यताप्राप्त कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(42.22)**	**20.02**	**(35.60)**	**7.32**

बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि में निम्नलिखित शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.61	(16.40)	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	33.61	(3.62)	36.54	(1.31)
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**42.22**	**(20.02)**	**36.54**	**(1.31)**

निवल ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर आय में निम्नलिखित शामिल हैं (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय	-	-	-	-
निवल ब्याज में शामिल ब्याज आय	-	-	-	-
निवल ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर आय	**-**	**-**	**-**	**-**

योजना परिसंपत्तियों से कम परिभाषित हितलाभ दायित्व के साथ वित्त पोषित योजनाओं के लिए जानकारी:

(लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	-	-	-	-

बीमांकिक धारणा:

ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएं निम्नलिखित हैं: (लाख रुपए)

विवरण	ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
छूट की दर	7.22%	7.38%	7.22%	7.38%
नश्वरता	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
प्रत्याशित औसत शेष सेवा (वर्षों में)	24.62	24.40	24.62	24.40
सेवानिवृत्ति की आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी नौकरी छोड़ने की दर: (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	19.08	18.95	19.08	18.95

संवेदनशीलता विश्लेषण:

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.50% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित हितलाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

धारणा	धारणा में परिवर्तन	दायित्व के पीवी में परिवर्तन	धारणा में परिवर्तन	दायित्व के पीवी का पीआरएमबी में परिवर्तन
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	(26.05)	0.50% की वृद्धि	(11.25)
	0.50% की कमी	28.78	0.50% की कमी	10.86
वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव पीआरएमबी के मामले में दर/ चिकित्सा लागत दर	0.50% की वृद्धि	28.99	0.50% की वृद्धि	10.81
	0.50% की कमी	(26.45)	0.50% की कमी	(11.20)

परिभाषित हितलाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल (लाख रुपए)

वर्ष	राशि	
	ग्रेच्युटी	पीआरएमबी
0 से 1 वर्ष	8.47	1.67
1 से 2 वर्ष	24.66	8.24
2 से 3 वर्ष	20.85	9.99
3 से 4 वर्ष	6.74	12.33
4 से 5 वर्ष	28.08	18.25
4 से 5 वर्ष	5.55	24.53
6 वर्ष बाद	294.35	75.01

अर्जित छुट्टी नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए हितलाभ छुट्टी नकदीकरण योजना परिभाषित की है। इस योजना के तहत वे अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण के पात्र हैं, जो कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन हैं। छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है। दायित्व अवित्तपोषित है।

अर्धवेतन छुट्टी नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए हितलाभ अर्धवेतन छुट्टी नकदीकरण योजना परिभाषित की है। इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्धवेतन के नकदीकरण के पात्र हैं। छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है। दायित्व अवित्तपोषित है। निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस संबंध में प्राप्त

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्तियों/देयता की स्थिति निर्धारित करती है:

(लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्वों में परिवर्तन:				
परिभाषित हितलाभ दायित्व, वर्ष के प्रारम्भ में	413.91	373.54	165.86	146.11
अधिग्रहण समायोजन	10.33	-	4.40	0.52
वर्तमान सेवा लागत	86.35	65.48	31.73	26.49
ब्याज लागत	30.55	26.15	12.24	10.23
विगत सेवा लागत	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(48.03)	(57.76)	(21.83)	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	49.98	6.50	3.32	(17.49)
परिभाषित हितलाभ दायित्व, वर्ष के अंत में	**543.09**	**413.91**	**195.72**	**165.86**

तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	543.09	413.91	195.72	165.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	**543.09**	**413.91**	**195.72**	**165.86**
तुलन–पत्र में राशि:				
चालू देयताएं	18.57	22.41	4.53	15.66
गैर–चालू देयताएं	524.52	391.50	191.19	150.20
निवल देयता	**543.09**	**413.91**	**195.72**	**165.86**

लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि में निम्नलिखित शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तमान सेवा लागत	86.35	65.48	31.73	26.49
निवल ब्याज	30.55	26.15	12.24	10.23
अवधि में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) या हानि	49.97	6.50	3.32	(17.49)
लाभ और हानि विवरणी में मान्यताप्राप्त कुल व्यय	**166.87**	**98.13**	**47.29**	**19.23**

निवल ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
ब्याज व्यय/(ब्याज आय)	30.55	26.15	12.24	10.23
निवल ब्याज	**30.55**	**26.15**	**12.24**	**10.23**

बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि में निम्नलिखित शामिल हैं: (लाख रुपए)

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	0.16	-	0.06
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	12.07	(22.62)	4.39	(8.48)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	37.90	28.96	(1.08)	(9.06)
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**49.97**	**6.50**	**3.31**	**(17.48)**

छुट्टी नकदीकरण के लिए लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएँ निम्नलिखित हैं:

विवरण	अर्जित छुट्टी देयता		अर्ध–वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
छूट की दर	7.22%	7.38%	7.22%	7.38%
नश्वरता	आईएएलएम का 100% (2012-14)		आईएएलएम का 100% (2012-14)	
प्रत्याशित औसत शेष सेवा	24.62	24.40	24.62	24.39
सेवानिवृत्ति की आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी नौकरी छोड़ने की दर: (% में):				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	19.08	18.95	19.08	18.95

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.50% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित हितलाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

धारणा	धारणा में परिवर्तन	दायित्व के पीवी में परिवर्तन अर्जित छुट्टी देयता	धारणा में परिवर्तन	दायित्व के पीवी में परिवर्तन अर्धवेतन छुट्टी देयता
छूट की दर	0.50% की वृद्धि	(35.94)	0.50% की वृद्धि	(12.66)
	0.50% की कमी	39.19	0.50% की कमी	13.79
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	39.62	0.50% की वृद्धि	13.94
	0.50% की कमी	(36.18)	0.50% की कमी	(12.75)

परिभाषित हितलाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल **(लाख रुपए)**

वर्ष	राशि	
	अर्जित छुट्टी देयता	अर्धवेतन छुट्टी देयता
0 से 1 वर्ष	18.57	4.53
1 से 2 वर्ष	32.15	13.24
2 से 3 वर्ष	34.48	11.75
3 से 4 वर्ष	9.27	3.33
4 से 5 वर्ष	54.97	19.65
5 से 6 वर्ष	7.35	2.62
6 वर्ष बाद	386.30	140.59

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति हितलाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (औद्योगिक डीए पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों में मूल वेतन और डीए के 30% तक सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं जिनमें पीएफ, ग्रेच्युटी, सेवा–निवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल हैं। दिशा–निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यम को इस संबंध में अपनी स्वयं की योजनाएं बनाते हैं। ग्रेच्युटी और पीआरएमएस के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है क्योंकि देयता अवित्तपोषित है। तथापि, सभी कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान उक्त लोक उद्यम विभाग की सीमाओं तक ही सीमित होगा।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	2024 को समाप्त वर्ष के लिए	2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित अंशदान योजना – भविष्य निधि	162.61	157.56
2	परिभाषित अंशदान योजना – पेंशन	178.95	131.30
3	परिभाषित हितलाभ योजना – ग्रेच्युटी	76.93	46.28
4	परिभाषित हितलाभ योजना – पीआरएमएस	34.01	17.64
5	सेवानिवृत्ति के बाद अन्य हितलाभ	-	-
	योग	**452.50**	**352.77**

जोखिम प्रकटन

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से, इसमें कई जोखिम है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

क) परिसंपत्ति की अस्थिरता:

कंपनी में अपने दायित्वों के संबंध में कोई योजना परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए यह इस संबंध में कोई भी जोखिम नहीं है।

ख) छूट दर में परिवर्तन:

छूट दर में कमी से योजना देयताओं में वृद्धि होगी, हालांकि यह आंशिक रूप से योजनाओं के बॉन्ड होल्डिंग्स के मूल्य में वृद्धि से ऑफसेट हो जाएगा।

ग) मुद्रास्फीति जोखिम:

पेंशन योजनाओं में, भुगतान में पेंशन मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए यह कम महत्वपूर्ण जोखिम है।

घ) जीवन प्रत्याशा:

पेंशन योजना के दायित्व सदस्य के जीवन के लिए हितलाभ प्रदान करना है, इसलिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के परिणामस्वरूप योजनाओं की देयताओं में वृद्धि होगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुद्रास्फीति बढ़ने के परिण ामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में बदलाव के प्रति उच्च संवेदनशीलता होती है।

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि निवेश की स्थिति एक परिसंपत्ति–देयता मिलान (एएलएम) ढांचे में प्रबंधित की जाती है जिसे दीर्घकालिक निवेश प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है जो कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के तहत दायित्वों के अनुरूप हैं। इस ढांचे में, कंपनी का एएलएम उद्देश्य लंबी अवधि की निश्चित ब्याज प्रतिभूतियों में निवेश करके पेंशन दायित्वों के लिए परिसंपत्तियों का मिलान करना है, जो परिपक्वता के साथ हितलाभ भुगतान से मेल खाते हैं क्योंकि वे देय और उचित मुद्रा में आते हैं।

कंपनी सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेश की अवधि और अपेक्षित उपज कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी बहिर्वाह से कैसे मेल खा रही है। कंपनी ने विगत अवधि से अपने जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को नहीं बदला है। निवेश अच्छी तरह से विविध हैं, जैसे कि किसी भी निवेश की विफलता का संपत्ति के समग्र स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

45. सरकारी अनुदान और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के लिए इंड एएस 20 लेखांकन के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, उपलब्धि से जुड़े प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न सरकारी भवनों में 1 मेगावाट पी ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता के कार्यान्वयन के लिए एमएनआरई से 450 लाख रुपये प्राप्त किए गए थे। 450 लाख रुपये में से 123.70 लाख रुपये 31 मार्च 2024 तक परिशोधन किए जा चुके हैं। (लेखा नीति संख्या 1.सी.7 देखें।

46. इंड 21 के अनुसार प्रकटीकरण श्विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव

लाभ/(हानि) में मान्यताप्राप्त विनिमय अंतर की राशि (143.67) लाख रुपये है जिसमें विश्व बैंक ऋण के कारण मार्क टू मार्केट (एमटीएम) हानि (143.38 रुपये) लाख (31 मार्च 2023: रुपये 0.40 लाख) शामिल हैं।

47. इंड 24 के रूप में श्संबंधित पार्टियों के प्रकटनश के अनुसार प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्षों की सूची

i) संयुक्त उद्यम:

1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2. हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
3. कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4. लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5. रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
6. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

II) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता*	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
श्री जोशित रंजन सिकिदार**	निदेशक (वित्त)
श्री संजय शर्मा	निदेशक (सौर)
श्री भूपिंदर सिंह भल्ला***	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी	सरकारी नामिति निदेशक
श्री ललित बोहरा****	सरकारी नामिति निदेशक
श्रीमती रश्मि सिंह*****	स्वतंत्र निदेशक
श्री राजकुमार सुदाम बडोले	स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील कुमार	कंपनी सचिव
श्री सी. कन्नन******	निदेशक वित्त
श्रीमती सुमन शर्मा*******	प्रबंध निदेशक

*15 जून 2023 से
**28 अगस्त 2023 से
***15 जून 2023 तक
****4 सितंबर 2023 से
*****7 मई 2023 तक
******31 मई 2023 तक
*******19 मई 2023 तक

III) नियोजन पश्चात हितलाभ योजनाएं:

1. नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

IV) एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो अधिकांश शेयरों को धारण करके केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है (टिप्पणी संख्या 19 देखें)। इंड 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, संस्थाओं जिस पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं संबंधित पार्टियों के रूप में माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं। ऐसी संस्थाएं जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेनदेन है, उनमें एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कंपनी ने नीचे उल्लिखित संस्थाओं और अन्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ टेलीफोन व्यय, जमा, सफलता शुल्क, निविदा शुल्क आदि जैसे अन्य लेनदेन किए हैं। ये लेनदेन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

ख. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:

संयुक्त उद्यम **(लाख रुपए)**

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	वर्ष के दौरान माल और सेवाओं की बिक्री/खरीद		
	कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं के लिए संविदा	-	-
	कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं के लिए अनुबंध	8.85	-
	माल की बिक्री/खरीद	-	-
ii)	कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	-
iii)	प्राप्त लाभांश	1,711.95	948.75
iv)	किया गया इक्विटी योगदान	-	-
v)	मंजूर ऋण	-	-
vi)	प्राप्त गारंटी	-	-

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान	32.78	131.30
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मुआवजा		
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	228.66	336.84
नियोजन उपरांत हितलाभ एवं अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	24.60	36.80
अन्य हितलाभ	61.30	18.85
योग	**347.34**	**523.79**

एक ही सरकार के नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन (लाख रुपए)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत जारी अनुदान	47,181.20	3,225.00
		सौर ऊर्जा की खरीद	809.91	8,033.26
		प्राप्त परियोजना निगरानी शुल्क	181.96	-
2.	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	प्राप्त निविदा शुल्क	71.98	18.00
		परियोजना की निगरानी शुल्क	-	767.00
		प्राप्त भुगतान सुरक्षा जमा	750.00	-
		सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	18,917.35	35,976.40
3.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	सोलर पावर की बिक्री–स्व परियोजना	1,248.53	1,243.19
		जीसीआरटी– चरण II के तहत जारी सब्सिडी	-	96.96
4.	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	सौर ऊर्जा की खरीद	7,565.93	-
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेवा–निवृत्ति के बाद के हितलाभ	19.62	
		पोस्ट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	-	2.19
6.	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	परामर्शी आय	145.61	80.04
		आवास किराया भुगतान	1.14	-
		अनुदान – सीपीएसयू – सरकार उत्पादक योजना	2,739.80	-
7.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	डीडीयूजीजेवाई के तहत भुगतान जारी	-	757.82
8.	इरेडा	अनुदान वितरित	28,074.98	-
9.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	एमएनआरई की मीडिया योजनाओं के लिए भुगतान	1,513.19	-
		व्यापार संवर्धन खर्च	-	17.39
		विज्ञापन और प्रचार	3.21	-
10.	मुख्य निर्माण इंजीनियर (आरएंडडी) (पीटी–डीआरडीओ)	विद्युत् की बिक्री – डीआरडीओ की अपनी परियोजनाएं	723.07	717.79
		एसएलडीसी शुल्क	6.18	5.68
11.	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	4,984.60	10,935.50
12.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	-	252.00
13.	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बैठकों के लिए टीए/डीए	0.20	
		व्यापार संवर्धन खर्च	-	7.66

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
14.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	बैठकों के लिए टीए/डीए	0.44	-
15.	लखनऊ सोलर पावर डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बैठकों के लिए टीए/डीए	0.25	-
		परामर्शी आय	0.18	-
			1,14,939.33	**62,135.87**

ग. संबंधित पार्टियों के साथ बकाया शेष राशि (लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वसूली योग्य राशि		
संयुक्त उद्यमों से	10.80	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं से	1,183.02	709.63
संबंधित पक्षों के संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्रावधान		
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	208.29	207.84
देय राशि		
संयुक्त उद्यमों के लिए	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं से	563.72	271.84

घ. व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन (लाख रुपए)

विवरण	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सोलर पार्क के लिए अनुदान जारी			
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	4,984.60	10,935.50
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	254.45	-
रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	-	252.00

ङ. ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम के बारे में प्रकटीकरण प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को या तो अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दिया जाता है:

क) मांग पर चुकौती; अथवा

ख) किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना,

ऋणकर्ता का प्रकार	वर्तमान अवधि		विगत अवधि	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	ऋणों की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	ऋणों की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत
प्रमोटर	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
निर्देशक	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
केएमपी	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
संबंधित पक्ष	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
योग	**शून्य**	**लागू नहीं**	**शून्य**	**लागू नहीं**

48. इंड 33 के रूप में श्प्रति शेयर आयश के अनुसार प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) प्रति शेयर मूल और डायल्यूटिड आय (रुपये में)	377.34	279.74
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	1,000.00	1,000.00
(ii) इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (लाख रुपए)		
संचालन से	51,092.12	37,876.70
(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)	1,35,40,000	1,35,40,000

49. इंड 37 के अनुसार 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्ति' प्रकटीकरण

49.1 प्रावधानों में उतर–चढाव

विवरण	संदिग्ध ऋण और अन्य के लिए प्रावधान	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के आरंभ में अग्रनीत राशि	289.08	302.07
वर्ष के दौरान परिवर्धन	7.90	11.65
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	(16.38)
वर्ष के दौरान उलटफेर/समायोजन	(0.02)	(8.26)
वर्ष के अंत में अग्रनीत राशि	**296.96**	**289.08**

49.2 आकस्मिक देयताएं

49.2.1 31 मार्च 2024 तक, विद्युत डेवलपर्स द्वारा कानून के दावों में बदलाव से संबंधित माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)/राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) के समक्ष कई याचिकाएं लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विकासकर्ताओं ने समीक्षा के लिए माननीय एपीटीईएल के समक्ष कानून दावों में परिवर्तन के संबंध में आयोग के आदेशों को चुनौती दी है। कानून के दावे में परिवर्तन के संबंध में माननीय एपीटीईएल के एक आदेश को डिस्कॉम और सेकी द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। आज की तारीख में मामला आगे की सुनवाई के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

दावे की राशि आकस्मिक है क्योंकि दावा राशि विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है जिन्हें विकासकर्ताओं द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और माननीय सीईआरसी/एपीटीईएल के आदेश पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, इसे बैक–टू–बैक आधार पर संबंधित खरीद संस्थानों से वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ डिस्कॉम ने कानून दावों में परिवर्तन के संबंध में माननीय एपटेल के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं किन्तु इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सेकी द्वारा बताई गई सुलह राशि पर माननीय एपीटीईएल द्वारा किसी भी विपरीत निर्णय को भविष्य की वार्षिकी से तुरंत समायोजित किया जाएगा और

सेकी द्वारा अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) इस संबंध में संबंधित पावर डेवलपर्स द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता के आधार पर ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। (टिप्पणी संख्या 69 देखें)

49.2.2 कंपनी ने पारेषण कंपनियों, परियोजना विकासकर्ता (ओं) और पीपीए धारक के पक्ष में 1,20,572.69 लाख रुपए (विगत वर्ष 1,05,567.64 लाख रुपए) की संचयी राशि के लिए विभिन्न बैंक गारंटी/साख पत्र/स्टैंडबाई साख पत्र जारी करने के विरुद्ध बैंक(बैंकों) के पक्ष में प्रतिक्षतिपूर्ति प्रदान की है। उपलब्ध सीमाओं और गैर–निधि आधारित सीमा के उपयोग का बैंक–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	स्वीकृत गैर निधि आधारित सीमा*	उपयोग की गई सीमा 31.03.2024 तक
एचडीएफसी बैंक	50,000.00	29,121.43
आईसीआईसीआई बैंक	10,000.00	4,967.74
यस बैंक	15,000.00	13,378.09
एक्सिस बैंक	17,499.00	14,370.49
भारतीय स्टेट बैंक	50,000.00	49,190.06
कोटक महिंद्रा बैंक	57,000.00	9,544.88
पंजाब नेशनल बैंक	30,000.00	0.00
योग	**2,29,499.00**	**1,20,572.69**

*निधि आधारित ऋण सुविधा के साथ विनिमेय सीमाएं सहित।

49.2.3 कंपनी ने संबंधित अनुबंधों के नियमों और शर्तों का आंशिक रूप से अनुपालन न करने के लिए एमएनआरई विभिन्न रूफटॉप योजनाओं के तहत एलडी/जुर्माना के रूप में 31 मार्च, 2024 (31 मार्च, 2023 तक– 1,578.37 लाख रुपये) तक 1,580.53 लाख रुपये की राशि वसूल की है। इन एलडी प्रभारों को कंपनी की लेखा नीति के अनुसार सेकी की आय के रूप में लगातार मान्यता दी गई है। आय मान्यता पर वित्त वर्ष 2017–18 और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इसे दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019, 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022 6 जून, 2022 और 22 नवंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से आगे के निर्देशों/सलाह के लिए एमएनआरई को भेजा गया है।

49.2.4 सेकी ने विभिन्न डेवलपर्स से खरीदी जाने वाली 1000 मेगावाट विद्युत् की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 04.11.2016 और 01.12.2016 को विद्युत् बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कमीशनिंग में देरी के मद्देनजर, एमएसईडीसीएल ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) में एक याचिका दायर की है, जिसमें सेकी द्वारा कम आपूर्ति के कारण नुकसान के रूप में 13,172 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है और सौर परियोजनाओं के लिए सीओडी से 31.03.2019 तक टैरिफ में कमी के लिए 1,374 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है। सेकी ने इस विषय पर एमईआरसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी लेकिन एमईआरसी ने 14.09.2020 को क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर अपना आदेश पारित किया, जहां उसने अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा। सेकी ने इस आदेश को एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी है। इसके अलावा, एमईआरसी ने 12.02.2021 को योग्यता के आधार पर अपना अंतिम आदेश पारित किया, जिसे सेकी द्वारा एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी गई थी। दोनों अपीलें एपीटीईएल के समक्ष लंबित हैं।

49.2.5 डीईआरसी ने सेकी ट्रेडिंग मार्जिन 7 पैसे प्रति यूनिट के भुगतान के लिए माननीय एपीटीईएल के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के खिलाफ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर की है। सेकी द्वारा उत्तर दायर किया गया है और मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। यदि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया

जाता है, तो 31 मार्च, 2024 को 4,399.16 लाख रुपए की आय उत्क्रमण होगी।

49.2.6 सेकी को पवन किश्त–VII योजना के तहत मैसर्स बेटम विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीपीए पर हस्ताक्षर न करने के लिए 1,200 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। आवेदन को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है, सीईआरसी का आदेश अभी भी लंबित है। सेकी द्वारा मंगलाचरण राशि को आय के रूप में बुक किया गया है और प्रतिकूल सीईआरसी आदेश के परिणाम से सेकी पर 1,200 लाख रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ा है।

49.2.7 सेकी द्वारा जारी विनिर्माण सुविधा निविदा से संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्र को रद्द करने और एपी डिस्कॉम द्वारा 7000 मेगावाट विद्युत की खरीद को रद्द करने के लिए माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। यह मामला आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है। यदि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो यह निविदा समाप्त कर दी जाएगी और इसके परिणामस्वरूप पीपीए और पीएसए रद्द हो जाएगा। सेकी को योजना के लिए एकत्र किए गए 11,466.40 लाख रुपये का सफलता शुल्क वापस करना होगा।

49.2.8 वर्ष के दौरान जीएसटी विभाग ने जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत पारित किया है और वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 97.18 लाख रुपये के जुर्माने के साथ मांग की है। उक्त आदेश के विरुद्ध सेकी ने जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की है और मामला न्यायाधीन है।

49.2.9 कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामले जहां कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है/भुगतान पीएसएम फंडों से किया जाना है/बीजी पहले से ही भुनाया गया है और आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, आकस्मिक देयताओं के तहत नहीं दिखाया गया है।

49.3 प्रतिबद्धताएं

49.3.1 पूंजीगत खाते (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों) पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 19,538.70 लाख रुपये (विगत वर्ष 98,527.04 लाख रुपये) है। ((विगत वर्ष ₹ 98,52704 लाख) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण'	19,538.70	98,527.04
अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-

*डब्ल्यूटीसी नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए एनबीसीसी को भुगतान किए गए 8,281.97 लाख रुपये के पूंजीगत अग्रिम का निवल पूंजी प्रतिबद्धता है।

49.3.2 कंपनी में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है जिसमे 31 मार्च 2024 तक कोई भी बड़ाअनुमानित नुकसान हुआ हो।

50. इंड एएस–107 'वित्तीय लिखत' के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्तियां, नकद और नकद समतुल्य, निवेश, जमा शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को अपने वित्तीय लिखत के उपयोग से निम्नलिखित जोखिम है:

1. ऋण जोखिम
2. लिक्विडिटी जोखिम
3. बाजार जोखिम

1. ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, नकद और नकद समकक्षों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा से उत्पन्न होता है।

प्राप्य व्यापार

कंपनी में मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। इन भुगतान सुरक्षा तंत्रों ने कंपनी को वर्ष भर अच्छी तरह से सेवा दी है कंपनी ने विगत वर्ष में व्यापार प्राप्तियों के संबंध में किसी भी महत्वपूर्ण हानि हानि का अनुभव नहीं किया है क्योंकि क्रेडिट जोखिम की कोई एकाग्रता नहीं है।

अन्य वित्तीय लिखत और नकद और नकद समकक्ष

कंपनी में 1,08,602.36 लाख रुपये (31 मार्च 2023 रुपये 1,32,321.32 लाख) नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष उच्च रेटिंग वाले बैंकों के पास रखे जाते हैं।

कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 1,07,128.32 लाख रुपये (31 मार्च 2023 रुपये 80,995.13 लाख) की जमा राशि रखी, जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों/संस्थानों के साथ जमा करती है।

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
संयुक्त उद्यम में गैर चालू निवेश*	-	-
बांड में गैर चालू निवेश	1,60,394.33	86,482.28
गैर–चालू ऋण एवं अग्रिम	199.96	69.54
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	81,950.75	90,904.04
नकद एवं नकद समतुल्य	1,08,602.36	1,32,321.32
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	1,07,128.32	80,995.13
वर्तमान ऋण एवं अग्रिम	3,086.61	1,657.84
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	1,23,063.16	1,19,126.75
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
प्राप्य व्यापार	1,75,825.53	1,73,944.27
योग	**7,60,251.02**	**6,85,501.17**

*संयुक्त उद्यमों में गैर–चालू निवेश का प्रकटन ऊपर नहीं किया गया है।

अपेक्षित क्रेडिट या हानि के लिए प्रावधान

(क) ऐसी वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 माह की प्रत्याशित साख हानियों का प्रयोग करके मापा जाता हो।

कंपनी में ऐसी परिसंपत्तियां है जहां प्रति–पक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रयोग करके मापा जाता हो।

कंपनी जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके और सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्तियों का जीवनकाल (लाख रुपए)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना गया	1,35,640.57	33,924.76	1,743.77	1,710.64	1,121.89	1683.91	1,75,825.53
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	107.14	107.14
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां– अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-		137.68	137.68
घटा: क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-		(244.82)	(244.82)
कुल प्राप्य व्यापार	**1,35,640.57**	**33,924.76**	**1,743.77**	**1,710.64**	**1,121.89**	**1,683.91**	**1,75,825.53**
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	1,28,052.90	38,353.94	5,637.60	196.53	671.57	1031.33	1,73,943.87
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	104.14	104.14
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां– अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	137.68	137.68
घटा: क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	(241.42)	(241.42)
कुल व्यापार प्राप्य	**1,28,052.90**	**38,353.94**	**5,637.60**	**196.53**	**671.57**	**1,031.73**	**1,73,944.27**

2. लिक्विडिटी जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है, जहां तक संभव हो, कि अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए बिना, सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों के तहत, देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त तरलता होगी।

वित्तपोषण की व्यवस्था

समीक्षाधीन अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच थी:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
फ्लोटिंग दर ऋण		
ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट*	43,654.07	29,327.33
विश्व बैंक से सावधि ऋण**	41,874.58	65,471.37

* कंपनी को निम्नलिखित बैंकों से निधि आधारित ऋण सीमा स्वीकृत है:

बैंक का नाम	स्वीकृत गैर निधि आधारित सीमा*	31.03.2024 तक उपयोग की गई सीमा	31.03.2023 तक उपयोग की गई सीमा	टिप्पणियां
एचडीएफसी बैंक	25,500.00	5,075.44	887.63	-
भारतीय स्टेट बैंक	2,000.00	-	-	-
एक्सिस बैंक	7,500.00	4,371.49	4,786.04	इस सीमा की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमाओं के रूप में उप–सीमा है जिसका उपयोग एसबीएलसी / एलसी / बीजी जारी करने के लिए किया जा सकता है। दर्शाया गया उपयोग केवल एसबीएलसी जारी करने के लिए है।
आईसीआईसीआई बैंक	100.00	-	-	यह गैर–निधि आधारित ऋण सुविधाओं की उप–सीमा है।
आईसीआईसीआई बैंक	1.00	-	-	-
यस बैंक	3,000.00	-	-	-
कोटक महिंद्रा बैंक	15,000.00	-	-	यह गैर–निधि आधारित ऋण सुविधाओं की उप–सीमा है।
योग	**53,101.00**	**9,446.93**	**5,673.67**	

**उपर्युक्त राशि रुपये के बराबर है और इसकी गणना 28.03.2024 को समापन विनिमय दर (आरबीआई संदर्भ दर) पर की गई है।

व्यापार देय जीवनकाल अनुसूची (लाख रुपए)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	
(ii) अन्य	40869.40	-	-	-	156.86	41,026.26
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल देय व्यापार	**40,869.40**	**-**	**-**	**-**	**156.86**	**41,026.26**
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	44294.23	-	-	156.86	-	44,451.09
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल देय व्यापार	**44,294.23**	**-**	**-**	**156.86**	**-**	**44,451.09**

वित्तीय देयताओं की जीवनकाल अनुसूची (लाख रुपए)

विवरण	देय नहीं	मांग पर	3 महीने या उससे कम	3–12 महीने	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएं	-	2,53,562.54	1,30,338.22	23,354.57	48,601.07	78,165.47	5,34,021.87
योग	**-**	**2,53,562.54**	**1,30,338.22**	**23,354.57**	**48,601.07**	**78,165.47**	**5,34,021.87**
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएं	-	2,13,858.10	1,09,358.29	6,011.01	50,782.62	55,480.81	4,35,490.83
योग	**-**	**2,13,858.10**	**1,09,358.29**	**6,011.01**	**50,782.62**	**55,480.81**	**4,35,490.83**

3. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलता है, जैसे ब्याज दरें कंपनी की आय को प्रभावित कर सकती हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को इष्टतम बनाते समय स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रकटन का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। बाजार जोखिम को आगे इस प्रकार अलग किया जा सकता हैरू क) विदेशी मुद्रा जोखिम और ख) ब्याज दर जोखिम।

(i) **विदेशी मुद्रा जोखिमः** विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव करेगा।

(ii) **ब्याज दर जोखिमः** ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव करेगा।

51. इंड एएस 108 'प्रचालनिक खण्ड' के अनुसार प्रकटीकरण

क. सामान्य जानकारी

कंपनी में दो रिपोर्ट करने योग्य खंड हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो इसकी रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयाँ हैं। रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती हैं, और उन्हें अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि उन्हें विभिन्न तकनीक और विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सारांश कंपनी के प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड में संचालन का वर्णन करता हैः

क.1 पावर ट्रेडिंग और उत्पादनः कंपनी में पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और यह इस डोमेन में इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं से सौर/पवन विद्युत के व्यापार के माध्यम से सक्रिय है। इसके अलावा कंपनी विद्युत् उत्पादन के कारोबार में भी है।

क.2 परामर्शी और परियोजना प्रबंधनः इसमें परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सेवाएं आदि प्रदान करना शामिल है।

प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड के परिणामों से संबंधित जानकारी नीचे शामिल की गई है। निष्पादन को आयकर से पहले खंड लाभ के आधार पर मापा जाता है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाने वाली आंतरिक प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल है। खण्ड लाभ का उपयोग निष्पादन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि इन उद्योगों में काम करने वाली अन्य संस्थाओं के सापेक्ष कुछ खंडों के परिणामों का मूल्यांकन करने में ऐसी जानकारी सबसे अधिक प्रासंगिक है। प्रचालनिक खण्ड के बीच ट्रांसफर की कीमतें तीसरे पक्ष के साथ लेनदेन के समान तरीके से निष्पक्ष लेनदेन के आधार पर होती हैं।

ख. रिपोर्ट करने योग्य खंडों और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों के सामंजस्य के बारे में जानकारी:

(लाख रुपए)

विवरण	व्यापार खंड					
	पावर ट्रेडिंग और उत्पादन		परामर्शी और परियोजना प्रबंधन		योग	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
खण्ड राजस्व						
संचालन से राजस्व	12,90,939.14	10,73,040.46	11,011.23	6,263.76	13,01,950.37	10,79,304.22
अनावंटित ब्याज और अन्य आय	-	-	-	-	9,917.22	6,190.01
योग	**12,90,939.14**	**10,73,040.46**	**11,011.23**	**6,263.76**	**13,11,867.59**	**10,85,494.23**
खण्ड परिणाम	46,657.14	37,083.60	10,609.97	5,858.03	57,267.11	42,941.63
अनावंटित व्यय, ब्याज और वित्त शुल्क	-	-	-	-	10,450.89	7,720.36
कर–पूर्व लाभ	-	-	-	-	56,733.44	41,411.28
जमा: संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है					9,201.46	7,260.49
कर–पूर्व लाभ					65,934.90	48,671.77
करों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	14,842.78	10,795.07
कर–पश्चात लाभ	-	-	-	-	51,092.12	37,876.70
मूल्यह्रास और परिशोधन	1,298.75	601.38	392.21	390.28	1,690.96	991.66
अनाबंटित मूल्यह्रास	-	-	-	-	758.61	758.61
मूल्यह्रास के अलावा गैर नकद व्यय	-	-	5.80	1.91	5.80	1.91
पूंजीगत व्यय	89,953.06		197.52	83.09	90,150.58	83.09
अनाबंटित पूंजीगत व्यय					-	-

(लाख रुपए)

विवरण	व्यापार खंड					
	पावर ट्रेडिंग और उत्पादन		परामर्शी और परियोजना प्रबंधन		योग	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अन्य जानकारी:						
खण्ड परिसंपत्तियां	8,00,266.19	6,20,764.21	2,510.84	3,046.57	8,02,777.03	6,23,810.78
अनावंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	1,31,629.48	1,59,675.70
योग परिसंपत्तियां	**8,00,266.19**	**6,20,764.21**	**2,510.84**	**3,046.57**	**9,34,406.51**	**7,83,486.48**

विवरण	व्यापार खंड					
	पावर ट्रेडिंग और उत्पादन		परामर्शी और परियोजना प्रबंधन		योग	
	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
खण्ड देयताएं	5,40,894.46	4,42,973.14	44,220.64	45,262.66	5,85,115.10	4,88,235.81
अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	25,687.85	23,773.34
कुल देयताएं	**5,40,894.46**	**4,42,973.14**	**44,220.64**	**45,262.66**	**6,10,802.95**	**5,12,009.15**

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

प्रमुख ग्राहकों से राजस्व कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक है

(लाख रुपए)

देनदारों का नाम	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	2023–24	प्रतिशत %	2022–23	प्रतिशत %
उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1,71,192.11	13.13	1,37,688.12	12.75
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1,48,437.97	11.39	1,32,382.79	12.26

52. इंड 112 के अनुसार प्रकटीकरण 'अन्य संस्थाओं में ब्याज का प्रकटीकरण'

52.1. संयुक्त उद्यमों में रुचि

52.1.1 संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी जो इकाई के लिए महत्वपूर्ण हैं

क) कंपनी के संयुक्त उद्यम 31 मार्च 2024 तक निम्नानुसार हैं, जो प्रबंधन की राय में, कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे सूचीबद्ध संस्थाओं के पास शेयर पूंजी है जिसमें केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं।

कंपनी का नाम	व्यवसाय का स्थान	के अनुसार शेयरधारिता अनुपात का (%)		अग्रनीत राशि		कार्यकलाप की प्रकृति	लेखांकन विधि
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023		
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50%	50%	5.00	5.00	सौर पार्कों का विकास	इक्विटी विधि
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	50%	50%	50.00	50.00	सौर पार्कों का विकास	इक्विटी विधि

ख) संयुक्त उद्यम के संबंध में वचनबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
संयुक्त उद्यम का हिस्सा		
प्रतिबद्धता	3,424.90	4,046.30
आकस्मिक देयताएँ	7,895.37	7,413.06
कुल प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ	**11,320.27**	**11,459.36**

ग) संयुक्त उद्यम के संबंध में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स):

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
संयुक्त उद्यम का नाम		
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	2,311.95	3,985.08
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	184.26	196.05
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,333.76	770.66
रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	18.77	69.90
हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	126.85	-
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	13,729.21	8,436.78
कुल पूंजीगत व्यय	**17,704.80**	**13,458.47**

घ) **संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी**

नीचे दी गई तालिका इन संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी प्रदान करती है जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रकटन की गई जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई राशि को दर्शाती है, न कि उन राशियों के समूह के हिस्से को।

सारांशित तुलन–पत्र

(लाख रुपए)

विवरण	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकद और नकद समतुल्य	1,187.66	1,451.47	44,561.84	40,377.05
अन्य परिसंपत्तियां	37,637.13	47,357.12	5,245.91	4,962.18
कुल चालू परिसंपत्तियां	**38,824.79**	**48,808.59**	**49,807.75**	**45,339.23**
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**2,20,240.01**	**2,09,281.17**	**86,968.15**	**91,062.95**
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं	16,990.93	17,673.97	9,154.42	10,183.63
अन्य देयताएं	6,953.90	7,139.45	3,824.44	3,852.39
कुल चालू देयताएं	**23,944.83**	**24,813.42**	**12,978.86**	**14,036.02**
गैर–चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं	42,899.12	40,165.68	-	-
अन्य देयताएं	1,48,441.26	1,55,265.44	96,894.72	1,00,783.80
कुल गैर–चालू देयताएं	**1,91,340.38**	**1,95,431.12**	**96,894.72**	**1,00,783.80**
निवल देयताएं	**43,779.60**	**37,845.23**	**26,902.32**	**21,582.36**

अग्रनीत राशि का मिलान

(लाख रुपए)

विवरण	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	37,845.23	28,657.61	21,582.36	21,035.72
संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-
वर्ष का लाभ	8,698.96	9,215.30	5,690.41	1,864.36
इंड एएस 116 को अपनाने के कारण पारगमन प्रभाव	-	-	-	-
इंड एएस 116 के अनुसार उप–पट्टे का हिस्सा			252.39	240.24
इंड एएस 116 पर आस्थगित कर प्रभाव	-	-	(63.52)	(60.46)
अन्य व्यापक आय	-	-		-
लाभांश और लाभांश वितरण कर का भुगतान	(2,764.59)	-	(559.31)	(1,497.50)
वर्ष के दौरान किया गया सीएसआर व्यय	-			
सीएसआर रिजर्व से किया गया उपयोग	-	(27.68)		
अन्य समायोजन	-	-	-	-
समापन निवल परिसंपत्तियां	**43,779.60**	**37,845.23**	**26,902.32**	**21,582.36**
समूह का हिस्सा % में	50%	50%	50%	50%
समूह का हिस्सा रुपए में	21,889.80	18,922.62	13,451.16	10,791.18
अग्रनीत राशि	**21,889.80**	**18,922.62**	**13,451.16**	**10,791.18**

लाभ और हानि का सारांशित विवरण

(लाख रुपए)

विवरण	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
संचालन से राजस्व	14,894.98	15,860.45	12,806.85	12,493.89
अन्य आय	5,826.77	4,517.53	4,242.54	3,008.43
कुल आय	**20,721.75**	**20,377.98**	**17,049.39**	**15,502.32**
उपभोग की गई सामग्री की लागत	105.47	44.28		
संचालन और रखरखाव व्यय	922.08	901.06		
कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,179.05	1,091.50	544.27	297.63
वित्त लागत	4,435.01	4,418.40	3,207.08	3,225.14
अन्य व्यय	2,069.63	2,049.34	1,309.20	5,109.33
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,661.44	1,307.34	4,354.25	4,337.04
कुल व्यय	**10,372.68**	**9,811.92**	**9,414.80**	**12,969.14**

विवरण	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कर व्यय	1,650.11	1,350.76	1,944.18	668.82
वर्ष का लाभ	**8,698.96**	**9,215.30**	**5,690.41**	**1,864.36**
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**8,698.96**	**9,215.30**	**5,690.41**	**1,864.36**
प्राप्त लाभांश	1,382.29	-	279.66	748.75

52.1.2 संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी जो इकाई के लिए सारहीन हैं

क. नीचे दी गई तालिका इन संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित जानकारी प्रदान करती है जो कंपनी के लिए सारहीन हैं।

सारांशित वित्तीय जानकारी

(लाख रुपए)

कंपनी का नाम	व्यवसाय का स्थान	शेयरधारिता का अनुपात (%)		अग्रनीत राशि		कार्यकलाप की प्रकृति
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	50%	50%	1452.44	1001.60	सौर पार्कों का विकास
रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	भारत	50%	50%	580.23	448.40	सौर पार्कों का विकास
हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	भारत	50%	50%	239.99	233.63	सौर पार्कों का विकास और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थापना
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	भारत	50%	50%	5290.16	3922.41	सौर पार्कों का विकास

(लाख रुपए)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	4013.57	3441.31
अन्य व्यापक आय	-	-
कुल व्यापक आय	**4,013.57**	**3,441.31**

52.1.3 सभी संयुक्त उद्यम कंपनियां गैर–सूचीबद्ध कंपनियां हैं।

52.1.4 संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय लेखापरीक्षित हैं और 1 संयुक्त उद्यम अर्थात लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एलएसपीडीसीएल) प्रबंधन द्वारा अलेखापरीक्षित और प्रमाणित है और समूह के समेकित वित्तीय विवरण के लिए विचार किया गया है। एलएसपीडीसीएल के वित्तीय विवरण में दिखाई देने वाले आंकड़े इसकी लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।

53. इंड 113 के रूप में के अनुसार प्रकटीकरण–उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां:						
निवेश						
– इक्विटी इंस्ट्रूमेंट'	-	-	-	-	-	-
–बॉन्ड	-	-	1,60,394.33	-	-	86,482.28
ऋण	-	-	3,286.57	-	-	1,727.38
प्राप्य व्यापार	-	-	1,75,825.53	-	-	1,73,944.27
नकद और नकद समकक्ष	-	-	1,08,602.36	-	-	1,32,321.32
अन्य बैंक शेष	-	-	1,07,128.32	-	-	80,995.13
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	2,05,013.91	-	-	2,10,030.79
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**7,60,251.02**	**-**	**-**	**6,85,501.17**
वित्तीय देयता:						
ऋण	-	-	29,899.98	-	-	301.86
पट्टा देयता			180.21			176.86
व्यापार देय	-	-	41,026.26	-	-	44,451.09
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	5,03,941.68	-	-	4,35,313.97
योग वित्तीय देयता	**-**	**-**	**5,75,048.13**	**-**	**-**	**4,80,243.78**

*संयुक्त उद्यमों में 476 लाख रुपए के निवेश का प्रकटन ऊपर नहीं किया गया है।

54. इंड 115 के अनुसार प्रकटीकरण–ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्वे

I. मदों और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में विद्युत् की बिक्री, व्यापार, परामर्शी और अन्य सेवाओं के माध्यम से विद्युत् की बिक्री से आय शामिल है। प्रमुख कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित है:

(क) विद्युत् की बिक्री से राजस्व (स्व–उत्पादन)

कंपनी का राजस्व अपने संयंत्रों से विद्युत् की बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों, मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विद्युत् उपयोगिताओं के साथ–साथ राज्यों में काम करने वाली निजी डिस्कॉम को विद्युत् बेचती है। विद्युत की बिक्री सामान्यत ग्राहकों के साथ किए गए दीर्घावधि विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) के अनुसरण में की जाती है।

प्रकृति का विवरण, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत् की बिक्री (स्व–उत्पादन)	कंपनी समय के साथ विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए हितलाभ प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। विद्युत बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण विद्युत बिक्री करारों (पीएसए) के अनुसार किया जाता है। राशि मासिक आधार पर बिल की जाती है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होती है।

(ख) विद्युत् कारोबार से राजस्व

(i) व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री

कंपनी विकासकर्ताओं से विद्युत क्रय कर रही है और इसे मूलधन सिद्धांत के आधार पर डिस्कॉम को बेच रही है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों के तहत प्रकृति का विवरण, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नानुसार हैं:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री	कंपनी समय के साथ व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए हितलाभ को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण करारों की शर्तों के अनुसार किया जाता है। राशि मासिक आधार पर बिल की जाती है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होती है।

(ग) सेवाओं की बिक्री से राजस्व

कंपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य परामर्शी अनुबंधों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी अनुबंध करती है।

अनुबंधों के तहत निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और परामर्शी और अन्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परियोजना की निगरानी	कंपनी हासिल किए गए मील के पत्थर (ओं) के आधार पर निगरानी शुल्क समय/समय के साथ एक बिंदु पर शुल्क के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है। परियोजना निगरानी शुल्क से प्राप्त राजस्व का निर्धारण ठेकों की शर्तों के अनुसार किया जाता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जिसका अनुमान कंपनी में उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होते हैं।
परामर्शी सेवाएं	कंपनी समय के साथ परामर्शी सेवाओं के लिए अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है जो प्राप्त मील के पत्थर के आधार पर सेवाएं प्रदान करती हैं क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए हितलाभ को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। परामर्शी सेवाओं से प्राप्त राजस्व का निर्धारण संविदाओं की शर्तों के अनुसार किया जाता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जिसका अनुमान कंपनी में उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर लगाया जाता है। राशियों को संविदाओं की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधात्मक रूप से सहमत क्रेडिट अवधि में देय होते हैं।

II. राजस्व का विघटन

निम्न तालिका में, राजस्व को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता के समय से अलग किया जाता है:

(लाख रुपए)

विवरण	विद्युत् की बिक्री (स्व–उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	योग
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए					
राजस्व मान्यता का समय						
उत्पादों और सेवाओं को समय के साथ स्थानांतरित किया गया	3,493.96	12,86,326.55	9,033.61	251.22	394.03	12,99,499.37
उत्पाद और सेवाएँ एक समय पर स्थानांतरित की जाती हैं	-	-	197.10	-	1,133.11	1,330.21
योग	**3,493.96**	**12,86,326.55**	**9,230.71**	**251.22**	**1,527.14**	**13,00,829.58**

(लाख रुपए)

विवरण	विद्युत् की बिक्री (स्व–उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत् की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	योग
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए					
राजस्व मान्यता का समय						
उत्पादों और सेवाओं को समय के साथ स्थानांतरित किया गया	2,006.11	10,70,238.45	4,589.86	435.67	371.99	10,77,642.08
उत्पाद और सेवाएँ एक समय पर स्थानांतरित की जाती हैं	-	-	0.19	-	864.27	864.46
योग	**2,006.11**	**10,70,238.45**	**4,590.05**	**435.67**	**1,236.26**	**10,78,506.54**

III. संविदा मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलान:

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अनुबंध मूल्य	13,05,400.02	10,78,481.54
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
छूट	(4,570.44)	(4,283.67)
मान्यताप्राप्त राजस्व	**13,00,829.58**	**10,78,506.54**

IV. अनुबंध शेष राशि

अनुबंध परिसंपत्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब अनुबंधों पर बिलिंग पर अर्जित राजस्व की अधिकता होती है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध की संपत्ति को बिना बिल वाले राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है जब नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार होता है और केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है। संविदा देयताएं मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित होती हैं जिन्हें ग्राहकों से अग्रिम कहा जाता है।

निम्न तालिका व्यापार प्राप्तियों, बिना बिल वाले राजस्व और ग्राहकों से अग्रिम के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(लाख रुपए)

देनदारों का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	प्रवाह	गैर–वर्तमान
व्यापार प्राप्य	1,75,825.53	-	1,73,944.27	-
बिना–बिल राजस्व	1,19,036.84	-	1,00,308.22	-
ग्राहकों से अग्रिम	2,603.21	90.00	1,620.51	229.21

55. निवर्तमान लेखांकन घोषणाएं

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, एमसीए ने कंपनी पर लागू मौजूदा मानकों में कोई नया मानक या संशोधन अधिसूचित नहीं किया है।

56. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा आवश्यक 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

(लाख रुपए)

	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क)	किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशिरू		
	मूल राशि	-	-
	उस पर देय ब्याज	-	-
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज राशि और आपूर्तिकर्ताओं को नियत दिन के बाद भुगतान की गई राशि	-	-
ग)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ)	अर्जित ब्याज और भुगतान नहीं किए गए शेष की राशि	-	-
ङ)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को उपर्युक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान किए जाने की तारीख तक और बाद के वर्षों में भी देय और देय ब्याज की राशि	-	-

57. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी में उपलब्ध अधिशेष निधियों को आवधिक रूप से अल्पावधि जमा राशि में रखा जाता है जिसमें इस प्रयोजन के लिए जारी सरकारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

58. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है, बोर्ड के कम से कम एक–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेकिन कंपनी में निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना नहीं थी क्योंकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सेकी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था। एमएनआरई से डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के बोर्ड में अधिक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है।

59. चालू वर्ष में निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए 37482 लाख रुपए (विगत वर्ष 41179 लाख रुपए) का निवल प्रावधान किया गया है। इसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा।

60. 31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्य और देय बकाया क्रमशः 1,75,825.53 लाख रुपये और 41,026.26 लाख रुपये है। आवश्यकता के अनुसार, सभी पक्षों को पुष्टिकरण पत्र भेजे गए थे। व्यापार पर देय बकाया 24,45891 लाख रुपए की राशि की पुष्टि की गई है। डिस्कॉम और अन्य पार्टियों से 31.03.2024 तक प्राप्य व्यापार बकाया के मुकाबले 30 जून 2024 तक 1,68,774.32 लाख रुपये की व्यापार प्राप्य बकाया राशि प्राप्त हुई है।

61. 'चालू परिसंपत्तियों' के तहत दिखाए गए व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य शेष और 'चालू देयताओं' के तहत दिखाए गए व्यापार और अन्य देयताओं में स्थायीकरण/सामंजस्य और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन शेष शामिल हैं। सुलह सतत आधार पर की जाती है। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वहां प्रावधान किए गए हैं। समायोजन, यदि कोई हो, संबंधित पक्षों के साथ इसकी पुष्टि/सामंजस्य पर ध्यान दिया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

62. वर्ष के दौरान सेकी को आबंटित क्षमता के मुकाबले गैर–निष्पादन के कारण रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के अंतर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं से परिनिर्धारित क्षति के रूप में 2599 लाख रुपए (प्रति वर्ष 215 लाख रुपए) की राशि प्राप्त हुई है। कुछ डेवलपर्स ने डीआरसी से संपर्क किया था और डीआरसी ने एमएनआरई को अपनी सिफारिश में दिनांक 25–03–2022 को इन डेवलपर्स पर परिसमापन हर्जाना लगाने के लिए एक पद्धति का सुझाव दिया था। तदनुसार, सेकी ने डीआरसी से संपर्क करने वाले विकासकर्ताओं से संबंधित बीजी को लागू करने का सहारा नहीं लिया है। आज तक सेकी को डीआरसी आदेश दिनांक 25–03–2022 की अनुशंसा के आधार पर एमएनआरई से कोई आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले को दिनांक 03–06–2022, 06.04.2023 और 24.04.2024 के पत्र द्वारा एमएनआरई के साथ उठाया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेकी को 951. 66 लाख रुपये (पी.वाई, शून्य) की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें 15.36 लाख रुपये का ब्याज और 42.71 लाख रुपये (पी.वाई, शून्य) शामिल हैं, जिसमें रूफटॉप 1000 मेगावाट योजना और रूफटॉप सीपीडब्ल्यूडी योजना के तहत विभिन्न डेवलपर्स से तरल नुकसान के रूप में 0.07 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।

सी एंड एजी लेखापरीक्षा ने अतीत में रूफटॉप योजना के तहत एलडी पर आय मान्यता के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति भी की है (टिप्पणी संख्या 49.2.3 देखें)। तदनुसार, सेकी ने विभिन्न रूफटॉप योजनाओं के अंतर्गत विक्रेता से प्राप्त 146733 लाख रुपए की परिनिर्धारित क्षतिपूत को एमएनआरई से लंबित अनुदेशों के रूप में आय के रूप में नहीं माना है।

63. एमएनआरई ने 04 फरवरी 2019 के आदेश के तहत पीएसएम दिशानिर्देश जारी किए। तदनुसार, पीएसएम निधि एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में एमएनआरई से प्राप्त 50,000.00 लाख रुपये (31 मार्च 2023 तक 50,000.00 लाख रुपये) शामिल हैं। कुल पीएसएम निधियां 1,66,22474 लाख रुपए की हैं जिसमें बीजी नकदीकरण, विस्तार राशि, प्रशुल्क में कमी आदि शामिल हैं। 31.03.2024 तक निकाली गई और उपयोग की गई राशि ऊर्जा बिलों के खिलाफ डिस्कॉम से अतिदेय के कारण 21,363.63 लाख रुपये और कानून (जीएसटी/एसजीडी) दावों में बदलाव के खिलाफ डिस्कॉम से अतिदेय के कारण 394.13 लाख रुपये है।

64. सेकी आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में 160 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस (बीईएसएस) के साथ बड़े पैमाने पर सौर–पवन हाइब्रिड परियोजना विकसित करने की प्रक्रिया में था, जिसमें सौर 120 मेगावाट और पवन 40 मेगावाट है। परियोजना की स्थापना के लिए नियोजित कुल भूमि लगभग 889.90 एकड़ है, जिसमें से 690.68 एकड़ भूमि के लिए अग्रिम कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। जिला कलेक्टर, अनंतपुर को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आवंटित भूमि के लिए 2,120.71 लाख रुपये की कुल अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था और इसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2020–21 में, आंध्र प्रदेश के नए और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) ने दिनांक 11.08.2020 और 30.09.2020 के पत्रों के माध्यम से सेकी को नई निर्यात नीति के बारे में सूचित किया है और कहा है कि भूमि अब सेकी को केवल पट्टे के आधार पर आवंटित की जाएगी और पट्टा किराया अग्रिम कब्जे की तारीख से शुरू होगा। सेकी द्वारा भुगतान की गई अनुग्रह राशि को पट्टा किराये में समायोजित किया जाएगा और अग्रिम अनुग्रह राशि पर सेकी को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

सेकी ने अपने पत्र दिनांक 28.09.2020, 14.06.2021, 21.06.2021 और 05.04.2022 के माध्यम से एनआरईडीसीएपी को बताया है कि अग्रिम कब्जे की तारीख से प्रस्तावित पट्टा रेंटल शुरू होने की तारीख सेकी के लिए अस्वीकार्य है। चूंकि पूर्ण और सन्निहित भूमि आज तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नहीं सौंपी गई है, इसलिए अग्रिम कब्जे की तारीख से पट्टा शुरू करना सही नहीं है और परियोजना कार्यकलापों को शुरू करने के लिए सेकी को पूर्ण और सन्निहित भूमि उपलब्ध कराने की तारीख से पट्टा किराया वसूलने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करना सही नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नई भूमि नीति की अधिसूचना प्रमुख भूमि पार्सल के कब्जे की तारीख से बहुत बाद में है, जिस स्थिति में नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यह मामला आन्ध्र प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। तदनुसार, इंड एएस–116 के अनुसार 200 मेगावाट परियोजना पर आरओयू परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता नहीं दी गई है।

एमएनआरई ने दिनांक 13.04.2021 के पत्र द्वारा 160 मेगावाट सौर पार्क योजना को रद्द कर दिया,

इसके अलावा एमएनआरई ने दिनांक 11.11.2021 के पत्र के माध्यम से आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड पार्क की स्थापना के लिए सेकी को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तदनुसार, अब सेकी 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड योजना के तहत उपरोक्त परियोजना स्थापित करेगा। एमएनआरई ने दिनांक 22.11.2022 के पत्र द्वारा परियोजना विन्यास को 200 मेगावाट सौर/पवन बीईएसएस हाइब्रिड पार्क से 200 मेगावाट सौर पार्क में बदल दिया। इसके अलावा एमएनआरई ने दिनांक 28.04.2023 के पत्र द्वारा रामीगिरी सोलर पार्क की क्षमता को 200 मेगावाट से बढ़ाकर 300 मेगावाट कर दिया। अब, सेकी सीपीएसयू योजना के तहत परियोजना को पूरा करेगा।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेकी ने पहचान की कि 300 मेगावाट सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए 1178.8 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। 1178.8 एकड़ भूमि में से 897.87 एकड़ आंध्र प्रदेश सरकार से श्एकमुश्त बिक्रीश के आधार पर ली जाएगी और शेष 280.93 एकड़ आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम (270.93 एकड़) और आंध्र प्रदेश के नए और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (10 एकड़) से पट्टे पर ली जाएगी।

1 मार्च 2024 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव ने रामगिरी और मुथुवाकुंतला गांवों में चिन्हित भूमि को अग्रिम कब्जे के समय प्रचलित दरों पर श्एकमुश्त बिक्रीश के आधार पर सेकी को आवंटित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की। इसके बाद, 5 मार्च 2024 को, सेकी ने उपाध्यक्ष और एमडी, एनआरईडीकैप को एक पत्र भेजकर सेकी को श्एकमुश्त बिक्रीश के आधार पर भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया, जिस पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, 212071 लाख रुपए के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अनंतपुर को 20849 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

65. रूफटॉप–अन्य परिचालन आय के तहत अन्य प्राप्तियों में आरएफएस के अनुसार एलडी/जुर्माना/सीयूएफ अपेक्षाओं को पूरा न करने के लिए वसूल किए गए 216 लाख रुपए (विगत वर्ष 178 लाख रुपए) शामिल हैं। आय मान्यता पर वित्त वर्ष 2017–18 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इसे दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019, 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022, 6 जून, 2020 और 22 नवंबर, 2022 के पत्र आगामी निर्देशों/सलाह के लिए जारी किए गए है।. एमएनआरई से लंबित निदेश/सलाह लेखा नीति संख्या 1.सी.9.2 के अनुसार इसे सेकी की आय के रूप में माना गया है।

66. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

66.1. कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना आवश्यक है। उपरोक्त के आधार पर, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सीएसआर राशि 628.86 लाख रुपये (विगत वर्ष 499.35 लाख रुपये) है। तदनुसार, सीएसआर व्यय के लिए राशि खर्च की गई है जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

(लाख रुपए)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1.	**स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना**		
	डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में बच्चों की ऑप्टिकल और स्पाइनल देखभाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्कूल बैग प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।	12.50	-
	सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिविरों के लिए सीएसआर सहायता।	17.76	-
	हरदोई, उत्तर प्रदेश में टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।	24.99	-
	आलंद, कलबुर्गी, कर्नाटक में चिकित्सा शिविरों के आयोजन के लिए सीएसआर सहायता।	18.00	-

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
	राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ियों में एलईडी टीवी की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएसआर सहायता।	135.27	
	झारखंड के रांची में गेटवर्षसूद के 2 सरकारी स्कूल में पेयजल, टेबल, सौर पैनलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीएसआर सहायता।	24.30	
2.	**भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना**		
	शारदा बालाग्राम परिसर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के 100 छात्रों को भोजन/दैनिक आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।		25.00
	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों अर्थात एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया और कलावती अस्पताल, दिल्ली में 44 सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर, वेंडिंग मशीन और नैपकिन की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता		33.66
	स्नेह कुटीर शारदा बालग्राम आश्रम की 40 वंचित छात्राओं के पोषण के लिए रामकृष्ण मिशन ग्वालियर को सीएसआर सहायता।	20.00	
3.	**पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना**		
	बिशुनपुर संकुल, गुमला, झारखंड में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के लिए सीएसआर सहायता।	60.97	76.90
	महाराष्ट्र में नासिक जिले के सुरगाना ब्लॉक में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के लिए सीएसआर समर्थन	139.66	27.48
	लेह में सरकारी संस्थानों और अन्य संस्थानों/एजेंसियों को सौर जल तापकों के वितरण के लिए एलएएचडीसी एलईएच को सीएसआर सहायता		25.08
	आईआईटी कानपुर में सतत जल प्रबंधन के लिए सीएसआर सहायता।	29.70	
4.	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान**		
	बंगलौर, कर्नाटक में परम केन्द्र की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता		70.83
5.	**शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना**		
	लेह के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी का कार्यान्वयन।		88.60
	लेह लद्दाख में शिक्षक प्रशिक्षण		32.15
	ऋषिकेश में रामकृष्ण मिशन के 1 कॉटेज के विकास के लिए सीएसआर सहायता।	25.00	-
	मोंगोड, हुबली, कर्नाटक में आवासीय लामा शिविर में छात्रावास के उन्नयन और नवीकरण के लिए सीएसआर सहायता		49.70
	आलो, अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय स्कूल/छात्रावास, मोबाइल मेडिकल यूनिट और रामकृष्ण मिशन के अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए 1 वाहन के लिए सीएसआर सहायता।	10.30	
	राजनंदगांव (आकांक्षी जिला), छत्तीसगढ़ में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल साक्षरता उपकरणों के लिए सीएसआर सहायता।	38.13	-
6.	**पीएम केयर्स फंड**		**4.48**
7.	**विकास परियोजनाएं**		
	शारदा बालाग्राम परिसर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में सौर स्ट्रीट लाइट प्रदान करने के लिए सीएसआर सहायता।		7.98

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
	अमेठी में गरीब परिवारों के लिए 125 सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के वितरण के लिए सीएसआर सहायता		35.50
	योगेश्वर बहुदेशीय शिक्षण संस्था के माध्यम से गोंदिया में सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता।	48.00	
	छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव (आकांक्षी जिला) में सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, सड़कों के पक्के निर्माण के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीएसआर सहायता।	24.76	
	अमेठी जिले में सौर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता।	19.75	
	योग	**649.10**	**477.35**

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	628.86	499.35
ख. विगत वर्ष की कमी/(अधिक) राशि	-	(22.00)
ग. कुल (क+ख)	628.86	477.35
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	649.10	477.35
कमी राशि/अधिक राशि'	20.24	-

*वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खर्च की गई सीएसआर की अतिरिक्त राशि 20.24 लाख रुपये है।

66.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने समय–समय पर संशोधित कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 निर्धारित किए हैं। इन नियमों में अपेक्षित है कि किसी चालू परियोजना को छोड़कर खर्च न की गई सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि में अनुसूची VII में विनिदष्ट निधि में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। तथापि, यदि ऐसी राशि का उपयोग तीन वित्तीय वर्षों में नहीं किया जाता है तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि में अनुसूची VII में विनिदष्ट निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

67. एमएनआरई ने विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुपालन में, डेवलपर्स (एसपीडी/डब्ल्यूपीडी/रूफटॉप डेवलपर्स) ने डीआरसी से संपर्क किया है और 31 मार्च, 2024 तक 679.32 लाख रुपये (पीवाई रुपये 679.32 लाख) जमा किए हैं, जिसमें से गैर–वीजीएफ योजना से संबंधित राशि 317.09 लाख रुपये (पीवाई रुपये 316.09 लाख) है, इसे एक अलग ब्याज–असर वाले बैंक खाते में रखा गया है और 31 मार्च 2024 तक उस पर अर्जित ब्याज 58.85 लाख रुपये (विगत वर्ष 57.53 लाख रुपये) है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, विवाद समाधान समिति की सिफारिशों के अनुसार इस आशय का आदेश पारित होने की स्थिति में डीआरसी सदस्यों की फीस काटने के बाद राशि पार्टी को वापस कर दी जाती है। कोई भी निर्णय डेवलपर के पक्ष में नहीं है, तो डेवलपर्स द्वारा जमा किए गए शुल्क को 07 जून 2023 के डीआरसी दिशानिर्देशों और उसके सभी प्रासंगिक संशोधनों के अनुरूप सेकी द्वारा बनाए गए अलग फंड में जमा किया जाएगा।

68. पवन विद्युत परियोजना/फ्लोटिंग सौर परियोजना/आईएसटीएस सौर/गैर वीजीएफ स्कीमों के विलंबित/चालू न होने के लिए विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गई बीजी/निधियों का नकदीकरण।

वर्ष के दौरान सेकी को पवन ऊर्जा के विलंबित/कमीशनिंग के लिए विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गई बीजी/निधियों के नकदीकरण, आईएसटीएस सौर, फ्लोटिंग सौर परियोजना/टैरिफ में कमी और वीजीएफ स्कीमों के कारण अतिरिक्त मार्जिन के कारण 19,903.01 लाख रुपये (प्रति वर्ष 28,791.05 लाख रुपये) प्राप्त हुए हैं। आरएफएस/पीपीए के प्रावधानों के अनुसार, पवन विद्युत के विलंबित/कमीशनिंग, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और नॉन वीजीएफ स्कीमों

के लिए प्राप्त राशि को पीएसएफ के सृजन के लिए अलग रखा जाना है। तथापि, पवन विद्युत, फ्लोटिंग सौर परियोजना और गैर–वीजीएफ स्कीमों के लिए पीएसएफ के सृजन/प्रशासन हेतु दिशा–निर्देशों के जारी होने तक प्राप्तियों को अलग ब्याज वाले खाते/सीपीएसयू बांडों में निवेशित किया जाता है।

69. विद्युत विनियामक आयोगों (सीईआरसी/एसईआरसी) और एपीटीईएल ने सेकी को कानून दावों (जीएसटी/एसजीडी/बीसीडी/अन्य) में परिवर्तन की प्रतिपूत के लिए विद्युत विकासकर्ताओं को भुगतान करने का निदेश देते हुए आदेश पारित किए थे। इसके अतिरिक्त, पीएसए और आदेशों की शर्तों के अनुसार, इसकी वसूली संबंधित क्रय संस्थानों (डिस्कॉम) से बैक–टू–बैक आधार पर की जाएगी।

तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के तहत ''कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को मुआवजे'' के रूप में ब्याज राशि (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) सहित 22,689.31 लाख रुपये का खर्च बुक किया है। इसके अलावा, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूल किया जाना है, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 'असाधारण मदों' के तहत कानून में बदलाव के कारण ''डिस्कॉम से मुआवजा'' शीर्ष के तहत आय के रूप में कुल 22,689.31 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 25,600.53 लाख रुपये) भी बुक की है।

खर्च और आय विद्युत् की खरीद और बिक्री के कारण होती है क्योंकि मुआवजा सीधे टैरिफ से संबंधित है। इसे एक असाधारण मद के रूप में माना गया है क्योंकि विकासकर्ताओं द्वारा किए गए दावे और डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि में महत्वपूर्ण है और व्यवसाय के परिचालन चक्र के दौरान असामान्य है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने सीईआरसी/एसईआरसी के आदेशों के अनुसार कानून में बदलाव के कारण पावर डेवलपर्स को 31,759.70 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 21,132.74 लाख रुपये) का भुगतान किया है और तदनुसार आदेशों के अनुसार बैक–टू–बैक आधार पर डिस्कॉम से इसकी मांग की है। डिस्कॉम को किए गए कुल दावे में से, वित्त वर्ष 2023–24 में प्राप्त राशि 46250.04 लाख रुपये (विगत वर्ष की राशि 37,627.07 लाख रुपये) है। चूंकि कंपनी ने एकमुश्त भुगतान के बजाय वाषकी आधारित भुगतान तंत्र के लिए आवेदन किया है, बारह माह की अवधि के दौरान देय और वसूली योग्य राशि को चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष राशि को गैर–चालू के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, एकमुश्त आधार पर डिस्कॉम से प्राप्त किसी भी भुगतान को समायोजित किया जाता है और तदनुसार विकासकर्ताओं को भुगतान किया जाता है।

तदनुसार, पावर डेवलपर्स को देय 88553.72 लाख रुपये की राशि को ''एसपीडी को देय'' के रूप में दिखाया गया है और आगे 31 मार्च 2024 तक 6610.61 लाख रुपये की वर्तमान वित्तीय देयता और 81,943.11 लाख रुपये (विगत वर्षः वर्तमान वित्तीय देयता रुपये 6,904.23 लाख रुपये और गैर–चालू वित्तीय देयता रुपये 90,896.66 लाख) के लिए गैर–वर्तमान वित्तीय देयता में वर्गीकृत किया गया है।

डिस्कॉम से वसूली योग्य 85606.13 लाख रुपये की राशि को ''डिस्कॉम से वसूली योग्य'' के रूप में दिखाया गया है और आगे 31 मार्च 2024 तक 3663.18 लाख रुपये की वर्तमान वित्तीय संपत्ति और 81942.95 लाख रुपये की गैर–चालू वित्तीय संपत्ति (विगत वर्षः वर्तमान वित्तीय संपत्ति 18,450.59 लाख रुपये और गैर–चालू वित्तीय संपत्ति 90,896.66 लाख रुपये) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत विकासकर्ताओं को देय राशि और डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि के बीच का अंतर 294743 लाख रुपए है।

70. सेकी ने 14 दिसंबर, 2022 (14.02.2023 को पुनर्गठित) के साथ 80 मिलियन अमरीकी डॉलर (67 मिलियन अमरीकी डॉलर का आईबीआरडी ऋण और आईबीआरडी ऋण आईडी 8944–IN और सीटीएफ ऋण संख्या 8944–IN और सीटीएफ ऋण संख्या के साथ 13 मिलियन अमरीकी डॉलर का सीटीएफ ऋण) का ऋण प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है। TF0A9875A विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के गारंटी समझौते के माध्यम से भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा संप्रभु गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जाता है। एमएनआरई और सेकी के बीच बैक–टू–बैक गारंटी समझौते पर 01.05.2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण से $ 22.41 मिलियन और $ 6.99 मिलियन की राशि का संवितरण लिया गया है।

आईबीआरडी ऋण 15 जून, 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2043 तक छमाही समान किस्तों में

चुकाने योग्य है। आईबीआरडी ऋण पर ब्याज दर एसओएफआर (सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) प्लस 1.24% का परिवर्तनीय स्प्रेड है (31.03.2024 को)। सीटीएफ ऋण 15 जून, 2029 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2058 तक छमाही समान किस्तों में चुकाने योग्य है और इसमें 0.25% प्रति वर्ष का सेवा शुल्क (अर्थात ब्याज) है। इसके अलावा, आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण ब्याज के साथ देय ऋण की अनाहरित राशि पर क्रमशः /0.25% और /0.18% प्रतिबद्धता प्रभार लगाए जाते हैं।

सेकी के निदेशक मंडल ने कंपनी की ''विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (एफईआरएमपी)'' 11 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित की। नीति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है जिसे कंपनी के विदेशी मुद्रा प्रकटन की हेजिंग से संबंधित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया गया है। वर्ष के दौरान ऋण अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

71. वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत रुपए 157.43 लाख (विगत वर्ष रुपए 393.61 लाख) है। ऋण लागत के समायोजन के रूप में मानी जाने वाली विनिमय दर के अंतर के कारण 0.63 लाख रुपए की राशि को ब्याज लागत माना गया है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी की प्रस्तावित सौर विद्युत परियोजना के लिए मीयादी ऋण पर खोजी गई ब्याज दर के आधार पर कार्यात्मक मुद्रा में ऋण लेने की लागत /790% पर विचार किया गया है। कंपनी द्वारा कोई सामान्य कॉर्पोरेट ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, इंडस 23 के अनुसार प्रकट की जाने वाली पूंजीकरण दर कंपनी पर लागू नहीं होती है।

72. सेकी ने विनिर्माण सुविधा से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए 12000 मेगावाट के लिए निविदा जारी की। वित्त वर्ष 2021–22 में सेकी द्वारा 9,600 लाख रुपये / 80,000/– रुपये प्रति मेगावाट का सफलता शुल्क प्राप्त किया गया था।12000 मेगावाट क्षमता में से, 9234 मेगावाट के विद्युत् खरीद समझौतों (पीपीए) पर 31.03.2024 तक (31.03.2023 तक 9000 मेगावाट) हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष के दौरान मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 2333 मेगावाट के विद्युत क्रय करार को रद्द कर दिया गया था और 2333 मेगावाट की क्षमता मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फोर लिमिटेड को दी गई थी और उन्होंने सफलता शुल्क ₹ 1,86640 लाख का भुगतान किया है। तदनुसार, लेखा नीति सं 287488 लाख रुपए (पीवाई 79200 लाख रुपए) की सफलता फीस को लेखा नीति सं 2005 के अनुरूप आय के रूप में बुक किया गया है। सी.9.2.1 और 4,951.52 लाख रुपये की शेष सफलता शुल्क को अनप्रोद्भूत सफलता शुल्क के रूप में दिखाया गया है। (टिप्पणी संख्या 26.2 और 32.4 देखें)।

73. **बंद कंपनियों के साथ संबंध**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद कंपनियों के साथ लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण:–

(लाख रुपए)

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	वर्तमान अवधि के अनुसार बकाया शेष	कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटन किया जाना है	विगत अवधि के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटन किया जाना है
31 मार्च, 2024 तक					
शून्य					
31 मार्च, 2023 तक					
शून्य					

74. **इंड एएस 7 के अनुसार वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं का समाधान–नकदी प्रवाह**

कंपनी की पट्टा देयताओं में परिवर्तन को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(लाख रुपए)

विवरण	1 अप्रैल, 2023	नक़दी–प्रवाह	गैर नक़दी परिवर्तन			31 मार्च, 2024
			पट्टा देयताओं के लिए निवल परिवर्धन	विदेशी मुद्रा उतर–चढाव	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	176.86	(12.66)	16.01	-	-	180.21

(लाख रुपए)

विवरण	1 अप्रैल, 2023	नक़दी–प्रवाह	गैर नक़दी परिवर्तन			31 मार्च, 2024
			पट्टा देयताओं के लिए निवल परिवर्धन	विदेशी मुद्रा उतर–चढाव	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	173.24	(12.06)	15.68	-	-	176.86

75. कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से ऋण लिया है, कंपनी द्वारा बैंकों के पास दायर चालू परिसंपत्तियों का तिमाही विवरण/विवरणियां लेखा बहियों के साथ करार में हैं और कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं हैं।

76. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II के सामान्य अनुदेशों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक सूचना/प्रकटीकरण कंपनी पर लागू सीमा तक प्रकट किए जाते हैं।

77. तुलन–पत्र की तिथि के बाद कोई घटना नहीं हुई है, जिसका 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

परिचालन चक्र

78. कंपनी की कार्यकलापों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्तमान और गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

79. विगत वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक, पुन व्यवस्थित किया गया है अथवा पुन समूहित किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
एम.नं. 17693

हस्ता./–
(जोशित रंजन सिकिदार)
निदेशक वित्त
डीआईएन 10301499

हस्ता./–
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

सम तारीख की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल और कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 001537C

हस्ता./–
(सीए ए. के. एटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं. 077201

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02.08.2024

प्रपत्र एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसार)

अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग "क": अनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में रुपये में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी)

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	अनुषंगी कंपनी का नाम	लागू नहीं
2.	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	लागू नहीं
3.	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग।	लागू नहीं
4.	शेयर पूंजी	लागू नहीं
5.	आरक्षिति और अधिशेष	लागू नहीं
6.	कुल परिसंपत्तियां	लागू नहीं
7.	कुल देनदारियां	लागू नहीं
8.	निवेश	लागू नहीं
9.	कारोबार	लागू नहीं
10.	कराधान से पहले लाभ	लागू नहीं
11.	कराधान के लिए प्रावधान	लागू नहीं
12.	कराधान के बाद लाभ	लागू नहीं
13.	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं
14.	शेयरधारिता का %	लागू नहीं

टिप्पणियाँ: निम्नलिखित जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:

1. अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी परिचालन शुरू नहीं किया है।
2. उन अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान बेच दिया गया हो।

भाग "ख": एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

संयुक्त उद्यम का नाम	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
1. अंतिम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर	50%	50%	50%	50%	50%	50%
संख्या	50,000	5,00,000	5,00,000	10,000	5,000	22,100
संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	₹ 5,00,000	₹ 50,00,000	₹ 50,00,000	₹ 1,00,00,000	₹ 50,00,000	₹ 2,21,00,000
धारिता की सीमा (%)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण
4. संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं करने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (लाख रुपए में)	43,779.59	26,902.32	7.37	10,580.31	1,160.44	479.98
6. वर्ष का लाभ/हानि						
i. समेकन में माना गया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ii. समेकन में नहीं माना गया						

1. ऐसे एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों के नाम जो अभी परिचालन शुरू नहीं कर पाए हैं।

   लागू नहीं

2. ऐसे सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त कर दिया गया हो या बेच दिया गया हो।

   लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह/–	ह/–	ह/–
(सुनील कुमार)	(जोशित रंजन सिकिदार)	(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
कंपनी सचिव	निर्देशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्य संख्या 17693	डीआईएन 10301499	डीआईएन 03388822

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 02.08.2024

सेकी
SECI
SUN FOR EVER

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

छठी मंजिल, प्लेट "बी", एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक टॉवर-2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

www.seci.co.in

Sharad